अष्टम माला, खंड 8, अंक 14 शुक्रवार, 9 अगस्त, 1985/18 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(तीसरा सत्र)

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 9 अगस्त, 1986/18 श्रावण, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 40, पंक्ति 5 तथा 22, "श्री बसंत साठे" के स्थान पर "श्री वसन्त साठे" पढ़िये।

पृष्ठ 60, पंक्ति 11, "137/5/85" के स्थान पर "1375/85" पढ़िये।

पृष्ठ 60, पंक्ति 14, "श्री मानिक सन्याल" के स्थान पर "श्री मानिक सान्याल" पढ़िये।

पृष्ठ 66, नीचे से पंक्ति 12 (ज) " के स्थान पर " (ज) " पढ़िये।

पृष्ठ 68, पंक्ति 13, "1776"85" के स्थान पर "1376/85" पढ़िये।

पृष्ठ 73, पंक्ति 2, "श्री रणजित सिंह गयाक्वाड" के स्थान पर "श्री रणजीत सिंह गायक्वाड़" पढ़िये।

पृष्ठ 93, पंक्ति 20, "श्री एम०एल० झिकरान" के स्थान पर "श्री एम०एल० झिकराम" पढ़िये।

पृष्ठ 110, नीचे से पंक्ति 2, कोष्ठकों के बीच में (vi) अंतःस्थापित करिये।

पृष्ठ 112, नीचे से पंक्ति 2 और 7, "जीर्णोद्धारा" के स्थान पर "जीर्णोद्धार" पढ़िये।

पृष्ठ 172, पंक्ति 15, "वालू वर्ष" के स्थान पर "चालू वर्ष" पढ़िये।

पंक्ति नीचे से 3, "पढ़" के स्थान पर "पढ़ने" पढ़िये।

पृष्ठ 189, नीचे से पंक्ति 8, "हस" के स्थान पर "हम" पढ़िये।

पृष्ठ 210, पंक्ति 16, "15·21934" के स्थान पर "15-2-1934" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 8, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 14, शुक्रवार, 9 अगस्त, 1985/18 श्रावण, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	1-23
*तारांकित प्रश्न संख्या 263, 264, 266, 269 से 272, 274 और 275	...	1-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	23-178
तारांकित प्रश्न संख्या : 265, 267, 273 और 276 से 282	...	23-28
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2737 से 2739, 2741 से 2837, 2839 से 2940 और 2942 से 2970,	...	28-178
भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि	...	178-180
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	181-183
राज्य सभा से संदेश	...	183
प्राक्कलन समिति	...	183-188
आठवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	...	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	...	188
देश में जनसंख्या में चिंताजनक रूप से वृद्धि होने के समाचार	...	
श्री श्रीहरि राव	...	188-192
श्रीमती मोहसिना किदवई	...	192-194, 196-198
श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव	...	194-196
श्री सी० माधव रेड्डी	...	198-202
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	...	202-203
श्री एस० एम० भट्टम	...	204-206
सभा का कार्य	...	206-211
विधेयक—पुर : स्थापित		
तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक	...	212
बालक नियोजन (संशोधन) विधेयक (जारी)	...	212-218
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
श्री ए० चार्ल्स	...	212-214
श्रीमती कृष्णा साही	...	214-216
डा० टी० कल्पना देवी	...	216-217

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (भाषण असमाप्त)	...	218
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों, तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	...	218
तीसरा प्रतिवेदन		
विधेयक पुरःस्थापित	...	218-221
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक		
(अनुच्छेद 94 और 179 में संशोधन)		
प्रो० नारायण चन्द पराशर	...	219
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक		
(नये अनुच्छेद 48ख का अन्तःस्थापन, आदि)		
श्री के० राममूर्ति	...	219
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक		
(अनुच्छेद 324 में संशोधन, आदि)		
श्री के० राममूर्ति	...	219
(चार) किसान और कृषि-कर्मकार लाभ निधि विधेयक		
श्री के० राममूर्ति	...	219-220
(पांच) सरकारी कार्यालय (सार्वजनिक छुट्टियों और काम के घंटों का नियतन) विधेयक		
श्री के० राममूर्ति	...	220
(छः) संविधान (संशोधन) विधेयक		
(नये भाग 10क का अन्तःस्थापन)		
श्री आनन्द पाठक	...	220
(सात) राज्य द्वारा निर्वाचनों का वित्तपोषण विधेयक		
प्रो० पी० जे० कुरियन	...	220-221
(आठ) बेरोजगारी भत्ता संदाय विधेयक		
प्रो० पी० जे० कुरियन	...	221
(नौ) परिवहन पार्सल सेवा कर्मकार कल्याण विधेयक		
श्री अजय विश्वास	...	221
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	...	221-256
(धारा 125 और 127 में संशोधन)		
श्री जी० एम० बनातवाला		
विचार के लिए प्रस्ताव		
श्री मूल चन्द डागा	...	221-226
श्रीमती आबिदा अहमद	...	226-229

विय		पृष्ठ
श्री सुरेश कुरुप	...	229-234
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	...	234-239
श्री जैनुल बशर	...	239-242
श्रीमती गीता मुखर्जी	...	242-245
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	...	245-250
कुमारी ममता बनर्जी	...	250-253
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	...	253-255
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	255-256

—•—

लोक सभा

शुक्रवार, 9 अगस्त, 1985/18 श्रावण, 1907 (शक)
लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 263 श्री प्रधानी।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : यदि प्रधान से काम हो जाय, तो...।

अध्यक्ष महोदय : "ई" कहां से लाऊं।

[अनुवाद]

"नाल्को" परियोजना का पूरा होना

*263. श्री के० प्रधानी
श्री जगन्नाथ पटनायक } : क्या इस्पात खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल अल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) की परियोजना लागत में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई है ?

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान "नाल्को" की बाक्साइट खान चालू हो जाएगी और आठ लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले अल्यूमीनियम संयंत्र से पहले चरण द्वारा सितम्बर, 1985 तक उत्पादन शुरू कर दिए जाने की संभावना है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार का "नाल्को" के परिव्यय में वृद्धि करके बजट में कितनी सहायता देने का विचार है ;

(घ) लागत में और अधिक वृद्धि न होने देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा क्या आवश्यक खर्च पर परियोजना अधिकारियों द्वारा कोई रोक लगाई जा रही है ;

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इससे "नाल्को" के अलुमिना अथवा धातु के प्रति टन उत्पादन की लागत पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(छ) यदि हां, तो कितना तथा यह संयंत्र बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में किस प्रकार समर्थ होगा ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) नालको का इस समय विचाराधीन संशोधित लागत अनुमान, उसके नवंबर, 1980 के मूल 1242 करोड़ रुपए का अनुमान जो 1980 की प्रथम तिमाही के मूल्यों पर आधारित है, की तुलना में 222 करोड़ रुपए हैं।

(ख) परियोजना को पूरा करने का कार्यक्रम इस प्रकार है :—

बाक्साइट खान	नवम्बर, 1985
एल्यूमिना-फेज-1	सितम्बर, 1986
एल्यूमिनियम पौटलाइन-1	दिसम्बर, 1986

(ग) कम्पनी के पूंजीगत खर्च की वित्तपूर्ति अंशत: यूरो-डालर ऋण-फच उधार से तथा शेष की पूर्ति सरकार के बजट स्रोतों से की जा रही है। वर्ष 1984-85 तक 1129 करोड़ रुपए का संचयी व्यय हुआ है तथा वर्ष 1985-86 के लिए 412 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 720 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) संशोधित लागत अनुमान 1985 की प्रथम तिमाही के मूल्यों पर आधारित है तथा 90 प्रतिशत सौदे प्रमाणित मूल्य के आधार पर, पहले ही किए जा चुके हैं। शेष सौदों के बारे में कड़ा नियंत्रण बरता जा रहा है।

(च) जी हां, पूंजी लागत में वृद्धि का प्रभाव मूल्याह्रास और ब्याज प्रभावों पर पड़ा है।

(छ) नालको के एल्यूमिना और एल्यूमिनियम उत्पादन की लागत व्यापक तौर पर विभिन्न आदान-सामग्री के समय-समय पर प्रचलित मूल्य पर निर्भर करती है ; लेकिन नालको को नूतन प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त है। एल्यूमिनियम का बिक्री मूल्य अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अधीन विनियमित होता है, जो सभी उत्पादकों को उचित मूल्य की गारंटी देता है और साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा करता है।

श्री जगन्नाथ पटनायक : महोदय यह पता चला है कि पूरे संसार में उपलब्धता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को देखते हुए अल्यूमिनियम संयंत्र श्रम होते जा रहे हैं उन्हें गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एल्युमिना और एल्युमिनियम की उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य दोनों के बारे में समय-समय पर कोई अध्ययन किया जा रहा है। यदि हां, तो क्या निष्कर्ष रहा है ?

श्री वसंत साठे : यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एल्युमिनियम का मूल्य 12500 रु. प्रति टन से 18000 रुपए प्रति टन तक है और भारत में बाक्साइट का, जिससे हम एल्युमिना और एल्युमिनियम बना सकते हैं, बहुत बड़ा भंडार है किंतु मुख्य अड़चन बिजली की है। एल्युमिनियम उत्पादक की प्रक्रिया के बारे में प्रसिद्ध है कि इसमें बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है। अत: जब तक एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए कम दर पर पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं होगी तब तक भारत में सर्वोत्तम कच्चा माल अर्थात् बाक्साइट के होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय

मूल्यों की तुलना में महंगा ही रहेगा। इसके बावजूद भी हम 'बाल्को' और अभी हाल ही में 'नाल्को' परियोजना जैसी विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं जहां हम देशों में ही खपत के लिए तथा देश में एल्युमिनियम के आयात पर होने वाले खर्च बचाने दोनों के लिए एल्युमिनियम का उत्पादन करना चाहते हैं।

श्री जगन्नाथ पटनायक : चूंकि एल्युमिनियम के उत्पादन में बिजली की खपत ज्यादा होती है अतः यह निर्णय किया गया कि आरक्षित बिजली संयंत्र की व्यवस्था की जाय जिसमें 120 मेगावाट क्षमता के पांच एकक हों जिससे कुल अभिन्नपित क्षमता 600 मेगावाट हो। किंतु यह पता चला है कि इन एककों में से प्रत्येक को 10 माह तक प्रचालन के बाद दो मास तक का रखरखाव के लिए बन्द करना होगा। मोटे तौर पर एक वर्ष में एक एकक के बिजली के उत्पादन की हानि होगी इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या 120 मेगावाट क्षमता के दो अतिरिक्त आरक्षित बिजली संयंत्रों की व्यवस्था किए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री वसंत साठे : हम 'नाल्को' और 'बाल्को' दोनों में आरक्षित बिजली संयंत्र के लिए पहले से ही योजना बना रहे हैं और इन बिजली संयंत्रों में इन एककों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त क्षमता है ; अतः जहां तक आरक्षित बिजली संयंत्रों का संबंध है कोई कमी नहीं होगी।

श्री मधु दण्डवते : महोदय, मैं अपने पिछले अनुपूरक प्रश्न जो कि मुख्य प्रश्न से ही सम्बन्धित है, के सिलसिले में एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पिछले प्रश्न के भी संदर्भ में।

प्रो० मधु दंडवते : अनेक भागों में भी।

अध्यक्ष महोदय : उस संदर्भ के संबंध में।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, एक बार इस समस्या का मैंने उल्लेख किया था। मैंने माननीय मंत्री से प्रश्न किया था कि एल्युमिनियम के उद्घाटन में बिजली की खपत अधिक होती है और एल्युमिना के उत्पादन में बिजली की खपत कम होती है। महाराष्ट्र में पिछड़े कोंकण क्षेत्र में···

डा० कृपासिंधु भोई : यह इससे संबंधित नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : निर्णय उन्हें लेने दीजिए। आप तो अध्यक्ष नहीं हैं। अगली बार मैं आपका समर्थन करूंगा, (व्यवधान)। महोदय, यह संबंधित ही है। उन्होंने दो संयंत्रों के बारे में प्रश्न पूछे हैं और वह आरक्षित संयंत्रों की बात कर रहे हैं। यह उसी से संबंधित है यह चिकित्सा जैसी समस्या नहीं है।

डा० कृपासिंधु भोई : महोदय यदि आप इस तरह इजाजत देते रहे तो···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप अभी अध्यक्ष नहीं बने हैं।

(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री से यही पूछ रहा हूं कि जब पिछली बार मैंने कहा था कि महाराष्ट्र के पिछले कोंकण क्षेत्र में भारत अल्युमिनियम परियोजना लम्बित पड़ी है और उनकी यह शिकायत

ठीक ही है कि महाराष्ट्र सरकार अल्युमिनियम के निर्माण के लिए आवश्यक बिजली प्रदान नहीं कर पाई है, और मैंने उन्हें कहा है कि वहां एल्युमिनियम के निर्माण के स्थान पर यदि एल्युमिना के निर्माण की व्यवस्था की जाए तो बिजली की खपत भी कम होगी। तो उन्होंने उत्तर दिया था "हम सम्भावनाओं का पता लगाएंगे। यदि महाराष्ट्र सरकार बिजली दे पाए तो हम इस प्रस्ताव का अध्ययन करेंगे।" मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के सभी संसद सदस्यों की मुख्य मन्त्री और महाराष्ट्र में सभी अन्य संबंधित मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी तथा यदि आप वहां एलुमिना का निर्माण किया जाए तो मुख्य मन्त्री बिजली देने के लिए तैयार हैं। एलुमिना के लिए अपेक्षित बिजली एल्युमिनियम तैयार करने में खपत होने वाली बिजली का केवल एक तिहाई होगी। इतनी बिजली की पूर्ति महाराष्ट्र सरकार द्वारा की जाएगी। मुख्य मन्त्री ने सभी कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी सभी संसद सदस्यों को आश्वासन दिया था। हम तो अल्पसंख्यक हैं। यह आश्वासन सत्ताधारी दल के संसद सदस्यों को ही दिया गया था। इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए में माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यह परियोजना को जो काफी लंबे अरसे से लम्बित है, कार्यरूप देंगे और एलुमिना के निर्माण संबंधी प्रक्रिया की व्यवस्था कर पूरा करेंगे।

श्री वसंत साठे : महोदय, मुझे मुख्य मन्त्री से या महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जब मुझे यह प्रस्ताव प्राप्त होगा तब हम उससे संबंधित आर्थिक पहलू पर भी विचार करेंगे और इस पर विचार करेंगे कि एलुमिना का क्या करना है। इस लिए इस समय तो यह कल्पना मात्र है।

प्रो० मधु दंडवते : यह इस अर्थ में काल्पनिक नहीं है कि महाराष्ट्र से निर्वाचित किसी भी संसद सदस्य से पूछें तो पता चलेगा कि मुख्य मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है वह भी महाराष्ट्र से ही निर्वाचित हैं।

प्रो० मधु दंडवते : वह इसके बारे में जानते हैं ; चूंकि वे मन्त्री हैं इसलिए वे अनुपस्थित हैं बस, जो भी हो हम महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से पत्र प्राप्त करेंगे और आप कृपया उस पर डिमांड कीजिए।

डा० कृपा सिंधु भोई : महोदय मैं आपके माध्यम से प्रो० मधु दंडवते से क्षमा मांगता हूं क्योंकि रत्नागिरी में खनिज जिप्साइट का छोटा सा भंडार है जिसमें एल्युमिना बनाने के लिए बिजली की थोड़ी खपत होगी यह एक अलग बात है ···।

प्रो० मधु दंडवते : एक बार उन्होंने अध्यक्ष के रूप में काम करना चाहा था और अब वह मंत्री की तरह काम करना चाहते हैं। वह सदस्य के रूप में काम करें।

अध्यक्ष महोदय : गनीमत समझिए कि ऐसा मेरे माध्यम से हो रहा है।

डा० कृपा सिंधु भोई : महोदय, मैं बार-बार एक ही अनुपूरक प्रश्न—1000 करोड़ रुपए की वृद्धि के बारे में पूछ रहा हूं। दिनांक 26 जनवरी, 1980 को उड़ीसा में, खासतौर से, पोटेंगी, पचपाट दिल्ली क्षेत्र में एलुमिना-एल्युमिनियम स्मेल्टर के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एल्युमिना के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में बिजली की खपत अपेक्षाकृत कम होती है। 1981 में उन्होंने फ्रांस के स्काइने लिमिटेड के साथ टर्न-की आधार पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। (व्यवधान)। मैं आपकी जानकारी के लिए बुनियादी सुविधाओं के बारे में बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न करें।

डा० कृष्ण सिंधु भोई : वर्ष 1981 में स्काइने लिमिटेड के साथ हमने समझौता किया। किन्तु कुछ समय के बाद इसी समझौते पर इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के साथ समझौता किया गया था। संविदा में परिवर्तन और देर के कारण लागत में 1000 करोड़ रुपए अधिक की वृद्धि हुई। कुछ समय बाद इस धर्म स्काइने लिमिटेड ने आस्ट्रेलिया के टोमैंगो के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किया जहां अब उनका संयंत्र 8 लाख टन एल्युमिना तैयार करने की निर्धारित क्षमता तक उत्पादन कर रहा है और लागत में केवल 25 प्रतिशत तक ही वृद्धि हुई है। जबकि हमारे यहां 1000 करोड़ रुपए तक लागत में वृद्धि हुई है। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात की जांच के लिए समिति गठित करेंगे कि दोष किसका था अर्थात् अधिकारियों का, या किसी और का था।

श्री वसंत साठे : जांच समिति की कोई जरूरत नहीं है। हम पहले ही इस प्रश्न पर विचार कर चुके हैं। इस के बारे में पहले उत्तर भी दिया जा चुका है। लागत में वृद्धि का कारण सिर्फ यही था कि इस परियोजना की लागत का अनुमान जो 1,242.4 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। वह 1980 की पहली तिमाही में विद्यमान मूल्य पर आधारित था। उस समय जनवरी 1981 में हमने सरकार को कहा था कि वे परियोजना की लागत में निरन्तर हो रही वृद्धि को भी ध्यान में रखें जैसा कि आमतौर से नहीं किया जाता है और यदि ऐसा विचार भी किया जाता तो तत्कालीन वृद्धि के कारण वह 1,712 करोड़ रुपए ही निर्धारित होती। ऐसा मुद्रा-स्फीति के कारण होना स्वाभाविक ही है। लागत में हुई वृद्धि का लगभग 80 प्रतिशत भाग मुद्रास्फीति के कारण ही है। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते कि लागत में जो वृद्धि हुई है वह किसी की गलती के कारण या परियोजना को कार्यरूप न दिए जाने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से हुई है। इस परियोजना सम्बन्धी काम निर्धारित समय के अनुरूप हो रहा है। मैं सभी से यह जरूर कहना चाहता हूं कि परियोजना के कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्त काम निर्धारित समयानुसार हो रहा है।

डा० कृपा सिन्धु भोई : मैं एक जांच समिति···चाहता था।

श्री वसंत साठे : जांच समिति का अनावश्यक ही गठन क्यों किया जाए? मैं समिति दे बाद में विश्वास नहीं करता हूं कि बहुत सारी समितियां होनी ही चाहिए।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : भारत के कुल बाक्साइट भंडार का तीस प्रतिशत विशाखापत्तनम के पूर्वी समुद्र तट पर है। क्या यह सच है कि वहां एल्युमिनियम परियोजना की स्थापना व्यहार्यता के लिए नियुक्त रूसी विशेषज्ञों ने विशाखापत्तनम के कृष्ण देवपतनम में परियोजना स्थान की सिफारिश की है। और क्या यह भी सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने वहां एल्युमिनियम परियोजना शुद्ध करने के लिए भारत सरकार को अपनी ओर से भूमि, पानी और बिजली संबन्धी सुविधाएं देने की पेशकश की है? यदि हां तो क्या माननीय मन्त्री बताएंगे कि वहां एल्युमिनियम परियोजना शुरू करने के लिए वह क्या कर रहे हैं?

श्री वसंत साठे : जहां तक आंध्र एल्युमिनियम परियोजना का सम्बन्ध है रूसी विशेषज्ञ भारत के सहयोग से परियोजना की व्यवहार्यता की जांच कर रहे हैं और यह काफी प्रगति पर हैं व्यवहार्यता रिपोर्ट के मिलते ही हम और आगे कार्यवाही कर पाएंगे।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : क्या आप समय दे सकते हैं?

श्री बसंत साठे : मैं समय नहीं दे सकता।

उड़ीसा में कोयला संसाधनों का विकास

* 264 श्री राधाकांत डिगाल
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही } : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोयला संसाधनों के विकास के लिए हाल ही में कोई कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या उक्त विकास कार्यक्रम विदेशी सहायता से आरम्भ किया गया है;

(ग) यदि हां, तो वे कौन से देश तथा वित्तीय संस्थाएं हैं जो उड़ीसा में उपलब्ध कोयला संसाधनों के विकास कार्यक्रम में कार्यान्वयन में सहायता कर रहे हैं; और

(घ) उड़ीसा में कोयले के संसाधनों के विकास पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, हां। इस उड़ीसा में कोयले का उत्पादन 5.44 मिलियन टन है (1984-85)। सातवीं योजना के अन्त (1989-90) तक इस उत्पादन को बढ़ाकर लगभग 13 मिलियन टन तक पहुंचाने के लिए उड़ीसा के कोयला स्रोतों का विकास करने की दृष्टि से जो उपाय किए जा रहे हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

(एक) भरतपुर में 3.50 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली एक नई ओपेनकास्ट खान के लिए तथा जगन्नाथ ओपेनेकास्ट खान की क्षमता को 1.00 मिलियन टन से बढ़ाकर 2.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने के लिए मंजूरी प्रदान करना।

(दो) साउथ बलन्डा खान की परियोजना रिपोर्ट को उद्यतन करने का काम चल रहा है। इसके फलस्वरूप इस खान की वार्षिक उत्पादन क्षमता वर्तमान 1984-85 के 0.60 मिलियन टन से बढ़कर 1.00 मिलियन टन हो जाएगी।

(तीन) अनन्ता में एक अत्यधिक यंत्रीकृत भूमिगत खान खोलने के लिए साध्यता अध्ययन चल रहा है।

(चार) बिजली क्षेत्र की कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अनन्त, कलिंग और लिंगराज ब्लाक में विकास के लिए नई ओपेनकास्ट परियोजनाओं की भी योजना बनाई जा रही है।

(पांच) नंदिरा भूमिगत खान और तालचेर भूमिगत खान प्रणालियों को अद्यतन करने की साध्यता पर भी विचार किया जा रहा है।

(छः) तालचेर कोयला क्षेत्र का एक मास्टर प्लान तैयार करने का काम भी शुरू किया गया है जिसके अनुसार बड़े-बड़े कोयला खनन ब्लाकों का समन्वेषण और बुनियादी जरूरतों का काम पूरा करने की दृष्टि से पता लगाया जाएगा।

(ख) और (ग) जी, हां। तालचेर कोयल क्षेत्र में नंदिरा भूमिगत खान से कोयले का

उत्पादन बढ़ाने की साध्यता करने के लिए शारबोनेज द फ्रांस (फ्रांस सरकार का एक संगठन) की सहायता मांगी गई है। यह शारबोनेज द फ्रांस तालचेर कोयला क्षेत्र में अनन्त में एक यंत्रीकृत भूमिगत खान और एक परिष्करण के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन तैयार करने के लिए भी एक सहायता दे रहा है। इन अध्ययनों के लिए धनराशि फ्रांसीसी ऋण से उपलब्ध कराई जा रही है।

(घ) वर्ष 1985-86 के दौरान उड़ीसा की कोयला खानों के लिए 22 करोड़ रुपए (लगभग) का प्रावधान किया गया है।

श्री राधाकांत डिंगाल : माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि फ्रांस की सहायता से नांदिरा में भूमिगत खान से कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा तालचर, में अनंत में एक कोयला संसाधन संयंत्र लगाने की संभावना का पता लगाने के लिए भी अध्ययन किया गया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस अध्ययन के लिए फ्रांस की फर्म द्वारा कितनी सहायता दी गयी है तथा यह अध्ययन कब तक पूरा हो जाएगा। इसकी अब तक की स्थिति क्या है ?

श्री बसंत साठे : अब तक की स्थिति यह है कि हम फ्रांस की चारबोनेज द फ्रांस, फर्म के सहयोग से तालचेर कोयला क्षेत्र में नांदिरा भूमिगत खान से कोयले का उत्पादन बढ़ाने की संभावना का अध्ययन कर रहे हैं। 1985-86 में उड़ीसा की कोयला खानों के लिये 22 करोड़ रुपए का प्रबधान किया गया है और यह परियोजना इन्हीं खानों में से है।

श्री राधाकांत डिंगाल : मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस समय उड़ीसा में कोयला क्षेत्रों से कोयले का कितना उत्पादन हो रहा है क्या राज्य के कोयले के स्रोतों के विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं और बिजली की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का उस राज्य में कोयले पर आधारित दो सुपर ताप बिजली संयंत्र एक तालचेर में तथा दूसरा इब वैली में स्थापित करने संबंधी उड़ीसा सरकार द्वारा दिए गये सुझावों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है ?

श्री बसंत साठे : जी हां, उड़ीसा में इसकी बहुत संभावनाएं हैं। वहां पर बहुत अच्छे किस्म के तथा बहुत अधिक मात्रा में कोयले के भण्डारण मिले हैं। यदि आपको आंकड़े भी चाहिएं तो तालचेर कोयला क्षेत्र में 9129.50 लाख टन तथा इब वैली में 827.90 लाख टन अच्छी किस्म के कोयले के भंडार हैं। सातवीं योजना में, उड़ीसा में उक्त कोयला क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गयी है। तालचेर कोयला क्षेत्र के मामले में, 1984-85 से 1988-89 तक हमारा 89.00 लाख टन तक उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव है तथा इब वैली में कोयले का उत्पादन 20 लाख टन से 50 लाख टन बढ़ाने का प्रस्ताव है और कुल कोयले का उत्पादन 54.40 लाख टन से 139.00 लाख टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या तालचेर कोयला क्षेत्र में बहुत अच्छे कोयले के भंडार की बहुत मोटी परत है, जिसकी मोटाई लगभग 145 फुट है और जो शायद हमारे देश में सबसे मोटी परत है। दूसरी बात यह कि क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उड़ीसा में कोयले के भार का अनुपात केवल 1:1:3 है जबकि देश के अन्य भागों में यह अनुपात 1:4:5 है इसका अभिप्राय यह है कि देश के अन्य भागों में कोयले की उत्पादन लागत बहुत अधिक है तथा उड़ीसा में यह लागत सबसे कम है। इसलिए इन

भंडारों तथा मोटी परत और उत्पादन की कम लागत को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सम्पूर्ण छठी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में कोयला क्षेत्र के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1984-85 में केवल 22 करोड़ रुपए देकर क्या सरकार यह समझती है कि क्या वह उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर देगी, जबकि तालचेर में कोयले के बहुत अधिक भंडार हैं और इसकी परत की मोटाई भी काफी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि इसके लिए फ्रांस से कितना ऋण मिला है और क्या इसके लिए रूस से भी ऋण मिला है।

मध्य कोयला क्षेत्र का मुख्यालय रांची में है तथा पश्चिमी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय नागपुर में है। इन बड़े भंडारों, जिनके बारे में माननीय मन्त्री जी ने अभी-अभी सभा को बताया है, को ध्यान में रखते हुए, क्या इन दोनों कोयला क्षेत्रों तथा तालचेर को मिलाकर एक ही कोयला क्षेत्र बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय उड़ीसा में होगा ?

श्री वसंत साठे : महोदय, एक साथ इतने प्रश्न। इस समय मुझे ऋण की समस्त राशि का पता नहीं है। हां इस परियोजना के बारे में फ्रांस से प्राप्त ऋण के आंकड़े माननीय सदस्य को दे सकता हूं। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि 1985-86 में 22 करोड़ रुपए रखे गये हैं लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल उड़ीसा के लिए हमने जो कुल राशि निर्धारित की है वह 200 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसलिए सरकार उड़ीसा में कोयले के भरपूर भंडारों का दोहन करने के लिए उत्सुक तथा इच्छुक है।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि उड़ीसा में कोयला भंडार, आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं क्यों कि वहाँ कोयले के भार का अनुपात कम है।

श्री जगन्नाथ राव : महोदय, माननीय मन्त्री जी ने सभापटल पर जो विवरण रखा है। उसमें दीर्घकालीन उपायों के बारे में कहा गया है। अल्पकालीन उपायों का क्या हुआ ? उड़ीसा के तालचेर कोयले में राख की मात्रा अधिक है। अमरीका द्वारा बायलर इस प्रकार बनाए गए थे, जो इस किस्म के कोयले के लिए उपयुक्त हैं। वहां वास्तव में बायलर तो हैं। लेकिन हमें इ. एस. पी. (इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसपिरेटर्ज) की ज़रूरत है जो अपशिष्ट निकाल दे। सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं क्योंकि यह मंत्रालय कोयला खान संरक्षण तथा विकास अधिनियम को लागू करने वाला मंत्रालय है? गत दस वर्षों में सरकार ने क्या किया है और सरकार अब ऐसा क्या कर रही है जिससे बिजली उत्पादन में सुधार करने में ओ०एस०ई०बी० (उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड) की सहायता की जा सके क्योंकि हम वहाँ सुपर ताप बिजली घर स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या आप उलटे बांस बरेली को ले जा रहे हैं, अर्थात स्थानीय बिजली घरों के लिए बाहर से कोयला लाएंगे। आप सास जैसा रवैया अपना रहे हैं। मेरी यही शिकायत है।

श्री वसंत साठे : हम सास जैसा रवैया नहीं अपना रहे, हम तो मां जैसा रवैया अपना रहे हैं। यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि मैं खुद तालचेर गया हूं और मैंने ओ०एस०ई०बी० (उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड) के बिजली घरों को देखा है तथा उनकी समस्याओं को भी देखा है वहाँ केवल बायलर तथा प्रेसपिरेटर की ही समस्या नहीं है बल्कि वाहक (कन्वेयर) की भी समस्या है।

(व्यवधान)

एक अच्छी सास जैसा रवैया अपनाया जाएगा। महोदय, हमने जो कुछ किया है वह यह है कि हमने उड़ीसा सरकार को सलाह दी है कि वाहक पट्टा बदलने पर अधिक खर्चा नहीं होगा इससे वाहक अधिक मात्रा में कोयला ले जा सकेगा तथा बिजली घर का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। हम केवल सलाह ही दे सकते हैं। जहाँ तक कोयले का संबंध है हम जो सहायता दे सकते हैं, देंगे। जैसा कि हमने आश्वासन दिया है कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनको सही कोयला मिले।

इससे अधिक और आप हमसे उनके लिए क्या करवाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड का घाटा

*266. श्री के० एस० राव : क्या इस्पात खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड में 30 जून, 1985 तक हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस निगम को गैर-सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और वर्तमान स्थिति क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) वर्ष 1983-84 तक 80 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई थी। वर्ष 1984-85 और उसके बाद की अवधि के लेखों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री के० एस० राव : आज सरकार का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है। इन कम्पनियों के मामले में जहां तकनीकी विशेषज्ञता या सक्षमता की कोई कमी नहीं है, तो फिर उन निर्माण कंपनियों को बनाये रखने की क्या जरूरत है जो हर साल राजकोष पर बोझ बढ़ा रही हैं। हानि के अलावा, वे आयकर के रूप में कोई आय या अन्य आय सरकार को कमा कर नहीं दे रही हैं। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्रालय का कोई ऐसा विचार है कि उन कम्पनियों का पता लगाया जाये जिनमें हर वर्ष भारी हानि हो रही है ताकि उन्हें या तो बंद कर दिया जाये या हानि को कम करने के उपायों का पता लगाया जाये।

कुं० नटवर सिंह : यह पूरक प्रश्न बहुत विस्तृत है। मैं केवल इस्पात मन्त्रालय तथा इस विशेष मामले के बारे में ही उत्तर दे सकता हूं। वास्तव में सरकार इस बात से बहुत चिन्तित है कि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० में भारी घाटा हो रहा है। अन्य मन्त्रालय क्या कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। हम यह जानते हैं कि किसी कम्पनी विशेष में घाटा होने के क्या कारण हैं। हम इस बात का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि इस घाटे को कम कैसे किया जाये। इसके लिये प्रत्येक सम्भव और व्यवहार्य विकल्प की तलाश की जा रही है।

श्री के० एस० राव : इसी सिलसिले में, मेरी समझ में आ सकता है यदि कम्पनी मजदूरों

को सीधे लगाकर अपनी मर्जी से कार्य शुरू करती है। लेकिन कार्य शुरू करने के बाद इस कंपनी ने एक बार फिर उप-ठेके देना शुरू कर दिया है, और हम उन अन्य ठेकेदारों को लगा रहे हैं जिन्होंने अन्यथा उसी ठेके के लिये निविदाएं भेजी होतीं और जिससे हमें इस ठेके के कुल मूल्य के 10 से 15 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है। इसके संबन्ध में अब चुपचाप बैठना और इस प्रक्रिया को चलने देना और लगातार घाटा उठाने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को इसके लिये उपाय ढूढ़ने चाहिए विशेषकर प्रधान मन्त्री जी द्वारा दिये गये इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि हम उस सरकारी उपक्रमों के बारे में तत्काल विचार कर रहे हैं जो घाटा उठा रहे हैं ताकि उसके लिये तत्काल उपाय किये जा सकें।

कु० नटवर सिंह : ऐसी उम्मीद है तथा मैं भी यही आशा करता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं......

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो० रंगा को अनुमति नहीं दी थी। उन्हें मेरे माध्यम से पूछना चाहिये।

प्रो० एन० जी० रंगा : ...आपने क्या आदेश दिया है ...मेरी समझ में नहीं आया।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने सभा में व्यवस्था के लिये आदेश दिया है।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आप उचित माध्यम से आइये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आप चाहें तो मैं उस प्रश्न को दोहराने के लिये माध्यम का काम कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न दोहरा सकते हैं...अनुमति दी जाती है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय ने प्रश्न के भाग (ख) का नकारात्मक उत्तर दिया है, अर्थात 'क्या इस निगम को समाप्त करके इसे निजी प्रबंधकों को देने का कोई प्रस्ताव है'। ठीक है, हम इसके लिये आभारी हैं। लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहूंगा, कि क्योंकि विभिन्न समाचारपत्रों में इस बारे में मुख्य रूप से आया है, क्या सरकार इस निगम को बंद करने पर विचार कर रही है जिसके कारण निस्संदेह लगभग 20000 लोग बेरोजगार हो जायेंगे। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या यह एक तथ्य है कि जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है कि जब मुख्य रूप से बोकारो में स्थिति निर्माण कर्मचारियों को देश के अन्य भागों के नई इस्पात संयंत्रों के निर्माण में लगाने का प्रयास किया गया, उदाहरण के लिये विशाखापत्तनम में लगाया गया, तो एक कठिनाई यह आई है कि...

एक माननीय सदस्य : भिलाई का विस्तार करने में भी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : भिलाई में बहुत पहले हुआ है। इन लोगों को रोजगार दिये जाने के विरुद्ध इस आधार पर काफी स्थानीय विरोध हुआ है कि स्थानीय मजदूरों को ही रोजगार दिया जाना चाहिये और इन लोगों को वहां नहीं लाया जाना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह एक तथ्य है और क्या उन्हें इस कम्पनी के इंजीनियर एसोसिएशन से कोई ज्ञान भी प्राप्त हुआ जिन्होंने यह जानना चाहा कि इस कम्पनी में हानि क्यों होती है और उसको दूर करने के लिये उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वहां ठेके और शिकमी ठेके अधिक दिये जाते हैं जिसके कारण हमेशा हानि होती है। क्या वह कम्पनी के इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा दिये गये प्रस्तावों से अवगत हैं?

कु० नटवर सिंह : महोदय, मैंने इंजीनियर एसोसिएशन के इस विशेष प्रस्ताव को नहीं

देखा है माननीय सदस्य की पहली टिप्पणी कि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि० के कामगारों को बोकारो से ले जाने का विरोध हुआ है, यह बात सत्य है। वास्तव में अन्य राज्यों में इस विषय पर भावनाएं काफी उत्तेजित हैं। उन्हें याद होगा कि 1977 में जब कुछ श्रमिकों को बोकारो से मिलाई जाने के लिये कहा गया तो जबरदस्त आंदोलन चल पड़ा था हालांकि उनकी संख्या केवल छः सौ ही थी। तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री देसाई श्री पटनायक और श्री सकलेचा के बीच एक सूत्र निकाला गया जिसके अन्तर्गत बोकारो से स्थानांतरित प्रत्येक स्थानीय व्यक्ति के बदले तीन स्थानीय व्यक्तियों को काम पर लिया जायेगा। लेकिन इससे हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ हम एक समस्या का सामना कर रहे हैं कि इन सब संयंत्रों में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है फिर भी ये अतिरिक्त श्रमिक हमारे पास हैं।

इस अटकलबाजी के बारे में कि कम्पनी का अधिग्रहण एक निजी व्यापार संस्था द्वारा किया जा रहा है, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि संभवतः कोई भी निजी कपनी 23,000 श्रमिकों की सख्या को नहीं लेगी। बिल्डिंग कंसट्रक्शन कार्पोरेशन और नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन जैसे संगठनों के पास अपनी व्यवस्था है। हिन्दुस्तान स्टील वर्कस कंसट्रक्शन लि. ही केवल ऐसा संगठन है जिसके पास अपनी श्रम शक्ति है और इन श्रमिकों की संख्या स्थिर है। यही हमारी समस्या है। इस कंपनी को लगभग 100 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इस हानि का एक कारण इराक, लीबिया और माल्डीव में विदेशी कार्य किया जाना है। माल्डीव में हमें साधारण लाभ हुआ था। लिबिया में अधिक हानि हुई—लिबिया और इराक में लगभग 29 करोड़ रुपए की हानि हुई। विशाखापत्तनम के अतिरिक्त कोई और संयंत्र निर्मित नहीं किया जा रहा। इसलिए हिन्दुस्तान स्टील वर्कस कंसट्रक्शन लि० ने जिसे ठेकेदारों द्वारा निजी स्तर पर शोषण रोकने के लिए 1964 में शुरू किया गया था, 1977-78 तक लाभ कमाया और तब से निरन्तर हानि पर चल रहा है। हम यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि (क) कैसे किसी भी व्यक्ति की छंटनी न की जाए; (ख) कैसे यह सुनिश्चित किया जाये कि बेरोजगारी न बढ़े; (ग) कैसे कंपनी को हानि न हो। यह एक दुविधा है और वास्तव में इसका कोई आसान समाधान नहीं है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं माननीय मन्त्री जी महोदय से जानना चाहूंगा, क्योंकि जहां तक श्रमिकों का संबन्ध है मैं भी इस कम्पनी से बहुत अधिक जुड़ा हुआ हूं, कि क्या यह सच है कि बोकारो, धनबाद और पुरुलिया के अनुसूचित जनजातीय के काफी संख्या में श्रमिक जो आरम्भिक चरणों में इस कंपनी में थे और जो अन्त में भारी संख्या में आवश्यकता से अधिक हो गए, और इन्होंने आप को बोकारों इस्पात संयंत्र और आई० आई० एस०सी० ओ० और किसी अन्य इस्पात संयंत्र में खपाने के लिए निश्चित प्रस्ताव छिपे हैं ताकि चार वर्ष की अवधि में श्रमिकों को ऐसा स्थायित्व मिले जिससे वित्त व्यवस्था को सतुलित रूप में बनाए रखा जा सके। क्या यह भी सच है कि इस प्रस्ताव के बावजूद भी मन्त्रालय ने इसकी जांच नहीं की और इसको कार्यान्वित नहीं किया। यदि हां तो वे इसकी जांच कब करेंगे? मेरा यही सुस्पष्ट प्रश्न है।

कु० नटवर सिंह : मैं इस प्रस्ताव के बारे में अवश्य ही पता लगाऊंगा और इस विषय में माननीय सदस्य को संतुष्ट करूंगा। लेकिन मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि केवल आवश्यकता से अधिक इन श्रमिकों के कारण ही कंपनी को 43 करोड़ रुपए की कुल हानि हुई है। आवश्यकता से अधिक इस श्रम शक्ति के कारण कंपनी की वित्तीय समस्या गंभीर होती जा रही

है और 1979-80 से 1980-85 तक इस अतिरिक्त श्रम शक्ति के कारण लगभग 43 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आपने उन्हें भर्ती किया है और अब आप उनकी छंटनी कर रहे हैं। उनको पहले रोजगार ही क्यों दिया जाता है और बाद में छंटनी की जाती है।

कु० नटवर सिंह : उन्हें रोजगार इसलिए दिया गया कि सिविल निर्माण और संयंत्र स्थापित करने के लिए उनकी आवश्यकता थी और तब से वे कम्पनी में कार्यरत हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न 267, प्रोफेसर निर्मला कुमारी शक्तावात। वे यहां नहीं हैं। अगला प्रश्न 269

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या 268 था उसका क्या हुआ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न संख्या 268 को 19 तारीख के लिए आस्थगित कर दिया गया है। अगला प्रश्न 269 श्री बृज मोहन महन्ती।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सोना तथा कपड़ा जब्त करना

*269. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कुल कितने मूल्य का सोना तथा कपड़े जब्त किए गए ;

(ख) क्या जिन स्रोतों अर्थात् देशों से इस प्रकार की तस्करी हो रही है उनका पता लगा लिया गया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई निरोधक उपाय किए गए हैं; और

(घ) वर्ष 1984-85 के दौरान कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया तथा उन पर अभियोग चलाया गया तथा क्या उनमें से किसी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबन्द किया गया है ?

वित्त मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सदन-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1982, 1983, 1984 के दौरान पकड़े गए सोने और टेक्सटाइलों का मूल्य निम्नोक्त है :

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सोना	टेक्सटाइल
1982	12.88	7.61
1983	4.18	15.00
1984	10.24	18.39

(ख) जी हां।

(ग) तस्करों के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया गया है। सीमाशुल्क विभाग के निवारक तथा आसूचना तन्त्र को कर्मचारी और उपकरण उपलब्ध कराकर और सुदृढ़ बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सम्बन्धित प्राधिकरणों के साथ घनिष्ठ तालमेल बैठाकर तस्करी-निवारण हेतु उचित अल्पावधिक और दीर्घावधिक उपाय किए जाते हैं। यथापेक्षित उचित उपचारी कार्यवाही करने के लिए तस्करी तथा किए गए अभिग्रहणों की प्रवृत्ति की सतत समीक्षा की जाती है।

(घ) अप्रैल, 1984 से मार्च, 1985 तक की अवधि के दौरान तस्करी की गतिविधियों के कारण जिन व्यक्तियों को सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया, जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन जिन व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया उनकी संख्या इस प्रकार है (तस्करी के कारण किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबन्द नहीं किया जा सकता है):-

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, उनकी संख्या	विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन नजरबन्द किए गए व्यक्तियों की संख्या
2375*	1996*	750

* आंकड़े अनन्तिम हैं।

श्री बृज मोहन महन्ती : महोदय मेरे प्रश्न के भाग (ख) कि क्या जिन स्रोतों अर्थात् देशों से इस प्रकार की तस्करी हो रही है उनका पता लगा लिया गया है उत्तर में दिए गए विवरण पत्र में मन्त्री महोदय ने जी, हां कहा है। लेकिन उत्तर में देशों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। महोदय, स्पष्टतया ये देश हैं नेपाल दुबई और जापान, जहां से तस्करी हो रही है। जहां तक नेपाल का सम्बन्ध है हाल ही में उन्होंने निजी सामान सम्बन्धी नियमों को उदार बनाया गया है जिसके अन्तर्गत बिना किसी कठिनाई के कोई भी 20,000 रुपए मूल्य का सामान नेपाल में ला सकता है हालांकि वे प्रत्येक व्यक्ति को केवल 15 अमेरिकी डालर देते हैं। इसलिए, स्वाभाविक है कि इससे भारत में तस्करी को प्रोत्साहन मिलता है। इसका अर्थ है सरकार पहले ही तस्करी को प्रोत्साहन दे रही है। दुबई भी पोलिएस्टर का आयात कर रहा है ताकि उसकी भारत में तस्करी की जाये। इसी प्रकार जापान से नाइलोन भारत में तस्करी से भेजा जाता है। मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्रोत पर ही तस्करी को रोकने के लिए उन देशों के साथ कोई कदम उठा रही है। हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा है कि भारत के साथ की गई व्यापार और पारगमन संधि असमान है। आपको नेपाल और अन्य देशों की सरकारों को कहना पड़ेगा कि वे तस्करी के विरुद्ध निरोधक उपाय करें। मैं समझता हूं कि कोई भी देश प्रत्यक्षरूप से तस्करी का समर्थन नहीं कर सकता। मेरा प्रश्न यह है कि उन्हें तस्करी रोकने के लिए कम से कम कुछ उपाय तो करने ही चाहिए। अन्यथा भारत सरकार के लिए तस्करी को रोकना काफी असंभव है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने नेपाल के प्रधानमंत्री के हाल ही के जुलाई वक्तव्य को अवश्य देखा होगा कि भारत सरकार के साथ व्यापार संधि संतोषजनक नहीं है और यह संधि दोनों पक्षों के लिए समान

नहीं है और इससे पता चलता है कि तस्करी के लिए उन्हें और अधिक उदार अवसर दिया जाना चाहिए। मेरा प्रश्न है : इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त और वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या सरकार को स्रोतों का पता है तो उत्तर में हमने कहा था, 'हां'। उन्होंने देशों का नाम नहीं पूछा था। जहां तक सामान सम्बन्धी नियमों का सम्बन्ध है, वे तस्करी का माध्यम हैं सामान सम्बन्धी नियम हैं और यदि कोई इनका उल्लंघन करता है तो हम हमेशा ही, कार्यवाही करते हैं।

जब भी हम देखते हैं कि बैगेज नियमों अथवा अन्य नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो हम इसके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं। व्यापार तथा परिवहन सन्धि में तस्करी की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री बृजमोहन महन्ती : मेरे प्रश्न को सही ढंग से नहीं समझा गया। मेरा प्रश्न था कि क्या नेपाल, दुबई तथा जापान की सरकारों से उस ओर से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक नेपाल का सम्बन्ध है हम उनसे बात कर रहे हैं और जब भी जरूरी होता है ये बातें उनके ध्यान में लाई जाती रहीं हैं। अन्य देशों की सरकारों से की जा रही बातों की मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री बृज मोहन महन्ती : मेरा प्रश्न था, कि 1984 तथा 1985 में कितने तस्करों को गिरफ्तार करके मुकदमा उन पर चलाया गया और क्या इनमें से किसी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हिरासत में लिया गया है ? शायद मेरी बात समझी नहीं गई। उनका कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यहां लागू नहीं होता है। शायद वित्त मंत्रालय का ऐसा विचार है। जो लोग शस्त्रास्त्रों की तस्करी करते हैं वे विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते तथा उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ही हिरासत में लिया जा सकता है और इसीलिए मैं यह प्रश्न कर रहा हूं। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कितने शस्त्र तस्करों को गिरफ्तार किया गया तथा कितनों पर मुकदमा चलाया गया तथा हिरासत में लिया गया ? मेरे विचार से विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम इस मामले में लागू नहीं होता।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : तस्करों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं होता। मुझे विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त हो गए हैं। 1985 में 27 जुलाई 1985 तक 485 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। शस्त्रों की तस्करी के विषय में मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : देश में विदेशी माल लाने वाले कई तरह के यात्री हैं। एक प्रकार के तस्कर वे हैं जो सामान को लाकर बेचते हैं और धन कमाते हैं किंतु अन्य यात्री विदेशों में कुली का कार्य करते हैं वे भी अपने परिवार के लिए वस्त्र, टू-इन-वन अथवा थ्री-इन-वन ट्रांजिस्टर आदि लेकर आते हैं। क्या सरकार सीमा बढ़ा कर अथवा इसी प्रकार की कोई सुविधा देकर कुछ रियायत देगी ? खाड़ी के देशों से हम लगभग 500 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा कमाते हैं। क्या सरकार ऐसे लोगों को कुछ रियायतें देने का विचार करेगी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह समस्या खाड़ी देश से लौटने वाले लोगों ने पैदा की है। इस समय मैं केवल सुझाव नोट कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : क्या यह सत्य है कि सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किये गये करोड़ों रुपये के कपड़े, घड़ियां और कीमती इलैक्ट्रानिक साधन कूड़े-कचरे की तरह गोदामों में भरे हैं और अच्छे गोदाम और पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी न होने से करोड़ों रुपये का यह सामान खराब हो जाता है ? क्या इस विभाग को यह भी जानकारी है कि इन गोदामों के अच्छे सामान को डेमेज बताकर बेचने की एक श्रृंखला कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच में चल रही है ? इसे रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आमतौर से ऐसा होता है, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन होता ही नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता। जहां होता है, वहां कार्यवाही की जाती है।

श्री विलास मुत्तेमवार : मैंने गोदामों की स्थिति के बारे में पूछा है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : स्मगलिंग के सारे गोदामों की स्थिति तात्कालिक मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जहां तक होता है, उन्हें अच्छे ढंग से रखा जाता है।

श्री विलास मुत्तेमवर : करोड़ों रुपये का समान है, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यु मिलता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्रश्न के साथ कोई चीज जुड़ी हो तो बता सकता हूं।

श्री विलास मुत्तेमवार : एक बार आप विजिट करिये।

[अनुवाद]

आसनसोल में संकतोडिया गांव में भूमिगत गैस और अग्नि

270. श्री पूर्णचन्द्र मलिक : क्या इस्पात, खान और कोयलामंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल के संकतोडिया गांव में भूमिगत गैस और अग्नि भूमि से फूट निकली है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) संकतोड़िया गांव और उसके आस-पास की बस्तियों में परित्यक्त कम गहरी कोयला खानों में भूमिगत आग 1946 से देखी जा रही है। कभी-कभी जब धंसाव होता है और दरारें पड़ी जाती हैं तब भूमिगत खानों की आग या गैसें धरातल पर भी आ जाती है। इस प्रकार की आग का मुख्य कारण राष्ट्रीयकरण के पहले गैर-सरकारी खान मालिकों द्वारा अनियोजित और अवैज्ञानिक खनन कार्य था।

(ग) राष्ट्रीयकरण के बाद ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने यहां बुलडोजर चलाना और भारी मात्रा में रेत बिछाना आदि कार्रवाई की हैं। इसके फलस्वरूप आग गैसों पर नियंत्रण कर लिया गया है। जब कभी इस प्रकार की आग या गैसें फिर दिखाई पड़ेंगी तो यही कार्रवाई फिर की जाएगी।

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि राष्ट्रीयकरण से पहले निजी स्वामित्व वाले लोगों के द्वारा अवैज्ञानिक तथा योजनाहीन तरीके से खनन करने के कारण

गैस तथा आग आदि बाहर निकलते हैं। क्या अब भी ऐसा हो रहा है ? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ? क्या ऐसा वर्तमान प्रबन्धकों के द्वारा अवैधानिक खनन अथवा योजनाहीन तरीके से खनन किए जाने के कारण है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इससे प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है ?

श्री वसन्त साठे : जहां तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है, अब कोई अवैधानिक खनन नहीं हो रहा है, और आग अथवा गैस आदि भी नहीं निकल रही है। किन्तु यदि किसी समय ऊपरी सतह पर दरार पड़ जाने पर ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए तुरन्त कार्य-वाही की जाती है। जहां तक मुआवजे का प्रश्न है इसके कारण किसी भी कर्मचारी अथवा व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अतः मुआवजे का सवाल नहीं उठा।

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : सभी जानते हैं कि कोयला क्षेत्रों में अवैधानिक खनन चलता रहता है। इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

श्री वसन्त साठे : श्रीमान्, मैं आसनसोल के इस क्षेत्र के बारे में बात कर रहा था। किन्तु यदि आप पूरे कोयला क्षेत्र विशेषतया इस दृष्टि से बदनाम कोयला क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं तो यह बात सच है। यह बात सभी जानते हैं कि और इसे रोकने का एक मात्र तरीका है, जैसा कि मैं बार-बार कह चुका हूं, खनन कार्य में लगे हुए मजदूरों को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि समस्या कहां पर है तथा ऐसा काम करने वाले लोग कौन से हैं। मैं और कोई तरीका नहीं जानता। राज्य सरकारें कानून के अन्तर्गत यथा सम्भव प्रयत्न कर रही हैं। कोई भी व्यक्ति निजी खनन नहीं करवा सकता। यह एक अप-राध है और कानून के अन्तर्गत कोई भी निजी पार्टी कोयला खनन का कार्य करती है तो यह एक अपराध है।

डा० सुधीर राय : अध्यक्ष महोदय, सरकार सूखा अथवा तूफान अथवा बाढ़ आदि प्राकृ-तिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को सहायता करती है। अब माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इंसानों द्वारा लाई गई आपदाओं से पीड़ित लोगों के लिए उनका क्या रवैया है। जब उनकी सम्पत्ति तथा जीवन खतरे में होते हैं तो क्या सरकार उनको मुआवजा देने अथवा किसी अन्य जगह पर उनका पुनर्वास करने के लिए तैयार रहती है।

श्री वसन्त साठे : कोई भी आपदा, चाहे वह इंसानों द्वारा लाई गई है या प्रकृति द्वारा, बुरी हैं तथा इनसे पीड़ित लोगों के प्रति हमें सहानुभूति होती है तथा हम उनका सहयता करने का प्रयत्न करते हैं। मुआवजे से सम्बन्धित कानून हैं। किन्तु यहां मामला आगे से सम्बन्धित है। हम लोगों से उस जगह से हटने को कहते रहे हैं जहां जमीन के भीतर आग है और सकतोड़िया गांव के जैसे गांव हैं। मेरा विश्वास है राज्य सरकार बिना आग वाली भूमि देने को तैयार हो सकती है। अतः इन गांवों को यहां से हटाया जाना चाहिये तथा अन्य ऐसी कालोनियों को भी वहां से हटाने के लिए सहमत किया जाना चाहिए। यही एक मात्र समाधान है। आप उन स्थानों पर रहने के बारे में जोर दे रहे हैं जहां भूमि में आग है। आश्चर्य की बात है कि जिन क्षेत्रों में भूमि के अन्दर आग है तथा भूमि भी धंस रही है, वहां पर भी भवनों का निर्माण हो रहा है। लोग वहां से नहीं हटते तथा आप कहेंगे कि "कल धंसान होगा तो हमें जो नुकसान होगा आप उसका मुआवजा दें, "मुझे यह बिल्कुल समझ में नहीं आता।

एक माननीय सदस्य : ओपन-कास्ट खनन कार्य चल रहा है। उसके बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री बसन्त साठे : ओपन कास्ट खनन कार्य एक अलग बात है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह समस्या बहुत गम्भीर है। मैंने स्वयं इन क्षेत्रों का दौरा किया है तथा उन स्थानों को भी देखा है। पिछले वर्ष जहां धान की फसल हुई थीं वहीं इस वर्ष बड़े तालाब बन गए हैं और विशेषकर रानीगंज नगर को वास्तविक खतरे का सामना करना पड़ रहा है। उस क्षेत्र में 45 असुरक्षित गांव हैं। झरिया नगर को हटाने का सरकार का प्रस्ताव है तथा मैं सोचता हूं कि यह अन्तिम अवस्था में है। क्या सरकार के पास रानीगंज नगर को भी हटाने का प्रस्ताव है? झरिया के बारे में उनका जो विचार है क्या रानीगंज के बारे में भी कोल इण्डिया लिमिटेड से कोई ऐसा प्रस्ताव हुआ है?

श्री बसन्त साठे : रानीगंज के लिए मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। यह मेरी जानकारी में नहीं है।

अनिवासी-भारतीयों द्वारा पूंजी-निवेश

*271. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा अब तक कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ख) सातवीं योजना-अवधि में इस प्रकार के पूंजी-निवेश का क्या लक्ष्य है;

(ग) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना अवधि के दौरान देश में अनिवासी भारतीयों को निवेश के लिए अधिक अवसर प्रदान करने और क्षेत्र बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त और वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय राष्ट्रिकता/मूल के अनिवासियों और ऐसे समुद्रपारीय निगमित निकायों को, जिनमें कम से कम 60 प्रतिशत तक उनका मालिकाना हक हो, उपलब्ध निवेश सुविधाओं की अप्रैल, 1982 के बाद की अवधि की स्थिति, जिसके आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध हैं, इस प्रकार हैं :—

	राशि (करोड़ रुपए)
(क) सीधा निवेश (30.6.1985 को)	315.96
(ख) पोर्टफालियो निवेश स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से वास्तव में खरीदे गए शेयर/ऋण पत्र (31.3.1985 को)	46.87
(क) बैंक निवेश बकाया शेष राशियां (31.5.1985 को)	3963.64

(ख) सातवीं पंचवर्षीय आयोजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है; अत: सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) विभिन्न प्रवर्तमान योजनाओं के अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों के लिए निवेश के कई रास्ते पहले से ही मौजूद हैं। इनकी समीक्षा बराबर होती रहती है।

(घ) लागु नहीं होता।

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा तीव्र गति से लगाए जा रहे पूंजी निवेश को कोई भी आसानी से देख सकता है. इसके आंकड़े हमारे पास हैं। उन आंकड़ों के अनुसार अनिवासी भारतीयों द्वारा लगाई गई पूंजी इस समय 1982 में 73 करोड़ रु. की तुलना में 4000 करोड़ रु. से अधिक है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है। अत: यह बहुत ही सरल प्रश्न है जो कि मैं पूछना चाहता हूं। मैं माननीय मन्त्री महोदय जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए पूंजी निवेश का वित्तीय नीति, रुपए के मूल्य तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर पड़े प्रभाव का अध्ययन किया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस पूंजी निवेश के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए वे विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में धन लगायेंगे कोई प्रस्ताव किया है, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमने यह पूर्वोपाय किए हैं कि यह पूंजी निवेश स्थाई भू-सम्पति अथवा व्यापार-भवनों आदि में नहीं किया जाये।

अत: इस सम्बन्ध में, देश-प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में तथा देश में वापिस न भेजने के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश हैं। जहां तक आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव का सम्बन्ध है, मैं ऐसा नहीं समझता। यह निवेश उत्पादन के लिए तथा देश में पूंजी लगाने के लिए किया जाता है। देश के लिए तथा उसकी अर्थव्यवस्था के लिए क्या लाभप्रद है, केवल इन्ही मानदण्डों को ध्यान में रखा गया है।

श्री अमर राय प्रधान : मैं नहीं जानता, कि आपने क्या कदम उठाए हैं, परन्तु 6 अगस्त को कलकत्ता के टेलीग्राफ में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि श्री प्रफुल पाटिल के नेतृत्व में अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश की उच्चत्तम सीमा को बढ़ाने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों से मिले थे। जैसे ही वे रिजर्व बैंक के पास गये बैंक ने 1000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की स्वीकृति दे दी। यद्यपि अनिवासी भारतीय लोग कहते हैं कि अधिग्रहण करने का उनका कोई इरादा नहीं है, तथापि सामान्यत: सम्पूर्ण व्यापारी-समुदाय को यह आशंका है कि अनिवासी भारतीयों द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है। इसलिए, मैं माननीय मन्त्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इसका अध्ययन किया है और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक अप्रत्यावर्तन के आधार पर अधिग्रहण के निर्णय का सम्बन्ध है, कुल प्रदत्त पूंजी अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों की प्रत्येक सीरीज के कुल मूल्य के 5 प्रतिशत की अनुमति दी गई है। अत: इसमें पांच प्रतिशत की सीमा है।

जहां तक प्रत्यावर्तन के आधार का सम्बन्ध है, वे पूंजीनिवेश को नहीं बढ़ा सकते। वे प्रत्येक अनिवासी भारतीय के सम्बन्ध में प्रदत्त पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं कर सकते।

किसी कम्पनी में अनिवासी भारतीय का कुल पूंजी निवेश कुल प्रदत्त की गई पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। अत: इसकी सीमा है कि कितना पूंजी निवेश किया जा सकता है अत: इस आशंका को कि इस तरीके से अधिग्रहण किया जायेगा अच्छी तरह ध्यान रखा गया है।

श्री अमर राय प्रधान : क्या आपने इस कार्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या अन्यत्र कोई सेल स्थापित किया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : भारतीय रिजर्व बैंक इस पर निगरानी रखता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह सच है कि सरकार विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश करने को बहुत अधिक प्रोत्साहन दे रही है परन्तु यह तथ्य ही रह गया है कि अब तक भी हम उनकी बचत का अधिकांश भाग का यहां निवेश कराने में समर्थ नहीं हुए। मैं जानता हूं कि विदेशों में ऐसे बहुत से भारतीय हैं जो इस देश में अपने लघु उद्योग और मध्यस्तरीय उद्योग शुरू करने के लिए तैयार हैं। परन्तु सहायता की कमी होने के कारण वह उद्योग स्थापित करने में समर्थ नहीं हैं। विभाग से तकनीकी, संरचनात्मक और अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं होती। अत: मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह उन अनिवासी भारतीय लोगों को जो स्थापित करने को तैयार हैं, विशेष तकनीकी सहायता तथा अन्य प्रोत्साहन देने के सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : जी हां, ऐसा हमारी नीति में है। अनिवासी भारतीयों के लिए हमारे यहां पूंजी निवेश केन्द्र हैं, और साकार भी उन्हें पूंजी निवेश के लिए सहायता देती है। तकनीकी सहायता के इस सुझाव पर अनुग्रहपूर्वक विचार किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यक बैंकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन

* 272. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को विनिमय नियंत्रण व्यापार खातों के बारे में और अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा मांगने वाले व्यक्तियों को भी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना वाणिज्यिक बैंकों से निर्धारित सीमा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकेगी ?

वित्त तथा वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) ऐसा ख्याल है कि माननीय संसद सदस्य बैंकों की विदेशी मुद्रा लेन-देन (व्यापारिक) गतिविधियों का उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई "विदेशी मुद्रा नियंत्रण व्यापार खाता" नहीं है।

वर्तमान विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत, विदेशी मुद्रा का लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे हाजिर (स्पाट) और वायदा (फारवर्ड) दोनों प्रकार की, रुपए के एवज में किसी भी स्वीकृत मुद्रा को अथवा अन्य किसी स्वीकृत मुद्रा को भारत में अन्य प्राधिकृत डीलरों से खरीद सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं बशर्ते कि वे दिन के कारोबार की समाप्ति पर प्रत्येक मुद्रा की बेबाक या लगभग बेबाक स्थिति बनाए रखें। प्राधिकृत डीलरों को इस बात की भी अनुमति दी गई है कि वे विदेशी बैंकों से विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं बशर्ते कि इस प्रकार की खरीद और बिक्री वास्तविक व्यापारिक लेन-देन के अन्तर्गत ही आती हो और ऐसा लेन-देन करने से पूर्व भारतीय अन्त: बैंक बाजार में इस प्रकार के लेन-देनों की संभावनाओं का पता लगाने के बाद किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार के लेन-

देन के परिणामस्वरूप प्राधिकृत डीलरों के पास किसी भी दिन के कारोबार की समाप्ति पर मुद्रा की असंतुलित खुली स्थिति या असंतुलित असंगत परिपक्वता की स्थिति न हो। भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में वाणिज्यिक बैंकों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

(ग) वर्तमान विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनिमयों के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक और आयात व्यापार नियंत्रण के अन्तर्गत जारी किए गए एक मुश्त विदेशी मुद्रा परमिट एवं भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा सम्मिश्रित आबंटन स्कीम के अन्तर्गत जारी किए गए "काफेस" परमिटों के धारक विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा का लेन देन करने के लिए प्राधिकृत वाणिज्यिक बैंकों से विदेशी मुद्रा ले सकते हैं और इसके लिए उन्हें अलग-अलग अवसरों पर भारतीय रिजर्व बैंकों को सूचित करना आवश्यक नहीं है। एफ०टी०एस० और एन०टी०एस० स्कीमों के अन्तर्गत जो भारतीय निवासी विदेश जाना चाहते हों वे भी भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लिए बिना विदेशी मुद्रा के लिए प्राधिकृत वाणिज्यिक बैंकों से एवं प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तन करने वालों से क्रमशः 500 संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर और 250 संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर तक की विदेशी मुद्रा ले सकते हैं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : यह प्रश्न 13 जुलाई 1985 को एक्नामिक टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया था, जिसके अनुसार यह बताया गया है विदेशी मुद्रा नियंत्रक ने यह कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को इस सम्बन्ध में और अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। क्या यह सही नहीं है पटवर्धन समिति ने वाणिज्यिक बैंकों को और अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करने तथा इन शक्तियों को बढ़ाने की सिफारिश की है ?

क्या मैं जान सकता हूं कि इस पर भारत सरकार अथवा रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमारा शक्तियों को बढ़ाने का विचार नहीं है जो शक्तियां उन्हें अभी प्राप्त हैं।

चेयरमैन के बिना जीवन बीमा का कार्यकरण

***274 श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल**
प्रो० मधु दंडवते } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम चेयरमैन के बिना कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) रिक्त स्थानों को भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सितम्बर, 1982 में नियमित अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने के पश्चात, जीवन बीमा निगम के वरिष्ठतम प्रबन्ध निदेशक को अध्यक्ष की शक्तियां देकर सामयिक प्रभारी नियुक्त किया गया था। जीवन बीमा निगम के पुनर्गठन के बारे में अन्तिम निर्णय लिए जाने तक, जिससे संबंधित विधेयक लोक सभा में 19 दिसम्बर, 1983 को पेश किया गया था, नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला स्थगित कर दिया गया था।

(ग) अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले पर सरकार तत्परता से विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री यशवंत राव गडाख पाटिल : अध्यक्ष महोदय, सितम्बर, 1982 में नियमित अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने के पश्चात् अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है जिसका परिणाम जीवन बीमा निगम की कार्यक्षमता पर पड़ सकता है मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में सरकार तत्परता से विचार कर रही है मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह तत्परता वे कबतक दिखायेंगे ?

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : स्थिति इस प्रकार है : जीवन बीमा निगम को पांच निगमों में विभाजित करने का प्रस्ताव था। अब इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है । अत: इस कारण कुछ विलम्ब हो रहा है, क्योंकि यह प्रस्ताव विचाराधीन है। हमारे पास एक नाम का प्रस्ताव है और सरकार उस पर विचार कर रही है।

प्रो० मधु दंडवते : मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर बहुत ही दिलचस्प है । उन्होंने सभा को बताया है कि चेयरमैन को नियुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि जीवन बीमा निगम को विभाजित करने वाला विधेयक पहले 19 दिसम्बर 1983 को लोक सभा में पेश किया गया था अपने उत्तर में, पहली पंक्ति में, उन्होंने कहा कि नियमित अध्यक्ष का कार्यकाल सितम्बर 1982 में समाप्त हो गया था। अत: इस बात का अनुमान लगाते हुए कि दिसम्बर 1983 में विधेयक पेश किया जाएगा उसी दूरदर्शी दृष्टि से मन्त्री महोदय ने इस पद को रिक्त रखा। तथ्य यह है कि प्राय: सभी सरकारी संस्थानों में उनके पास नियुक्तियों के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है। वहां बहुत सी अनियमितताएं और भेदभाव हैं जिसके परिणामस्वरूप हम देखते हैं कि बहुत से सरकारी संस्थान अध्यक्ष के बिना रहते हैं, और इन संस्थानों में अध्यक्ष की नियुक्ति न करके वह उन्हें आधुनिक बनाने चाहते हैं परन्तु इस कारण से कार्यक्षमता को क्षति पहुंचती है।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह पद अधिक आकर्षक हो गये हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं जानता हूं कि इनके मन में क्या है ?

प्रो० मधु दंडवते : मैं उनसे विशेष रूप से पूछना चाहता हूं कि अन्य अनेक मामलों में भी यही स्थिति है, क्या वह इस संबंध में यह उपयुक्त समझेंगे कि निश्चित मानदंड किये जाएं और निर्धारित वह यह देखें कि कोई पद रिक्त न रहे क्योंकि जो व्यक्ति इस पद पर केवल तदर्थ आधार पर आता है। वह उस पद पर कोई खास निष्ठा से कार्य नहीं करता। बहुत से निर्णय उपयुक्त रूप से नहीं लिये गये। ऐसा ही जीवन बीमा निगम में भी होता है। अत: क्या वह इसमें संशोधन करेंगे और कम से कम समय-बद्ध कार्यक्रम बनाएंगे कि इतने अधिक समय तक पद को रिक्त रखने के बाद पद को कब भरा जाएगा ?

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : मैं कह सकता हूं कि हम शीघ्र ही इस रिक्त पद को भरेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। 1982 में पद रिक्त हुआ था। आपका विधेयक 19 दिसम्बर, 1983 को पेश किया जाना था। इस बीच के समय में आपने इस पद को रिक्त क्यों रखा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अवश्य ही सितम्बर 1982 तथा दिसम्बर के बीच का थोड़ा समय चला गया। दिसम्बर में प्रस्ताव रखा गया। यदि हमारे पास इस बीच कोई वरिष्ठ अधि-

कारी रखना चाहें, और कहें कि हम इसे विभाजित करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आना नहीं चाहेगा। यह भी समस्या है क्योंकि विधेयक के विचाराधीन आप इसे विभाजित करने जा रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : इस मामले में आपके पास विधेयक है परन्तु अन्य बहुत से सरकारी संस्थानों में भी आप पदों को रिक्त रखते हैं। आपने पहले भी मुझे जवाब दिया था। तब तक कोई विधेयक विचाराधीन नहीं था। अत: ऐसी सरकार की सामान्य कमी तथा कोई दृष्टिकोण न होने के कारण है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उपाय किए जा रहे हैं। यह इस प्रकार नहीं है यह एक सामान्य दृष्टिकोण है। विशिष्ट समस्या है जिनके कारण विलम्ब होता है और रिक्त पद को भरने के लिये कार्यवाही की जाती है।

प्रो० मधु दंडवते : आप रिक्त पद को कब तक भर देंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं आपको ठीक से नहीं बता सकता, बहुत शीघ्र ही भर देंगे।

प्रो० मधु दंडवते : "बहुत शीघ्र" का कोई अर्थ नहीं है।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से खरीद

*275. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों पर सभी प्रकार के अनुबंधों के तहत पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से उनके द्वारा की गयी खरीद के कारण भारी धन राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) उक्त धनराशि कब से बकाया है; और

(घ) क्या सरकार उक्त भुगतान को शीघ्र निबटाने के लिए इन सौदों पर ब्याज लगाने पर विचार कर रही है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) इस संबंध में एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

(घ) जी, नहीं

विवरण

(क) जी हाँ।

(ख) दि० 31 जुलाई, 1985 को, जम्मू और काश्मीर तथा सिक्किम की राज्य सरकारों से, क्रमश: 21-39 करोड़ रु. तथा 28 लाख रु. की राशि बकाया है। कुछ अन्य राज्य सरकारों के मामले में विवादास्पद दावों के कारण कुल 8.37 करोड़ रुपए की धननाशि बकाया है, जो कि मुख्यतया संबंधित विभागों के स्वायत्तशासी निकायों के रूप में बदले जाने के कारण है।

(ग) जम्मू और काश्मीर राज्य से बकाया धनराशि की सबसे पुरानी राशि वर्ष 1976-77 की है। सिक्किम सरकार राज्य से सबसे पुरानी देय बकाया राशि दिसम्बर, 1983 की है। अन्य राज्यों से दावे की सबसे पुरानी राशि वर्ष 1976-77 से 1984-85 की अवधि के बीच की है।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि आप 21.39 करोड़ रुपया जम्मू-काश्मीर से मांग रहे हैं और बाकी दूसरे राज्यों का 8 करोड़ रुपया बकाया है। 1976 से यह

कर्जा होने के बावजूद भी आप जम्मू-काश्मीर को सामान देते हैं या उनका कारोबार बन्द कर दिया है ? यदि रुपया अदा करते हैं, तो क्या ब्याज सहित उनसे वसूल करेंगे ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : उनका कारोबार बन्द नहीं कर दिया है, कारोबार चालू है। उनके लिए सुविधा बन्द करना कठिनाई का काम होगा। हम लोगों ने 1-12-1983 से निर्णय लागू किया है। आगे के लिए उनको जो कुछ भी खरीदना होगा, उसके लिए एडवांस या कैस पेमेंट करना होगा। जो बकाया है, उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि वह पूरा होगा।

श्री मूल चन्द डागा : लेकिन कारण क्या है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : रिजर्व बैंक आफ इंडिया उनके बेंकर्स नहीं हैं, इसीलिए देरी हो रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारत में उग्रवादी गतिविधियां चलाने के लिए पाकिस्तान को भारतीय मुद्रा की तस्करी

*265 श्री प्रतापसिंह बघेल
श्री जितेन्द्र प्रसाद } क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करोड़ों रुपयों के मूल्य की भारतीय मुद्रा भारत में उग्रवादियों की कार्यवाहियों को चलाने हेतु गुप्त रूप से पाकिस्तान ले जाया गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि भारत में उग्रवादी गतिविधियों के वित्त-पोषण के लिए देश से करोड़ों रुपए की भारतीय मुद्रा चोरी-छिपे पाकिस्तान ले जाई जा रही थी। तथापि, सीमा सुरक्षा बल और सीमाशुल्क अधिकारियों ने वर्ष 1985 के पहले सात महीनों के दौरान चालीस लाख रु. (अनन्तिम) को भारतीय मुद्रा पकड़ी जबकि 1984 के दौरान पूरे वर्ष में कुल 1.10 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा पकड़ी गयी थी।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्करों के खिलाफ चलाए गये अभियान को तेज कर दिया गया है। सीमाशुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तंत्र को कर्मचारी तथा उपकरण उपलब्ध कराकर और सुदृढ़ कर दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा स्थानीय पुलिस तथा अन्य निवारक एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से घात लगाकर आक्रमण किया जाता है, छापे मारे जाते हैं और गश्त लगाई जाती है। पंजाब-पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त कम्पनियाँ तैनात की गई हैं। देश में चोरी-छिपे आने-जाने वाले घुसपैठियों को रोकने तथा उन्हें पकड़ने के लिए श्वान-दस्तों के जरिए तथा पशुओं पर सवारी के जरिए गश्त लगाई जा रही है। घुसपैठ करने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षण-मीनारों का भी निर्माण किया गया है। यथापेक्षित उचित उपचारी कार्यवाही करने के लिए इस क्षेत्र में सरकारी और अभिग्रहणों की प्रवृत्ति को संतत समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

राजस्थान में सुपर जिंक स्मैल्टर प्लांट की स्थापना करना

* 267. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राजस्थान में सुपर जिंक स्मैल्टर प्लांट की स्थापना करने के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि चितौड़गढ़ तकनीकी दृष्टि से सर्वोत्तम स्थान है;

(ग) यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ में इस संयंत्र की स्थापना के लिए काम कब तक शुरू हो जाएगा : और

(घ) उस पर कितना खर्च होने की संभावना है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान जिंक लि०, जिन्होंने रामपुरा अगुचा सीसा जस्ता निक्षेपों के आधार पर एक नए सीसा-जस्ता प्रद्रावक की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया है, ने प्रौद्यो-आर्थिक आधारों पर प्रद्रावक स्थल के लिए चन्देरिया (निकट चितौड़गढ़) का सुझाव दिया है।

(ग) परियोजना पर पूंजी निवेश का निर्णय, 7 वीं योजना अवधि में धन स्रोत्रों की कठिनाई के आलोक में, लम्बित पड़ा है।

(घ) व्यय करने की स्थिति अभी नहीं आयी है।

[अनुवाद]

राज्यों के ओवरड्राफ्टों में दूसरी बार परिवर्तन करना

* 273. श्री एस० जी० घोलप : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में सरकार में राज्यों के ओवरड्राफ्टों में दूसरी बार परिवर्तन किया है ;

(ख) क्या ऐसे राज्य जिनके ओवरड्राफ्ट नहीं हैं उन्हें इ ी राशि के ऋण दिये जायेंगे;

(ग) ऋण पर तथा ओवरड्राफ्ट पर कितना ब्याज लिया जाता है ; और

(घ) राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट लेने के लिए क्या कारण बताये गए हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारत सरकार ने 1982-83 और 1983-84 के दौरान राज्यों को उनके घाटे/प्रत्याशित ओवरड्राफ्टों को परिवर्तित करने के लिए मध्यावधि ऋण प्रदान किये। अब 28.1.85 की स्थिति के अनुसार राज्यों के ओवरड्राफ्टों के 90 प्रतिशत के बराबर मध्यावधि ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मध्यावधि ऋण पर ब्याज 8 प्रतिशत है और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ओवर-ड्राफ्ट पर 13 प्रतिशत है।

(घ) राज्यों ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपने ओवरड्राफ्टों का कारण आयोजना-भिन्न और आयोजनागत व्यय में वृद्धि होना बताया है।

[हिन्दी]

गुर्दा बीमा योजना आरंभ करना

*276. श्री विष्णु मोदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, कैंसर बीमा योजना की भांति, गुर्दे के खराब होने की स्थिति में इसको बदलने या इसके इलाज के लिए गुर्दा बीमा योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब से लागू की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) साधारण बीमा उद्योग ने अस्पताल में दाखिल होकर तथा घर में ही अस्पताली इलाज करवाकर लाभ उठाने के लिए 1 जून 1985 से बीमा पालिसी आरम्भ कर दी है। इस पालिसी में गुर्दे की बीमारियां, गुर्दा प्रतिरोपण आदि सहित विभिन्न बीमारियां शामिल हैं। उक्त पालिसी के अधीन अतिरिक्त लाभों सहित समस्त अनुमेय लाभ श्रेणी—V—के लिए 7000 रुपए से लेकर श्रेणी—I के लिए 37,800 रुपए तक भिन्न-भिन्न हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रीमियम की वार्षिक दर क्रमश: 72 रुपए से लेकर 378 रुपए तक भिन्न-भिन्न है।

पीयरलैस जनरल फाइनेंस तथा इनवेस्टमेंट कम्पनी द्वारा व्यपगत हो चुके सर्टिफिकेटों पर कमाया गया लाभ

*277. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पीयरलैस जनरल फाइनेंस तथा इनवेस्टमेंट कंपन ने व्यपगत हो चुके सर्टिफिकेटों से करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया है तथा वह इस पैसे को अन्य कंपनियों में लगाकर प्रमुख कम्पनी को बीमार बनाना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रयास के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यदि पीयरलैस जनरल फाइनेंस तथा इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत कंपनी है और इसके कार्यों का विनियमन इसके निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1978 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कंपनी के किए गए निरीक्षण से यह पता चला कि कंपनी को व्यपगत सर्टिफिकेटों से काफी मुनाफा हुआ है। लेकिन रिजर्व बैंक को इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसी रकमों को अन्य कंपनियों में लगाकर इस कम्पनी का अपने आपको बीमार बनाने का कोई इरादा है।

इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के उपबन्धों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने जिसे पाबंदी अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन का काम सौंपा है, 10 अगस्त, 1979 को दि पीयरलैस जनरल फाइनेंस तथा इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड को अपना कारबार समाप्त करने का नोटिस दिया था। कम्पनी ने 3 सितम्बर, 1979 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी जिसमें उसने अपने कारबार पर अधिनियम को लागू करने पर चुनौती दी और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक तथा पश्चिम बंगाल सरकार इस रिट याचिका में प्रत्यर्थी हैं। यह मामला अभी भी अदालत के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में नियंत्रित कपड़े का उत्पादन

*278. श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में नियंत्रित कपड़े का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी मात्रा में नियंत्रित कपड़ा वितरित किया गया ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) कन्ट्रोल के कपड़े की विद्यमान योजना के अन्तर्गत कन्ट्रोल के कपड़े का पूरी तरह से उत्पादन राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों के द्वारा किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान एन० टी० सी० मिलों द्वारा उत्पादित कन्ट्रोल के कपड़े की मात्रा निम्न प्रकार से है :

(आंकड़े मि० वर्ग मीटर में)

वर्ष	उत्पादन	
1982-83	220.00	
1983-84	294.99	(इसके अतिरिक्त 8 मिलियन मीटर की पोलिएस्टर सूती ब्लेंडीड शटिंग)
1984-85	245.73	(इसके अतिरिक्त 7 मिलियन वर्ग मीटर की पोलिएस्टर सूती ब्लेंडीड शटिंग) ।

कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

काजू के निर्यात के लिये विदेशी कम्पनी के ब्राण्ड-नाम का प्रयोग

*279. श्री बाई० एस० महाजन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय काजू निगम ने एक अमेरिकन कम्पनी के ब्रांड नाम का प्रयोग कर काजू के निर्यात का निर्णय किया है जिससे उसे काजू का अधिक मूल्य प्राप्त हो सके;

(ख) खाड़ी के देशों को काजू का निर्यात करने के लिए विदेशी कम्पनी के ब्रांड नाम का प्रयोग करना आवश्यक समझे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस नयी प्रणाली का वित्तीय दृष्टि से अर्थात् विदेशी मुद्रा से होने वाली आय और निगम के कारोबार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) एक अमरीकी कम्पनी अपने ग्राहकों को निर्यात के लिए अपने ब्रांड नाम में खाद्य मेवों, जिनमें काजू शामिल है, को पैक करने के लिए भारतीय काजू निगम के साथ एक संविदा करने के लिए बातचीत कर रही है।

(ग) यदि संविदा हो जाती है तो इसके परिणामस्वरूप भारतीय काजू निगम को विदेशी मुद्रा की आय होगी।

स्वायत्तशासी निकायों, संगठनों के लेखाओं की नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा

*280. श्री चित्त महाता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वायत्तशासी निकायों/संगठनों के लेखाओं की भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष लेखा-परीक्षा द्वारा किए जाने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ स्वायत्तशासी संगठनों के लेखाओं की पिछले दस वर्षों से लेखा-परीक्षा नहीं की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उन संगठनों तथा विशिष्ट कारणों का ब्यौरा क्या है तथा क्या अब सरकार उनकी लेखा-परीक्षा कराए जाने पर विचार कर रही है ?

वित्त तथा वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के लिए स्वायत्तशासी निकायों/संगठनों के लेखे रखना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक द्वारा स्वायत्तशासी निकायों/संगठनों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जहां केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत किसी स्वायत्तशासी निकाय की लेखा-परीक्षा जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उसके अधिकारियों द्वारा की जानी आवश्यक हो, पिछले दस वर्षों से बकाया पड़ी हो।

कम्पनियों में जमा-धनराशि की अदायगी न होने के सम्बन्ध में विधान बनाना

*281. श्री अजय विश्वास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्पनियों में जमा धनराशि का कम्पनी को लिखित नोटिस देने के 2 महीने की अवधि के पश्चात् भी अदायगी न करने को भारतीय दंड संहिता के अधीन एक दंडनीय अपराध बनाने के लिए एक अधिनियम लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अधिनियम को इसी सत्र में पेश किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो उक्त अधिनियम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या छोटे पूंजी निवेश-कर्ताओं को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिर भी विधि आयोग ने कम्पनियों की जमाराशियों पर, अपने कार्य-पत्र में एक ऐसी सिफारिश की है और उस पर जनता से टीका-टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा नहीं होते।

मैसर्स आई० टी० टी० सी० लिमिटेड के पूंजी निर्गम सम्बन्धी लाम्बित मामले

*282. श्री एम० भगत पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड और आई० टी० सी० लिमिटेड की अन्य यूनिटों के पूंजी निर्गम सम्बन्धी कोई मामले लम्बित हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा वाणिज्य मंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड की ओर से, पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत प्राप्त पूंजी निर्गम से सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का आधुनिकीकरण

2737. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी मिलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा ;

(ख) उन मिलों के नाम क्या हैं जिनका आधुनिकीकरण किया जाएगा और यह कार्य कब किया जाएगा; और

(ग) आधुनिकीकरण की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) सीमित संसाधनों से राष्ट्रीय वस्त्र निगम की सभी मिलों का आधुनिकीकरण करना सम्भव नहीं हो सकता। नीति के अनुसार चयनात्मक आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के द्वारा सीमित ससाधनों का उपयोग करना है जिससे उससे अभीष्टतम लाभ मिल सके। सातवीं योजना के लिए मिलवार योजनाओं को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

वित्त राज्य मंत्री के साथ सिटी बैंक संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक

2738. **श्री नरसिंह राव सुर्यवंशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिटी बैंक के पदाधिकारियों का एक शिष्टमण्डल, जो भारतीय राष्ट्र मजदूर कांग्रेस (इनटक) से सम्बद्ध है, 29 जून, 1985 को बंगलौर में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री से मिला ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या थीं ; और

(ग) उनकी मांगों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) इंडियन नेशनल बैंक सप्लाईज/आफीसर्स कांग्रेस की बंगलौर यूनियनों के पदाधिकारियों और मेरे बीच 29 जून 1985 को कोई अनौपचारिक बैठक नहीं हुई। मेरे दौरों के दौरान स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले भिन्न-भिन्न लोग अनौपचारिक रूप से मुझे मिलते हैं। यदि ऐसी बैठकों में कोई लिखित अभ्यावेदन बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के अनुरोध पेश किए जाएं तो उन्हें उचित कार्यवाही के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दिया जाता है।

[हिन्दी]

सागर, मध्य प्रदेश में मंडलीय कोयला डिपो खोलना

2739. **श्री नन्दलाल चौधरी :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सागर में मंडलीय कोयला डिपो खोलने की आवश्यकता है;

(ख) सागर में अब तक कोयला डिपो न खोलने के क्या कारण हैं; और

(ग) सागर में कब तक कोयला डिपो खोलने की संभावना है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के साथ जुलाई 1982 में परामर्श करके कोल इंडिया लि० ने मध्य प्रदेश में 12 स्टाकयार्ड (सागर के एक स्टाकयार्ड सहित) खोलने का निर्णय किया। सागर में स्टाकयार्ड नहीं खोला जा सका क्योंकि यह स्थान रेक के लिए उपयुक्त नहीं है और इस स्थान पर रेल द्वारा कोयला ले जाने के लिए रेलवे की अनुमति नहीं है।

(अनुवाद)

पश्चिम एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को इंजीनियररिंग वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिये कदम

2741. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम एशिया तथा अफ्रीकी देशों को इंजीनिरिंग वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिये कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उठाए जाने वाले कदम, उठाए गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम एशियाई तथा अफ्रीकी देशों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) इंजीनियरी सामानों के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। अन्य बातों के साथ इनमें अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना, निर्यात उत्पादन के लिये आयात उदारता, कुछ देशों को ऋण देना आदि शामिल हैं। निर्यातों में वृद्धि इन देशों में इन्हीं उत्पादों की मांग पर निर्भर करती है।

आभूषण परियोजनाओं की स्थापना

2742. **श्री बसुदेव आचार्य**
श्री रेणुपद दास } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में किन्हीं आभूषण परियोजनाओं की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो कब और यह परियोजनाएं किन किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी;

(ग) क्या साल्ट लेक में इस प्रकार की परियोजना स्थापित किये जाने का कोई विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) निर्यात के लिये स्वर्ण आभूषण के निर्माण के हेतु विशिष्ट निर्यात अभिमुख कम्प्लैक्स स्थापित करने की योजना वाणिज्य मंत्रालय की सार्वनिक सूचना सं० 54 आई० टी० सी० पी० एन० 84, दिनांक 12 सितम्बर 1984 के अन्तर्गत अधिसूचित की गई थी। प्रारम्भ में कम्पलैक्सों की स्थापना की अनुमति पांच केन्द्रों अर्थात् दिल्ली, जयपुर, कलकता, मद्रास तथा बम्बई के लिये दी जाएगी।

(ग) से (ङ) पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ शतप्रतिशत निर्यात

अभिमुख कम्प्लैक्स की स्थापना के लिये साल्ट लेक कलकत्ता में एक एकड़ भूमि की व्यवस्था करने का विनिश्चय किया है।

सूखी खली 'डी०' आयल केक का निर्यात

2743. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने मूल्य की और कितनी सूखी खली (डी आयल केक) का निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि सूखी खली के मामले में विदेशी बाजार भारत के हाथ से निकल गये हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) कौन-कौन से राज्य (सूखी खली) का निर्यात कर रहे हैं; और इसका निर्यात किस एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है; और

(घ) विदेशी बाजारों में सूखी खली की मांग पैदा करने तथा इसके निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल रहित खली के भारत के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :

वर्ष	मात्रा (लाख मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1982-83 (अनन्तिम)	10.51	149.35
1983-84 (अनन्तिम)	9.52	146.29
1984-85 (अप्रैल-दिसम्बर) (अनन्तिम)	5.87	88.32

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों में मिश्रित पशु चारे में एक लाटाक्सीन की उदारता के कम स्तर का निर्धारण और प्रवर्तन और आयल मिल्स के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की कमी से हमारे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) गैर-सरकारी व्यापारियों को तेल रहित खली के निर्यात के लिए अनुमति है। राज्य-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) हमारे निर्यातों की गिरती हुई प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिये एक त्रिकोणीय योजना आरम्भ की गयी है। इस योजना की मुख्य बात इस प्रकार हैं :

(1) विषाक्तता नियन्त्रण की ज्ञात पद्धतियों को बेहतर ढंग से लागू करके विषाक्तता की मात्रा में कमी;

(2) विषाक्तता समाप्त करने की नई तकनीकों की गवेषणा और विकास; और

(3) बाजारों का विविधीकरण।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पूर्वी राज्यों को दिए गए प्रति व्यक्ति ऋण

2744. **श्री बाजूबन रियान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पूर्वी क्षेत्र को दिए गए प्रतिव्यक्ति ऋण

अन्य क्षेत्रों की तुलना में अत्यन्त कम है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इस अंतर को किस तरह दूर करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जून, 1984 के अंतिम शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र के अंतिम शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक समूह और 20 राष्ट्रीयकृत बैंक) के क्षेत्र-बार प्रति व्यक्ति अग्रिमों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

क्षेत्र	प्रति व्यक्ति के अग्रिम (रुपए)
उत्तरी क्षेत्र	1002
पूर्वोत्तर क्षेत्र	155
पूर्वी क्षेत्र	342
मध्यक्षेत्र	261
पश्चिमी क्षेत्र	1256
दक्षिणी क्षेत्र	603
अखिल भारत	587

टिप्पणी :— 1981 की जनगणना के आधार पर

ऊपर दी गई तालिका से दिखाई देता है कि पूर्वी क्षेत्र की तुलना में तीन क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति अग्रिमों के आंकड़े ऊंचे हैं और दो में कम क्षेत्रों में ऋण के कम किसी विनियोजना आधारभूत सुविधाओं, उपयुक्त स्कीमों की उपलब्धता, ऋणों की वसूली की युक्तियुक्त प्रत्याशा, अर्थव्यवस्था विकास की सामान्य स्थिति आदि जैसी कई बातों पर निर्भर करता है। फिर भी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऋण विनियोजन में व्यापक क्षेत्रीय असमानताओं से बचा जाय। जिला ऋण आयोजनाओं और वार्षिक असमानताओं से बचा कार्य आयोजनाओं के कार्यान्वियन से सुपात्र क्षेत्रों में ऋण प्रवाह के बढ़ने की आशा है। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार, राज्य स्तरीय बैंकर समिति और क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति द्वारा मामले पर निगरानी रखी जा रही है ।

[हिन्दी]

दरभंगा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की मुरैधा शाखा द्वारा किसानों को ऋण देना

2745. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जाले खण्ड (ब्लाक) के समाधिनियान गांव के जिन किसानों को दरभंगा जिले में मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की मुरैधा शाखा द्वारा दिया गया ऋण था उनका विवरण क्या है तथा किस-किस तारीख को यह ऋण दिया गया;]

(ख) उपरोक्त ऋण राशि पर क्या ब्याज दर वसूल की गयी;

(ग) उस पर कितनी राज सहायता दी गयी;

(घ) क्या किसानों ने यह ऋण बैंक को अदा कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ड़) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 25 (1) और बैंकरों में प्रचलित रीति रिवाजों के संदर्भ में बैंकों के किसी ग्राहक से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बकाया अग्रिमों के संबंध में तत्काल उपलब्ध सूचना निम्नलिखित सारणी में दी गयी है :—

सारणी

31.12..84 को मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बकाया अग्रिम

राशि लाख रुपए

अग्रिमों की श्रेणी	राशि	ऋण खातों की संख्या
1. अल्पावधिक फसल ऋण	17.29	912
2. कृषि और संबंद्ध कार्यों के लिए सावधि ऋण	336.13	13757
3. ग्रामीण कारीगर और कुटीर उद्योग	26.07	1644
4. खुदरा व्यापार, छोटे उद्यमी और स्व-रोजगार	312.59	11734
5. उपभोक्ता ऋण	19.51	625
कुल	711.59	28672

[अनुवाद]

रेशम के मूल्य में वृद्धि

2746. श्री जैनुल बशर : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको प्रसिद्ध बनारसी साड़ियों और कपड़े में प्रयोग होने वाले रेशम के मूल्य में लगातार वृद्धि की जानकारी है;और

(ख) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि को रोकने और वाराणसी में रेशम की सप्लाई उचित मूल्य पर और पर्याप्त मात्रा में करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) :(क) और (ख) सरकार को वाराणसी क्षेत्र के रेशम व्यापारियों और विनिर्माताओं से अप्रैल-मई, 1985 में स्थानीय बाजार में रेशम की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने स्थिति की जांच की है और यह पता चला कि अप्रैल-मई, 1985 रेशम की कीमतों में वृद्धि मुख्य रूप से उस अवधि के दौरान कर्नाटक में कम वर्षा के परिणामस्वरूप आवक में अस्थायी रुकावट के कारण हुई। स्थिति से निपटने के लिये सरकार ने देश में रेशम के लिये इसकी कीमत स्थिरीकरण योजना के एक भाग के रूप में रेशम का आयात करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड को निदेश दिये हैं। इसी बीच, स्थानीय बाजार में रेशम की कीमतें गिर गई हैं और स्थानीय बाजार में अब रेशम की उपलब्धता में भी सुधार हुआ है। तथापि, वर्ष के दौरान अभी तक केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा रेशम के कोई वास्तविक आयात नहीं किये गये हैं।

पश्चिम बंगाल में साल्ट लेक में आभूषण कम्पलैक्स

2747. श्री रेनुपद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार को साल्ट लेक में शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी आभूषण कम्पलैक्स स्थापित करने के सम्बन्ध में अपनी इच्छा के बारे में सूचित किया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने पत्र दिनांक 1 अगस्त, 1985 में सूचना दी है कि एक शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी आभूषण कम्पलैक्स स्थापित करने के लिये, कलकत्ता, एयरपोर्ट के समीप, 93 एकड़ के इलैक्ट्रोनिक्स कम्पलैक्स के भीतर ही, साल्ट लेक क्षेत्र में एक एकड़ भूमि के प्लाट को निर्धारित करने का निर्णय लिया है ।

सूती धागे के निर्बाध निर्यात से प्रतिबन्ध समाप्त करना

2748. श्री हरिहर सोरन : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूती धागे के निर्बाध निर्यात पर से प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिये कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार प्रतिबंध को समाप्त करने के लिये तुरन्त कदम उठाने का है; और

(ग) सूती धागा निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या वैकल्पिक कदम उठाने की संभावना है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) नई वस्त्र नीति की घोषणा के बाद सरकार ने 1 से 40 काउंट समूह के धागे के निर्यात पर रोक हटा ली है और 1985 के दौरान 6 मि० किग्रा० की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत उसके निर्यातों की अनुमति दे दी है । 1985 के दौरान 41 से 60 काउंट तक सूती धागे के निर्यात की अनुमति अतिरिक्त 6 मि० किग्रा० की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत है और 61 तथा इससे अधिक काउंट के सूती धागे के नियति पर मात्रा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों के भंडार में फंसा पड़ा बैंक ऋण

2749. डा० ए० के० पटेल :
श्री सी० जंगा रेड्डी : } क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 1985 के "दी टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि लगभग 8000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण 3 करोड़ टन खाद्यान्न भंडार में फंसा पड़ा है जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिति विकट हो गई है और यह विश्वास करना कठिन है कि इस धनराशि का एक भाग भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा निर्यात के माध्यम से प्राप्त हो जायेगा, जबकि इस धन राशि पर वार्षिक ब्याज लगभग 1000 करोड़ होता है और यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि इसके परिणामस्वरुप मूल्यों में वृद्धि होगी ।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इस समस्या को हल करने के लिये क्या उपाय किये जायेंगे ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार इसमें बैंक ऋण के रूप में कितनी धनराशि फंसी पड़ी हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी हां ।

गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों अर्थात् भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों, उनकी एजेंसियों के नाम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया खाद्य ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

के अंतिम शुक्रवार के दिन	(करोड़ रुपए) बकाया राशि
जून, 1983	3589
जून, 1984	5238
जून 1985	6754

हाल के वर्षों में खाद्य ऋणों में वृद्धि मुख्यत: अनाज के स्टाक के मूल्य में वृद्धि के अनुरूप ही है। खाद्य ऋणों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति बैंकों के लिए समस्या नहीं है क्योंकि ये अग्रिम प्रतिभूत होते हैं और इनसे बैंकों को आमदनी होती है।

[अनुवाद]

लक्ष्मी कर्मशियल बैंक का विलय

2750. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय बैंक अधिकारी संघ ने लक्ष्मी कर्मशियल बैंक का कनारा बैंक में विलय करने के प्रताव का इस आधार पर कड़ा विरोध किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस आशय से जारी किया गया नोटिस बैंकिंग विनियम अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है और विलय से मूल निर्णयों के संशोधन की अनुमति देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबन्धों के दायरे में नहीं है;

(ख) यदि हां तो कनारा बैंक के साथ इस बैंक के विलय के इस विरोधी के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और पंजाब नेशल बैंक के साथ इसके विलय के प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) लक्ष्मी कर्मशियल बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मिलाने के बजाय इसे केनरा बैंक में मिलाने का निर्णय बदलने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार को इंडियन नेलशन बैंक आफिसर्स एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यावेदन सहित कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिसमें लक्ष्मी कर्मशियल बैंक लि० का केनरा बैंक की बजाय पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय किए जाने का विरोध किया गया था।

सरकार द्वारा लक्ष्मी कर्मशियल बैंक लि० को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलाए जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था। यद्यपि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया गया था। सभी सम्बन्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मी कर्मशियल बैंक को केनरा बैंक के साथ मिलाए जाने का निर्णय किया गया है।

विलय की योजना का प्रारूप जारी कर दिया गया है। अन्तरक बैंक और जमाकर्ताओं/ऋणकर्ताओं तथा जनता से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। विलय की योजना को अंतिम रूप देते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन पर विचार किया जाएगा।

चाय के निर्यात में कमी

2751. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1934-85 के दौरान चाय के निर्यात में कमी हुई है;

(ख) तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि विदेशी बाजार में भारतीय चाय का मूल्य कम हो गया है और भारतीय चाय की मांग भी नहीं है; और यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) विदेशों में चाय बाजार में पैठ करने और हमारे निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) 1985 में विश्व भर में चाय की कीमतें गिर गई हैं। इसका मुख्य कारण था घटिया क्वालिटी चायों की अधिक सप्लाई। इसके बावजूद, जनवरी से जून, 1985 तक हुए भारत के निर्यातों के मूल्य का गत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा अधिक होने का अनुमान है।

रुई का उत्पादन

2752. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग की आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिए भारत गत दो वर्षों के दौरान पर्याप्त मात्रा में रुई का उत्पादन नहीं कर पाया;

(ख) क्या सरकार रुई उत्पादन में गिरावट के बावजूद रुई निर्यात की अनुमति दे रही है ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस वर्ष रुई के पहले स्टाक से कपड़ा उद्योग की डेढ़ महीने से अधिक की खपत पूरी नहीं होगी; और

(घ) क्या सरकार का विचार कपड़ा मिलों को बन्द होने से रोकने के लिए कदम उठाने और उद्योग को रुई की आवश्यक मात्रा उपलब्ध कराने का है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) जहां तक रुई के कुल उत्पादन का सम्बन्ध है भारत आत्म निर्भर है। तथापि, रुई के उत्पादन और खपत में किस्म रूपी असन्तुलन है जैसे मध्यम तथा छोटे स्टेपल वाली रुई का उत्पादन घरेलू आवश्यकता से कम है, जबकि लम्बे तथा अधिक लम्बे स्टेपल वाली रुई का उत्पादन घरेलू मांग से अधिक है। सरकार लम्बे तथा अधिक लम्बे स्टेपल वाली रुई के जो हमारी घरेलू आवश्यकताओं से अधिशेष है, निर्यात की अनुमति दे रही है ।

(ग) सी ए बी द्वारा अद्यतन मूल्यांकन के अनुसार रुई का अग्रानीत भण्डार दो महीने से अधिक खपत आवश्यकता के लिए पर्याप्त होगा ।

(घ) सरकार को स्थिति की जानकारी है और वस्त्र उद्योग को रुई की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर उचित कदम उठाए जाते हैं ।

पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की बकाया धनराशि

2753. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुकदमेबाजी के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम के कार्यालयों की भारी धनराशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो 5 लाख रुपए से अधिक की ऐसी बकाया धनराशि की संख्या कितनी है और उन पार्टियों के नाम क्या हैं;

(ग) उन बकाया धनराशियों की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मुकदमेबाजी पर कुल कितना व्यय हुआ है और उससे प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनता द्वारा बैंकों की अपेक्षा डाकघरों में बचत खाता खोलने को प्राथमिकता देना

2754. **श्री पी० पेंचलैय्या : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्याज की दरों में असमानता के कारण जनता बैंकों की अपेक्षा डाकघरों में बचत खाता खोलने को प्राथमिकता देते हैं ;

(ख) मार्च, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बैंकों और डाकघरों में कितने-कितने बचत खाते खोले गए हैं ;

(ग) बैंकों में खाता खोलने में यदि कमी आई है तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान बैंकों में कितने खाते बंद कर दिए गए और उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) यद्यपि मार्च, 1985 तक वाणिज्यिक बैंकों में खोले गए खातों की संख्या के संबंध में सूचना सभी उपलब्ध नहीं है लेकिन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बचत खातों में जमा राशियों के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों को देखने से यह नहीं कहा जा सकता कि लोग अपनी बचतें वाणिज्यिक बैंकों में जमा नहीं करवा रहे हैं। उदाहरण के लिए मार्च, 1983 और मार्च, 1984 के बीच वाणिज्यिक बैंकों की बचत राशियों में 2746 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। जनवरी, 1985 के अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि जनवरी, 1984 और जनवरी, 1985 की अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की बचत राशियों में 4088 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में 1983-84 में डाकघर बचत बैंक जमा राशियां 152 करोड़ रुपए थी जिसमें जनवरी, 1984 तथा जनवरी, 1985 के बीच 158 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

(घ) आंकड़ा सूचना प्रणाली से इसी अवधि के दौरान बन्द किए गए बचत बैंक खातों की सूचना नहीं मिलती।

बैंकों का विराष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव

2755. **श्री जी० एम० बनातवाला : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकों का विराष्ट्रीयकरण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के किसी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा की गई खरीद की पुनरीक्षा

2756. **श्री आर० एम० भोये** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति विभाग ने पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा केन्द्र सरकार और इसके विभागों की ओर से की गई खरीद की गहराई से पुनरीक्षा करने के आदेश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पूर्ति के निर्धारित स्तर का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा की गई खरीदों की गहराई से पुनरीक्षा करने के लिए हाल ही में कोई विशेष निदेश जारी नहीं किए गए हैं । पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में समन्वय तथा कार्य अध्ययन निदेशालय हैं, जो कि खरीद की प्रक्रियाओं और नीतियों, टेंडरों के बारे में निर्णय लेने तथा पोस्ट ठेका-कार्यवाहियों में होने वाली देरी की पुनरीक्षा करते हैं तथा उपचारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देते हैं । इसके अतिरिक्त, सन् 1974 में एक क्रय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था, जिसने खरीद संबंधी प्रक्रिया और नीतियों की जांच की थी । कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के कार्य के कुछ पहलुओं की जांच की है तथा उनके बारे में अपनी रिपोर्ट दी है । प्राक्कलन समिति ने भी पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की खरीद संबंधी प्रक्रियाओं के कुछ पहलुओं पर टिप्पणी दी हैं, जिनकी जांच की गई है । इसकी नीतियों और प्रक्रियाओं में हाल ही में हुए सुधारों के बारे में विभाग की वर्ष 1984-85 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के पैरा-4 में (अध्ययन-1) उल्लेख कर दिया गया है ।

राज्यों के लिए घरेलू कोयले का कोटा निर्धारित करने का आधार

2757. **श्री सैयद मसुदल हुसेन** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों के लिए घरेलू उपयोग के कोयले का कोटा निर्धारित करने का आधार क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए घरेलू कोयला (साफ्ट कोक) का कोटा उनकी मांग और कोयला कंपनियों के पास उपलब्ध कोयले को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है । विभिन्न राज्यों को साफ्ट कोक की सप्लाई, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम और रेलवे द्वारा वैगन आबंटन के आधार पर कोयला कंपनियां करती हैं । विभिन्न राज्यों को सड़क द्वारा भी ले जाने के लिए साफ्ट कोक दिया जाता है ।

कोयला और लौह अयस्क पर दी जाने वाली रायल्टी में संशोधन

2758. श्री विजय कुमार यादव : क्या इस्पात, खान और कोयल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला और लौह अयस्क पर रायल्टी में संशोधन करने के लिए समयावधि निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के संशोधन में विलंब हुआ है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रायल्टी के संशोधन में विलम्ब के कारण राज्यों को वित्तीय हानि पहुंची है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने यह मांग की है कि रायल्टी में संशोधन की अवधि कम की जानी चाहिए; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना निकालकर किसी भी खनिज पर स्वामिस्व की दरों को बढ़ा या घटा सकती है। परन्तु किसी खनिज के मामलों में स्वामिस्व की दरों में चार वर्षों की किसी अवधि में एक बार से अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती।

(ग) से (ङ) कोयले पर स्वामिस्व की दर पिछली बार 13.2.1981 को संशोधित की गई थी। कोयले पर स्वामिस्व की दरों में फिर संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए नवम्बर, 1984 में एक अध्ययन दल बनाया गया था। इस अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

लौह-अयस्क पर स्वामिस्व की दर में पिछली बार 12.6.1978 से संशोधन किया गया था। इसके बाद लौह अयस्क पर स्वामिस्व की दरों में संशोधन के लिए कार्रवाई शुरू की गयी थी किन्तु इस संबन्ध में कोई अंतिम निर्णय होने के पहले ही नवम्बर, 1984 में अध्ययन दल बना दिया गया जिसे लगभग सभी प्रमुख खनिजों पर स्वामित्स्व की दरों में संशोधन पर विचार करने का काम सौंपा गया। यह अध्ययन दल लौह अयस्क पर स्वामिस्व दर के संशोधन के प्रश्न पर भी विचार करेगा।

यदि किसी खनिज पर स्वामिस्व की दर में समय से संशोधन नहीं किया जाता और यदि बाद में किए गए संशोधन से उसकी दरों में वृद्धि हो जाती है तो उससे वित्तीत नुकसान हो सकता है चूंकि कोयला और लौह अयस्क की स्वामिस्व दरों में वृद्धि की मात्रा अभी पता नहीं चली है, इसलिए इनकी दरों में समय से संशोधन न किए जाने के कारण होने वाले नुकसान का इस स्थिति में अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। परन्तु कुछ राज्य ऐसे हैं जो इतने कर लगा रहे हैं जो स्वामिस्व से कहीं अधिक हैं।

(च) और (छ) कुछ राज्यों ने इस अवधि को चार वर्ष से घटाकर 2-3 वर्ष करने की मांग की है।

[अनुवाद]

निगमित क्षेत्र में कर्मचारियों की समान भागीदार की योजनाएं

2759. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा निगमित क्षेत्र में कर्मचारियों की समान भागीदारी की दो योजनाएं शुरू की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) निगमित क्षेत्र के अन्तर्गत, सामान्य शेयरों में श्रमिकों की भागीदारी की योजना का ब्यौरा पहली अगस्त, 1985 को सभा-पटल पर रख दिया गया था।

हथकरघा बुनकरों को धागे की सप्लाई

2760. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई नीति के अन्तर्गत सरकार हथकरघा बुनकरों को धागों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो हथकरघा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम तैयार करने हेतु राज्यों को जारी किये गये दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) जून, 1985 में घोषित नई वस्त्र नीति के अनुसार राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगमों और राज्य स्तर के हथकरघा अभिकरणों की मार्फत हथकरघा क्षेत्र को यार्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रयास किये जाएंगे। हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने गोहाटी और बिहार शरीफ में यार्न डिपो खोले हैं। यह और यार्न डिपो खोलने के लिए कदम उठा रहा है। यह केरल, राजस्थान, पांडिचेरी आदि में राज्य हथकरघा अभिकरणों को सीधे ही यार्न की सप्लाई भी कर रहा है। कई राज्य हथकरघा अभिकरण उनके पास नामांकित बुनकरों और बुनकर सहकारी समितियों को भी यार्न की सप्लाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जनता कपड़ा योजना को कार्यान्वित करने के लिये हाल में जारी किये गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत योजना के लिये प्रभारी राज्य अभिकरणों से जनता कपड़े के उत्पादन को, बुनकरों को कच्चा माल सप्लाई करने के लिये अपने प्रबन्धों के साथ मिलने के लिए कहा गया है।

(ख) नई वस्त्र नीति में बहुत से उपायों की व्यवस्था है ताकि हथकरघे अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकें। इस सम्बन्ध में वर्तमान योजनाओं की समीक्षा करने और साथ ही हथकरघा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिये अपेक्षित नई योजनाओं के ब्यौरे तैयार करने के लिये राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं। इसी बीच वर्कशेड-सह-हाउसिंग योजना तथा बुनकरों के लिये थ्रिफ्ट फण्ड योजना के कार्यान्वित करने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिये गये हैं।

लिग्नाइट के भण्डारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

2761. श्री अमर सिंह राठवा : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लिग्नाइट के भंडारों का पता लगाने के लिए देश में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इसका पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बंसत साठे) : (क) से (ग) देश में लिग्नाइट के भंडार मालूम करने के लिए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण "भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करता है और साथ ही खनिज समन्वेषण निगम और विभिन्न राज्य सरकारों के खनन और भूतत्व विभाग जैसी एजेंसियां भी यह काम करती हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और जम्मू एवं काश्मीर राज्यों में लिग्नाइट के भंडार प्रमाणित हो चुके हैं।

राज्यों को कोयले की पूर्ति

2762. **श्री गदाधर साहा :** क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों की कोयले की कितनी मांग है और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिए राज्य वार कितना कोटा निर्धारित किया है ;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान राज्यों को राज्य-वार कितने कोयले की पूर्ति की गई, उसका महीने-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मांग और कोटा तथा कोटा और वास्तविक पूर्ति के बीच कोई अन्तर है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं; और

(च) सरकार का इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बंसत साठे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार साफ्ट कोक को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के कोयले के संबंध में विभिन्न राज्यों के लिए कोई कोटा निश्चित नहीं करती है। कोयले की सप्लाई रेल और सड़क दोनों ही साधनों से की जाती है। रेल द्वारा कोयले की ढुलाई उस अधिकतम सीमा के भीतर ही की जाती है जो रेलवे विभिन्न प्रायोजन प्राधिकारियों के लिए निश्चित करते हैं। प्रायोजन प्राधिकारी राज्य-वार नहीं बल्कि उद्योग-वार हैं अर्थात् तकनीकी विकास महानिदेशालय सारे देश में स्थित तकनीकी विकास महानिदेशालय की यूनिटों के लिए प्रायोजन प्राधिकारी हैं, इंडियन शुगर मिल्स ऐसोसिएशन सभी चीनी मिलों के लिए, इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन सभी सूती कपड़ा मिलों के लिए और इसी प्रकार अन्य प्रायोजक हैं। रेलवे ने राज्यों में स्थित लघु उद्योगों की जरूरतों के लिए राज्य सरकारों को वैगनों के कोटा दे दिए हैं। रेल द्वारा कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे की ओर से नियत इस सीमा के अलावा, कोल इंडिया लि० प्रायोजन प्राधिकारियों को यह अनुमति भी दे रहा है कि जिस जरूरत का कोयला वैगनों की अधिकतम सीमा के कारण रेल से न दिया जा सके उसके लिए सड़क से ले जाने के लिए अतिरिक्त मात्रा प्रायोजित कर दी जाए। इस प्रकार की मांगों का राज्य के प्रायोजन प्राधिकारी समय-समय पर प्रायोजित करते हैं।

(ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कोयले और कोयला उत्पादों का राज्य-वार प्रेषण

जो कम महत्वपूर्ण (नान कोर) क्षेत्रों को किया गया तथा इस संबंध में राज्यों का प्रायोजन भी संलग्न विवरण में किया गया है। माहवार ब्यौरे तुरंत उपलब्ध नहीं हैं। इनके अलावा कोयला बिजलीघरों, इस्पात कारखानों आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों (कोर सेक्टर) को ही सप्लाई किया जाता है।

(घ) और (ङ) कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों के मामले में मांग की तुलना में रेल द्वारा ढुलाई में कमी रह जाती है। इसका कारण यह है कि अधिक महत्वपूर्ण कोर क्षेत्र को उच्चतर अग्रता के आधार पर कोयला भेजना आवश्यक होता है।

(च) इस कमी को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में सड़क द्वारा कोयला ले जाने की अनुमति दी जाती है, वेगनों की सप्लाई बढ़ाई जा रही है और स्टाकयार्डों को उच्चतर अग्रता के आधार पर कोयला पहुंचाया जाता है।

विवरण

वर्ष 1984-85 और 1983-84 में कोयला और उत्पादों के राज्यवार प्रेषण (कम महत्वपूर्ण क्षेत्र)

(आंकड़े हजार टनों में)

राज्य	वर्ष	
	1984 85	1983-84
बिहार	4569	6139
प. बंगाल	3561	4035
उत्तर प्रदेश	3804	2665
उड़ीसा	1040	865
मध्य प्रदेश	1878	1990
महाराष्ट्र	2231	2130
गुजरात	2936	3278
राजस्थान	750	702
दिल्ली	501	531
पंजाब	804	702
हरियाणा	1115	522
तमिलनाडु	564	302
आंध्र प्रदेश	557	379
कर्नाटक	262	466
केरल	188	149
जम्मू और काश्मीर	58	31
हिमाचल प्रदेश	23	20
चंडीगढ़	2	5
असम	120	103
अन्य	106	60

भारतीय चाय व्यापार निगम द्वारा प्रबन्धिक चाय बागानों को भारी हानि

2763. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य व्यापार निगम के प्रबन्ध के अधीन चाय बागानों के अत्यधिक अकुशलता और चाय बागान परिसम्पत्तियों के कुप्रबन्ध के कारण भारी हानियां हो रही हैं;

(ख) क्या भारतीय चाय व्यापार निगम द्वारा चारगोला टी एस्टेट, रतबारा असम में भारी पूंजी निवेश किए जाने के बावजूद पिछले तीन वर्षों के दौरान बिक्री और उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी तथ्य क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किये गये पूंजी निवेश, उत्पादित मात्रा की गई बिक्री. नये बागान क्षेत्र में नई वृद्धि और लाभ अथवा हानियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में आगे और क्या कदम उठाने का विचार है।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) प्रबन्धित बागानों को हानियां होने का मुख्य कारण हैं कि भूतपूर्व मालिकों द्वारा रुग्ण अवस्था में दिए गए थे।

(ख) और (ख) चारगोला चाय एस्टेट में अधिग्रहण पूर्व की अवधि की तुलना में अधिग्रहण पश्चात् चाय के उत्पादन तथा बिक्री में वृद्धि हुई है।

पटसन का निर्यात

2764. श्री ई० अय्यापु रेड्डी
श्री जयप्रकाश अग्रवाल } क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पटसन और पटसन वस्तुओं का एक प्रमुख निर्यातकर्ता रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान पटसन और पटसन वस्तुओं का कितना निर्यात किया गया और किन-किन देशों को निर्यात किया गया और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) देश में पटसन और पटसन वस्तुओं की औसतन वार्षिक खपत कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा इस मद का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) विदेशी बाजार भारत के हाथ से न छूटे, यह सुनिश्चित करने के लिये विदेशी मुद्रा अर्जन व्यापार क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री०पी०ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पटसन के माल का निर्यात नीचे दिये गए है :—

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	मात्रा (हजार टन)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1982-83	329.5	201.83
1983-84	233.5	163.71
1984-85	264.7	299.94

पटसन के माल का निर्यात मुख्यत: संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, अर्जेन्टीना, ई ई सी देशों, सोवियत संघ, तथा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों जापान, आस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड ईरान आदि को किया जाता है। 1982-83 के दौरान कच्चे पटसन का निर्यात 0.72 लाख गांठों का था जिसका मूल्य लगभग 335 लाख रु. था। उसके बाद 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान असम में कच्चे पटसन का कोई निर्यात नहीं था क्योंकि देश में कच्चे पटसन का अभाव था।

(ग) कच्चे पटसन की औसत वार्षिक खपत लगभग 79 लाख गांठ है (प्रत्येक गांठ 180 किग्रा की)। पटसन माल की वार्षिक घरेलू खपत 9-10 लाख मी० टन के आस पास है।

(घ) और (ङ) विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए पटसन माल का निर्यात का विकास करने और पटसन माल के लिए विदेशी बाजारों को बनाये रखने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) उद्योग द्वारा बराबर के निष्पादन के आधार पर पटसन कालीन अस्तर कपड़े तथा यार्न पर उच्चतर नकद मुआवजा सहायता का प्रदान किया जाना;

(2) उत्तरी अमरीका को कालीन अस्तर कपड़े के निर्यातों के लिए 50:50 हानि वहनता आधार पर एस टी सी पटसन सार्थसंघ का बनाया जाना;

(3) अनुसंधान तथा विकास के माध्यम से निर्यात योग्य उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना; और

(4) अनुसंधान तथा विकास प्रयासों तथा निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए पटसन उपकर की राशियों में से एक नई जे एम डी सी और एक पटसन निधि का गठन किया जाना।

पटसन के मूल्य कम होने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उपाय

2765. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरन्तर तीन वर्षों में कच्ची पटसन की फसल में भारी गिरावट के ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारतीय पटसन निगम से आरक्षित भंडार बनाने के लिए कहा है जो न केवल उन स्तरों पर कच्चे पटसन के मूल्य स्थिर करने में उपयोगी रहेगा जो उत्पादकों के लिए लाभकारी हैं अपितु यह पटसन मिलों के लिए भी उपयोगी रहेगा;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और यदि नहीं, जो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस वर्ष पटसन मूल्यों में कमी की प्रवृत्ति से सभी क्षेत्र चकित रह गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय पटसन निगम को यह निदेश दिये हैं कि जैसे ही देश में केन्द्रों पर पटसन के सांवधिक मूल्य नीचे आयें, वह व्यापक मूल्य समर्थन आरम्भ कर हस्तक्षेप करें;

(ङ) पटसन निगम के पटसन वसूली का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(च) पटसन निगम पश्चिम बंगाल में पटसन की (मजबूरी में) बिक्री को रोकने में कहां तक सफल हो सका है?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह): (क) और (ख) यद्यपि चालू पटसन मौसम 1985-86 के दौरान अच्छी फसल होने की सम्भावना है, फिर भी इस फसल का इतनी जल्दी ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बफर स्टाक बनाने का निर्णय केवल पटसन फसल के आकार के ठीक अनुमान के उपलब्ध होने बाद ही लिया जा सकता है।

(ग) और (घ) पटसन की अच्छी फसल की सम्भावनाओं को देखते हुए, कच्चे पटसन की कीमतें गिरनी शुरू हो गयी हैं, परन्तु ऐसा बताया जाता है कि इस समय के चालू पटसन मौसम 1985-86 के लिए सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम कानूनी कीमत से ऊंची हैं। भारतीय पटसन निगम को आवश्यक सीमा तक कीमत समर्थन करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। विभिन्न पटसन तथा मैस्टा उत्पादक राज्यों में भारतीय पटसन निगम द्वारा चलाए जा रहे 183 खरीद केन्द्र हैं तथा अन्य 240 केन्द्र सरकारी समितियों द्वारा चलाए जा रहे हैं जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर वसूली कार्य के लिए किया जा सकता है। निगम ने वसूली काम आरम्भ करने के लिए इन सभी केन्द्रों में व्यक्तियों, मशीनरी तथा धन से अपने आपको सुसज्जित कर लिया है। तथापि, पश्चिम बंगाल में अभी तक कोई कीमत समर्थन कार्य करना आवश्यक नहीं हुआ है।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को इन्जीनियरी वस्तुओं का निर्यात

2766. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को इन्जीनियरी वस्तुओं का निर्यात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को इन्जीनियरी वस्तुओं का निर्यात करने का है;

(ग) सातवीं योजना के अन्त तक कितने मूल्य की इन्जीनिपरी वस्तुओं का निर्यात किये जाने की सभावना है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) और (ख) बर्मा, हांगकांग, इण्डोनेशिया, मलयेशिया, सिंगापुर तथा थाईलैंड जैसे दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को पहले ही भारत से इन्जीनियरी सामान का निर्यात किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना के अन्त तक इन्जीनियरी सामान के निर्यातकों की कुल राशि आयात करने वाले देशों की मांग पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

लाजपतराय मार्किट, दिल्ली के इलेक्ट्रोनिक्स व्यापारियों के परिसरों पर छापे

2767. **श्री शांति धारीवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में लाजपत राय मार्किट के इलेक्ट्रोनिक्स व्यापारियों के परिसरों पर छापे मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन व्यापारियों से सरकार ने कितने मूल्य का विदेशी सामान जब्त किया;

(ग) क्या इन व्यापारियों के विरुद्ध मामले दबा लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन मामलों को दबाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने ये मामले दबाए हैं, जांच कराने का निर्णय किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिल्ली के सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने, दिनांक 17-1-1985 को, पुरानी लाजपत राय मार्केट, दिल्ली के इलैक्ट्रानिकीय माल के डीलरों के परिसरों पर सामान्य रूप से छापे मारे अथवा तलाशियां लीं।

(ख) पुरानी लाजपत राय मार्केट के इलैक्ट्रानिकीय माल के दस डीलरों से 3.4 लाख रुपए के मूल्य का विदेशी मूल्य का इलैक्ट्रानिकीय माल और अन्य विविध माल पकड़ा गया था।

(ग) से (छ) किसी भी डीलर के विरुद्ध कोई भी मामला रफा-दफा नहीं किया गया है। तथापि, दो मामलों के संबंध में की गई जांच से यह पता चला है कि अभिग्रहण के अधीन माल का भारत में संयोजन/निर्माण, आयातित संघटकों से किया गया है और पार्टियों ने उनके कानूनी रूप से अधिग्रहण के संबंध में उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं। इस कारणवश, उन दो मामलों में अन्तर्ग्रस्त माल को पार्टियों को दे दिया गया था। अन्य मामलों के सम्बन्ध में विभागीय न्याय-निर्णयन संबंधित कार्यवाहियां जारी हैं।

[अनुवाद]

स्टेट बैंक आफ इन्दौर में धोखाधड़ी और अनियमितताओं की शिकायतें

2768. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्टेट बैंक आफ इन्दौर में धोखाधड़ी, अनिमितताओं और कदाचार की गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में 7 करोड़ रुपए से अधिक धनराशियों के अग्रिमों के 42 मामले पकड़े हैं;

(ग) क्या खराब, संदिग्ध और डूबे हुए ऋण बैंक के कुल अग्रिमों का लगभग 20 प्रतिशत है; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं, अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को एक शिकायत मिली है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर की इन्दौर शाखा में एक समूह के खाते में गम्भीर अनिमतताओं का आरोप लगाया गया है। सम्भवतः प्रश्न का संकेत वार्षिक मूल्यांकन स्कीम के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के 31 दिसम्बर 1983 की स्थिति के अनुसार किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट से है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के उपबन्धों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट को गोपनीय दस्तावेज माना जाता है अतः इसकी विषय वस्तु प्रकट नहीं की जा सकती।

बैंकों के "डिपोजिट कलेक्टर्स"

2769. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के फील्ड आफिसरों/डेवलमेंट आफिसरों की तरह बैंकों के छोटे "डिपोजिट कलेक्टर्स" को पूर्णकालिक कर्मचारी बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या डिपोजिट कलेक्टर्स की भर्ती जमा-

राशियां जुटाने वाले क्षेत्रीय कर्मचारियों के रूप में करने का है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) "डिपोजिट कलेक्टर" केवल कमीशन के आधार पर एजेंट होते हैं। अंशकालिक आधार पर काम करते हैं और अपने काम का कमीशन प्राप्त करते हैं चूंकि ये व्यक्ति बैंक कर्मचारियों की भर्ती की पात्रता संबंधी अपेक्षाएं पूरी नहीं करते, इसलिए उन्हें नियमित बैंक कर्मचारी नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही डिपोजिट कलेक्टरों को जमाराशियां जुटाने वाले क्षेत्रीय कर्मचारियों के रूप में भर्ती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

निर्यात व्यापार में भारत की स्थिति

2770. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) निर्यात व्यापार में विभिन्न राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है;

(ख) तीन वर्ष पहले क्या स्थिति थी; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध से संतुष्ट है और यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) मंथली बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स, यू०एन० (मार्च, 1985) में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 1983 वर्ष के लिये विश्व निर्यात में भारत का भाग 0.46 प्रतिशत निकलता है। 1980 में यह भाग 0.42 प्रतिशत था।

(ग) आयात तथा निर्यात नीति उपाय भारत के निर्यात बढ़ाने के लिये लगातार विकसित किए जा रहे हैं। इनमें उत्पादन को बढ़ाने तथा उनमें विविधता लाने, अपने निर्यातों को और प्रतियोगी बनाने, अपने उत्पादों के लिए नए बाजारों की खोज करने तथा उच्च मूल्य प्राप्ति के लिए वस्तुओं को संशोधित करने के उपाय शामिल हैं। सरकार को उपलब्ध नीति के विभिन्न साधनों का उपयोग इस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है तथा आवश्यकता पड़ने पर समंजित किया जाता है। अप्रैल 1985, से मार्च, 1988 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए अप्रैल 1985 में घोषित आयात तथा निर्यात नीति निर्यातों पर मुख्य बल देने और साथ ही कार्य-कुशल आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए बनायी गयी है।

केरल में हथकरघा क्षेत्र की छूट की धनराशि के भुगतान में विलम्ब

2771. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अनेक हथकरघा समितियों को छूट की धनराशि का समय पर भुगतान नहीं मिलता है;

(ख) क्या छूट की धनराशि प्राप्त करने के एक मात्र उद्देश्य से श्रमिकों के बिना सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्यमन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) भारत सरकार को समय पर छूट प्राप्त करने वाली सोसाइटियों के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) सहकारी सोसाइटियों का पंजीकरण राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है । तथापि, सरकार की ऐसी सोसाइटियों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जो केवल छूट प्राप्त करने के लिये बनाई जा रही हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उदार आयात निर्यात नीति से विदेशी मुद्रा में वृद्धि

2772. श्री लालाराम केन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से सरकार ने आयात निर्यात नीति उदार बनाई है हमारे विदेशी व्यापार तथा विदेशी मुद्रा से आय में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात तथा आयात को वे वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें और अधिक सुविधा देने का प्रस्ताव है ताकि निकट भविष्य में हमारे विदेशी व्यापार में और अधिक वृद्धि सुनिश्चित की जा सके ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) 1980 के दौरान भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियों की रूपरेखा निम्नांकित है :

वर्ष	निर्यात		आयात	
	मूल्य करोड़ रु० में	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	मूल्य करोड़ रु० में	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
1980-81	6710.70	† 4.6	12549.15	†37.3
1981-82	7805.90	†16.3	13607.56	† 8.4
1982-83	8907.75	†14.1	14355.76	† 5.5
1983-84	9872.10	†10.8	15762.95	† 9.8
1984-85	11395.98	†20.4	16591.86	† 7.9

† अनन्तिम, अप्रैल, 1985 तक अद्यतन तथा उनमें संशोधन हो सकता है। 1984-85 के लिए वृद्धि दर की प्रतिशतता 1983-84 के लिए निर्यात तथा आयात के क्रमश: 9468.25 करोड़ रुपए तथा 15382.16 करोड़ रु. के अनुरूपी अनन्तिम (अद्यतन) आंकड़ों की तुलना में निकाली गयी है।

(ख) अप्रैल, 1985 से मार्च, 1988 की तीन वर्ष की अवधि के लिए 12-4-85 को घोषित की गई आयात तथा निर्यात नीति पहले ही सभा पटल पर रखी जा चुकी है। नीति निर्यातों को मुख्य रूप से बढ़ाने तथा साथ ही कार्यकुशल आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई है। इस सम्बन्ध में अन्य उपायों की समीक्षा समय-समय पर आवश्यकता अनुसार की जाती है।

[अनुवाद]

विज्ञापन खर्च पर रोक

2773. डा० जी० विजय रामाराव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा विज्ञापन खर्च के प्रतिबंधों में ढील देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में विज्ञापन खर्च सम्बधी अनुदेशों की मई 198) में समीक्षा की है। सरकारी उद्यमों को अब सलाह दी गयी है, हालांकि परिशिष्टों, विज्ञापन आदि पर अनावश्यक तथा खुला खर्च न किया जाना चाहिए, किन्तु बिक्री-संवर्धन तथा अनिवार्य विज्ञापनों सम्बन्धी विज्ञापन तथा प्रचार पर खर्च करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

दक्षिण कोरिया को गेहूं का निर्यात

2774. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण कोरिया को गेहूं निर्यात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो क्या दक्षिण कोरिया के विदेश मन्त्री के हाल ही के भारत के दौरे के दौरान इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव रखा गया था ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०ए०संगमा) :(क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) ने दक्षिण कोरिया को गेहूं के निर्यात की संभावना का पता लगाया है। तथापि, अभी तक कोई संविदा नहीं की गयी है।

उत्तर केरल ने भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

2775. श्री एम० रामचन्द्रन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर केरल में वहां के छः जिलों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक, का इस समय केवल त्रिवेन्द्रम में ही क्षेत्रीय कार्यालय है जहां इन लोगों की पहुंच आसान नहीं है; और

(ख) क्या कोचीन बैंक का स्टेट बैंक का स्टेट बैंक के साथ विलय हो जाने के परिणामस्वरूप शाखाओं में हुई वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार उक्त क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कालीकट में करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस समय भारतीय स्टेट बैंक का उत्तरी केरल में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक आफ कोचीन लि० का बैंक में विलय किए जाने के बाद भी त्रिवेन्द्रम स्थित इसके वर्तमान क्षेत्रीय कार्यालय से, जहां दो अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबन्धक नियुक्त किए जा रहे हैं, इन शाखाओं का प्रबन्ध करने में कोई परिचालनात्मक दिक्कत नहीं होगी।

पियरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड में सर्टिफिकेट धारियों द्वारा जमा की गई धनराशि की सुरक्षा

2776. श्री भरत सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट कम्पनी लि० सर्टीफिकेट धारियों द्वारा जमा करायी गयी धनराशि को राष्ट्रीकृत बैंकों और सरकारी प्रतिभूति में सर्वाधिक जमा में निवेश करती है;

(ख) क्या कम्पनी भारतीय रिजर्व की अनुमति से और केवल सर्टीफिकेट धारियों को भुगतान करने के लिए धनराशि निकाल सकती है; और

(ग) क्या सर्टीफिकेट धारियों द्वारा जमा करायी गयी धनराशि इस तरह सुरक्षित है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) द पीयरलेस जनरल फाइनेंस एण्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनी है और इसके कार्यों का प्रबन्ध इसके निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस कंपनी का प्रशासन केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी विधि बोर्ड के नियंत्रण के अधीन नहीं है। कंपनी को 10 अगस्त, 1979 को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के अधीन अपना कारबार समाप्त करने का नोटिस दिया गया था। लेकिन कम्पनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस कम्पनी का 1978-79 में निरीक्षण किया था। भारतीय रिजर्व बैंक का यह मत है कि इस कम्पनी द्वारा जिस लेखा प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उससे कंपनी के कार्यों की स्थिति के बारे में सही और सच्चा पता नहीं मिलता। इसके अलावा कम्पनी कार्य विभाग ने 21 दिसम्बर, 1983 को कम्पनी अधिनियम की धारा 290 क के अधीन इस कम्पनी के लेखाओं का निरीक्षण करने का आदेश दिया। लेकिन कंपनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक सशर्त स्थगन प्राप्त कर लिया और खण्ड पीठ के सम्मुख अपील दायर कर दी।

कम्पनी के अनुसार, बीमांकिक गणना के आधार पर, सर्टिफिकेट धारकों की संविदागत देनदारियों की रकमें सरकारी प्रतिभूतियों और राष्ट्रीकृत बैंकों की सावधि जमाराशियों में लगायी गयी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले 1973 में वर्ष 1973 के भारतीय रिजर्व बैंक ने निदेशों के अन्तर्गत कम्पनी को जमा राशियां स्वीकार करने पर लगी अधिकतम सीमा प्रतिबन्धों से, जैसे कि गैर बैंकिंग कम्पनियों पर लागू होती है, छूट दे दी थी। लेकिन मार्च, 1980 में रिजर्व बैंक ने यह छूट रद्द कर दी। परन्तु बैंक ने इस कम्पनी को जमाकर्ताओं को वापसी अदायगी करने के लिये और भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना किसी बैंक में रखी गई प्रतिभूतियों की रकम निकालने पर रोक लगा दी है।

संघ सरकार की ऋण प्रस्तता

2777. श्री सुरेश कुरूप : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च 1985 को संघ सरकार की सम्पूर्ण ऋण प्रस्तता कितनी थी ;

(ख) 31 मार्च, 1984 के तत्समानी आंकड़ों की तुलना में यह कैसी है;

(ग) वित्तीय वर्ष 1984-85 में ऐसे ऋणों पर कुल कितना ब्याज दिया गया;

(घ) क्या उस वर्ष सम्पूर्ण ब्याज का भुगतान किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो बिना भुगतान वाला शेष कितना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के लोक ऋण की राशि वर्ष 1983-84 के अन्त के 65383.35 करोड़ रुपए की तुलना में, 31 मार्च 1985 को 75350.87 करोड़ रुपए होने का अनुमान था।

(ग) से (ङ) देय ब्याज के आधार पर, लोक ऋण पर ब्याज की अदायगी के 1984-85 के संशोधित अनुमान 3616 63 करोड़ रुपए के थे। प्रतिभूतियों के धारकों से दावे प्राप्त होने पर उन्हें देय ब्याज की पूरी राशि जांच के पश्चात अदा कर दी जाती है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के पेंशनरों को राहत

2778. **श्री पियूष तिरकी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया के पेंशनरों को राहत नहीं दी गई है और उन्हें केन्द्र सरकार के पेंशनरों के समान नहीं रखा गया है;

(ख) स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धकों द्वारा अपने पेंशनरों को राहत की अद्यतम किस्तों का भुगतान न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) राहत की बकाया किस्तों का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय स्टेट बैंक के पेन्शनरों को केन्द्रीय सरकार के अनुसार राहत मन्जूर की गई है और तदनुसार इस विषय पर भारत सरकार के निदेशों के अनुसार निर्वाह लागत के 568 सूचकांक तक भारतीय स्टेट बैंक के पेन्शनरों को पहले ही राहत दी जा चुकी है।

भारत सरकार ने 18 जुलाई, 1985 को निर्वाह लागत में वृद्धि के लिए 576 के औसत सूचकांक पर पेंशनरों को और राहत देने की घोषणा की है। आशा है भारतीय स्टेट बैंक पेंशनरों को उक्त राहत देने के लिए शीघ्र ही आदेश जारी कर देगा।

आन्ध्र बैंक प्रबन्धमण्डल द्वारा भवानीपेट के बजाय लक्ष्मीपुर में बैंक की नई शाखा खोलना

2779. **श्री टी० बाला गौड** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र बैंक को राज्य में निजामाबाद जिले के पल्लारेड्डी खंड में भवानीपेट गांव में बैंक की एक नयी शाखा को खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस/मंजूरी दी गयी है ;

(ख) क्या आंध्र बैंक प्रबन्धमण्डल ने तत्पश्चात् अपनी मूल योजना में परिवर्तन करने का निर्णय लिया और लक्ष्मीपुर गांव में अपनी शाखा खोल दी;

(ग) आंध्र बैंक प्रबन्धमण्डल द्वारा अपनी मूल योजना में परिवर्तन करने का निर्णय लेने के क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक कैसे और किन परिस्थितियों के अन्तर्गत इस परिवर्तन पर सहमत हुआ ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के एक कृतिक बल का गठन किया है। इस कृतिक बल को अन्य कार्यों के साथ-साथ बैंकों को आवंटित किए गए उन केन्द्रों के स्थान पर जहां वे आधारभूत सुविधाओं, संभावनाओं आदि की अनुपलब्धता के कारण कार्यालय नहीं खोल सके, अन्य उचित केन्द्रों पर कार्यालय खोलने के अनुरोध पर विचार करने का काम सौंपा गया हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में गठित कृतिक बल ने भवानीपेट केन्द्र के स्थान पर लक्ष्मीपुर नामक एक अन्य बैंक रहित केन्द्र पर कार्यालय खोलने के आन्ध्र बैंक के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था। बैंक ने दिनांक 13 मार्च, 1985 को लक्ष्मीपुर में अपना कार्यालय खोल दिया है।

सरकारी क्षेत्र की लिमिटेड कम्पनियों की विदेशी मुद्रा आय में कमी

2780. **श्री चिंता मोहन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की 300 लिमिटेड कम्पनियों में वर्ष 1980-81 से 1983-84 की अवधि में विदेशी मुद्रा की सकल आय में निरन्तर कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और कम निष्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में यही स्थिति है;

(घ) यदि हां, तो आय और व्यय का विदेशी मुद्रा में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विदेशी मुद्रा आय में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) चूंकि उन 300 सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के नाम, जिनके बारे में सूचना मांगी गई है, नहीं दिए गए हैं, इसलिए मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना कठिन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ङ) भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने तथा निर्यात से और विदेशी मुद्रा के अर्जन में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। विदेशी मुद्रा अर्जन को बढ़ाने के लिए निर्यातकर्ताओं को विशेष रूप से निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

(i) निर्यातकों को उनके द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के आधार पर व्यापार और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी मुद्रा के एक मुश्त परमिट जारी किए जाते हैं :

(ii) थोड़े मूल्य के निर्यात दावों को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत विक्रेताओं (डीलरों) को शक्तियां प्रदान की गई हैं;

(iii) निर्यातकों को निर्यात व्यापार से सम्बन्धित नमूनों को मुफ्त भेजने की छूट है :

(iv) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना करना;

(v) सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले विदेशी सहयोग के मामलों में निर्यात को जोड़ने पर जोर देना ;

(vi) पहले की वार्षिक समीक्षा के स्थान पर, पहली अप्रैल, 1985 से तीन वर्ष तक आयात निर्यात नीति लागू करना ताकि उद्योग अपने उद्योगों के सम्बन्ध में दीर्घावधि आधार पर योजना तैयार कर सकें; और

(vii) निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए उत्पादन पद्धति के उन्नयन के वास्ते निर्यात वस्तुओं/नई प्रौद्योगिकी के आयात को बढ़ाना।

सरकारी क्षेत्र के खनन एककों को हुआ घाटा

2781. श्री मुरलीधर माने : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की खनन एककों को गत कुछ वर्षों के दौरान भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की विभिन्न खनन एककों को एकक-वार अलग-2 कार्य निष्पादन का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनके कार्यकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) खान विभाग के अधीन पांच सरकारी खनन इकाइयों को पिछले तीन वर्षों का लाभ/हानि विवरण नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपयों में)

	1982-83	1983-84	1984-85
हिन्दुस्तान जिंक लि०	(—) 1014	233.52	160
खनिज गवेषण निगम	(—) 355	72.86	113.93
भारत एल्यूमिनियम कम्पनी	(—) 5283	(—) 3794	(—) 1474
हिन्दुस्तान कापर लि०	(—) 2963	(—) 678	(—) 952
भारत गोल्ड माइन्स लि०	(—) 272.65	(—) 569.14	(—) 1066.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान जिंक लि० तथा खनिज गवेषण निगम लि० को लाभ हो रहा है। छठवीं इकाई नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० निर्माण के चरण में है।

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी (बाल्को) : बाल्को का घाटा, जो कम हो रहा है, मुख्यतः मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से अपर्याप्त बिजली पूर्ति से पूर्ण क्षमता उपयोग न होने के कारण है। कम्पनी की बिजली आवश्यकतायें पूरी करने के लिए ब्रिटेन की सहायता से एक ग्रहीत बिजली घर लगाया जा रहा है, जो दिसम्बर 1987 तक बनकर चालू हो जायेगा। इससे पर्याप्त तथा लगातार बिजली प्राप्त होगी। बाल्को की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कई अन्य उपाय भी विचाराधीन हैं।

हिन्दुस्तान कापर लि० : क्षमता उपयोग में सुधार तथा प्रद्रावकों को आधुनिक बनाने हेतु सुविधाओं में सन्तुलन के उपाय किए जा रहे हैं। कम्पनी के पूंजी पुनर्विन्यास सम्बन्धी अनुरोध की जांच की जा रही है। उपक्रम को घाटे से उबारने के लिए एक समुचित नीति तैयार की जा रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इष्टतम खनन मिश्र, लागत कटौती श्रम शक्ति की समीक्षा, पूंजी पुनर्विन्यास आदि का भी समावेश है।

भारत गोल्ड माइन्स लि० : स्वर्ण उत्पादन में कमी के कारण हो रहे भारी घाटे को ध्यान में रखते हुये भारत गोल्ड माइन्स लि० ने अपने कार्यचालन के अध्ययन हेतु 5 मार्च, 1985 को एक समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट शीघ्र मिलने की आशा है। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद, भारत गोल्ड माइन्स लि० के भविष्य के बारे में नीति संबंधी दिशा-निर्देश बनाए जायेंगे तथा लागू किए जायेंगे।

भारत गोल्ड माइन्स लि० की वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में उसकी प्रौद्योगिकी आर्थिक उपादेयता के बारे में सन्देह दूर हो जाने के बाद, 7 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्लवन तकनीक द्वारा रिफ्रेक्ट्री अयस्क से स्वर्ण निकालने की स्कीमतथा मिल-पछोड़ने से हीप लीचिंग तकनीक द्वारा स्वर्ण निकासी की स्कीम कार्यान्वित की जायेंगी।

[हिन्दी]

खाद्य वस्तुओं के आयात में वृद्धि

2782. श्री हरीश रावत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य वस्तुओं के आयात में कोई वृद्धि हुई;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के आयात में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है;

(ग) क्या पूर्व के वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष खाद्य वस्तुओं के आयात में काफी अधिक प्रतिशतता लाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) खाद्य वस्तुएं जिनके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जानकारी मांगी है काफी विस्तृत विषय है। मुख्य खाद्य उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई है।

गेहूं का आयात 1982-83 में हुए 39.50 लाख मै० टन से गिरकर 1984-85 में शून्य रह गए। 1983-84 में केवल 7.20 लाख मै० टन चावल का आयात किया गया था।

केवल 1984-85 में 4.83 लाख मै० टन चीनी का आयात किया गया था।

(ग) चालू वर्ष के दौरान कोई गेहूं अथवा चावल आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है इस समय, सितम्बर, 1985 तक लगभग 10 लाख मै० टन चीनी आयात करने का प्रस्ताव है।

(घ) चीनी उत्पादन में कमी, घरेलू खपत में पर्याप्त वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को उचित। कीमतों पर पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चीनी आयात करने का प्रस्ताव है।

देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं चीनी फैक्टरियों द्वारा उपजकर्त्ताओं और गन्ने की लाभकारी कीमतों का भुगतान, चीनी फैक्टरियों को ऋण सुविधाएं और उत्पादन शुल्क में छूट के साथ साथ अधिक मुक्त बिक्री कोटे का प्रोत्साहन आदि।

[अनुवाद]

खाड़ी के देशों द्वारा चावल का आयात

2783. कुमारी पुष्पा देवी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के कुछ देश भारत से चावल का आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से और चावल का आयात करने वाले खाड़ी के देशों के नाम क्या हैं;

(ग) उस सारणीगत एजेंसी का नाम क्या है जिसके माध्यम से इस समय चावल का निर्यात किया जा रहा है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) से (घ) वर्तमान निर्यात नीति में खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत बासमती चावल के निर्यात सारणीबद्ध नहीं किया गया है। गैरबासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं है। 1982-83 से 1984-85 के दौरान बासमती चावल का निर्यात बहरीन, कुवैत, ओमन, कतार, सऊदी अरब अमीरात को किया गया।

"चयनात्मक ऋण नियन्त्रण आदेश" का वापस लिया जाना

2784. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तेल उद्योग और व्यापार संगठन ने किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु "चयनात्मक ऋण नियंत्रण आदेश" वापस लेने के लिए रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) तिलहन और तेल ऐसी आवश्यक वस्तुएं हैं जिन पर कीमतों, उपलब्धता आदि का तुरन्त प्रभाव पड़ता है। इन्हें चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधिकार-क्षेत्र के अधीन रखा जाता है। किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने इनके समर्थन मूल्य निर्धारित किए हैं और भारतीय रिजर्व बैंक समर्थन मूल्य कार्यों में हिस्सा लेने वाली सरकारी क्षेत्र की वसूली एजेंसियों को 15 प्रतिशत की विशेष रियायती दर पर ऋणों की व्यवस्था करता है। अतः मूल्य समर्थन कार्यों के लिए सरकारी क्षेत्र को दिए जाने वाले अग्रिम चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के अन्तर्गत नहीं आते केवल मूल्य समर्थन कार्यों से भिन्न कार्य ही चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन आते हैं। अप्रैल, 1985 में वनस्पति तेलों पर चयनात्मक ऋण नियंत्रणों को युक्तिसंगत बनाया गया और अधिकतम मार्जिन को 85 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया।

राज्यों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2785. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक ने राष्ट्रीय बैंक ने पन्द्रह राज्यों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है;

(ग) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभभोगियों द्वारा गरीबी की सीमा रेखा लांघने के बारे में अध्ययन के परिणाम क्या हैं; और

(घ) कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी राष्ट्रीय बैंक के अध्ययन के अनुसार गरीबी की रेखा लांघने के बारे में पन्द्रह राज्यों की वरीयता क्रम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 15 राज्यों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अध्ययन किया है। गरीबो की रेखा को पार करने के सम्बन्ध में इन राज्यों का क्रम नीचे दिया गया है :—

श्रेणी राज्य का नाम	गरीबी की रेखा पार करने वाले नमूना लाभार्थियों का प्रतिशत
1. पंजाब	86
2. पश्चिम बंगाल	77
3. हरियाणा	76
4. उत्तर प्रदेश	72
5. महाराष्ट्र	65
6. उड़ीसा	52
7. गुजरात	51
8. मध्य प्रदेश	49
9. केरल	39
10. कर्नाटक	32
11. असम	31
12. बिहार	31
13. तमिलनाडु	27
14. आंध्र प्रदेश	26
15. राजस्थान	22

प्रगति मैदान दिल्ली में 'अप्पू घर' में विभिन्न खेलों के टिकट का मूल्य

2786. श्री श्रीहरि राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अप्पू घर में विभिन्न खेलों के लिए टिकटों का मूल्य मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों की पहुंच से बाहर है;

(ख) खेलों का ब्यौरा क्या है और प्रति व्यक्ति टिकट का मूल्य कितना है तथा प्रत्येक खेल कितने समय का है; और

(ग) क्या इन खेलों के लिए टिकटों का मूल्य उचित स्तर तक कम करने का विचार है ताकि गरीब परिवारों के बच्चे भी इन खेलों का आनन्द ले सकें ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

एक मद विशेष के लिए दरें 1 रुपए से 3 रु. के बीच में हैं। तथापि, निम्न आय समूहों के बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ सवारियां नि:शुल्क उपलब्ध हैं। शैक्षणिक तथा समाज कल्याण संस्थाओं के संगठित समूहों के लिए घटी दरों पर पैकेज टिकटों की भी व्यवस्था है।

(ग) दरों को घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के

बच्चों, अशक्त तथा मन्द बुद्धि तथा अन्धे बच्चों के लिए निशुल्क सवारियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं बशर्ते कि वे अपने स्कूलों अथवा समाज कल्याण संस्थाओं द्वारा प्रायोजित समूहों में आयें।

अप्पू घर में खेलों, उनकी टिकट लागत प्रति व्यक्ति अवधि का ब्यौरा

क्रमांक	सवारी/खेल	दर (रु०)	अवधि मिनटों में
1.	अप्पू मेरी गोराउण्ड	10.0	2 मिनट
2.	ब्रूको वेनी ट्रेन	1.00	2 ,,
3.	क्रायन आपरेटिड बेबी फिनर्स	1.00	1 ,,
4.	मिनी एन्टप्राइसेस	2.00	2 ,,
5.	सिनेमा 2000	3.00	15 ,,
6.	ड्रैगनरोलर क्रेस्टर	3.00	35 सैकेण्ड
7.	टेली कम्बैट	3.00	2. 30 मिनट
8.	लाफिंग क्लोन	1.00	1 मिनट
9.	शूटिंग गेलरी	2.00	5 ,,
10.	मसकल मैन	2.00	1 ,,
11.	हारर फिगर्स	2.00	5 ,,
12.	बम्पर बोट	3.00	
13.	बाल रूम	1.00	
14.	स्टार रिंग कार	2.00	3 मिनट
15.	पंच बाल	1.00	1 ,,
16.	स्ट्रककर	1.00	1 ,,

पैकेज दरें

शैक्षणिक संस्थाओं के बच्चों के समूह

(क) 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए 5.00 रु० प्रति बालक

(ख) 8 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए 10.00 रु० प्रति बालक

विश्वेसरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड को हुई हानि

2787. श्री जी० एन० बसवराजू
श्री एच० एन० नञ्जे गौडा
श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर
श्रीमती गीता मुखर्जी
: क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक सरकार के स्वामित्व में चल रही विश्वेसरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड भद्रावती, कर्नाटक को गत कई वर्षों से प्रति-वर्ष करोड़ों रुपये की हानि हो रही है;

(ख) क्या उन्होंने हाल ही में कर्नाटक सरकार के स्वामित्व वाले इस एकक को बचाने के लिए टाटा बन्धुओं से कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या टाटा बन्धुओं ने इस सम्बन्ध में कोई रुचि जाहिर की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) जी हां। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड को घाटा हो रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृत्रिम रेशे और फिलामेंट धागे की खपत

2788. श्री दिग्विजय सिंह : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई कपड़ा नीति के फलस्वरूप कृत्रिम रेशे और फिलामेंट धागे की खपत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या खपत में वृद्धि होने पर इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस नीति में ढील दी जाएगी ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : नीति में मानव निर्मित रेशे तथा फिलामेंट यार्न के उत्पादन और साथ ही उनकी खपत में वृद्धि का ध्यान रखा गया है।

(ख) लाइसेंस नीति के अन्तर्गत जब और जैसे आवश्यक होता है, ऐसे मामलों पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में भरती पर रोक

2789. श्री अनिल बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अनेक मंत्रालयों और विभागों का विचार केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में भरती पर लगाई गई रोक को भविष्य में जारी रखने का है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों और विभाग में कम्प्यूटर लगाये गये हैं; और

(ग) यदि हां तो किन-किन मंत्रालयों/विभागों में ऐसे कम्प्यूटर लगाये गये हैं ?

वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (जनार्दन पुजारी) : (क) भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों को, जहां भर्ती सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही आरम्भ की गई है, उनको छोड़कर रिक्ति को न भरने की सलाह देते हुए जो अनुदेश जनवरी, 1984 में जारी किए गए थे उन्हें आगामी आदेशों तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में पाए गए जीवाश्मों की क्षति

2790. श्री कमल नाथ : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी जिलों में पाये गये 6 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्मों के अमूल्य खजाने को आपूरणीय क्षति हुई है;

(ख) क्या यह क्षति मध्य प्रदेश सरकार की उदासीनता और लापरवाही के कारण हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) :(क) और (ख) कुछ वर्ष जीवाश्मों के गुम होने के बारे में जिला माण्डला (म०प्र०) में एक चोरी का मामला दर्ज हुआ था । सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि राज्य सरकार की उदासीनता या अवहेलना के कारण जीवाश्मों को कोई क्षति हुई है ।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश में मनेन्द्रगढ़ सहित देश में कई जीवाश्म उद्यान स्थापित किए हैं । राज्य सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि वह राज्य के अन्य भागों में, विशेषतया जीवाश्म बहुल भागों में, ऐसे जीवाश्म उद्यान स्थापित करे । ममाले पर आगे कार्रवाई करे । मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है ।

हिन्दी

अवैध खनन के कारण सरकार को हुई हानि

2791. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में विभिन्न खान क्षेत्रों में माफिया गिरोहों द्वारा उत्पन्न आतंक की छत्रछाया में किये जा रहे अवैध खनन के कारण सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84, 1984-85 और 30 जून, 1985 तक वर्ष-वार खान क्षेत्र वार (धनबाद और अन्य स्थानों पर) माफिया गिरोहों से संबद्ध कितने श्रमिक अवैध खनन में लगे हुए थे ;

(ग) सरकार द्वारा कोयले के अवैध खनन तथा माफिया गिरोहों के लोगों की गतिविधियों को रोकने के लिए अब तक क्या उपाय किए गये हैं और क्या यह उपाय सफल रहे हैं; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार का माफिया गिरोह के विरुद्ध बड़े पैमाने पर अभियान आरंभ करने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में 1976 में यह संशोधन किया गया था कि, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर, कोई अन्य व्यक्ति भारत में किसी भी रूप में कोयले का खनन कार्य नहीं कर सकता इस संशोधन के द्वारा कोयले के खनन या खुदाई के लिए गैर-सरकारी पार्टियों को दिए गए सभी लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे । केवल उन गैर-सरकारी पार्टियों के लाइसेंस रद्द नहीं किए गए थे जो लोहा और इस्पात का उत्पादन करती हैं । इसके द्वारा कोयले के गैर-कानूनी खनन को एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है और इसके लिए तीन वर्ष तक की कैद तथा रुपए 20,000 तक का जुर्माना हो सकता है । उच्चतम न्यायालय ने अपने 11.4.1980 तथा 7.5.1980 के निर्णयों में इन प्रावधानों को वैध ठहराया है ।

इन निर्णयों के बाद कोयले का गैर-कानूनी खनन एक बड़ा हद तक बन्द कर दिया गया है । फिर भी, कोयला पट्टी बहुत विशाल है और कुछ लोग कभी-कभी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं और कोयले की गैर-कानूनी खुदाई करते हैं । चूंकि कोयले का गैर-कानूनी खनन छुटपुट और चोरी-छिपे किया जाता है इसलिए ऐसी गतिविधियों का कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता ।

राज्य सरकारों और कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि वे इस सम्बन्ध में अपराधियों के खिलाफ समेकित कारंवाई करें। राज्य सरकारों ने जिला प्राधिकारियों को यह आदेश जारी कर दिए हैं कि वे भारतीय दंड संहिता के साथ कथित अधिनियम के अधीन दंड की और रोकथाम की कारंवाई करें। कोयला कम्पनियों से यह भी कहा गया है कि वे कोयले के गैर-कानूनी खनन के मामले जब और जैसे पता चलें तो सम्बन्धित अधिकारियों को उनकी रिपोर्ट करें।

[अनुवाद]

वर्ष 1985-86 के बजट में घाटा

2792. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् से वर्ष 1985-86 के बजट सम्बन्धी घाटे में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले तीन महीनों के दौरान बढ़ने वाले इस अन्तर का अनुमान लगाया है?

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन-किन प्रमुख कारणों से बजट सम्बन्धी घाटे में वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) वर्ष 1985-86 के बजट में दिखाया गया घाटा वर्ष के अन्त में होने वाला अनुमानित घाटा है। केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और व्यय का दिन प्रतिदिन का सह सम्बन्ध नहीं बिठाया जाता, और वर्ष के दौरान किसी समय विशेष के घाटे और वर्ष के अन्त में होने वाले सम्भाव्य घाटे के बीच कोई निश्चित परिमाणात्मक सम्बन्ध नहीं होता। संशोधित अनुमान तैयार करने के समय वर्ष के अंत में होने वाले घाटे का नया अनुमान लगाया जाता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मन्द-कछार क्षेत्र के निकट कोयला भण्डारों का सर्वेक्षण

2793 श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में मन्द कछार क्षेत्र के निकट कोयला भंडारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण आरम्भ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कोयले की उपलब्धता के बारे में स्थिति क्या है; और

(ग) क्या मन्द ताप विद्युत केन्द्र को इस क्षेत्र से कोयले की सप्लाई के बारे में अन्यों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाएगी ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सामूहिक बीमा योजना

2794. श्री एम० अरुणाचलम : क्या वित्त मन्त्री कनिष्ठ लेखा अधिकारियों की तुलना में सहायकों को मिलने वाले सामूहिक बीमा योजना के लाभ के सम्बन्ध में दिनांक 3 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5104 के उत्तर के भाग (क) के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकृत और नियंत्रण अपील नियम) नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय कर्मचारियों के कौन-कौन से समूह हैं; और

(ख) वे मानदण्ड/धारा क्या हैं जिनके आधार पर ये वर्गीकरण (समूह) बनाये गये हैं अथवा किस आधार पर सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकृत और नियंत्रण अपील नियम) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 में सरकारी कर्मचारियों का चार समूहों अर्थात् समूह "क", समूह "ख", समूह "ग", तथा समूह "घ", में समूहीकरण करने की व्यवस्था है।

(ख) इन वर्गीकरणों का मानदण्ड/आधार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को अधिसूचना सं. 21/2/74 "संस्था. (डी.), दिनांक 11 नवम्बर, 1975 में दिया गया है जिस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है [ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल०टी० 137/5/85]

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन परिषद के कर्मचारियों की मांगें

2795. **श्री मानिक सन्याल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन परिषद के कर्मचारियों ने हाल ही में सरकार को अपनी मांगों का कोई मांगपत्र प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उस मांग पत्र की मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) उक्त मांगपत्र के विषय में सरकार का क्या दृष्टिकोण है;

(घ) क्या उक्त मांगपत्र पर पार्टियों के बीच शीघ्र ही कोई समझौता वार्ता किए जाने की सम्भावना है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो ब्यौरे सहित इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सभी निर्यात संवर्धन परिषदों के कर्मचारियों की फैडरेशन की ओर से इसके अध्यक्ष, श्री के० राममूर्ति, संसद सदस्य से मांगपत्र का उल्लेख करने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(i) वेतनमानों/मंहगाई भत्ते/मकान किराया भत्ते/नगर प्रतिपूरक भत्ते में संसोधन;

(ii) समय-मान पदोन्नतियाँ;

(iii) 20% पर अनुग्रह राशि;

(iv) फैडरेशन की मान्यता;

(v) स्थायी वार्ताकारी मशीनरी का गठन;

(vi) एम० डी०ए० का अहस्तक्षेप।

(ख) से (च) इन मांगों पर बार बार विचार किया गया है। निर्यात संवर्धन परिषदें स्वागत निकाय हैं जो भारतीय कम्पनी अधिनियम/सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत हैं। ये पृथक अस्तित्व के साथ स्वतन्त्र संगठन हैं और अपनी संबंधित प्रबन्ध समितियों द्वारा

प्रभावित होते हैं। अतः कर्मचारियों की समस्याओं पर आवश्यक तौर पर कर्मचारियों द्वारा संबंधित परिषदों की मैनेजमेंट के साथ विचार-विमर्श किया जाना है। इन परिस्थितियों में, सरकार द्वारा विभिन्न परिषदों की फेडरेशन की मान्यता आवश्यक नहीं समझी जाती। इसे देखते हुए एक स्थायी वार्ताकारी मशीनरी के गठन का प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड से 109 करोड़ रुपए की वसूली

2796. श्री राम भगत पासवान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1983 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने के पश्चात भी मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड से 109 करोड़ रुपए की पूरी राशि वसूल नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत आई० टी० सी० लिमिटेड के विरुद्ध न्याय निर्णयाधीन पड़े तैतीस मामलों में से प्रत्येक का ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने बाम्बे टायर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के मामले में अक्तूबर, 1983 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 के अधीन उत्पादन शुल्क माल के शुल्क-निर्धार्य मूल्य की संगणना के सम्बन्ध में सिद्धान्त निर्धारित किये थे। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि उक्त निर्णय को मद्‌देनजर रखकर अलग-अलग अपीलों, रिट याचिकाओं विशेष अनुमति याचिकाओं और अन्तरित मामलों को समुचित आदेशों के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। मैसर्स आई० टी०सी० लिमिटेड के मामले उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में अन्तिम निर्णय हेतु विचाराधीन हैं। इस बात का पता केवल न्यायलयों के निर्णय के बाद ही चल पाएगा कि "निर्माणोत्तर खर्चों" के सम्बन्धी छोक नहीं देकर शुल्क निर्धार्य मूल्य में संशोधन किये जाने के परिमाणतः उक्त कम्पनी से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कितनी निश्चित राशि प्राप्त होगी। मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड ने "निर्माणोत्तर खर्चों" के सम्बन्ध में अपनी शुल्क देयता के रूप में तदर्थ आधार पर अबतक 21 करोड़ रुपये अदा किये हैं।

(ग) मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड के खिलाफ जारी किये गये 33 कारण बताओ नोटिसों पर न्यायनिर्णयन की कार्यवाही चल रही है। इन 33 कारण बताओ नोटिसों का संबंध, शुल्क-निर्धार्य मूल्य की संगणना, स्लाइड, हिंजेज स्लीव, शेल, कटे हुए तम्बाकू आदि जैसे उत्पादों के वर्गीकरण तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली के उपबन्धों के आम उल्लंघन जैसे मुद्दों से है। प्रत्येक 33 मामलों का ब्योरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

इण्डियन ओवरसीज बैंक की विदेशों में शाखाएं

2797. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कार्यरत इंडियन ओवरसीज बैंक की कितनी शाखाएं हैं, उनमें कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा उन अधिकारियों में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) विदेशों में स्थित बैंकों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को भेजने के लिये क्या मापदण्ड अपनाये जाते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इण्डियन ओवरसीज

बैंक ने सूचित किया है कि विदेशों में बैंक की 12 शाखाओं में इस समय 4 कार्यपालकों सहित 52 प्रवासी अधिकारी कार्य कर रहे हैं और इनमें से एक अनुसूचित जाति का अधिकारी सहायक लेखाकार के रूप में हांग कांग में तैनात है।

(ख) विदेश भेजने का मानदण्ड जिस रूप में सामान्य श्रेणी के अधिकारियों पर लागू होता है उसी रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों पर भी लागू होता है, ऐसी नियुक्तियों के लिए अन्य अधिकारियों के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पात्र अधिकारियों पर भी विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों में शीर्ष निकाय की स्थापना

2798. श्री एस०एम० भट्टम : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता और ऋण और सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक शीर्ष निकाय की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) देश में प्रत्येक राज्य में हथकरघा परिवारों की संख्या क्या है;

(ग) क्या हथकरघा बुनकरों की निर्धनता की दयनीय परिस्थितियों के बारे में कोई सर्वेक्षण अथवा निर्धारण किया गया है; और

(घ) उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लाभकारी कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) बुनकरों के परिवारों की संख्या से सम्बन्धित राज्यवार जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि विभिन्न राज्यों में करघों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार द्वारा विगत में कभी सर्वेक्षण नहीं किया गया। तथापि अखिल भारतीय आधार पर जनगणना का आयोजन किया जा रहा है।

(घ) विकास योजनाओं का लक्ष्य बुनकरों का आर्थिक स्तर सुधारने, जिसमें सहकारिता/निगमों के रूप में संगठनात्मक अवस्थापना शामिल है, तथा उन्हें सहायता प्रदान करना, ब्लैण्डिड फेब्रिक्स की बुनाई को प्रोत्साहन, आधुनिकीकरण सहायता, हथकरघा उत्पादों की फिनिश सुधारने की संसाधित सुविधाएं उत्पन्न करने आदि की ओर हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को जैसे मितव्ययिता कोष योजना तथा वर्कशेड-सह-गृह योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

विवरण
करघों का वितरण

(हजारों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य	करघों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	529
2.	असम	200*

(जारी…)

1	2	3
3.	बिहार	100
4.	गुजरात	20
5.	हरियाणा	41
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू तथा कश्मीर	37
8.	कर्नाटक	103
9.	केरल	95
10.	मध्य प्रदेश	33
11.	महाराष्ट्र	80
12.	मणीपुर	100*
13.	मेघालय	5*
14.	नागालैंड	20*
15.	उड़ीसा	105
16.	पंजाब	21
17.	राजस्थान	144
18.	सिक्किम	उ०न०
19.	तमिलनाडु	556
20.	त्रिपुरा	100
21.	उत्तर प्रदेश	509
22.	पश्चिम बंगाल	212
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	उ०न०
24.	अरूणाचल प्रदेश	उ०न०
25.	चंडीगढ़	उ०न०
26.	दादर और नागर हवेली	उ०न०
27.	दिल्ली	5
28.	गोआ दमन और दीव	उ०न०
29.	मिजोरिम	उ०न०
30.	लक्षद्वीप	उ०न०
31.	पांडीचेरी	4
	योग :	3020

(हिंदी)

गुजरात में दंगों के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों को हुई सम्पत्ति की हानि

2799. श्री छीतूभाई गामित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों को गुजरात में आरक्षण-विरोधी आंदोलन और साम्प्रदायिक दंगों

के परिणामस्वरूप मार्च, 1985 से जून, 1985 के दौरान सपत्ति की कितनी हानि हुई तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक को किस प्रकार की हानि हुई और उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) गुजरात में आंदोलन और उपद्रवों के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ शाखाओं को भारी हानि हुई है। यह हानि मुख्य रूप से बैंकों के परिसरों में आग लगाये जाने और पत्थर फेंकने से फर्नीचर और फिक्सचर के नुकसान के कारण हुई है। यद्यपि इस संबंध में पूरा ब्यौरा अभी प्राप्त होना है फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक को हुई हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

बैंक का नाम	प्रभावित शाखा का नाम और जिला	अनुमानित हानि रु०
1	2	3
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1. पालड़ी (अहमदाबाद)	60,000
	2. आयो जाननगर (अहमदाबाद)	6000
	3. इन्सानपुर (अहमदाबाद)	(नगण्य)
केनरा बैंक	1. साबरमती	उपलब्ध नहीं
	2. मनीनगर	
	3. ओल्ड सचिवालय	
बैंक आफ महाराष्ट्र	1. नवरंगपुरा	12000/-
	2. गटलोडिया	25000/-
यूनाइटिड कमर्शियल बैंक	1. सेंट जेवियर्स हाई स्कूल (अहमदाबाद)	750/-
	2. दिल्ली दरवाजा	1000/-
बैंक आफ इंडिया	1. नारनपुरा (अहमदाबाद)	40000/-
	2. मनीनगर (अहमदाबाद)	1,00,000/-
	3. पालड़ी (अहमदाबाद)	2,75,000/-
	4. रामपुरा (सूरत)	40,000/-
देना बैंक	1. मनीनगर (वेस्ट) (अहमदाबाद)	1,50,000/-
	2. गोमतीपुर (अहमदाबाद)	5,000/-
	3. मंगल बाजार (बड़ौदा)	1,500/-
	4. लालू भाई गाकला (बड़ौदा)	3,000/-
	5. धारंगधरा (भावनगर)	2,500/-
यूनियन बैंक आफ इंडिया	1. नरोदा (अहमदाबाद)	35000/- से 50000/-
	2. दीसा (बनासकांठा)	25000/- से 35000/-
	3. यासना (अहमदाबाद)	नगण्य
	4. रामपुरा (सूरत)	2000/- से 4,000/-
	5. हरीपुरा (सूरत)	50000/- से 55000/-

1	2	3
बैंक आफ बड़ौदा	1. साबरमती (अहमदाबाद)	3500000/-
	2. भेरवनाथ रोड़, मनीनगर (अहमदाबाद)	74132/-
	3. सिद्धपुर (मेहसना)	2500/-
	4. विसनगर मेन (मेहसना)	1000/-
	5. अम्बलियसिन	50/-
	6. संथपिपली (केरा)	18060/-
	7. क्षेत्रीय कार्यालय आनन्द	4000/-
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1. नारनपुरा	15000/-
	2. कनकरैया	150000/-
	3. नवा वदाज (अहमदाबाद)	45000/-

[अनुवाद]

इस्पात का निर्यात

2800. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत से जिन देशों को इस्पात का निर्यात किया गया उनके नाम क्या हैं; और

(ख) इसका वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में इस्पात के किये गये निर्यात का वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

मात्रा : टनों में

जहाज तक निष्प्रभार कीमत : मिलियन रुपये

देश	के दौरान निर्यात					
	1982-83		1983-84		1984-85	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
1	2	3	4	5	6	7
आस्ट्रेलिया	23*	0.09	14*	0.06		
चीन	—	—			17570	33.26
मिश्र	—	—	9776	19.88	19756	49.00
हांगकांग	—	—			38048	86.52
जापान	10975	19.99	14613	32.56	—	—
नार्वे	3	0.03				
फिलीपीन्स	3	0.05				
तनजानिया	19	0.29	24	0.26		

(...जारी)

1	2	3	4	5	6	7
अमरीका	32	0.25				
सोवियत संघ					78038	175.39
वियतनाम	503*	2.23	495**	2.85		

*धुरे

**टायर

देश में रबड़ की मांग और उत्पादन

2801. श्री टी० बशीर
प्रो० पी० जे० कुरियन
प्रो० के० वी० थामस
: क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गत तीन वर्षों के दौरान रबड़ का वर्ष-वार और राज्यवार कितना उत्पादन हुआ था;

(ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान रबड़ की मांग कितनी थी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना रबड़ कम अथवा अधिक हुआ था;

(घ) इस समय कितने खेत में रबड़ की खेती होती है और उसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है;

(ङ) इस समय भारत में रबड़ का मूल्य क्या है;

(च) उसका गत तीन वर्षों के दौरान मूल्य क्या रहा है और इसी अवधि के दौरान वर्ष-वार उसका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य क्या रहा है;

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना रबड़ आयात किया गया और अब कितनी मात्रा में रबड़ आयात करने का विचार है; और

(ज) क्या इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में रबड़ का उत्पादन, वर्ष-वार तथा राज्य-वार निम्नोक्त प्रकार है:—

(मे० टनों में)

राज्य	1982-83	1983-84	1984-85
केरल	1,52,662	1,62,212	1,72,092*
तमिलनाडु	9,700	9,736	10,603*
कर्नाटक	3,070	2,785	3,095*
अन्य	418	547	660*
योग :	1,65,850	1,75,280	1,86,450*

* अनन्तिम

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रबड़ की आन्तरिक मांग निम्नोक्त प्रकार हो चुकी है :—

(मे० टनों में)

वर्ष	उपभोग
1982-83	1,95,545
1983-84	2,09,480
1984-85	2,17,510

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कमी निम्नलिखित प्रकार रही :—

(मे० टन)

1982-83	30,000
1983-84	34,000
1984-85	31,000

(घ) 1984-85 के अन्त में रबड़ के अन्तर्गत क्षेत्र अनुमानतः 3.20 लाख हेक्टेयर है तथा 1984-85 के दौरान प्रति हेक्टेयर उपज अनुमानतः 890 किग्रा है।

(ङ) जुलाई, 1985 में भारत में रबड़ का औसत मूल्य निम्नलिखित प्रकार था :—

लाट रबड़ — 1692 रु० प्रति क्विंटल

आर एम ए-4 --- 1744 रु० प्रति क्विंटल

(च) गत तीन वर्षों के दौरान भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक रबड़ का औसत मूल्य निम्नलिखित प्रकार था :

(प्रति क्विंटल रु० में)

	कोट्टायम		कुआलालम्पुर (मलयेशिया)
वर्ष	लाट रबड़	आर एम ए-4	आर एस एस-4
1982-83	1409	1440	753
1983-84	1708	1751	1083
1984-85	1587	1655	927

(छ) गत तीनवर्षों के दौरान आयातित तथा अब प्रस्तावित आयातित रबड़ की मात्रा निम्नलिखित प्रकार है :—

वर्ष	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित (मे० टन)
1982-83	31659
1983-84	32175
1984-85	32408
1985-86	29000 (प्रस्तावित)

(ज) सरकार को प्राकृतिक रबड़ के आयात पर रोक लगाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ऊपर दिए गए आंकड़ों से, यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन मांग के साथ आनुपातिक नहीं है तथा, इसलिए, मांग-पूर्ति के अन्तर का पूरा करने के लिए प्राकृतिक रबड़ का आयात करना पड़ेगा।

विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारत द्वारा भाग लेना

2802. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में भारत ने बाहर के जिन देशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लिया उनकी संख्या तथा नाम का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष रूप से इस जिन्स व्यापार मेलों में भाग लेने के प्रमुख लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मेले तथा देश से वर्ष-वार यदि कुछ विदेशी मुद्रा कमाई गई है तो कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाना है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1776/85]

(ख) विदेशों में मेलों में भाग लेने के उद्देश्य वर्तमान निर्यातों का विकास करना नई मदें आरम्भ करने की संभाव्यताओं का पता लगाना और औद्योगिक, प्रोद्योगिकीय, प्रबन्धकीय और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारतीय क्षमता का प्रचार करना था।

निर्यात आयात बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए दिये गये आवेदन पत्रों को अस्वीकार करना

2803. **श्री. वी० तुलसीराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के निर्यात-आयात बैंक ने रियायती शर्तों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये निर्यात प्रधान इकाइयों से प्राप्त 50 प्रतिशत आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) ऋण को मंजूर करने और आवेदनपत्रों को अस्वीकार करने के लिये क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं ; और

(ग) आन्ध्रप्रदेश से ऐसे कितने आवेदन-पत्रों को मंजूर/अस्वीकार किया गया है ?

वित्तीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) इस योजना में 1.5:1 के ऋण ईक्विटी अनुपात और परियोजना की लागत में प्रवर्तकों के कम से कम 20 प्र.श. अंशदान जैसे कुछ मानदंड रखे गए हैं। इसके आवेदकों को अपनी-अपनी परियोजनाओं की तकनीकी, आर्थिक, वित्तीय तथा विपणन संबंधी अर्थक्षमता सिद्ध करनी होती है। दो करोड़ रुपए से कम लागत वाली परियोजनाओं के मामले में आवेदन पत्रों पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विचार किया जाता है जबकि भारतीय निर्यात-आयात बैंक, बैंकों के लिये पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है।

(ग) आंध्र प्रदेश से प्राप्त तीन आवेदन-पत्रों में से एक आवेदन-पत्र, प्रवर्तकों द्वारा वापस ले लिया गया था और दूसरा आवेदन 2 करोड़ रुपए से कम लागत वाली परियोजना का था और प्रवर्तकों से कहा गया है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक, पुनर्वित्त के प्रश्न पर वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से विचार करेगा। तीसरा आवेदन पत्र रद्द कर दिया गया था।

केरल के रबड़ उगाने वालों द्वारा रबड़ आयात पर प्रतिबंध की मांग

2804. श्री के० मोहनदास : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के रबड़ उगाने वालों ने सरकार से रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) जी हां।

(ख) प्राकृतिक रबड़ का घरेलू उत्पादन मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। प्राकृतिक रबड़ की मांग और सप्लाई स्थिति की समीक्षा समय-समय पर की जाती है प्राकृतिक रबड़ का आयात वास्तविक मांग सप्लाई के अंतराल तक सीमित है।

नेल्को और बाल्को, उड़ीसा में स्थानीय लोगों को रोजगार

2805. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल अल्यूमीनियम कम्पनी ने सरकार उद्यम ब्यूरो के मार्गनिदेशों के आधार पर उड़ीसा में दामनजोड़ी में अल्यूमीनियम संयंत्र में अब तक कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है;

(ख) क्या प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया का अनुसरण इस प्रकार किया गया है कि इस संयंत्र में रोजगार की विभिन्न श्रेणियों में पूरे कोरापुट जिले को शामिल किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाई गई प्रक्रिया और संबंधित प्राधिकारी को सूचित की गई प्रक्रिया क्या है; और

(घ) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी ने भी स्थानीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर देने के लिये इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) लोक उद्यम ब्यूरो के मार्गदर्शी नियमों के आधार पर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० ने दामदजोड़ी सेक्टर में विभिन्न श्रेणियों में 492 व्यक्तियों को रोजगार दिया है। सरकारी नीति के अनुसार राष्ट्रीय एकता के हित में, कर्मचारियों का राज्य-वार तथा जिला-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(ख) और (ग) अधिकतर 800/-रु० (हाल में संशोधित 1250/-रु०) वेतनमान वाले सभी पदों की रिक्तियां स्थानीय रोजगार कार्यालय, कोरापुट को सूचित की जाती हैं तथा उस कार्यालय द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों में से कर्मचारियों का चयन किया जाता है। जब कोरापुट रोजगार कार्यालय किसी पद के बारे में "उम्मीदवार सुलभ नहीं प्रमाण पत्र" जारी कर देता है तो रिक्तयों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांगों हेतु, भुवनेश्वर में स्थित विशेष रोजगार कार्यालय तथा भूतपूर्व सैनिकों तथा युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए जिला सैनिक बोर्ड को अधिसूचित किया जाता है। अकुशल कामगारों के मामले में वरियता उन परिवार के नामितों को दी जाती है, जिनकी जमीनें और मकान संयंत्र की स्थापना हेतु अधिग्रहीत कर लिए गए हैं या अधिग्रहीत किए जाने की संभावना है। अन्य श्रेणियों के स्टाफ, जैसे पयर्वेक्षक या कार्यवाही काडर के लिए रिक्तियां सामान्यतः स्थानीय और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित की जाती हैं। रोजगार स्थिति की सावधिक रिटर्न कोरापुट रोजगार कार्यालय को भेजी जाती हैं।

(घ) जी, हां।

कोल इंडिया लि० के पास कोयले का भंडार

2806. श्री माधव रेड्डी
श्री एम० रघुमारेड्डी
श्री मनोरंजन भक्त
: क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० के पास पिछले वर्ष अर्थात् 1983-84 के अन्त में कोयले के भंडार की तुलना में वर्ष 1984-85 के अंत में इसी अवधि में कोयले का कितना भंडार था तथा 1 जून, 1985 को कोयले का कितना भंडार था;

(ख) क्या 1 जून, 1985 को ताप विद्युत संयंत्रों को लदान किये जाने के लिये कोयले का कुछ भंडार खदानों के मुहाने पर/रेलवे स्टेशनों पर पड़ा था; और

(ग) यदि हां, तो उस भंडार का विवरण क्या है, और इस कोयले को इसके अन्तिम गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में हुई देरी के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) वर्ष 1984-85 के अंत में कोल इंडिया लि० के पास कोयले का स्टाक और उसकी तुलना में 1983-84 के अंत में कोयले का स्टाक तथा पहली जून, 1985 को कोयले के स्टाक के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(आंकड़े मिलियन टनों में)

कोल इंडिया लि० में खान-मुहाना स्टाक

31.3.1985 को	31.3.1984 को	1.6.1985 को
29.42	21.29	25.07

(ख) और (ग) दिनांक 1.6.1985 को कोल इंडिया लि० की रेल से जुड़ी कोलियरियों में कोयले का स्टाक 1,58,39,000 टन था। अप्रैल-जुलाई, 1985 की अवधि में कोल इंडिया लि० की कोलियरियों में कोयले का औसत दैनिक लदान लगभग 2,39,980 टन रहा। आमतौर पर रेल साइडिंगों में रेल-लदान के लिए एक हफ्ते की जरूरत का कोयला रखा जाता है किन्तु यह स्टाक वहां स्थान की उपलब्धि और परिवहन साधन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

रेल द्वारा कम ढुलाई होने के कारण नीचे दिए गए है :—

(1) वैगनों और रेल क्षमता की अपर्याप्त उपलब्धि

(2) उपभोक्ताओं द्वारा वैगन कम खाली करना।

(3) कुछ कोलियरियों में कोयला कम उपलब्ध होना।

बिजलीघरों और अन्य उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे वैगन जल्दी-जल्दी खाली किया करें ताकि अधिक लदान संभव हो सके। इस बात के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि विशेष रूप से जहां स्टाक अधिक है उन क्षेत्रों मे कोयले का प्रेषण बढ़ाया जाए। रेलवे से अनुरोध किया जा रहा है कि वे सरकार द्वारा निश्चित लक्ष्य के अनुसार वैगन सप्लाई करें। इसी प्रकार, कोयला कंपनियों से कहा गया है कि वे कोयला का लदान और प्रेषण के लिए कोयले के प्रस्ताव बढ़ाएं। रेलवे और कोयला कंपनियों के अधिकारियों की कलकत्ता में साप्ताहिक बैठकें भी की जा रही हैं जिनमें कोयले के लदान और प्रेषण की स्थिति की समीक्षा की जाती है।

बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में वृद्धि

2807. श्री राम स्वरूप राम
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अधीन पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों ने चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसे बनाए रखा जाएगा और इसमें और सुधार किया जाएगा ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जिन कारणों से उत्पादन में वृद्धि हुई है, वे हैं :—बेहतर प्रौद्योगिकीय प्रबन्ध, कुछ कारखानों में आयातित कोयले का लगातार इस्तेमाल और भिलाई इस्पात कारखाने में विस्तार-इकाइयों में से कुछ इकाइयों को चालू करना।

(ग) जी, हां। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के कारखानों (इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भी शामिल है) के वर्ष 1985-86 के लिए विक्रेय इस्पात के उत्पादन कार्यक्रम में वर्ष 1984-85 के उत्पादन की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गयी है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:—

	(लाख टन)
वर्ष 1985-86 के लिए उत्पादन कार्यक्रम	59.6
1984-85 के दौरान हुआ उत्पादन	52.8
वर्ष 1984-85 के उत्पादन की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	13 प्रतिशत

[हिन्दी]

पश्चिम कोयला क्षेत्रों से स्फोटकों (डेटोनेटरों) का गुम होना

2808. श्री बिलास मुत्तेमवार
श्री मुकुल वासनिक } : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी सूचना मिली है कि पश्चिमी कोयला क्षेत्रों से स्फोटक (डेटोनेटर) गुम हो गये हैं;

(ख) इसके लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की सुकरी कोलियरी में डिटोनेटरों में कमी होने की रिपोर्ट मिली है।

(ख) मैगनीज प्रभारी श्री कुन्थुनाथ जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। मैगजीन के चौकीदार को भी निलम्बित किया गया है और उसे आरोप-पत्र दिया गया है।

(ग) कोयला कंपनियों को निदेश दिए गए हैं कि विस्फोट पदार्थों और डिटोनेटरों की सावधानी से सुरक्षा की जाए और स्टाकों का नियमित सत्यापन किया जाए।

पकड़े गए तस्करी के माल का मूल्य

2809. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत छः महीनों के दौरान पकड़े गए तस्करी के माल का मूल्य और उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सबन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ख) जनवरी से जून, 1985 की अवधि के दौरान पकड़े गए तस्करी के माल की मुख्य-मुख्य मदों के ब्यौरे और सीमाशुल्क अधिनियम के तहत तस्करी के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नोक्त है:—

	(मूल्य करोड़ रुपयों में)
सोना	28.45
घड़ियां	3.78
संश्लिष्ट फैब्रिक	9.22
भारतीय/विदेशी मुद्रा	3.45
अन्य	40.77
	85.67

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या: 1300*

(*आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ग) तस्करों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। सीमाशुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तंत्र को कर्मचारियों और उपकरणों की दृष्टि से सुदृढ़ बना दिया गया है। इसके अलावा, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के संबंधित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके, अल्पावधिक और दीर्घावधिक दोनों प्रकार के तस्करी निवारण संबंधी समुचित उपाय किए जाते हैं। यथोपेक्षित समुचित उपचारी कार्रवाई करने के लिए तस्करी और अभिग्रहणों की प्रवृत्तियों की सतत समीक्षा की जाती रहती है।

विदेशी मुद्रा भंडार

2810. श्री रणजित सिंह गयाकवाड : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 को विदेशी मुद्रा का कितना भंडार था :

(ख) 31 मार्च, 1984 को विदेशी मुद्रा का कितना भंडार था;

(ग) क्या इसमें वृद्धि हुई है अथवा कमी आई है; और

(घ) यदि कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारत को विदेशी मुद्रा भंडार में (सोने तथा विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर), जो 31 मार्च, 1984 को 5497.85 करोड़ रुपए का था उसमें 1318.93 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई और इस प्रकार 31 मार्च, 1985 को वह बढ़ कर 6816.78 करोड़ रुपए का हो गया।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

इस्पात उद्योग में संयुक्त क्षेत्र/निजी क्षेत्र के एककों को प्रोत्साहन देने के कदम

2811. श्री पी० आर० कुमार मंगलम : क्या इस्पात खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा संयुक्त क्षेत्र/निजी क्षेत्र के मध्यम श्रेणी के इस्पात एकक को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं, ताकि इस्पात उत्पादन के अन्तर को समाप्त किया जा सके और देश अगले कुछ वर्षों में इस्पात के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो सके;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं

(ग) क्या यह वांछनीय समझा जाता है विशेषत: जबकि सरकारी क्षेत्र में धन की कमी है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) से (ङ) इस समय भारत सरकार की साझेदारी से संयुक्त क्षेत्र के इस्पात उद्योग में मध्यम आकार की इकाइयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस्पात उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में इस बात की व्यवस्था है कि निजी क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र (राज्य सरकारें तथा गैर-सरकारी क्षेत्र) इस्पात उद्योग में मध्यम आकार की इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं।

क्षमता के बेहतर उपयोग, वर्तमान इस्पात कारखनों के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकीय उन्नयन वर्तमान इस्पात कारखानों के विस्तार तथा इस्पात बनाने की नई क्षमता की स्थापना से इस्पात के देशीय उत्पादन में वृद्धि करके आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क नियंत्रण बोर्ड द्वारा पकड़े माल का मूल्यांकन

2812. श्री शरद दिघे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों में सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क नियंत्रण बोर्ड

सी० बी० आई०सी० द्वारा तस्करी विरोध में पकड़े गए माल का क्या मूल्य है; और

(ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान के आंकड़ों की तुलना में इसका क्या मूल्य है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1985 की प्रथम और द्वितीय तिमाही और वर्ष 1984 की तदनुरूपी अवधि में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभिगृहीत किए गए तस्करी के माल का मूल्य निम्नोक्त है :—

	अभिग्रहणों का कुल मूल्य (करोड़ रुपयों में)	
	1984	1985*
प्रथम तिमाही	28.39	47.38
द्वितीय तिमाही	22.71	38.29

* आंकड़े अतिम हैं।

ब्रिटेन और जापान द्वारा भारत को सहायता में कमी करने का निर्णय

2813. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन और जापान ने भारत को दी जाने वाली सहायता में कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्य कारण क्या है;

(ग) इस कटौती से किन-किन परियोजनाओं के प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) क्या भारत ने इन दोनों देशों से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(च) उनके द्वारा सहायता में कटौती को ध्यान में रखते हुए किन वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जा रहा है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यू० के० अथवा जापान की ओर से, भारत को दी जाने वाली सहायता में कमी करने के किसी फैसले के संबंध में भारत सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (च) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से उधार ली गयी राशि पर ब्याज का न लगाया जाना

2814. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन करके उधार दी गई राशि पर तिमाही ब्याज न लगाए जाने से कई लाख रुपए का नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नियमों का पूरी तरह पालन किये जाने और धन वसूल करने

के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) बैंक के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध इस संबंध में क्या दण्डनीय कर्यवाही की गयी है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) यह कहना सही नहीं है कि रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों को लाखों रुपयों की हानि होती है। अग्रिमों के ब्याज की दरों पर रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक तिमाही पर इससे अधिक समय पर ब्याज दे सकते हैं। लेकिन सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंक सामान्यत: तिमाही आधार पर ब्याज लेते हैं लेकिन इस संबंध में ये अपवाद हैं-(क) जब अग्रिम कृषि अग्रिम हो और बकाया ऋण/किस्त अतिदेय न हो गई हो या (ख) जब संबंधित एकक किसी अनुमोदित वित्त पोषण कार्यक्रम के अधीन रुग्ण एकक हो और (ग) जब परस्पर समझौता किया जा रहा हो।

बैंकों में आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रणाली विद्यमान है। उचित दरों पर ब्याज लेने और अन्तराल के संबंध में बैंक के लेखा परीक्षक और आंतरिक निरीक्षकों द्वारा नजर रखी जाती है। और यदि कोई त्रुटियां पायी जाती हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए कारंवाई की जाती है। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण के दौरान यदि ऐसे मामले आते हैं तो आवश्यक उपचारात्मक कारंवाई के लिए बैंकों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट कर दिया जाता है। दोषी बैंक कर्मचारियों के खिलाफ बैंकों द्वारा उचित करंवाई किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

बम्बई में शेयर ब्रोकरों के कार्यालयों पर छापे

2815. **श्री थम्पन थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने बम्बई स्टाक एक्सचेंज भवन में स्थिति 20 से अधिक शेयर ब्रोकरों के कार्यालयों पर हाल ही में छापा मारा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या शेयर ब्रोकरों के कई कार्यालय सील कर दिए गए थे; और

(ग) शेयर ब्रोकरों के सील किए गए कार्यालयों का ब्यौरा क्या है तथा तलाशी के दौरान कुल कितनी नकद राशि पाई गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) आयकर प्राधिकारियों ने 4.7.1984 को बम्बई स्टाक एक्सचेंज बिल्डिंग में स्थित केवल पाँच शेयर दलाली के कार्यालयों की तलाशी ली थी। इनमें से दो कार्यालय 4.7.1985 को सील कर दिये गये थे जिन्हें बाद में खोल कर तलाशी ली गयी थी। सील किये गये कार्यालयों के ब्यौरे निम्न के प्रकार से हैं :-

(i) देवी प्रसाद गोयंका, 208, स्टाक चक्सचेंज बिल्डिंग, दलाल स्ट्रीट बम्बई।

(ii) सत्यनारायण खेतान, केबिल नं० 15, 5 वाँ तल स्टाक एक्सचेंज बिल्डिंग, दलाल स्ट्रीट, बम्बई।

शेयर-दलालों के कार्यालय परिसरों की तलाशी के दौरान, 97,593/- रुपये की नकदी मिली।

विदर्भ, महाराष्ट्र में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करना

2816. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में सूरजगढ़ में लौह अयस्क के निक्षेपों के आधार पर 25 लाख टन की क्षमता के एक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने के लिए मेटलर्जीकल एंड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड "मैकन" ने मई, 1975 में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को एक शक्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस मामले पर कोई लिखा-पढ़ी नहीं की गयी।

पूंजी निर्गम (कैपिटल इशू) में श्रमिकों के लिए आरक्षण

2817. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब पूंजी निर्गम के लिए मंजूरी निर्गम का पांच प्रतिशत फर्म के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए आरक्षित करने पर दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या मजदूर संघों द्वारा यह योजना स्वीकार कर ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो श्रमिकों का उद्योगों में ये कार्य कर रहे हैं उनमें श्रमिक शेयर होल्डिंग लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) पहली अगस्त, 1985 को सभा-पटल पर जो मार्ग निर्देश रखे गए थे, उनके अनुसार कम्पनियों को यह परामर्श दिया जाएगा कि पूंजी निर्गम नियंत्रक के समक्ष पूंजी के अनुवर्ती निर्गम का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, उनको उस अनुवर्ती निर्गम में से 5 प्रतिशत शेयर न्यायोचित आधार पर अपने कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए सुरक्षित रखने चाहिएं। इन मार्ग निर्देशों का आमतौर पर स्वागत किया गया है।

[हिंदी]

सूती वस्त्रों का निर्यात

2818. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती वस्त्रों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या सरकार का विचार सूती वस्त्रों के निर्यात में और वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो कितनी तथा इस बारे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) निर्यात वृद्धि में किस प्रकार के वस्त्रों का योगदान है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1983 की तुलना में 1984 में सूती परिधानों के निर्यात मूल्य की दृष्टि से 34.7% बढ़े हैं।

(ग) जी हां।

(घ) तथा (ङ) 1985-86 के लिए परिधानों के निर्यात का अपेक्षाकृत उच्च लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परिधानों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं :—

(i) सिले-सिलाए परिधानों की कुछ श्रेणियों के लिए नकद मुआवजा सहायता की दरों में 1 जनवरी, 1984 से और ऊर्ध्वमुखी संशोधन किया गया है।

(ii) 114 वस्त्र तथा होजरी मशीनों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है। इनमें से 97 मशीनों का रिआयती शुल्क देने पर आयात करने की अनुमति है।

(iii) आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों के आयात के लिए आर०ई०पी० लाइसेंस के अन्तर्गत हकदारी की अनुमति है। निर्यात उत्पादन के लिए अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत भी अनिवार्य अन्तर्निविष्ट साधनों के आयात की अनुमति है।

(iv) शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकको तथा निर्यात प्रोसेसिंग जोनों की योजना चल रही है जिसमें सिले-सिलाए परिधानों सहित अनेक वस्त्र मदें भी शामिल हैं।

(v) निर्यातों के लिए बनाए गए सिले-सिलाए परिधानों की निरीक्षण प्रणाली को सरल बनाया गया है।

(vi) निर्यातों को बढ़ाने तथा उनमें विविधता लाने के लिए सरकार संवर्धनात्मक क्रिया-कलापों जैसे बाजार अध्ययनों, क्रेता विक्रेता बैठकों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता का प्रायोजन तथा वित्त पोषण करती रही है।

(घ) इस बढ़ोत्तरी में फैशन परिधानों का मुख्य रूप से योगदान है।

[अनुवाद]

बोतलें भरने की मशीनों के लिये कंपनी को दी गई स्वीकृति

2819. श्री सोमजी भाई डामर : क्या वाणिज्य मन्त्री दिल्ली मे नवम्बर, 1984 में हुए दंगों से प्रभावित कंपनियों को जारी किये गये विशेष आयात लाइसेंसों के बारे में 12 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2952 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड का 2.4 करोड़ रुपये के मूल्य की बोतलें भरने की मशीनों के लिये डी०जी०टी०डी० द्वारा स्वदेशी स्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या बोतलें भरने की क्षतिग्रस्त हुई मशीनें बनाने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो शीतल पेय की मशीनें बनाने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड ने कोई मशीन खरीदी और लगाई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या बिक्री में कोई कमी आई है और यदि हां, तो कितनी और किस महीने में ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) डी०जी०टी०डी० द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बोतल भरने का पूरा संयंत्र बनाने वाले मै० मोहन मशीन्स, ओखला, नई दिल्ली एक मात्रा विनिर्माता हैं।

(घ) अभी तक मै० प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० ने अपने प्रायोजक प्राधिकरण को आयात/आयात के लिए अनुमेय मशीनरी की स्थापना के बारे में सूचित नहीं किया है।

(ङ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधीक्षक से अप्रैल 84 से जुलाई 84 और अप्रैल 85 से जुलाई, 85 के लिए रिपोर्ट के अनुसार बिक्री के आंकड़े संलग्न विवरण I तथा II में दिए गए हैं।

विवरण-1

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग एम० ओ० आर०-25 द्वारा प्रस्तुत किये गये मैं० प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० के उत्पादन तथा बिक्री के आंकड़े

अवधि	उत्पादन बोतलों में	बिक्री बोतलों में	अवधि	उत्पादन बोतलों में	बिक्री बोतलों में
अप्रैल, 1984	8242885	8245285	अप्रैल, 1985	8312618	8307312
मई, 1984	9442907	9452603	मई, 1985	8054768	8039160
जून, 1984	7326933	7294701	जून, 1985	7891611	7869240
जुलाई, 1984	5777540	5803436	जुलाई, 1985	विवरण प्राप्त नहीं हुआ है	

टिप्पणी : उत्पादन तथा बिक्री के आंकड़ों में सोडा शामिल है।
ये आंकड़े एम० ओ० आर०-25 के लिए हैं।

विवरण-2

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग एम० ओ० आर०-25 द्वारा प्रस्तुत किये गये मैं० प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० के उत्पादन तथा बिक्री के आंकड़े

अवधि	उत्पादन बोतलों में	बिक्री बोतलों में (क्लीयरेन्स)	अवधि	उत्पादन बोतलों में	बिक्री बोतलों में (क्लीयरेन्स)
1	2	3		4	5
अप्रैल, 1984	16100516 बोतलें कैंस में कम्पा-कोला का उत्पादन शून्य	16206984 + 6732 कैम्पा-कोला कैंस में	अप्रैल, 1985	16288295 बोतलें केन्स में कैम्पा कोला का उत्पादन शून्य	16210128 बोतल + 105 कैम्पाकोला कैंस

1	2	3	4	5	6
मई, 1984	22518216 बोतलें +1086 कैम्पा-कोला कॅस	22405680 बोतलें + 2533 कैम्पा-कोला कॅस	मई, 1985	20755930 बोतलें केन्स शून्य	20674680 बोतलें कॅस शून्य
जून, 1984	18150337 बोतलें +5828 कैम्पा-कोला केन्स	18087408 बोतलें +5 3569 कैम्पा-कोला कॅस में	जून, 1985	19618764 बोतलें + 23324 कैम्पा-कोला कॅस में	19530720 बोतलें +11596 कॅस
जुलाई, 1984	13279028 बोतलें +17443 कैम्पा-कोला कॅस में	13188120 बोतलें कैम्पा-कोला कॅस में	जुलाई, 1985	विवरण प्राप्त नहीं हुआ है	

टिप्पणी : उत्पादन तथा बिक्री के आंकड़ों में सोडा भी शामिल है। ये आंकड़े एम० आो० आर० 25 के लिए हैं।

निर्यातकों के लिये प्रोत्साहन

2820. श्री नारायण चौबे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के लिए उनके वार्षिक लाभ की 50% राशि कर मुक्त रखने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को अब तक अन्य क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(घ) 1980-84 तक के वर्षों की अवधि में ऐसे एककों ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की और संयंत्र तथा मशीनरी आदि के लिए कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी हां। वित्त अधिनियम 1985 द्वारा यथासंशोधित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 ज ज ग के उपबंधों के अनुसार, (1986-87 और पश्चात्वर्ती वर्षों के कर निर्धारण के लिए 1-4-1986 से लागू) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक ऐसी कटौती के लिए हकदार होंगे जो ऐसा माल अथवा पण्य के निर्यात से प्राप्त लाभों के 50% से अधिक नहीं हों। यह कटौती इन शर्तों के अधीन दी जाती है कि भारत से बाहर निर्यात किए गए ऐसे माल अथवा पण्य की बिक्री से प्राप्त रकमें सम्परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होने योग्य होती हैं और कटौती की रकम किसी ऐसे रिजर्व एकाउन्ट में जमा की जाती है जिसका उपयोग कर निर्धारिती के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए किया जाना हो।

(ग) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को दिए गए अन्य प्रोत्साहन और सुविधाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) गत चार वित्तीय वर्षों के दौरान, पूंजीगत माल तथा कच्ची सामग्री आदि के आयात तथा उत्पादन और निर्यात करने वाले शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों द्वारा किए गए निर्यात के वर्षवार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	आयात			उत्पादन/निर्यात	
	पूंजीगत माल	कच्ची सामग्री	कुल	(मूल्य करोड़ रु० में)	
1981-82	15.58	0.19	15.77	4.64	10.14
1982-83	15.99	15.18	31.17	107.94	37.86
1983-84	50.30	29.30	79.60	140.06	58.16
1984-85	19.68	31.23	50.91	117.51	100.12
कुल	101.55	75.90	177.45	370 15	206.55

टिप्पणी : वर्ष 1980-81 के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

100% निर्यातोन्मुख एककों को दिये गये दूसरे प्रोत्साहन/सुविधाएं

मुख्य सुविधायें

(1) 100% निर्यातोन्मुख एकक शुल्कमुक्त पूंजीगत माल, कच्ची सामग्री, उपयोग किए जाने योग्य संघटकों, फालतू पुर्जों, माल को उठाने-रखने वाले उपकरण अर्थात् फोर्क

लिफ्टस तथा ओवरहैड क्रेन्स, विनिर्माणी क्रियाकलाप के अन्तर्गत आने वाले सेम्पल/प्रोटोटाइप्स जो संख्या में वस्तुओं की प्रत्येक किस्म की, दो ड्राइंग से अधिक नहीं हो, विनिर्माणी क्रियाकलाप से संबंधित ब्ल्यू प्रिंटर्स, टैक्नीकल नक्शे तथा चार्टों का आयात कर सकते हैं।

(2) तैयार उत्पादों को उत्पादन तथा दूसरे केन्द्रीय शुल्कों से छूट दी जाएगी।

(3) देश के अन्दर प्राप्त पूंजीगत माल, संघटकों तथा कच्ची सामग्री को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी के बगैर अनुमति दी जाएगी।

(4) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन आने वाली कम्पनियों को इस योजना के अन्तर्गत एकक स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

(5) विदेशी इक्विटी की अवमिश्रण की शर्तें, जैसा कि आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अनुबद्ध की गई हैं, 100% निर्यातोन्मुख एकक योजना के अन्तर्गत अनुमोदित एककों के मामले में लागू नहीं होंगी।

(6) अनुमत स्तर के अस्वीकृत माल को शुल्क आदि की अदायगी करने के बाद स्वदेशी टैरिफ एरिया में बेचा जा सकता है।

(7) उत्पादन का 25% तक घरेलू बाजार में सप्लाई किया जा सकता है बशर्ते कि वह आयात नीति के अनुरूप हों तथा लाइसेंस और माल पर शुल्कों की अदायगी के अधीन हो।

(8) अनुमोदित 100% निर्यातोन्मुख एकक अपने उत्पादों को विश्व निविदा शर्तों के अधीन देशी परियोजनाओं को बेच सकते हैं।

अन्य सुविधायें

(1) 100% निर्यातोन्मुख एककों को ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं जो उन्हें विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से प्राथमिकता प्राप्त करने का हकदार बनाते हैं।

(2) अनुमोदित 100% निर्यातोन्मुख एककों को बिजली की आपूर्ति के लिए "अनिवार्य उपभोक्ता" के रूप में समूह-I में श्रेणीबद्ध किया गया है।

(3) रेलवे बोर्ड ने सारे निर्यात व्यापार को तरजीही व्यापार अनुसूची के प्राथमिकता "ख" के रूप में वर्गीकृत किया है। यदि मांग करने के पांच दिन के अन्दर ऐसे व्यापार की निकासी नहीं की जाती है तो प्राथमिकता का दर्जा बढ़ाकर "क" कर दिया जाएगा ताकि बिना किसी विलम्ब के उसकी निकासी की जा सके।

(4) 100% निर्यातोन्मुख एककों की योजना के अन्तर्गत अनुमोदित एककों के लिए, जिनके पास उनके मुख्यालय अथवा निर्धारित स्थान पर टेलीफोन/टेलेक्स कनेक्शन नहीं हैं, उन्हें संचार मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश पर शीघ्र एक अस्थायी टेलीफोन/टेलेक्स कनेक्शन देना स्वीकार किया है।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुदेश जारी किए हैं कि विदेशी मुद्रा जारी किये जाने के लिए ग्रीन कार्ड धारक 100% निर्यातोन्मुख एककों से प्राप्त दरख्वास्तों पर प्राथमिकता

के आधार पर कार्यवाही की जाएगी और अधिक से अधिक चार कार्य-दिवसों के अन्दर उनका शीघ्रता से निपटान किया जाएगा।

(6) निर्माण प्रयोजनों के लिए लोहा और इस्पात की सप्लाई करने के मामले में ग्रीन कार्ड धारक 100% निर्यातोन्मुख एककों को स्टेट्स "ए" (उच्चतम समूह) के अंतर्गत आने वाले ग्राहकों के समतुल्य माना जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात आयुक्त को संयुक्त संयंत्र समिति को मांगों की सिफारिश करने तथा 100% निर्यातोन्मुख एककों की लोहा तथा इस्पात की मांग को समन्वित करने के लिए नामजद किया गया है।

(7) नागर विमानन विभाग ने एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स, भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र प्राधिकरण तथा नागर विमानन महानिदेशक को अनुदेश जारी किए हैं कि वायुयान द्वारा परिवहन सुविधा के मामले में ग्रीन कार्ड धारक 100% निर्यातोन्मुख एककों को प्राथमिकता प्रदान की जाए।

(8) कारखाना निर्माण के लिए सेन्ट्रल कोटा से लेवी सीमेंट के आवंटन के मामले में लघु उद्योग क्षेत्र में अनुमोदित 100% निर्यातोन्मुख एककों को मध्यम/बड़े क्षेत्र के एककों के समतुल्य माना जाएगा।

(9) भारतीय औद्योगिक विकास बोर्ड ने वित्तीय संस्थाओं को अनुदेश जारी किए हैं कि वे अनुमोदित 100% निर्यातोन्मुख एककों से उनको स्वीकृत ऋणों पर, कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, 1½% कम ब्याज लें।

टिप्पणी :—100% निर्यातोन्मुख योजना के अंतर्गत सुविधाएं/लाभ उठाने वाले एककों को अनुमोदन बोर्ड द्वारा जिसका अध्यक्ष वाणिज्य मंत्रालय का सचिव होता है, अनुमोदित किया जाना होता है।

भारत में अमरीकी निवेश

2821. श्री सोमनाथ रथ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के हाल ही के अमरीका के दौरे को देखते हुए भारत में अमरीकी निवेश के बढ़ने की कोई संभावना है; और

(ख) भारत और भारत की क्षमताओं के बारे में अमरीका के लोगों विशेषकर व्यापार और उद्योगों में लगे लोगों को जानकारी देने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) हाल ही की प्रेस रिपोर्टों के इस बात में संकेत मिलते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारी निवेश और विदेशी सहयोग नीतियों के प्रति और अधिक जागरूकता उत्पन्न हुई है। हमारी नीतियों के दायरे के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका से निवेश और सहयोग का स्वागत किया जाएगा।

(ख) इस दिशा में सरकार के विभिन्न अभिकरणों द्वारा बहुत से कदम उठाये गये हैं जिनमें हमारी औद्योगिक नीतियों और क्षमताओं के बारे में सूचना का प्रसार करने और भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा, जिसका कार्यालय न्यूयार्क में है, सम्भावित निवेशकर्ताओं/सहयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के उपाय भी शामिल हैं।

बेहतर वित्तीय प्रबंध के लिये राज्य सरकारों को प्रोत्साहन

2822. श्री दिग्विजय सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय राज्य सरकारों को बेहतर वित्तीय प्रबन्ध के लिए कोई प्रोत्साहन देता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका मंत्रालय राज्य सरकारों को बेहतर वित्तीय प्रबन्ध के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कुछ प्रोत्साहन देगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बेहतर वित्तीय प्रबन्ध हेतु प्रोत्साहन देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सभी राज्यों से अपने वित्तीय प्रबन्ध इस प्रकार से किये जाने की आशा की जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट न हों।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण में सुधार

2823. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) बैंकों द्वारा अपना कार्यकरण सुधारने के लिए और क्या उपाय किए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) दिनांक 17 जुलाई, 1985 को वित्त मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की बैठक बुलाई थी। उन्होंने लाभप्रदता, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण, प्रत्यक्ष कृषि वित्तीय सहायता, कमजोर वर्गों को ऋण, प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली और अन्य अतिदेयों के बारे में बैंकिंग प्रणाली के औसत कार्य निष्पादन के संदर्भ में प्रत्येक बैंक के कार्य की समीक्षा की। वित्त मन्त्री ने बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को अपनी ग्राहक सेवा को चुस्त बनाने और ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए कारगर मशीनरी तैयार करने के लिए कहा है। काम की सामान्य मदों को निपटाने के सम्बन्ध में बैंकों से ग्राहकों की अपेक्षाओं के बारे में मापदण्ड तैयार करने के लिए भी कहा गया। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के संबंध में उन बैंकों को जो निर्धारित लक्ष्य से पीछे हैं, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निश्चित कार्यक्रम बनाने के लिए कहा गया।

[हिन्दी]

खेतड़ी तांबा परियोजना में श्रमिकों का हताहत होना

2824. **मोहम्मद अयूब खां** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी तांबा परियोजना के कार्यारम्भ से लेकर अब तक कुल कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई;

(ख) अब तक कितने मामलों में मृत श्रमिकों के आश्रितों को मुआवजा दिया गया है और शेष आश्रितों को कब तक मुआवजा दिया जायेगा; और

(ग) श्रमिकों को हताहत होने से बचाने के लिए क्या उपाय करने का सरकार का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) खेतड़ी कापर काम्पलैक्स के 1967 में प्रारम्भ होने से अब तक दुर्घटनाओं में 47 श्रमिकों की मृत्यु हुई है। सभी मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया जा चुका है।

(ग) श्रमिकों को हताहत होने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :—

(i) सुरक्षा विनियमों के प्रभावी प्रवर्तन हेतु सतत प्रयास;

(ii) श्रमिकों को सुरक्षा के लिए जागरूक करना;
(iii) सुरक्षा अधिकारियों द्वारा बार-बार निरीक्षण;
(iv) श्रमिकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण देना;
(v) विभिन्न अभियानों के माध्यम से श्रमिकों में जागृति लाना;
(vi) त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की सिफारिशें लागू करना;
(vii) श्रमिक निरीक्षकों की सेवाओं का लाभ उठाना;
(viii) पिट सुरक्षा समितियों को क्रियाशील बनाना।

[अनुवाद]

भारतीय कोयला उद्योग के लिये क्षेत्रीय वित्तपोषण व्यवस्था अपनाने की विश्व बैंक की पेशकश

2825. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारतीय कोयला उद्योग के लिए व्यष्टिक परियोजना दृष्टिकोण से भिन्न क्षेत्रीय वित्तपोषण व्यवस्था अपनाने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पेशकश के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार के व्यष्टिक परियोजना दृष्टिकोण की तुलना में क्षेत्रीय वित्तपोषण व्यवस्था से क्या लाभ हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

[हिंदी]

अन्य विदेश मुद्राओं में रुपये के विनियम की दर

2826. **श्री वृद्धि चंद्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विश्व बाजार में सबसे अधिक सक्षम "मुद्रा" कौन सी है; और

(ख) विश्व की अन्य प्रमुख मुद्राओं में भारतीय रुपए के विनिमय की वर्तमान दर क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) "सक्षम करेंसी" शब्द का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तथापि, यह मानते हुए कि इसका आशय उस प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय करेंसी से है, जिसकी अपनी क्षमता है और जिसे विश्व भर में मान्यता प्राप्त है तो, संयुक्त राज्य अमरीकी डालर को "सक्षम करेंसी" कहा जा सकता है।

(ख) 2 अगस्त, 1985 की स्थिति के अनुसार अन्य प्रमुख करेंसियों की तुलना में भारतीय रुपए की विनिमय दर इस प्रकार थी :—

करेंसी	2 अगस्त, 1985 को विदेशी करेंसी की प्रति इकाई की तुलना में भारतीय रुपए की दर
पाउंड स्टर्लिंग	16.55
संयुक्त राज्य अमरीकी डालर	11.9819
ड्यूश मार्क	4.2447
जापानी येन	0.0505
फ्रेंच फ्रांक	1.3953
स्विस फ्रांक	5.1678
डच गिल्डर	3.7872

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संसाधनों के बंटवारे में
प्रस्तावित संशोधनों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया

2827. श्री विमल कांति घोष : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संसाधनों के बंटवारे में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो (एक) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रस्तावित संशोधन क्या हैं और इस मामले में हमारी सरकार के क्या सुझाव हैं और (दो) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और दान देने वाले प्रमुख राष्ट्रों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद् ने फरवरी, 1985 में हुए अपने विशेष अधिवेशन में, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों व अन्य निकायों के बीच संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साधनों के विभाजन के फार्मूले के बारे में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सचिवालय के प्रस्ताव पर विचार किया था। प्रस्ताव में (i) देश व्यापी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वितरण के प्रयोजनार्थ अलग से रखे जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विश्वव्यापी संसाधनों के प्रतिशत हिस्से को कम करने, (ii) प्रतिव्यक्ति कम आय वाले देशों और 50 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाले देशों को अपेक्षाकृत कम भारांश देने और (iii) "अनुपूरक" किस्म के शेयरों को स्वेच्छापूर्वक समायोजित कर सकने की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव को भारत जैसे देशों के हितों के प्रतिकूल पाया गया था। तदनुसार, भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।

2. इस मामले को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद् के 3 जून से 29 जून, 1985 तक होने वाले नियमित अधिवेशन में विचार करने के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस अधिवेशन में भी, भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने भारतीय हितों के लिए हानिकर प्रस्तावों का विरोध किया। भारत ने वर्तमान तृतीयक आवर्तन साधन वितरण फार्मूले को ही कायम रखे जाने की मांग की। प्रमुख दाता देशों ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रस्ताव का समर्थन किया।

3. शासी परिषद् ने जून, 1985 में हुए अपने अधिवेशन में अन्ततः एक बीच का फार्मूला स्वीकार किया। ऐसे समाधान फार्मूले के अन्तर्गत देशव्यापी ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिस्से, कुल राष्ट्रीय आय के प्रति व्यक्ति निम्न स्तर के लिए निर्धारणीय भारित अंशों और 50 करोड़ से अधिक की जनसंख्या आदि के संबंध में सहायता के पुराने मापदण्डों को ही बनाए रखे जाने की भारत की बात स्वीकार कर ली गई।

कोयला उद्योग पर लागत-वृद्धि प्रभाव डालने वाली अनियमिततायें

2828. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जून, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि बवेजा समिति ने 9% अनुत्पादक श्रम शक्ति, उत्पादक खानों में पर्याप्त अनुपस्थिति की प्रवृत्ति, अनियंत्रित वस्तु सूची, खनन क्षमता, उपकरण और मशीनरी का कम उपयोग, कोयले के उठाने और उसके परिवहन कार्य में बड़े पैमाने पर पंजीकरण का अभाव और खननकर्त्ताओं की कम उत्पादकता जैसी कई अनियमित-

ताओं का पता लगाया है जिससे राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग पर लागत वृद्धि करने वाला प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने 1977 में श्री जी०सी० बवेचा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी जिसे कोयला खनन को अधिक सक्षम बनाने और कोयले की उत्पादन लागत में किफायत करने की सम्भावनाओं की जांच करने का काम सौंपा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत कर दी थी। समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं जिनमें यह बातें शामिल थीं : बेशी जनशक्ति का पता लगाना और उसका वर्गीकरण करना, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना, खर्च में कमी लाने की दृष्टि से अतिरिक्त कलपुर्जों की खरीद को और उनके प्रयोग को युक्तिपूर्ण बनाना, स्टाक की सामग्री के चयन के लिए उचित क्रियाविधि बनाना, कुछ अधिक निवेश करके उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, आदि। समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था और कोयला कंपनियों से कहा गया था कि वे स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित करें।

कोयला कंपनियों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें सुदृढ़ वित्तीय आधार दिया जा सके और आने वाले वर्षों में कोयले की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए भलीभांति तैयार किया जा सके। कोयला कम्पनियों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं उनमें यह बातें शामिल हैं : नई खानों में विशाल धनराशि का निवेश, पहले ही उत्पन्न खनन क्षमता का पूर्णतया उपयोग, उपकरणों का अधिक कार्य-कुशल प्रयोग और बेहतर रख-रखाव, भण्डार सूची पर अधिक कड़ा नियंत्रण और भण्डार सामग्री के प्रयोग में किफायत, जनशक्ति का बेहतर उपयोग और इस दृष्टि से अनुपस्थिति की प्रवृत्ति को रोकना, अनुशासन कड़ाई से लागू करना तथा बेशी जनशक्ति का पता लगाकर ऐसे कामगारों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने के बाद फिर सही जगह लगाना, विस्फोटक पदार्थ और लकड़ी आदि दुर्लभ उत्पादन सामग्रियां अधिक मात्रा में उपलब्ध कराना, कोयले की तेजी से ढुलाई करके और युक्तिपूर्ण वितरण करके खान मुहाना स्टाक कम करना, नई परियोजनाओं को तेजी से और कार्यक्रम के अनुसार समय से पूरा करना, कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना तथा बंगाल, बिहार कोयला क्षेत्रों में माफिया गिरोहों की गतिविधियों पर नियंत्रण करना।

राजेंद्र सेठिया द्वारा की गई धोखाधड़ी की जांच

2829. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री राजेन्द्र सेठिया द्वारा विदेश में पंजाब नेशनल बैंक में की गई धोखाधड़ी की जांच के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस मामले में कुल कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है और उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) अन्य बैंकों में इस प्रकार की धोखाधड़ी की जांच की जा रही है और इसमें शामिल लोगों तथा ऐसे लोगों, जिनके विरुद्ध जांच की जा रही है, का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) 1 मार्च, 1985 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के साथ पठित धारा 120 (ख) के अधीन पठित

श्री राजेन्द्र सिंह सेठिया और अन्यों के खिलाफ एक फौजदारी मामला दर्ज किया गया था। श्री सेठिया को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। श्री सेठिया अभी तक न्यायिक हिरासत में हैं। विचारण अदालत और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत की अर्जियां रद्द कर दी गई हैं।

ब्रिटेन में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा खास-खास मामलों में की गई जांच के बाद 29 मई, 1965 को दिल्ली के मुख्य मैट्रोपालिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत में सर्व श्री राजेन्द्र सिंह सेठिया और श्री अमरजीत सिंह के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के साथ पठित धारा 120 (ख) के अधीन और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 और 471 के साथ पठित धारा 467 के अधीन दण्डनीय मुख्य अपराधों के लिए एक चार्जशीट दाखिल किया गया। मामला अदालत के विचाराधीन है। कुछ खास-खास मामलों में और अन्य आरोपों के सम्बन्ध में और जांच की जानी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो इसे तेजी से पूरा करने के लिए प्रयत्न कर रहा है।

(ख) केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यह बताया है कि श्री राजेन्द्र सिंह सेठिया को 1 मार्च, 1985 को गिरफ्तार किया गया था और वे इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। पंजाब नेशनल बैंक के भूतपूर्व महाप्रबन्धक श्री अमरजीत सिंह को 16 मार्च, 1985 को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 अप्रैल, 1985 को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। एक महीने की इस अवधि में वे 9 दिन तक पुलिस की हिरासत में रहे और बाकी दिन न्यायिक हिरासत में। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अलावा लंदन स्थित सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के साथ राजेन्द्र सिंह सेठिया के कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में कतिपय आरोपों की जांच करने के लिए स्काट-लैंड यार्ड, लंदन भी जांच कर रहा है।

जांच के दौरान, स्काटलैंड यार्ड द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया बताया जाता है :—

1. श्री बी० आर० पाटनकर, भूतपूर्व उपमहाप्रबन्धक, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, लंदन।
2. श्री एन० एम० वजेचा, सहायक महाप्रबन्धक, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, लंदन।

इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने यह बताया है कि स्काट लैंड यार्ड लन्दन ने उसकी लन्दन शाखा के प्रबन्धक को गिरफ्तार किया था। और उसके खिलाफ लन्दन की एक अदालत में कार्रवाई चल रही है। इसके अतिरिक्त उस शाखा का एक और प्रबन्धक, जिसने बाद में त्याग पत्र दे दिया था, भी स्काट लैंड यार्ड द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके खिलाफ लन्दन की अदालत में कार्रवाई चल रही है।

(ग) केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी श्री राजेन्द्र सिंह सेठिया द्वारा सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, लन्दन और यूनियन बैंक आफ इण्डिया, लन्दन के साथ किये गये कथित छल के कुछ खास-खास मामलों में भी जांच की जा रही है।

केरल में बाढ़ में नष्ट हुये रबड़ बागानों के उत्पादों को विशेष सहायता

2830. प्रो० पी० जे० कुरियन
श्री पी० ए० एन्टनी } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में हाल की बाढ़ों में रबड़ बागानों का बहुत बड़ा क्षेत्र नष्ट हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल अनुमानित हानि कितनी है;

(ग) क्या इन रबड़ बागानों को ठीक करने के लिए रबड़ उत्पादकों को केंद्र द्वारा कोई विशेष सहायता दी जा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) केरल में बाढ़ के कारण रबड़ बागानों को हुआ नुकसान अन्य कृषि फसलों की तुलना में कम तथा अकेला है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार नुकसान केवल 50 लाख रु० से 70 लाख रु० के बीच हो सकता है।

(ग) और (घ) इसलिए किसी विशेष सहायता दिये जाने का विचार नहीं है। तथापि, रबड़ बोर्ड की विद्यमान योजनाओं के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर प्रभावित रबड़ उपजकर्ताओं को सहायता दी जाएगी।

[हिंदी]

बिहार में बैंकों के माध्यम से किसानों को पंप सेट इन्जिनों की सप्लाई

2831. श्री गंगा राम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि बिहार में बैंकों के माध्यम से किसानों को भारत, इण्डिया, पी० एस० डी० राजीव, कमल और अतुल शक्ति ब्राण्ड के पम्प सैट इन्जिन सप्लाई किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन पम्प सैटों इन्जिनों के खरीदने पर धन की अदायगी की तथा गत तीन वर्षों के दौरान की गई इन अदायगियों के सम्बन्ध में अन्य ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उन पम्प सैटों के लिए क्या मूल्य निर्धारित किया गया था; और

(घ) इन पम्प सैटों के निर्माण पर कितनी लागत आई है और ये उपभोक्ताओं को किन मूल्यों पर सप्लाई किए गए थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ० लिमिटेड, कलकत्ता की प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग

2832. डा० बी० वेंकटेश : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी धन दिए जाने के बावजूद भी, राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लिमिटेड के प्रबन्धक गत सात महीनों के दौरान इसकी कुल प्रतिष्ठान क्षमता का अधिकतम उपयोग नहीं कर पाए हैं और इस प्रकार उत्पादन और बिक्री को नहीं बढ़ा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं अ तथा इसकी प्रत्येक यूनिट में स्थापित क्षमता तथा उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गई क्षमता के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिलों को बार-बार घटिया किस्म की कपास सप्लाई की गई थी जिसके परिणाम-स्वरूप भी भारी घाटा हुआ था; और

(घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड की सहायक यूनिटों के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) विगत 7 महीनों के दौरान एम॰ टी॰ सी॰ (डब्ल्यू॰ बी॰ ए॰ बी॰ ओ॰ लि॰ के सम्बन्ध में समस्त कताई तथा बुनाई उपयोगिता में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। एन॰ टी॰ सी॰ (डब्ल्यू॰ बी॰ ए॰ बी॰ ओ॰) का तुलनात्मक कार्य निष्पादन निम्नोक्त प्रकार है :—

		दिसम्बर, 84	जून, 85
कताई उपयोगिता	(%)	34.8%	35.5%
बुनाई उपयोगिता	(%)	27.7%	37.7%
उत्पादन मूल्य		217.96 लाख रु॰	322.42 लाख रु॰
बिक्री मूल्य		180.05 लाख रु॰	266.13 लाख रु॰

(ख) प्रत्येक मामले में प्रतिष्ठापित क्षमता दर्शाने वाला एक विवरण सलग्न है।

(ग) जी नहीं। एन॰टी॰सी॰ (डब्ल्यू॰बी॰ए॰बी॰ओ॰) से उनके अधीन मिलों को घटिया किस्म की रुई की सप्लाई संबंधी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) एन॰टी॰सी॰ के अधीन मिलों के कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु किए गए/किए जा रहे कुछ उपाय निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(i) विभिन्न उपलब्ध माध्यमों से रुई की समयबद्ध वसूली के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

(ii) नकद हानियों को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी की प्रतिपूर्ति की गई है।

(iii) विद्युत शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए अधिकांश मिलों में स्व-उत्पादक क्षमता की व्यवस्था कर दी गई है।

(iv) परिणाम-अभिमुख लाभों के लिए सीमित साधनों का सर्वोतम उपयोग करके चुनिंदा आधुनिकीकरण कार्यक्रम अपनाये गये हैं।

(v) सभी स्तरों पर लागत में कमी के लिए लागत नियन्त्रण पद्धतियां आरम्भ की गई है।

(vi) गैर-प्रधासन प्रशासनिक खर्चों में कमी करने के उद्देश्य से प्रयास किए जा रहे हैं; और

(vii) मिलों के प्रबन्ध में कामगार-सहभागिता योजना प्रोत्साहित की जा रही है।

विवरण

एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०ए०बी०ओ०) लि०, कलकत्ता के अधीन मिलों में तकुओं की मिलवार प्रतिस्थापित क्षमता और प्रतिस्थापित क्षमता और प्रतिस्थापित क्षमता का कताई उपयोग (%)

मिल का नाम	तकुओं की प्रति-ष्ठापित सं०	कताई उपयोगिता (%)						
		दिस० 84	जन० 85	फर० 85	मार्च 85	अप्रै० 85	मई 85	जून 85
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. बंगाल टैक्सटाइल मिल्स	17076	15.6	52.4	48.3	45.9	49.9	44.4	38.3
2. मनीन्द्र मिल्स	—	—	—	—	—	—	—	—
3. सेंट्रल काटन मिल्स	35464	15.0	39.4	40.6	40.4	30.6	26.0	25.4
4. बंगाल फाइन नं० 1	24800	38.3	61.1	60.7	58.3	45.7	48.9	47.9
5. बंगाल लक्ष्मी मिल्स	28732	28.9	45.6	55.2	53.0	59.1	58.1	52.9
6. श्री महालक्ष्मी मिल्स	15936	44.7	74.9	77.9	78.2	73.8	78.2	74.3
7. रामपुरिया काटन मिल्स	27284	32.8	36.1	50.9	59.3	59.9	54.4	55.5
8. भारती काटन मिल्स	21320	35.1	54.1	63.0	53.4	60.3	59.0	60.3
9. बंगासरी काटन मिल्स	14828	55.3	83.4	80.6	80.2	76.5	72.1	75.5
10. बंगाल फाइन नं० 2	12960	53.1	64.1	69.3	60.2	53.0	51.1	60.8
11. ज्योति वीविंग फैक्टरी	—	—	—	—	—	—	—	—
12. लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स	29132	48.2	65.3	64.2	50.1	52.9	56.8	61.0
13. कनोरिया इंडस्ट्रीज	11600	35.9	40.9	34.7	33.8	39.4	50.7	46.7
14. सोदेपोर काटन मिल्स	11508	40.4	75.3	80.3	75.0	81.2	83.5	75.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. बिहार को-आपरेटिव स्पिनिंग एंड वीविंग	15200	63.4	66.8	48.6	48.6	39.5	35.2	64.8
16. गया काटन एंड जूट मिल्स	22240	30.1	42.6	64.1	56.2	52.2	57.6	51.1
17. एसोसिएटिड इंडस्ट्रीज	12320	20.6	54.4	64.5	58.9	51.9	63.4	74.8
18. उड़ीसा काटन मिल्स	17148	35.5	73.3	72.7	73.3	70.4	47.8	48.1
औसत उपयोगिता (%)	377548	34.8	54.6	58.7	56.2	54.2	51.3	53.5
19. मोहिनी मिल्स (प्रबन्धित मिल)*	32208	76.8	79.0	76.2	77.1	80.3	66.8	77.1

*प्रबन्धित एकक

एन॰टी॰सी॰ (डब्ल्यू॰बी॰ए॰बी॰ओ॰) लि॰, कलकत्ता के अधीन मिलों में करघों की मिलवार प्रतिस्थापित क्षमता और प्रतिस्थापित क्षमता का बुनाई उपयोग (%)

मिल का नाम	करघों की प्रतिष्ठापित क्षमता	बुनाई उपयोग (%)						
		दिस॰ 84	जन॰ 85	फर॰ 85	मार्च 85	अप्रै॰ 85	मई 85	जून 85
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. बंगाल टैक्सटाइल मिल्स	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मनीन्द्र मिल्स	180	36.1	86.8	71.8	71.7	82.7	67.8	64.4
3. सेन्ट्रल काटन मिल्स	534	23.1	42.1	49.1	44.1	32.2	17.7	34.3
4. बंगाल फाइन नं॰ 1	48	21.2	13.7	39.7	37.1	39.4	41.6	37.6
5. बंगाल लक्ष्मी मिल्स*	651	31.8	56.2	46.2	48.4	38.9	40.1	41.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. श्री महालक्ष्मी मिल्स	300	55.3	71.9	75.8	76.6	79.2	72.3	72.6
7. रामपुरिया काटन मिल्स*	736	45.5	38.8	36.4	37.9	37.2	34.5	41.1
8. भारती काटन मिल्स	—	—	—	—	—	—	—	—
9. बंगासरी काटन मिल्स	396	37.9	48.9	46.9	47.0	44.8	42.4	22.8
10. बंगाल फाइन नं० 2	—	—	—	—	—	—	—	—
11. ज्योति वीविंग फैक्टरी*	160	27.9	27.3	26.9	22.7	24.4	23.1	21.9
12. लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स	—	—	—	—	—	—	—	—
13. कनोरिया इण्डस्ट्रीज	—	—	—	—	—	—	—	—
14. सोदेपोर काटन मिल्स	—	—	—	—	—	—	—	—
15. बिहार कोआपरेटिव वीविंग एंड स्पिनिंग मिल्स	—	—	—	—	—	—	—	—
16. गया काटन एंड जूट मिल्स*	536	17.2	9.4	13.6	13.4	14.2	13.2	13.3
17. एसोसिएटिड इण्डस्ट्रीज	—	—	—	—	—	—	—	—
18. उड़ीसा काटन मिल्स	—	—	—	—	—	—	—	—
योग :	3541	27.7	36.4	40.6	38.2	38.7	34.6	37.7
19. मोहिनी मिल्स (प्रबन्धित मिल)	436	79.7	85.4	83.8	84.6	85.9	75.0	84.8

सिनेमेटोग्राफ फिल्म प्रिंट" पर उत्पाद शुल्क

2833. श्री अमिताभ बच्चन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "सिनेमेटोग्राफ फिल्म प्रिंट' पर उत्पाद शुल्क लगाने की अपनी नीति के फिल्म उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव की दृष्टि से इसकी पुनरीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस नीति को लागू रखने का क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) फीचर फिल्मों के प्रिंटों पर केंद्रीय उत्पादन शुल्क विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। ये दरें अलग-अलग होती हैं जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि क्या सारी-की-सारी फिल्म "ब्लैक एण्ड व्हाइट" में बनाई गई हैं, अथवा पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से रंगीन है और क्या फिल्मों की लम्बाई 4000 मीटर से अधिक है अथवा नहीं अथवा क्या फिल्म की निकासी प्रथम विमोचन की तारीख के 12 महीनों के भीतर की गई है अथवा उसके बाद। देश में खपत अथवा प्रदर्शन के लिए निकासित फीचर फिल्मों के प्रथम 12 प्रिंटों पर भी केंद्रीय उत्पादन शुल्क से संपूर्ण छूट दी गई है और परवर्ती प्रिंटों पर उत्पादन शुल्क को श्रेणीबद्ध खण्ड दरों के हिसाब से लगाया जाता है। फिलहाल, सिनेमाटोग्राफ फिल्म प्रिंटों के सिलसिले में केंद्रीय उत्पादन शुल्क के मौजूदा ढांचे में परिवर्तन किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय खान ब्यूरो द्वारा "बाल्को" खुरखरी-दादर (मध्य प्रदेश) में किया गया निरीक्षण

2834. श्री एम० एल० झिकराम : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा 1984-85 के दौरान भारत अल्यूमीनियम कंपनी, खुरखरी-दादर (मध्य प्रदेश) में कितनी बार निरीक्षण किया गया;

(ख) ब्यूरो द्वारा बताई गई इस कंपनी की की-गई अनियमितताओं का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या ये अनियमितताएं वहां वास्तव में हुई हैं और यदि हां, तो इस बारे के क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस कम्पनी में कार्यरत स्थानीय व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या और उनका प्रतिशत क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) खुरखरी दादर क्षेत्र में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० की कोई खान नहीं है। परन्तु खुरखरी दादर के पश्चिम में इसकी दो खानें, अर्थात् (1) रत्ती दादर एवं नान्हू दादर तथा (2) हजारी दादर, हैं। इन खानों का भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा 1984-85 में दो बार निरीक्षण किया जा चुका है। निरीक्षण रिपोर्टों के अनुसार, खानों को पुनः खोलने, वार्षिक विवरणी और त्रैमासिक विस्फोटक आंकड़े प्रस्तुत करने से संबंधित नोटिस के बारे में नियम-12 का उल्लंघन देखने में आया था।

(घ) बालको के कोरबा कारखाने में कार्यरत मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों की संख्या 5275 है, जो कुल संख्या का 73% है। श्रेणी-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

श्रेणी-I	:	171
श्रेणी-II	:	152
श्रेणी-III	:	2918
श्रेणी-IV	:	2034

[अनुवाद]

खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत प्रतिबंधित कीटनाशी दवायें

2835. श्री अमल दत्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अप्रैल, 1985 में घोषित अपनी नई निर्यात और आयात नीति में खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत 75 प्रतिबन्धित कीटनाशी दवाओं को व्यापक अनुमति प्रदान की है;

(ख) क्या इनमें एनडिन, पाराथिओन, डिसुलफोटोन, लेप्टोफोस, मेथीलफोस, पाइट्रोफेन, डी० बी० सी० पी० कैलशियम आर्सनेट अजिनोफोस नेथाइल और 2,4,5 टी जैसी प्राण-घातक कीटनाशक दवाएं सम्मिलित हैं;

(ग) यदि हां, तो देश में ऐसी प्राण-घातक कीटनाशी दवाओं का आयात करने और उनका निर्माण करने के क्या कारण हैं जिन पर अन्य देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है;

(घ) क्या ऐसी प्राणघातक कीटनाशी दवाओं के आयात और निर्माण को शीघ्र ही बंद करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राजस्थान में बेरोजगार युवकों को ऋण

2836. श्री राम सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित युवकों के लिए स्वयं रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च, 1985 तक लाभान्वित होने वाले युवकों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या राजस्थान राज्य में कथित योजना के अधीन 31 मार्च तक जिला उद्योग केंद्रों द्वारा बेरोजगार युवकों के हजारों ऋण आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की गयी थी परन्तु राज्य सरकार को मिली निधी कम होने के कारण आवेदकों को ऋण नहीं मिल सका; और

(ग) किस तारीख तक इन आवेदकों को ऋण मिल जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, बैंकों ने वर्ष, 1983-84 में 2.42 लाख हिताधिकारियों को 401.54 करोड़ रुपए की राशि के ऋण मंजूर किए थे। उपलब्ध प्रगति रिपोटों के अनुसार बैंकों ने वर्ष, 1984-85 के दौरान 2.26 लाख हिताधिकारियों को 369.71 करोड़ रुपये की राशि के ऋण मंजूर किए। इस संबंध में पूरी सूचना मिलनी बाकी है।

(ख) और (ग) वर्ष 1983-84 के लिए राजस्थान राज्य के वास्ते निर्धारित 10,000 के लक्ष्य के मुकाबले वाणिज्यिक बैंकों ने 15054 मामलों में ऋण मंजूर किए और वर्ष 1984-85 के लिए निर्धारित 15.000 के लक्ष्य के मुकाबले बैंकों ने 15,382 मामले मंजूर किए। योजना की परिचालन अवधि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक बढ़ा दी गयी है।

[हिन्दी]

पंचवर्षीय बजट

2837. श्री बापूलाल मालवीय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार पंचवर्षीय बजट बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जी, नहीं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अस्वीकृत (रिजेक्टेड) स्लीपर बार्स का आवंटन

2839. श्री महेंद्र सिंह : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की भिलाई और इन्दौर मध्य प्रदेश स्थित बिक्री शाखाओं को अस्वीकृत स्लीपर बार्स की वर्ष वार कुल कितनी मात्रा आवंटित की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की भिलाई और इन्दौर शाखाओं द्वारा जिन उद्योगों को अस्वीकृत "स्लीपर बार्स" का आवंटन किया उनके नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक उद्योग को आवंटित किए गए अस्वीकृत "स्लीपर बार्स" की मात्रा का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड लघु उद्योगों तथा कृषि औजार बनाने वाली लघु एककों को कच्चा माल आवंटित करने के मामले में तरजीह देता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान "सेल" के भिलाई तथा इन्दौर स्थित बिक्री शाखाओं में अस्वीकृत स्लीपर बार्स की प्राप्ति निम्नलिखित है :—

(मात्रा टनों में)

वर्ष	भिलाई	इन्दौर
1982-83	शून्य	113
1983-84	886	53
1984-85	999	57

(ख) और (ग) वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा वर्ष 1984-85 के आरंभ में शाखाओं द्वारा प्रक्षेपित मांग के अनुसार उन्हें पूरी मात्रा में माल का प्रेषण किया जा सका। क्योंकि माल की उपलब्धता की स्थिति बेहतर थी। परन्तु वर्ष 1984-85 के मध्य से शाखाओं को माल का प्रेषण सामान्यत: पिछले तीन वर्ष के दौरान उनके द्वारा की गई अधिकतम खरीद तथा माल की यथानु-

पात में उपलब्धि सुनिश्चित होने पर किया जा रहा है। "सेल" की वितरण प्रणाली के अनुसार पुनर्वेलकों, फोर्जिंग इकाइयों तथा कृषि औजार निर्माताओं को अस्वीकृत स्लीपर बार्स वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान उनके द्वारा 'सेल' से की गई अधिकतम खरीद तथा माल की यथानुपात उपलब्धि के आधार पर दिए गए थे।

उन ग्राहकों के नाम बताना वाणिज्यिक हित में नहीं होगा जिन्हें माल का आवंटन किया गया है।

(घ) और (ङ) वर्तमान वितरण प्रणाली के अनुसार पुनर्वेलकों, फोर्जिंग इकाइयों और कृषि औजार निर्माताओं को अस्वीकृत स्लीपर बार्स वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान उनकी अधिकतम खरीद तथा माल की यथानुपात उपलब्धि के आधार पर दिए गए थे।

[अनुवाद]

प्राकृतिक रबड़ का आयात और जारी की गई मात्रा

2840. श्री पी० ए० एंटनी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष 31 जुलाई तक रबड़ की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया और उसकी कितनी मात्रा उपयोग करने वाले के लिए जारी की गई; और

(ख) इस वर्ष 31 जुलाई के बाद आयातित रबड़ की कितनी मात्रा जारी की जानी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) और (ख) 1.6.1985 को आयातित प्राकृतिक रबड़ का प्रयोग योग्य प्रारंभिक स्टाक 850 मे० टन था। जून-अगस्त, 1985 की अवधि के लिए 20,000 मे० टन और आयात की पात्रता में से राज्य व्यापार निगम ने 31.7.1985 तक 13,500 मे० टन की मात्रा वास्तव में आयात की है। 6,500 मे० टन की और मात्रा के, जो खराब मौसम के कारण आने में विलंब हो गया है, किसी भी समय पहुंच सकती है।

31.7.1985 तक वास्तविक प्रयोक्ताओं को आयातित रबड़ की 20,600 मे० टन मात्रा का आवंटन किया गया और उठान कार्य अगस्त, 1985 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

उड़ीसा के किसानों को कृषि आदानों की खरीद के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण

2841. श्री अनादि चरण दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को कृषि आदानों, पशुओं की खरीद के लिए और शिक्षित लोगों को अपने निजी व्यवसाय/दुकानें खोलने के लिए ऋण देने हेतु लागू की जा रही योजनाओं का ब्योरा क्या है और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इस प्रकार की प्रत्येक श्रेणी के ऐसे मामलों का ब्योरा क्या है; और

(ख) परिवहन के लिए वाहनों की खरीद की सहायता करने हेतु निधि को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गरीब किसानों और शिक्षित बेरोजगारों युवकों को ऋण देने की दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं अर्थात् समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना। समन्वित ग्रामीण विकास

कार्यक्रम के अंतर्गत गत 3 वर्षों में उड़ीसा में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की कुल संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
1982-83	252453
1983-84	217073
1984-85	213119

शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार देने की योजना 1983-84 में शुरू की गई थी। उड़ीसा राज्य में इस योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए मामलों की संख्या का ब्योरा नीचे दिया गया है।

वर्ष	मंजूर किए गए मामलों की संख्या
1983-84	6823
1984-85	7599

(ख) बैंकों से अपने बकाया अग्रिमों का 40 प्रतिशत भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देने के लिए कहा गया है। परिवहन गाड़ियों के लिए दिए जाने वाले ऋण इस प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं बशर्ते कि ऋणकर्ता के पास वाहनों की कुल संख्या 6 से अधिक न हो।

हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात व्यापार

2842. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान हथकरघा और शिल्प उत्पादों का कितना निर्यात हुआ;

(ख) क्या सरकार अधिक विदेशी मुद्रा अर्जन करने हेतु इन वस्तुओं की निर्यात स्थिति की पुनरीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान हथकरघा तथा हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यातों का मूल्य नीचे दिये अनुसार था :—

(करोड़ों में रु०)
(अनन्तिम)

	हथकरघा	हस्तशिल्प
1983-84	319.75	345.82
1984-85	348.86	397.37

(स्रोत : हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प)

(ख) और (ग) हथकरघा तथा हस्तशिल्प के निर्यातों को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार द्वारा समय-समय पर इनके निर्यात निष्पादन की समीक्षा की जाती है।

बैंक के कलेक्शन एजेंटों को कमीशन का भुगतान

2843. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी बैंकों द्वारा कलेक्शन एजेंटों को $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत कमीशन दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि आंध्र बैंक अपने कलेक्शन एजेंटों को केवल 3 प्रतिशत कमीशन दे रहा है;

(ग) यदि हां, तो आंध्र बैंक तथा अन्य बैंकों में ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(घ) इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ताकि आंध्र बैंक के कलेक्शन एजेंटों को $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत कमीशन मिल सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चोरी किये गये अस्थि-पंजरों की बिक्री

2844. **श्री के० प्रधानी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पचास से अधिक देशों में फैले अस्थि-पंजरों के बाजारों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में बिहार, उड़ीसा और अन्य भागों से मृतकों के शव कलकत्ता लाए जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विरोधों के बावजूद भी, चोरी करके लाए गए अस्थि-पंजरों को विदेशों को बेचने का यह व्यापार फला फूला है जिसके कारण कलकत्ता में हड्डियों के व्यापारियों और गुप्त रूप से धंधा करने वाले ऐसे व्यक्तियों का व्यापक जाल फैल गया है जो मृतकों के शव से पैसा कमाने के इस घृणित कार्य में संलग्न हैं; और

(ग) इस कार्य को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) कोई विशिष्ट उदाहरण जानकारी में नहीं आये हैं ।

(ख) और (ग) पतन लाइसेंसिग प्राधिकारियों द्वारा मानव अस्थि-पंजरों तथा उनके हिस्सों के निर्यात की अनुमती ऐसे प्रमाणपत्रों के प्रस्तुत करने पर दी जाती है जो, (i) अधिप्राप्ति के स्रोत के संबंध में ऐसे पुलिस प्राधिकारियों से जो संबधित थाने के कार्य प्रभारी की हैसियत से कम न हो, प्राप्त किया गया हो और जिसमें वजन तथा सख्या के आधार पर मात्रा भी दी जानी चाहिए और (ii) विदेशी क्रेता से इस आशय का प्रमाणपत्र कि मानव अस्थि-पजरों की आवश्यकता केवल जीव-विज्ञान संबंधी तथा चिकित्सीय उद्देश्य के लिये है । संबंधित राज्य सरकारों से पहले ही यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस संबंध में कोई कदाचार न हों ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक की सहायता

2845. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व बैंक की सहायता से चलाए जाने के लिए कुछ परियोजनाओं का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार संक्षिप्त विवरण क्या है;

(ग) क्या सातवीं योजना के दौरान इस प्रकार की सहायता से शुरू की गयी परियोजनाएं इस बीच पूरी हो गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) उन परियोजनाओं के पूरे होने की संभावित तिथियां क्या हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विश्व बैंक सहायता कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के लिये प्राप्त की जाती है जिनके संबंध में समय-समय पर बातचीत

होती रहती है। विश्व बैंक से सहायता के लिए प्रत्येक वर्ष परियोजनाओं की एक श्रृंखला तैयार की जाती है। उन परियोजनाओं की सही संख्या जिनके लिए सहायता प्राप्त की जा सकती है, तथा ऐसी सहायता की राशि बैंक समूह के पास धनराशियों की उपलब्धता एवं परियोजनाओं की तैयारी और संसाधन की स्थिति पर निर्भर करती है।

(ग) से (ङ) विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजानाओं को दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा है और इसमें वे तारीखें भी दी गई हैं जब इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने की संभावना है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1377/85]

विदेशी दूतावासों को प्राप्त होने वाले पार्सलों की सीमा शुल्क जांच

2846. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क विभाग भारत में हवाई अड्डों और बन्दरगाहों पर विदेशी मिशनों को प्राप्त होने वाले पार्सलों की जांच करता है अथवा उन पर नजर रखता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत में स्थित विभिन्न दूतावासों, उच्च आयोगों और वाणिज्य दूतावासों द्वारा प्राप्त होने वाली खेपों और पार्सलों की जांच, जिसमें शुल्क्य माल भी शामिल हैं, उनके पहचान चिन्हों, परेषितों के विवरण, आदि के संदर्भ में हवाई अड्डों और पत्तनों पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा की जाती है। सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा इस माल की निकासी की अनुमति विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले छूट-प्रमाण पत्रों के आधार पर दी जाती है। तथापि, राजनयिक डाक थैलों के संबंध में केवल सीलों की जांच की जाती है। जिन मामलों में पैकेटों में निषिद्ध माल के होने की संभावना पक्की होती है, ऐसे मामलों में, सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच के लिए उन खेपों को रोक लिया जाता है और विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श करके समुचित कार्यवाही की जाती है।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा नावों/पोतों के निर्माण के लिये आर्डर देना

2847. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा अंडमान और निकोबार प्रशासन की ओर से नावों/पोतों के निर्माण के लिये दिए गये कितने आर्डर अभी भी लंबित पड़े हैं तथा ये आर्डर किस तारीख को दिए गए, किस पार्टी को दिए गए, कितने पोतों के निर्माण के लिये दिए गए, उनकी डिलीवरी की तारीख क्या थी, ऐसे प्रत्येक मामले में कितना भुगतान किया गया और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या निर्माण ठेकों को अन्तिम रूप देने में अनावश्यक विलम्ब होने के लिए पूर्ति और निपटान महानिदेशालय जिम्मेदार है और विलंब होने के परिणाम-स्वरूप लागत में वृद्धि हो गई है और द्वीप समूह में कार्य का नुकसान हो रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस कमी को दूर करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, विलंब के लिए जिम्मेवार नहीं हैं। विलम्ब पूर्तिकर्ताओं द्वारा ठेकों के निष्पादन में है। चालू ठेकों के बारे में नौवहन और परिवहन मंत्रालय के परामर्श से समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

क्र० सं०	ए/टी सं० और तारीख	विवरण: ब्योरा	विवरण: फर्म	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	एम० ई-1/एस० बी-3/ 236 दि० 31-7-85 मूल्य 1.83 करोड़ रु० मूल्य सुपुर्दगी अवधि 31-5-78	यात्री जलयान चार	क्लेवैक बोट कं० कलकत्ता	पूर्तिकर्ता ने पहला जलयान सितम्बर 1980 में सुपुर्द किया था। दूसरा जलयान 85% तक पूरा कर लिया गया है। तीसरे और चौथे जलयान, दूसरी अवस्था तक अर्थात् 50% तक पूरे कर लिए गए हैं. फर्म ने दूसरे जलयान की सुपुर्दगी जून, 1985 तक करने के लिए पहले तो विश्वास दिलाया था, परन्तु वे इसे पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए फर्म पर जोर दिया जा रहा है।
2.	एम० ई-1/084 दि० 10-7-79 मूल्य 7.94 लाख मूल सुपुर्दगी अवधि- 30-11-79	बार्गेज (नौकाएं) दो	ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स, काकीनाडा	उन्होंने विविध अवस्था-भुगतानों के रूप में 58,50571/-रु० तक की राशि को भुगतान प्राप्त कर लिया है। बार्गेज (नौकाओं का निर्माण कार्य पूर्तिकर्ता द्वारा पूरा कर लिया गया है। विविध अवस्था-भुगतानों के रूप में, पूर्ति कर्ता फर्म ने 3,08,100/-रु० तक राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया है। जलयान को शीघ्र ही भेजने के लिए फर्म से सम्पर्क किया गया था, उन्होंने इसके लिये बढ़े हुए प्रभारों के लिये अनुरोध किया है, जो कि ठेके के क्षेत्र से बाहर है।

1	2	3	4	5
3.	एम० ई०-1/119 दि० 1-11-83 मूल्य 1.25 करोड़ रु० मूल सुपुर्दगी अवधि 30-4-85	200 टन मालवाहक जलयान	मानक एंटरप्राइजिज कोचीन	यह ठेका, मैसर्स अरुण सी क्राफ्टस, अलेप्पी को जुलाई, 1980 में दिये गये ठेका सं० एम० ई-1/098, जिसे रद्द कर दिया गया था, उसके जोखिम खरीद के रूप में दिया गया है। निर्माण-कार्य तीसरी अवस्था अर्थात् लगभग 45% तक पूरा कर लिया गया है। सुपुर्दगी तारीख दि० 15-9-85 तक बढ़ा दिया गया है। विविध अवस्था भुगतानों के रूप में, पूर्तिकर्ता फर्म ने 57,69,450/-रु० तक की राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया है।
4.	एम० ई-1/096 दि० 7-6-80 मूल्य 86.56 लाख रु० मूल सुपुर्दगी अवधि : 30-11-81	हास्पिटल-कम बेंकिंग-कम सप्लाई शिप एक	मैसर्स हिडाक इन्जीनियरिंग, कलकत्ता	जलयान चौथी अवस्था तक, अर्थात लगभग 65 प्रतिशत पूर्ण हो गया था। तथापि दि० 8-6-84 को वह ठेका फर्म के जोखिम और लागत पर रद्द करना पड़ा। आंशिक रूप से बना शिप अब भी फर्म के पास है। इस मामले में विधि मंत्रालय के परामर्श से कार्यवाही की गई है। यह मामला मध्यस्थता को भेज दिया गया है तथा मध्यस्थ नियुक्त कर दिया गया है। विविध अवस्था-भुगतानों के रूप में, पूर्ति-कर्ता फर्म ने 56.26 लाख रु० तक की राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्चा माल आबंटन नीति का पुनरीक्षण

2848. श्री आर० एम० भोये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राज्य व्यापार निगम ने हाल ही में निर्यात-प्रधान इस उद्योग के लिये कच्चे माल के आबंटन की अपनी नीति का छोटे एककों के लाभार्थ पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षण नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) खेल सामान उद्योग को कच्चा माल वितरित करने के संबंध में एस० टी० सी० ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में कारोबार को ध्यान में रखते हुए लघु एककों के लिए बेहतर आबंटन एवं कच्चा माल देने के लिए उत्पादक एककों के वर्गीकरण पर विचार किया गया है।

विदेशों के साथ सहयोग संबन्धी समझौते

2849. **श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** गत छः महीनों के दौरान उनके मन्त्रालय द्वारा विदेशों के साथ सहयोग सम्बन्धी किस प्रकार के समझौते किये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : गत छः महीनों के दौरान वाणिज्य मन्त्रालय ने किसी भी बाहर के देश के साथ कोई व्यापार सहयोग करार नहीं किया है।

खान विभाग में नीति और मार्ग निदेश निर्धारण हेतु स्थाई दल

2850. **श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने हाल ही में खान विभाग में नीति और मार्गनिदेश निर्धारित करने और अन्य सम्बद्ध विषयों पर विचार करने हेतु एक स्थायी दल गठित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका कोर्स क्या है और उसका गठन किस प्रकार किया गया है तथा उसके निर्देश-पद क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) खान विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा वांछित पूंजीगत सामान और उपकरण के देशीकरण के संबंध में खान विभाग में एक स्थायी दल का गठन किया गया है।

(ख) इसके गठन तथा विचारार्थ विषयों सहित विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पूंजीगत सामान के देशीकरण के संबंध में खान विभाग में गठित स्थायी दल

गठन

(i) सचिव, खान विभाग —अध्यक्ष

(ii) अपर सचिव, खान विभाग —उपाध्यक्ष

(iii) मेकॉन लिमिटेड —सदस्य

(…जारी)

(iv)	हैवी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन लि०	—सदस्य
(v)	फेक्ट इन्जीनियरिंग एण्ड डिजाइन आर्गेनाइजेशन	—सदस्य
(vi)	भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लि०	—सदस्य
(vii)	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि०	—सदस्य
(viii)	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लि०	—सदस्य
(ix)	इन्जीनियर्स इंडिया लि०	—सदस्य
(x)	भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि०	—सदस्य
(xi)	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि०	—सदस्य
(xii)	हिन्दुस्तान कापर लि०	—सदस्य
(xiii)	हिन्दुस्तान जिंक लि०	—सदस्य
(xiv)	भारत गोल्ड माइन्स लि०	—सदस्य
(xv)	खनिज गवेषण निगम लि०	—सदस्य
(xvi)	तकनीकी विकास महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
(xvii)	योजना आयोग का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
(xviii)	सलाहकार (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) खान विभाग	—संयोजक

यह दल आवश्यकतानुसार किसी अन्य सदस्य (सदस्यों) को सहयोजित कर सकता है।

विचारार्थ विषय

(i) अलोह धातुओं की खोज, खनन, परिष्करण, अलोह धातुओं के प्रद्रावण तथा शोधन तथा परवर्ती उत्पादों तथा उपोत्पादों हेतु सरकारी उपक्रमों द्वारा वांछित पूंजीगत सामान की जरूरतों का आकलन करना। इस आकलन में न केवल मौजूदा परियोजनाओं की प्रतिस्थापन/नवीकरण आवश्यकतायें एवं स्वीकृत परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सामान ही शामिल होगी, अपितु उन परियोजनाओं की आवश्यकतायें भी शामिल होंगी, जो 7वीं योजना तथा बाद की योजनाओं में शुरू की जायेगी। पूंजीगत सामान प्रतिस्थापन/नवीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत खरीदे जाने वाले उपकरणों और उनकी क्षमता का ऐसा आकलन करते समय, उनकी भावी खरीद को ध्यान में रखा जायेगा।

(ii) उपकरणों की व्यापक विशिष्टियों की सिफारिश करना, जो प्रयोक्ताओं तथा निर्माताओं की अपेक्षाओं के अनुकूल हो।

(iii) मूल्य अधिमान नीति लागू करना तथा उपकरणों एवं कलपुर्जों के बारे में सुपुर्दगी कार्यक्रम निर्धारित करना।

(iv) कोई अन्य संबंधित मामले।

विशिष्ट कारंवाई हेतु कार्यक्रम तय करने के लिए स्थायी दल की समय-समय पर बैठकें होंगी।

कर अपवंचन के सम्बन्ध में लखनऊ के अधिवक्ताओं के विरुद्ध शिकायतें

2851. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ के वकालत कर रहे अधिवक्ताओं के विरुद्ध कर अपवंचन की शिकायतों की जाँच अभी तक पूरी नहीं हुई है;

(ख) क्या ये शिकायतें एक वर्ष से अधिक समय पहले की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच कार्य को तेज करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि जांच पूरी हो गई है, तो कितने अधिवक्ता आय विवरणी के मामले में दोषी पाये गये हैं और उन्होंने कितनी धनराशि के कर का अपवंचन किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) कर-अपवंचन की शिकायत की जांच, जो कि केवल एक अधिवक्ता के खिलाफ थी, पूरी हो गई है। प्राधिकारियों को निदेश दिये गये हैं कि वे उचित जांच-पड़ताल के बाद धारा 143 (3) के अन्तर्गत कर-निर्धारण पूरा करें।

तमिलनाडु सरकार से आयकर और उत्पादन शुल्क में अधिक हिस्से के लिये अनुरोध

2852. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने गाडगिल फार्मूले का पुनरीक्षण करने के साथ-साथ आयकर और उत्पादन शुल्क में अधिक हिस्से के लिए मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार से उक्त मांग कब की गई;

(ग) सरकार की उक्त मांग पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) किन-किन अन्य राज्यों ने अधिक हिस्से और फार्मूले के पुनरीक्षण की मांग की है; और

(ङ) इस प्रकार की मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार से आयकर और उत्पादन शुल्क में और अधिक हिस्से के लिए अनुरोध नहीं किया है। लेकिन अक्तूबर, 1984 में उन्होंने संशोधित गाडगिल फार्मूले के पुनरीक्षण के लिए अनुरोध किया है।

(ग) केन्द्रीय सहायता के वर्तमान फार्मूले के पुनरीक्षण पर कोई भी दृष्टिकोण केवल राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही अपनाया जा सकता है।

(घ) बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने संशोधित गाडगिल फार्मूले के पुनरीक्षण के लिए अनुरोध किया है। किसी भी राज्य सरकार ने आयकर और उत्पादन शुल्क में और अधिक हिस्से की मांग नहीं की है।

(ङ) केन्द्रीय सहायता के वर्तमान फार्मूले के पुनरीक्षण पर कोई भी दृष्टिकोण केवल राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा ही अपनाया जा सकता है।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्णीत अपील मामले

2853. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 31 मार्च, 1983, 1984 और 1985 को समाप्त हुए वर्षों के दौरान आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कितनी प्रतिशत विभागीय अपीलों पर सरकार के पक्ष में निर्णय दिया गया और कितनी प्रतिशत निर्धारिती अपीलों पर न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारितियों के पक्ष में निर्णय दिया गया और दोनों प्रतिशतताओं के बीच यदि कोई अन्तर है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : आयकर अपील अधिकरण विधि और न्याय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आवश्यक सूचना विधि और न्याय मंत्रालय से मांगी गई है जिसे मिलते ही सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा खनन

2854. श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में खनिज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा खनिजों का दोहन करने हेतु कुछ खनन क्षेत्रों को अनारक्षित करने पर सिद्धांत रूप में सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में विशेष खनक और खनन क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिन्हें गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिए खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को रायल्टी के भुगतान की शर्तें क्या हैं ?

इस्पात विभाग में कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) कुछ खनन क्षेत्रों को आरक्षण-मुक्त करने का सवाल इस आशय हेतु सरकार द्वारा गठित समिति को सौंप दिया गया है। यह समिति उन खनिज धारी क्षेत्रों को आरक्षण-मुक्त करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी, जो इस समय सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित हैं।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए खोले जाने वाले क्षेत्रों के बारे जानकारी समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही सुलभ होगी।

(ग) रायल्टी भुगतान की शर्तें खनिज रियायत नियम, 1960 द्वारा शासित हैं और वे किसी क्षेत्र के खोले जाने पर निर्भर नहीं हैं।

देश में औद्योगिक रुग्णता में वृद्धि

2855. श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार देश में बढ़ती औद्योगिक रुग्णता को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने औद्योगिक रुग्णता को रोकने में सहायता के लिए विभिन्न बैंकों को क्या मार्गनिदेश दिए हैं तथा तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को समय-समय पर औद्योगिक एककों में रुग्णता का जल्दी पता लगाने के लिए निगरानी तन्त्र को मजबूत करने, रुग्णता के संकेतों वाले एककों की अर्थक्षमता का निर्धारण करने और अर्थक्षम रुग्ण एककों का पुनरुद्धार करने के सम्बन्ध में अनुदेश/मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। इन पुनरुद्धार कार्यक्रमों में आवश्यकता पर आधारित कार्यचालन पूंजी सुविधाएं दिए जाने के अलावा अतिदेय ब्याज के निधीकरण, ब्याज दर में कटौती, कम मार्जिन, बकाया देय राशियों के शोधन का पुनर्निर्धारण आदि जैसे कई रियायतें/राहतें हो सकती हैं। लघु और मध्यम एककों के

सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने समन्वित ढंग से सहायता दिए जाने के लिए बैंकों, सावधि ऋण-दात्री संस्थाओं, राज्य सरकारों आदि के प्रतिनिधियों की एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया है।

ताप विद्युत केंद्रों, रेलवे और अन्य मुख्य उद्योगों को कोयले की पूर्ति

2856. श्री ई० अय्यापु रेड्डी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ताप विद्युत केन्द्रों, रेलवे और अन्य प्रमुख उद्योगों को कोयले की नियमित और बिन बाधा सप्लाई सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से कोयला खनन का आधुनिकीकरण करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए एक अध्ययन किया गया है कि कोयला खनन में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने से खनन की लागत में किस सीमा तक कमी की जा सकेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां। कोयले के उत्पादन में वृद्धि की योजना इस्पात बिजली रेलवे सीमेंट, उर्वरक और अन्य उपभोक्ता उद्योगों की मांग को पूरा करने की दृष्टि से बनाई गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (1985-90) की अवधि में कोयले का उत्पादन 1984-85 के 147.43 मिलियन टन से बढ़ाकर 1989-90 तक 216 मिलियन टन करने का विचार है। कोयले के उत्पादन में इतनी वृद्धि करने के उद्देश्य से कुछ वर्तमान खानों का आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण करने के अलावा अनेक नई खानें भी खोली जाएंगी।

(ख) और (ग) विद्यमान खानों के पुनर्निर्माण और नई खानों के विकास के लिए साध्यता/परियोजना रिपोर्टें बनाते समय, किसी विशेष खनन प्रणाली या तकनालाजी के पक्ष में निर्णय लेने के पहले वैकल्पिक प्रणालियों और तकनालाजी का भलीभांति अध्ययन किया जाता है। इस प्रक्रिया में किफायती लागत वाले विकल्प चुनने की दृष्टि से विस्तृत तकनीकी-आर्थिक अध्ययन भी करने पड़ते हैं। ऐसे विस्तृत अध्ययन केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० में किए जाते हैं क्योंकि इस संगठन को कोयला परियोजनाओं के आयोजन और डिजाइन तैयार करने का काम सौंपा गया है।

संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा टिस्को को वित्तीय सहायता

2857. श्री सनत कुमार मंडल : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात विकास निधि के गठन का ब्यौरा क्या है;

(ख) संयुक्त संयंत्र समिति पूंजीगत परियोजनायें आरम्भ करने हेतु टाटा लोहा तथा इस्पात कम्पनी के लिए कितनी वित्तीय सहायता मंजूर कर चुकी है और इस पर ब्याज की दर क्या है;

(ग) क्या इस कम्पनी ने संयुक्त संयंत्र समिति से लगभग 300 करोड़ रुपये की और वित्तीय सहायता मांगी है;

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को ऐसा ऋण देने के लिए उनके मंत्रालय ने कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये हैं; और

(ङ) टिस्को द्वारा खुले बाजार से या वित्तीय संस्थानों से अपेक्षित पूंजी प्राप्त करने की व्यवस्था न किये जा सकने के क्या कारण हैं और सं० सं० स० सरकार ने इस ऋण और उस पर ब्याज की राशि के प्रतिसंदाय के लिए क्या गारंटी ली है और ऐसी वित्तीय सहायता देने के निबंधन और शर्तें क्या हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह): (क) 30 जून 1985 की स्थिति के अनुसार इस्पात विकास निधि में कुल प्राप्तियां 1456.91 करोड़ रुपए की थीं।

(ख) इस्पात विकास निधि से टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी को मंजूर किए गए ऋण और ब्याज की दरें, जो सभी ऋण लेने वालों पर लागू होती हैं;

	राशि (करोड़ रुपये में)	ब्याज की दर
जनवरी 1981	100.00	30-9-83 तक 14% 1-10-83 से 8%
अगस्त 1984/मार्च 1985		
1. उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध	10.34	8%
2. अवस्थापना पर पूंजी निवेश	42.56	5%
3. समाज कल्याण सेवाओं से संबंधित कार्यक्रम	25.90	2%
कुल :	78.80 करोड़ रुपए	

78.80 करोड़ रुपए के ऋण में से राशि का वितरण, कुछेक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लम्बित है।

(ग) कम्पनी ने इस्पात विकास निधि से 194.40 करोड़ रुपए का नया ऋण मंजूर किए जाने के लिए जून 1985 में आवेदन किया।

(घ) इस्पात व विकास निधि का इस्तेमाल अन्य बातों के साथ-साथ इस्पात के प्रमुख उत्पादकों को अपनी योजनाओं/परियोजनाओं और आधुनिकीकरण, अनुसंधान और विकास, पुनर्वास विविधीकरण, नवीकरण और प्रतिस्थापन, अनुपूरक सुविधाओं, क्षमता में वृद्धि, प्रमुख नए पूंजी-निवेश अथवा लोहे और इस्पात के उत्पादन की मात्रा अथवा कुशलता में सुधार के लिए किसी अन्य कार्यक्रमों के लिए अन्य पूंजीगत व्यय के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया जाना है। गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने को अपनी विकास संबंधी योजनाओं के लिए इस निधि से धन राशि उन्हीं शर्तों पर उपलब्ध करायी जाती है जो शर्तें सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों पर लागू होती हैं। गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने की योजनाओं/परियोजनाओं का मूल्यांकन वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस उद्देश्य के लिए अपनायी जा रही प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। इस समय यह मूल्यांकन संयुक्त संयंत्र समिति के आर्थिक अनुसंधान एकक द्वारा किया जा रहा है।

(ङ) प्रमुख इस्पात उत्पादक के रूप में "टिस्को" अपने विकास से सबधित व्यय की पूर्ति के लिए इस्पात विकास निधि से ऋण लेने के लिए पात्र है। "टिस्को" अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जीवन बीमा निगम आदि से भी अलग से ऋण ले रहा है और इस्पात विकास निधि से ऋण, विकास संबंधी व्यय के लिए धन राशि की व्यवस्था करने अनुपूरक स्रोत हैं। "टिस्को" को स्वीकृत ऋणों पर ली गई गारंटियों मोटे तौर पर उनकी ऋण सम्बन्धी शर्त के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ली गई गारंटियों के अनुसार है।

मूल्य से जुड़ी कर प्रणाली शुरू करना

2858. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मूल्य से जुड़ी कर प्रणाली शुरू करने के विचार को छोड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विचार को छोड़ने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जिन कठिनाइयों की वजह से समूल्य कर को पुरः स्थापित किया जाना संभव नहीं हो सका है उनमें से कुछेक मुख्य-मुख्य कठिनाइयां निम्नोक्त हैं—

(i) न केवल केन्द्रीय सरकार अपितु राज्य सरकारों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों द्वारा जिन्सों पर लगाए जाने वाले बहुस्तरीय कराधान की मौजूदगी।

(ii) जिन्स सम्बन्धी करों के संबंध में दरों की विविधता;

(iii) खास तौर पर लघु क्षेत्रों के एककों द्वारा रिकार्डों के विस्तृत रख-रखाव में कमी;

(iv) विविध सामाजिक-आर्थिक प्रयोजनों के लिए जिस सम्बन्धी करों से छूटों की मौजूदगी जिनकी वजह से अन्तर्गामी माल के सम्बन्ध में करों के बारे में जमा होने वाली रकमों की शृंखला भंग हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप गड़बड़ियां पैदा होती है;

(v) कुछ मामलों में, प्रशासनिक अपेक्षाओं का जरूरी होना जिनकी वजह से तैयार-शुदा उत्पादों की बजाए अन्तर्गामी माल पर शुल्क की वसूली किया जाना।

बैंकिंग उद्योग में पांच दिन का कार्य सप्ताह

2859. श्री सनत कुमार मंडल
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की भांति बैंकिंग उद्योग में 5 दिन का कार्य सप्ताह रखने की व्यवहारिकता की जांच की है;

(ख) क्या यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया गया है;

(ग) ग्राहक सेवा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस समय यह मामला किस स्तर में है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड का अधिग्रहण

2860. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुग्ण इस्पात उद्योगों अर्थात् विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए क्या उपाय किए गए हैं या करने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं नटवर सिंह) : सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसमें भारत सरकार से विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए कहा गया है। यह मामला विचाराधीन है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्यों को दिया गया प्रतिव्यक्ति अग्रिम

2861. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों को वर्षवार राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार दिए गए प्रतिव्यक्ति अग्रिम का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : दिसम्बर, 1982 दिसम्बर, 1983 तथा दिसम्बर, 1984 के अंतिम शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों का प्रति-व्यक्ति राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक समूह और 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रति व्यक्ति राज्य-वार ऋण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति व्यक्ति अग्रिम (रुपए) निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को		
	दिसम्बर 1982	दिसम्बर 1983	दिसम्बर 1984
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	354	428	570
2. असम	112	135	191
3. बिहार	127	148	172
4. गुजरात	557	621	749
5. हरियाणा	521	602	686
6. हिमाचल प्रदेश	310	363	434
7. जम्मू और कश्मीर	167	191	224
8. कर्नाटक	516	603	748
9. केरल	378	451	562
10. मध्य प्रदेश	181	224	269
11. महाराष्ट्र	1139	1428	1725
12. मणिपुर	65	84	115
13. मेघालय	175	142	193
14. नागालैंड	185	237	287
15. उड़ीसा	162	199	243

(...जारी)

1	2	3	4	5
16.	पंजाब	724	858	1081
17.	राजस्थान	217	261	318
18.	सिक्किम	55	79	168
19.	तमिलनाडु	564	625	782
20.	त्रिपुरा	127	153	189
21.	उत्तर प्रदेश	202	236	274
22.	पश्चिम बंगाल	562	610	681
23.	सभी संघ राज्य क्षेत्र*	4064	4673	5057
	अखिल भारतीय	467	537	642

टिप्पणी : 1. 1981 की जनगणना की आबादी के अनुसार

*2. ब्यौरे के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

कैंसर बीमा योजना

2862. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने इंडियन कैंसर सोसाइटी के सहयोग से महानगरों में कैंसर के लिए सदस्यता तथा बीमा की एक नई योजना शुरू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम के प्रमुख आकर्षण इस प्रकार हैं—

(i) स्कीम के प्रति प्रस्तावक की पात्रता भारतीय कैंसर सोसाइटी की सदस्यता के अधीन है।

(ii) उपर्युक्त चिकित्सा व्यय पालिसी के लिए बीमा प्रीमियम की राशि 100 रुपए प्रतिवर्ष है।

(iii) चिकित्सा व्यय कवच की कुल सीमा कुल मिलाकर 40,000 रुपए है।

(iv) भारतीय कैंसर सोसाइटी के सदस्य के रूप में बीमाकृत को प्राप्त अन्य लाभों में ये शामिल हैं—(क) पहले वर्ष में कैंसर का पता लगाने वाले केन्द्र पर एक बार निःशुल्क चिकित्सा जांच; (ख) बाद के वर्षों में रियायती दरों पर जांच; और (ग) कैंसर पर साहित्य सुलभ कराना आदि।

(v) शुरू में इस स्कीम को 4 महानगरीय शहरों में प्रारम्भ किया जाएगा क्योंकि भारतीय कैंसर सोसाइटी के पास इस संबंध में भारत में और कहीं सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। धीरे-धीरे इस स्कीम को अन्य केन्द्रों तक बढ़ाया जाएगा जो उन स्थानों पर सुविधाओं के विकास पर निर्भर करेगा।

( ) भारत एशिया का तीसरा ऐसा देश है जिसने कैंसर का उपचार करने के लिए चिकित्सा व्यय का कवच प्रदान करने की ऐसी स्कीम प्रारम्भ की है।

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

2863. श्री मुरलीधर माने : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण से बहुत बड़ी संख्या में कपड़ा मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे जैसाकि सरकार की नई कपड़ा नीति में उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो छंटनी किए गए मजदूरों को पुन: रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के साथ-साथ इसके बढ़ने की भी संभावना है और इसलिए इसके परिणाम स्वरूप रोजगार में अधिक कटौती नहीं होगी। तथापि, नीति के अनुसार, एकक स्तर पर, संतोषजनक समाधान हेतु श्रमिकों का योक्तिकीकरण एवं कार्य मानकों का संशोधन करने के लिए श्रमिकों के साथ बातचीत करना आवश्यक होगा। अत : ऐसे सब मामलों में कामगारों के हितों की रक्षा की जाएगी।

सातवीं योजना में इस्पात संयंत्रों की सक्षमता

2864. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस्पात संयंत्रों को सक्षम बनाया जाए; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कुं नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशों में निर्माण कार्य के ठेके

2865. श्री विष्णु मोदी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से विदेशों में निर्माण कार्य के लिए भारतीय ठेकेदार बड़ी संख्या में ठेके ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में इस प्रकार के ठेकों की संख्या में पर्याप्त रूप से कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और विदेशों में ठेके प्राप्त करने के मामले के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां। वर्ष 1975 से 1981 के दौरान भारतीय ठेकेदार विदेशों में निर्माण परियोजनाओं के लिए बड़ी संख्या में आर्डर प्राप्त करने में सफल हुए थे।

(ख) से (घ) भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशों में निर्माण-परियोजनाओं के लिए आदेशों में हाल में गिरावट आई है आर्डरों में कमी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के कारण हो सकती है।

(i) लम्बे समय से चल रहा ईरान-इराक युद्ध;

(ii) विश्व-तेल बाजार में चल रही अनिश्चित और मन्दी की स्थितियां; और

(iii) बहुत से देशों में भुगतान संतुलन की समस्याएं।

निर्माण परियोजनाओं के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे (i) "ओवरसीज कन्सट्रक्शन काउन्सिल आफ इंडिया नामक एक अलग निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना, (ii) भारतीय निर्माण उद्योग की प्रबन्ध क्षमताओं को बढ़ाने के कार्यक्रम और (iii) भारतीय कम्पनियों के व्यवसाय भाग को बढ़ाने के लिए बहु-उद्देशीय एजेंसी वित्त परियोजनाओं का पता लगाने के लिए एग्जिम बैंक में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अखिल भरातीय प्रबंध सेवा का गठन

2866. **श्री बी० एस० विजयराघवन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को चलाने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पैटर्न की तरह अखिल भारतीय प्रबन्ध सेवा का गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक उपक्रमों के निराशाजनक कार्य-निष्पादन का मुख्य कारण प्रबंधकीय कमियां हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

राजधानी में मादक पदार्थों की बिक्री में वृद्धि

2867. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष से राजधानी में मादक पदार्थों की बिक्री में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या पिछले दो महीनों में भारी मात्रा में माल पकड़ा गया है;

(ग) क्या देश में यह धन्धा करने वाले गिरोह पकड़े गये हैं; और

(घ) क्या इस माल को पकड़ने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों का जीर्णोद्धारा

2868. **श्री के० प्रधानी :** क्या इस्पात खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्रों के संयंत्रों का उनके कार्य-निष्पादन को सुव्यवस्थित करने तथा उनके रख-रखाव को अधिक सुनिश्चित करने, प्रतिस्थापन तथा आधुनिकीकरण तथा उत्पादन के प्रति आशान्वित होने के लिए जीर्णोद्धारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की विस्तृत रूप-रेखा क्या है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०, को चालू वित्तीय वर्ष में अधिक खपत वाली मदों का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० ने "मुख्य उत्पादों" के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) और (ख) इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। प्रत्येक इस्पात कारखाने का परिवर्द्धन, संशोधन, प्रतिस्थापन तथा नवीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और कारखाने के परिचालन में सुधार करने के लिए अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए वार्षिक बजट में कुछ राशि का आवंटन किया जाता है।

बोकारो तथा भिलाई के इस्पात कारखानों का 40-40 लाख टन तक विस्तार किया जा रहा है। इन योजनाओं की नवीनतम अनुमानित लागत क्रमश: 2,000 करोड़ रुपए तथा 2,300 करोड़ रुपए है।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने दुर्गापुर, राउरकेला तथा बर्नपुर (इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि०) के इस्पात कारखानों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए योजना बनाई है। इन पर क्रमश: 990 करोड़ रुपए, 690 करोड़ रुपए तथा 930 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है सातवीं योजना में इस्पात क्षेत्र के लिए धन-राशि के आवंटन को अन्तिम रुपए दिए जाने के पश्चात् ही पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जाएगा।

(ग) "सेल" का यह प्रयास रहा है कि बाजार के लिए आवश्यक भारी मूल्यों की मदों के उत्पादन में वृद्धि की जाए। तदनुसार चालू वित्त वर्ष में उन विशेष-क्रांतिक मदों के उत्पादन के लिए योजना बनाई गई है, जिनके उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

(घ) वर्ष 1984-85 में वास्तविक उत्पादन सहित वर्ष 1985-86 में इस्पात की विशेष/क्रांतिक मदों के उत्पादन की योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

"सेल" के कारखानों से विशेष/क्रांति मदों का उत्पादन

(इकाई टन)

मद	1984-85	1985-86 योजनागत
1	2	3
बॉयलर क्वालिटी की प्लेट	11661	61000
शिप-बिल्डिंग क्वालिटी की प्लेट	18355	42000
आई० एस० : 2062-प्लेट	74311	181000
बिक्री के लिए गर्म बेलित क्वायल (2.55 मि० मी० तथा उससे कम)	272897	245000
0.63 मि० मी० और उससे कम आकार के ठंडे बेलित उत्पाद	91149	107000
0.4/0.5 मि० मी० आकार की जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरें	35408	25000

(...जारी)

1	2	3
वैद्युतिक इस्पात की चादरें	26576	50000
विद्युत विश्लेषिक टिन प्लेट	72781	70000
एल० पी० जी० चादरें	63007	72000
डी/डी० डी/ई० डी० डी० क्लिड ठंडे बेलित उत्पाद	25303	35000
रेल की पट्टरियां (परीक्षित)	294100	370000
इलैक्ट्रोड क्वालिटी की तार छड़ें	19481	36000
फिश प्लेट	2950	5000
टार स्टील	136291	165000
कुल :	1144270	1464000

"नाबार्ड" में अनु० जाति अनु० जनजाति के लिए आरक्षण नियम

2869. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक) में 31 मार्च 1985 को कर्मचारियों की कुल संख्या क्या थी;

(ख) उनमें से श्रेणी तीन, चार, संवर्ग क, ख, ग, घ, ङ, च में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अनु० जाति तथा अनुसूचित जनजाति के संबंध में आरक्षण नियमों का अनुपालन किया गया है तथा रोस्टर भी रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की सूचना के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 1985 को उसके कुल कर्मचारियों की संख्या और उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार थी—

समूह (क) अधिकारी	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
संवर्ग क	1110	102	66
संवर्ग ख	529	30	9
संवर्ग ग	343	23	6
संवर्ग घ	122	1	—
संवर्ग ङ	50	1	—
संवर्ग च	15	—	—
संवर्ग छ	4	—	—
कुल	2173	157	81

1	2	3	4
समूह (ख) (लिपिकीय स्टाफ)	142	1442	50
समूह (ग) (अधीनस्थ स्टाफ)	635	119	21
कुल	4250	418	152

(ग) जी, हां।

(घ) अधिकारी संवर्ग की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर सीधे की जाती है और इसमें क्रमशः 15% पद अनुसूचित जातियों के लिए और 7.5% पद अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होते हैं। इस उद्देश्य के लिए 40 सूत्री रोस्टर रखा गया है। लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती क्षेत्रीय आधार पर की जाती है और विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में इस सम्बन्ध में लागू अनुपात के आधार पर आरक्षण किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए नाबार्ड द्वारा 100 सूत्री रोस्टर रखे गए हैं। विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के लिए 40 सूत्री रोस्टर का अनुसरण किया जाता है।

राज्य में विद्युत करघे लगाने के लिये लाइसेंस देना

2870. श्री बनवारी लाल पुरोहित क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय सरकार से राज्य में विद्युत करघे (टेक्समार्क) लगाने के लिए लाइसेंस देने की अवधि को 31 दिसम्बर तक बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) क्या संघ सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार को समय सीमा में कब तक छूट दी जाएगी ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने छठी योजना के लिए आबंटित विद्युत करघा परमिटों का उपयोग करने के लिए 31 मार्च, 1987 तक समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) सरकार ने इन परमिटों के उपयोग के लिए 31 मार्च, 1985 के बाद समयावधि को बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया है। तथापि, नई वस्त्र नीति के अनुसार अनिवार्य पंजीकरण द्वारा विद्युत करघे स्थापित किए जा सकते हैं।

सहकारी बैंकों के माध्यम से छोटे किसानों को अल्पावधि, मध्यम तथा लम्बी अवधि के ऋण

2871. : श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सहकारी बैंकों के माध्यम से छोटे किसानों को अल्पावधि मध्यम अवधि तथा लम्बी अवधि वाले ऋण प्रदान करने की योजना को क्रियान्वित करने लिए अनुमति प्रदान करने के लिए केंद्र से अनुरोध किया है;

(ख) क्या उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक तथा "नाबार्ड" द्वारा इसे स्वीकृत किया जाना आवश्यक है;

(ग) यदि हाँ, तो भारतीय रिजर्व बैंक तथा "नाबार्ड" उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अपना अनुमोदन कब देंगे, और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अन्तिम निर्णय लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सहकारी बैंक महाराष्ट्र में छोटे किसानों को अल्पावधिक, मध्यावधिक और दीर्घावधिक ऋण देते हैं। सम्भवत: इस प्रश्न का सम्बन्ध सहकारी ऋण समितियों द्वारा छोटे किसानों को अल्पावधिक, मध्यावधिक और दीर्घावधिक ऋणों के ब्याज की दर में सहायता देने के लिए माहाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ब्याज सहायता योजना से है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इस योजना पर विचार करने के बाद प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की है। सरकार ने भी प्रस्तावित योजना का अनुमोदन न करने का फैसला किया है ।

इस्पात का उत्पादन

2872. **श्री ब्रज मोहन महंती : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या लोहा और इस्पात कार्यकारी दल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के अन्त तक इस्पात की बढ़ती कमी को रोकने के लिए दैतारी में इस्पात संयंत्र लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना-अवधि से कुल निवेश में से इस्पात उद्योग का शेयर 5.29 प्रतिशत से गिरकर 2.32 प्रतिशत रह गया है जिसके कारण इस्पात में कमी हुई है;

(ग) क्या अध्ययन दल ने वर्तमान इस्पात संयंत्रों का विस्तार न करने तथा चालू परियोजनाओं को पूरा करने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) चालू परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिन्हें पूरा किया जाना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस्पात की मांग तथा हमारे उद्योगों के इस्पात-उत्पादन द्वारा उसकी पूर्ति के बीच कुल अनुमानित अन्तर कितना है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) कार्यकारी दल ने चल रही परियोजनाओं को पूरा करने की सिफारिश की है। इनमें भिलाई तथा बोकारो के इस्पात कारखानों की वार्षिक क्षमता 40 लाख टन तक विस्तार करने की योजनाएं शामिल हैं। इसने दुर्गापुर राउरकेला और बर्नपुर के पुराने इस्पात कारखानों का अधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने की भी सिफारिश की है।

(ङ) इस समय सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग में चल रही विभिन्न परियोजनाओं का

ब्यौरा निम्नलिखित है :—

कारखाना	योजना का नाम
क. **मौजूदा इस्पात, कारखाने**	
भिलाई इस्पात कारखाना	40 लाख टन तक विस्तार
राउरकेला इस्पात कारखाना	सिलिकन इस्पात परियोजना —2×60 मेगावाट क्षमता का गृहीत विद्युत संयंत्र
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	2×60 मेगावाट क्षमता का गृहीत विद्युत संयंत्र
बोकारो इस्तात कारखाना	40 लाख टन तक विस्तार
बोकारो इस्पात कारखाना	3×60 मेगावाट क्षमता का गृहीत विद्युत संयंत्र
मिश्र इस्पात कारखाना	द्वितीय चरण विस्तार
ख. नये इस्पात कारखाने	
इस्पात कारखाने का नाम	
विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना	

(च) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लोहे और इस्पात से संबंधित कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि सातवीं योजनावधि में तैयार इस्पात की माँग और उपलब्धता के बीच कुल अन्तर सातवीं योजना के प्रथम वर्ष (अर्थात् वर्ष 1985-86) में 14.3 लाख टन से कम होकर सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष (अर्थात् वर्ष 1989-90) में 08.3 लाख टन रह जाएगा।

जनता कपड़ा

2873. **श्री ब्रज मोहन महंती : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान कुल कितने जनता कपड़े का उत्पादन हुआ और राज्य-वार तथा संघ राज्यक्षेत्र-वार उसके वितरण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1984-85 के लिये जनता कपड़े के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया।

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ख) 1984-85 वर्ष में जनता कपड़े के उत्पादन तथा वितरण की राज्य वार मात्रा तथा लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

1984 85 **के दौरान सहभागी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा बनाए गए कपड़े का राज्य-वार लक्ष्य, उत्पादन और वास्तविक सुपुर्दगी**

(आँकड़े मिलियन वर्ग मीटरों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	लक्ष्य 1984-85	1984-85 के दौरान उत्पादन	1984-85 के दौरान की गई वास्तविक सुपुर्दगी
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	30.00	28.25	28.25
2.	कर्नाटक	12.00	10.94	9.84

(...जारी)

1	2	3	4	5
3.	केरल	3.00	1.90	1.50
4.	पांडिचेरी	0.10	0.20	0.70
5.	तमिलनाडु	41.00	42.48	42.48
6.	मध्य प्रदेश	15.00	27.16	14.56
7.	उत्तर प्रदेश	90.00	85.85	84.64
8.	बिहार	40.00	45.50	43.00
9.	उड़ीसा	30.00	28.00	26.44
10.	पं० बंगाल	33.00	30.85	25.92
11.	गुजरात	6.40	5.30	5.64
12.	महाराष्ट्र	54.00	42.34	42.82
13.	त्रिपुरा	1.82	1.50	1.36
14.	आसाम	2.00	4.50	4.00
15.	राजस्थान	1.68	2.00	2.00
		360.00	356.77	332.52

एक रुपये के करेंसी नोट को पुनः जारी करना

2874. **श्री अमर राय प्रधान**
श्री सरफराज अहमद } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक रुपये का करेंसी नोट पुनः जारी करना प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विगत में इसका मुद्रण रोक दिये जाने के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक रुपए के नोटों का मुद्रण कभी भी बन्द नहीं किया गया था। इसलिए एक रुपये के करेंसी नोटों को पुनः जारी करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

अनिवासी भारतीय व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का कथित उल्लंघन

2875. **श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या अनिवासी भारतीय व्यापारी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन अनिवासी भारतीय व्यापारियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अनिवासी भारतीय व्यापारियों के ऐसे थोड़े से मामले हैं जिन्होंने शायद विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया हो। लोकहित में इन मामलों का विस्तृत ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता। फिर भी सरकार कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही करेगी।

निर्माण संगठन स्थापित करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

2876. श्री के० एस० राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण संगठन, जैसे हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन, ब्रिज एण्ड रूफ आदि, स्थापित करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं क्योंकि इनमें से अनेक संगठनों में सरकार को भारी नुकसान हो रहा है; और

(ख) क्या इन निगमों को सरकारी निगमों जैसे एन० टी० पी० सी०, एन०एच०पी०सी० आदि के साथ काम करने की अनुमति देना उचित नहीं है क्योंकि इससे सरकार का अतिरिक्त व्यय हो रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० को जून, 1964 में निगमित किया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी क्षेत्र में एक सेवा संगठन स्थापित करना है, जो स्थल की जांच से लेकर चालू करने की अवस्था तक आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्रों का संपूर्ण निर्माण कार्य हाथ में ले सके। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को बांधों, सुरंगों, बैराजों, पुलों, सिंचाई परियोजनाओं, पन-बिजली परियोजनाओं एवं ताप बिजली परियोजनाओं से संबंधित ढांचों के विनिर्माण, उपस्कर आदि की उत्थापना एवं संस्थापना सहित निर्माण कार्य हाथ में लेने के उद्देश्य से जनवरी, 1957 में निगमित किया गया था। ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी इण्डिया लि० एक ऐसी कंपनी है जिसे गैर सरकारी क्षेत्र से अधिग्रहीत किया गया है। इसे 1920 में निगमित किया गया था। ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी इंडिया लि० की पूर्ववर्ती धारक कंपनी बामेर लारी के इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कं०, जो एक सरकारी कंपनी थी, की सहायक कम्पनी होने के परिणामस्वरूप ब्रिज एंड रूफ कं० इण्डिया लि० भी 1972 में एक सरकारी कम्पनी बन गई। ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी इण्डिया लि० 1.12.1978 से बामेर लारी की सहायक कम्पनी नहीं रही।

सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माण कम्पनियों की स्थापना के संक्षिप्त उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

— राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं सम्बन्धी वृहद एवं जटिल निर्माण कार्य हाथ में लेने के लिए अपेक्षित सुयोग्यता एवं क्षमता विकसित करना।

— निर्माण के विशेषीकृत क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करना और उनका निक्षेपागार बन जाना।

— निर्माण कार्यों के विशेषीकृत क्षेत्रों सम्बन्धी विशिष्ट उपस्कर एवं जन शक्ति का समूह तैयार करना।

— देश में निर्माण लागत, किस्म मानक, कार्य-निष्पादन सम्बन्धी प्रतिमान, रोजगार सम्बन्धी नीतियों और व्यावसायिक आचार सम्बन्धी मामलों में गति निर्धारक बनना।

— दुर्गम एवं ऊसर क्षेत्रों, जहां गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्माण संगठन सिवाय प्रतिषेधात्मक दरों के सामान्यतः काम नहीं करना चाहते हैं, में निर्माण कार्य हाथ में लेना।

— गोपनीय किस्म के निर्माण कार्य हाथ मे लेना; और

— विशेषीकरण सम्बद्ध क्षेत्रों में योजना, अभिकल्प और निष्पादन के साथ-साथ पर्यवेक्षण, परिवीक्षण एवं नियंत्रण सहित समग्रता के आधार पर परियोजना कार्य हाथ में लेने के लिए अपेक्षित सुयोग्यता एवं सक्षमता विकसित करना।

यह सही है कि सरकारी क्षेत्र की कुछ निर्माण कंपनियां घाटा दिखा रही हैं। यह घाटा कर्मचारियों की संख्या अधिक होने, नकद राशि सम्बन्धी समस्याओं, विशेषकर विदेशी परियोजनाओं, आर्डर मिलने में कमी तथा परियोजनाओं का कार्य सविलम्ब पूरे होने के कारण समय एवं लागत बढ़ जाने जैसे कारणों से हुआ है। सम्बद्ध कंपनियां इन समस्याओं की जांच कर रही हैं ताकि ऐसे समाधान खोजे जा सकें कि उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है और उनकी लाभकारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है।

(ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय 10 प्रतिशत मूल्य अधिमान्यता के कारण अतिरिक्त व्यय से है, जिसे सरकारी क्षेत्र की निर्माण कंपनियां सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों से पाने के हकदार हैं। सरकारी क्षेत्र की निर्माण कंपनियों सहित सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश समग्र सार्वजनिक नीति के आधार पर किया जाता है। सरकार यह सुनिश्चित करने में रुचि रखती है कि इस प्रकार सृजित क्षमताओं का यथासम्भव पूरा-पूरा उपयोग किया जाये। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 10 प्रतिशत मूल्य अधिमान्यता देने की वर्तमान नीति का निश्चय किया है, बशर्ते कि बढ़िया किस्म की मांग तथा सुपुर्दगी कार्यक्रम पूरे किये जा सकें। अत: प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

कृषकों को ऋण

2877. श्री एस० जी० घोलप : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने कृषकों के 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देने और 60 प्रतिशत से अतिरिक्त ब्याज के लिये राजसहायता देने हेतु केंद्रीय सरकार की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इसकी अनुमति कब दिये जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने छोटे किसानों के 6 प्रतिशत की रियायती दर पर ऋण सुलभ कराने के लिये एक स्कीम प्रस्तुत की थी।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर ढांचे में किसी प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में नहीं है। सरकार ने भी प्रस्तावित योजना का अनुमोदन नहीं किया है।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण/विनियमन में छूट देने का प्रस्ताव

2878. श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बदलती हुयी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा नियंत्रण/विनियमनों में छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने विदेशी मुद्रा नियन्त्रण संबंधी विनियमनों के पूरे तन्त्र की समीक्षा करने के लिये वित्त मन्त्री के अनुमोदन से भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर की अध्यक्षता में कार्यकारी दल का गठन किया है। कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट अभी सरकार को पेश नहीं की है।

आयकर की बकाया राशि

2879. श्री मूलचन्द डागा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर की बकाया धनराशि 220341 लाख रुपये है और क्या इनमें अधिकतम वे मामले हैं जिनमें आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा अपीलों पर निर्णय न लिए जाने के कारण धनराशि वसूल नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दो प्राधिकरणों के पास अपील लंबित पड़ी होने के कारण देश में सबसे अधिक बकाया धनराशि के 100 मामलों में कुल बकाया धनराशि कितनी है; और

(ग) उनके शीघ्र निपटान के लिये कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार आयकर की बकाया राशि 2203.41 करोड़ रु० की है। फिर भी, इस राशि के आंकड़े अनन्तिम हैं और इसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि 31-12-1984 की स्थिति के आंकड़ों के अनुसार मांगों का अधिकांश भाग वसूल नहीं किया गया क्योंकि अपीलें आयकर अपील अधिकरण आयकर आयुक्तों के पास विचाराधीन पड़ी हैं।

(ख) 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार 10 लाख रु० से अधिक की मांग वाले चोटी के 100 मामलों में 393.58 करोड़ रु० की राशि बकाया थी, जिसमें से 271.99 करोड़ रु० की राशि अपीलों में रुकी पड़ी है।

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए कानून के अनुसार उपाय किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

नई कपड़ा नीति के अंतर्गत मिलों में नये विद्युत चालित करघों की स्थापना

2880. श्री मूलचंद डागा : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई कपड़ा नीति के अन्तर्गत मिलों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा और नये विद्युत चालित करघों को स्थापित करने के लिये किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका हथकरघा उद्योग में छोटे बुनकरों के कार्य पर प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो किस रूप में;

(ग) क्या वितरण समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि दो व्यक्तियों को रोजगार देने वाला विद्युत चालित करघा 24 हथकरघा बुनकरों को रोजगार से वंचित करता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह नीति गांवों में प्रवृत्त बेरोजगारी की समस्या को हल करने में बाधक नहीं होगी ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) समिति ने हथकरघों के लिए स्थानान्तरण के लिए संगत टिप्पणी की थी। वर्तमान नीति से संलग्न विवरण में बताये गये तथ्यों को देखते हुए गांवों में, बेरोजगारी नहीं होगी।

विवरण

सरकार द्वारा घोषित नई वस्त्र नीति में यह व्यवस्था की गई है कि वर्तमान एककों द्वारा क्षमता में विस्तार और संगठित मिल क्षेत्र में नये एककों द्वारा क्षमता सृजन की अनुमति एम०

आर० टी० पी० अधिनियम और एफ० ई० आर० ए० के उपबन्धों सहित सामान्य औद्योगिक नीतियों के अध्यधीन दी जायेगी। विद्युत चालित करघा क्षेत्र में नये विद्युत चालित करघों की स्थापना का मार्गदर्शन उत्पादकता बढ़ाने, कार्यकुशलता बढ़ाने, कामगार कल्याण में सुधार करने और स्थानिक निपटान सुकर बनाने संबंधी उद्देश्यों द्वारा किया जाएगा। सभी विद्युत चालित करघों का पंजीकरण किया जायेगा।

2. हथकरघा की अद्वितीय भूमिका निभाने और उन्हें अपनी पूर्व क्षमता प्राप्ति कर सकने और साथ ही हथकरघा बुनकर के लिये उच्च आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई वस्त्र नीति में निम्नोक्त प्रमुख उपायों का सुझाव दिया गया है :—

(1) "हथकरघा (उत्पादन हेतु वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 के अधीन हथकरघा क्षेत्र में हथकरघों के अन्य उत्पादन के लिये वस्तु आरक्षण द्वारा उनका संरक्षण।

(2) सहकारिताओं और केंद्रीय/राज्य स्तरीय निगमों की मार्फत हथकरघों का विकास।

(3) हथकरघों की उत्पादकता और हथकरघा उत्पादों की क्वालिटी तथा परिष्करण में सुधार लाने के उद्देश्य से हथकरघों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय और अन्य अन्तर्निविष्ट साधनों के लिए अधिक व्यवस्था।

(4) हथकरघा क्षेत्र के लिये यार्न और अन्य कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(5) बुनकरों की मजदूरी और आय में सुधार करने के उद्देश्य से हथकरघों के मिश्रित तथा ब्लेन्डेड फैब्रिकों का उत्पादन।

(6) हथकरघों की प्रतियोगितात्मकता में सुधार के लिये समुचित वित्तीय उपायों द्वारा विद्युत-चालित करघों की अपेक्षा हथकरघों की लागत प्रतिबन्धों को यथासभव हटाने के लिए उपाय किए जाएंगे।

(7) हथकरघा उत्पादों के विपणन में सुधार लाने के लिये विपणन कंप्लैक्सों की अवस्थापना, विपणन कार्मिकों का प्रशिक्षण और गहन प्रचार संगठित किया जायेगा। हथकरघा क्षेत्र में नियोजित कार्मिकों की तकनीकी, प्रबन्धकीय और प्रशासनिक कुशलता को उन्नत बनाने के लिये उपाय किये जायेंगे।

(8) हथकरघा बुनकरों की कार्य-शर्तों में सुधार लाने और उन्हें सीधा लाभ प्रदान करने के लिये आवश्यकता के समय हथकरघा बुनकरों को सहायता देने सम्बन्धी अंशदाय किफायत निधि योजना और हथकरघा बुनकरों को काम और जीवन के लिये बेहतर स्थान प्रदान करने संबन्धी वर्क-शेड-सह आवास योजना जैसी योजनाएं आरम्भ की जायेंगी।

बैंक कर्मचारियों द्वारा "समाशोधन गृहों" को बन्द करना

2881. श्री विष्णु मोदी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि बैंक प्रबंधकों के साथ एक मामूली से झगड़े पर बैंक कर्मचारियों द्वारा "समाशोधन गृह" बन्द कर दिये जाते हैं;

(ख) क्या बैंक कर्मचारियों द्वारा "समाशोधन गृह" के बन्द कर दिये जाने के कारण व्यापारियों और उद्योगपतियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार "समाशोधन गृहों" के बन्द हो जाने से व्यापारियों और उद्योगपतियों को हुए आर्थिक नुकसान को पूरा करने का है;

(घ) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान बैंक कर्मचारियों ने देश के किन-किन स्थानों पर "समाशोधन गृह" बन्द किये और ये "समाशोधन गृह कितने दिन तक बन्द रहे तथा तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे किन्हीं उपायों पर विचार किया है जिससे बैंक कर्मचारियों द्वारा "समाशोधन गृह" बन्द न किए जायें; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि गुजरात के केंद्रों जैसे कुछ केंद्रों में कानून और व्यवस्था की समस्याओं के कारण समाशोधन कार्य स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अन्य केंद्रों में समाशोधन गृह कार्यों का स्थगित किया जाना बैंक कर्मचारियों की समाशोधन को रोकने की उस प्रवृत्ति का द्योतक है जिसके द्वारा बैंक कर्मचारी स्टाफ के तबादले के आदेशों को वापिस लेने के लिये बैंकों पर दबाव डालने जैसे समाशोधन कार्यों से बिल्कुल अलग शिकायतों को निपटाने के लिये बैंक प्रबन्धकों पर दबाव डालते हैं।

(ख) समाशोधन गृह कार्यों के स्थगित किये जाने का बैंकों के समाशोधन पर प्रभाव पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप रकमें वसूल करने में देरी होती है और व्यापारियों तथा उद्योगपतियों सहित ग्राहकों को असुविधा होती है।

(ग) सरकार व्यापारियों और उद्योगपतियों को होने वाली किसी वित्तीय हानि, यदि कोई हो तो पूरा करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) और (च) सरकार ने सभी मुख्य कार्यपालकों को लिखा है जिसमें समाशोधन गृहों के कार्य को सामान्य बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिये भी कहा गया है कि जिन त्रुटियों के कारण समाशोधन कार्यों में बाधा आयी है उन्हें दूर करने के लिये तत्काल कारंवाई की जानी चाहिए। बैंकों को स्टाफ में अनुशासनहीनता के मामलों में तत्काल और कारगर विभागीय कारंवाई करने के लिये भी कहा गया है।

कराधान और औद्योगिक नीति में संशोधन

2882. श्री विष्णु मोदी
श्री शांति धारीवाल } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक और औद्योगिक विकास को तेज करने के उद्देश्य से कराधान और औद्योगिक नीति में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) एक दीर्घकालिक राजकोषीय नीति संरचना की प्रक्रिया में है। आशा की जाती है कि लगभग सितम्बर, 1985 के अन्त तक कार्य पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

1984-85 में कर छापों में पता लगाया गया धन

2883. श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 में मारे गए कर छापों के दौरान कितने मूल्य का लेखाबाह्य धन तथा संपत्ति का पता चला;

(ख) कुल पता लगाई गई इस राशि का कितने प्रतिशत सरकार ने जब्त कर लिया;

(ग) इसी अवधि के दौरान सरकार ने कितने मामलों में ऐसी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण किया जिनमें कर अपवंचन के लिये विक्रय विलेख में कम कीमत दर्ज की गई थी; और

(घ) इस प्रकार से कुल कितने मूल्य की संपत्तियाँ अनिवार्यत: अधिग्रहण की गईं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 में आयकर विभाग के द्वारा ली गई तलाशियों के दौरान लगभग 30.18 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियाँ मिलीं, जिनमें से लगभग 25.08 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियां अभिगृहीत की गई थीं, क्योंकि वे परिसंपत्तियां प्रथमदृष्ट्या अघोषित थीं। अभिग्रहण का प्रतिशत इन तलाशियों के दौरान मिली कुल परिसंपत्तियों का 83% बैठता है।

(ग) तथा (घ) वर्ष 1984-85 में अचल संपत्तियों के 52 मामलों में अधिग्रहण आदेश जारी किये गये थे, किंतु इन आदेशों को अभी अंतिमरूप नहीं दिया गया है। लिहाजा, सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान अनिवार्य रूप से अधिगृहीत संपत्तियों का मूल्य शून्य है।

आयकर के अपवंचक

2884. श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सबसे अधिक कर अपवंचन के दोषी 10 व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनकी ओर कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) सरकार द्वारा अब तक बकाया धनराशि वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) चोटी के जिन दस व्यक्तियों की तरफ 31-3-1985 को स्थिति के अनुसार आयकर की मांगें बकाया थीं, उनके संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	कर-निर्धारिती का नाम	बकाया मांग (लाख रुपयों में)	मांग बकाया रहने के कारण
1	2	3	4
1.	विनोद कुमार डबवानिया	1595.47	745.70 लाख रुपये अदायगी योग्य नहीं बने हैं और 849.77 लाख रुपये आयकर आयुक्त (अपील) के पास अपीलों में रुके पड़े हैं।

1	2	3	4
2.	सुकर नारायण बखिया	1205.74	3.00 लाख रुपये अदायगी योग्य नहीं बने हैं और 1202.74 लाख रुपये कर वसूली अधिकारी द्वारा वसूल किये जा रहे हैं।
3.	(डा०) जे० धर्मतेजा	987.70	रकम, कर वसूली अधिकारी द्वारा वसूल की जा रही है।
4.	हरिदास मूंधड़ा	839.60	कर-निर्धारिती दिवालिया हो गया है। मांग को उगाहने/घटाने लिये समुचित उपाय किए जा रहे हैं।
5.	एस० एन० मारन	732.40	15.50 लाख रुपये अदायगी योग्य नहीं बने है। 311.90 लाख रुपये अपीलों में रुके पड़े हैं। 364.40 लाख रुपये समझौता आयोग के समक्ष विचाराधीन कार्रवाई में रुके पड़े हैं। 40.60 लाख रुपये किस्त योजना के अन्तर्गत आते हैं।
6.	छगनलाल गनमलजी	673.09	11230 लाख रुपये अदायगी योग्य नहीं बने हैं तथा 560.79 लाख रुपये अपीलों में रुके पड़े हैं।
7.	विनोद राय भायानी	615.70	रकम, अदायगी योग्य नहीं बनी है।
8.	भानाभाई के० पटेल	399.35	2.83 लाख रुपए अदायगी योग्य नहीं बने हैं और 396.52 लाख रुपए कर वसूली अधिकारी द्वारा वसूल किए जा रहे हैं।
9.	चन्द्र नाथ बानिक	257.84	220.00 लाख रुपए उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन मामलों में रुके पड़े हैं और 37.84 लाख रुपए कर वसूली अधिकारी द्वारा वसूल किए जा रहे है।
10.	टी० एम० हैदर अली	285.48	92.06 लाख रुपए अदायगी योग्य नहीं बने हैं और 193.42 लाख रुपए अपीलों में रुके पड़े हैं।

विद्युत उत्पादन के लिये कपुरडी में लिग्नाइट भण्डारों का प्रयोग

2885. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या इस्पात खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कपूरडी में भारी मात्रा में लिग्नाइट के भंडारों का पता लगा है;

(ख) क्या लिग्नाइट के इस भंडार के उपयोग के लिए एक तापीय संयत्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या राजस्थान में कपूरडी के अतिरिक्त मेडता में भी लिग्नाइट के भंडार पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस भंडार के उपयोग के लिए सरकार कब तक एक कार्यक्रम बनाएगी ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) राजस्थान के कपूरडी क्षेत्र में लिग्नाइट के लिए समन्वेषण का काम चल रहा है। भंडार का आकार और इन भंडारों के आधार पर ताप संयंत्र लगाने की संभावना का निर्णय तभी किया जायेगा जबकि समन्वेषण-कार्य पूरा हो जाये और क्षेत्र में अपेक्षित मात्रा तथा किस्म के लिग्नाइट का होना प्रमाणित हो जाये।

(ग) और (घ) मेर्टा क्षेत्र में लिग्नाइट के कुछ भंडारों का पता चला है। इस क्षेत्र में भी समन्वेषण-कार्य चल रहा है। अभी इतनी जल्दी इसके दोहन के लिये कोई कार्यक्रम प्रस्तावित करना संभव नहीं है।

हथकरघा क्षेत्र द्वारा जनता कपड़े का उत्पादन

2886. श्री एस० एम० भट्टम : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छह गज प्रत्येक की चार गाड़ियों के वर्तमान खरीद मूल्य 110 रुपये 60 पसे में वृद्धि करके उसे 164 रुपये 40 पैसे करने के संबंध में प्रस्तावों और अभ्यावेदनों पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या इस तथ्य में कोई सच्चाई है कि जब तक उपयुक्त खरीद मूल्य में वृद्धि नहीं की जायेगी, हथकरघा बुनकरों को न्यूनतम मजूरी भी नहीं मिलेगी और उन्हें हानि होगी ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) केंद्रीय सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जनता कपड़े की वसूली कीमतें राज्य सरकारों तथा राज्यों के हथकरघा अभिकरणों द्वारा, जो जनता कपड़े की योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं निर्धारित की जाती हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केंद्रीय सरकार जनता कपड़े की विभिन्न किस्मों के लिये अधिकतम बिक्री कीमतें निर्धारित करती हैं। राज्य सरकारें वसूली कीमतें केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम बिक्री कीमत तथा उपलब्ध अनुदान के आधार पर निर्धारित करती हैं।

(ख) सभी राज्यों में हथकरघा बुनकरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की कोई एक रूप योजना नहीं है। जनता कपड़े के उत्पादन के लिये दी जाने वाली मजदूरी भी राज्य सरकारों तथा उनके हथकरघा अभिकरणों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का केमिकी बेलेंसिंग जलाशय

2887. श्री एस० एम० भट्टम : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी ठेकेदार द्वारा "केमिकी बेलेंसिंग जलाशय" का निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया गया था और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के प्रमुख परामर्शदाताओं के अनुसार इसकी निविदा धनराशि क्या थी और कितनी धनराशि का अनुमान किया गया था;

(ख) सम्बन्धित प्राधिकारियों को इस बात की कब जानकारी प्राप्त हुई प्रमुख परामर्श-

वाला "डाइक्स" के नक्शों को अंतिम रूप नहीं दे सके हैं;

(ग) उक्त भाग (क) में उल्लिखित गैर-सरकारी ठेकेदार द्वारा कितना निर्माण कार्य पूरा किया गया और कितने समय में कार्य पूरा हुआ;

(घ) "केनियी बेलेंसिंग जलाशय" के प्रमुख परामर्शदाता से "डिजाइन वर्किंग ड्राइंग्स" कब प्राप्त हुए;

(ङ) आंध्र प्रदेश सरकार के केंद्रीय डिजाइन संगठन द्वारा इन ड्राइंग्स की जांच कराने का निर्णय किसके द्वारा, कब और किन परिस्थितियों के अन्तर्गत किया गया;

(च) उस एजेंसी की राय कब प्राप्त हुई और क्या यह प्रमुख परामर्शदाताओं की वर्किंग ड्राइंग्स से भिन्न है; और

(छ) "ड्राइंग्स" का अन्तिम रूप से कब अनुमोदन किया गया और क्या इसी बीच गैर-सरकारी फर्म से निविदाकारी के लिए कोई अनुदेश जारी किए गए थे ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) केनियी बेलेंसिंग जलाशय का कार्य मई, 1981 में शुरू किया गया निजी ठेकेदार-मैसर्स गायत्री इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा दिए गए टेंडर में राशि 8.68 करोड़ रुपए दी गई थी। विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के प्रमुख परामर्शदाता (मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कंपनी (प्रा०) लि०), ने इस कार्य के लिए 11.90 करोड़ रुपए की राशि का अनुमान लगाया था।

(ख) प्रमुख परामर्शदाताओं ने "डाइक्स" के रेखा-चित्र (ड्राइंग) प्रस्तुत किए थे, परन्तु मिट्टी की जांच से सम्बन्धित अपर्याप्त आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए निर्माण रेखा-चित्रों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। यह कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

(ग) 8 जुलाई, 1985 तक ठेकेदार पूरे किए गए कार्य का मूल्य 21.90 करोड़ रुपए है।

(घ) जून 1981 के बाद से।

(ङ) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के प्रबन्धकों ने मई, 1981 में इन रेखा-चित्रों की जांच पड़ताल करने का निर्णय लिया था। विस्तृत कार्य रेखा-चित्रों को तैयार करने से पहले प्रमुख परामर्शदाताओं ने एक नियत पेशकश जारी की थी, जिसके आधार पर मैसर्स एंगीकॉन ने मिट्टी की जांच के बारे में अप्रैल, 1981 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में कुछ अपसामान्य भूतत्वीय लक्षणों जैसे टैंक बेड में सिलिकोसिस चूना-पत्थर का पैच और मिट्टी की खराब स्थिति का उल्लेख किया गया है, जिसके लिए बांध की सुरक्षा तथा पानी की कसावट सुनिश्चित करने की दृष्टि से विशेष बुनियाद की आवश्यकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बांध इस्पात बस्ती के क्षेत्र के निकट है और उस क्षेत्र में ताजे पानी के साधनों की कमी पर विचार करते हुए यह आवश्यक समझा गया कि प्रमुख परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किया गया रूपांकन आन्ध्र प्रदेश सरकार के केंद्रीय रूपांकन संगठन जैसे विशेषज्ञता-प्राप्त अभिकरण को जांच-पड़ताल तथा संवीक्षा हेतु भेज दिया जाए।

(च) केंद्रीय रूपांकन संगठन की निम्नलिखित राय 17.7.1981 को प्राप्त हुई थी :—

(I) चूंकि एंगीकॉन की रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़े विस्तृत रूपांकन को अन्तिम रूप देने के लिए अपर्याप्त हैं अतः अतिरिक्त और निष्कासित मिट्टी की जांच करना आवश्यक होगा।

(II) बांध के गहरे भाग में छ: बोर होल करने चाहिए, जिसके लिए एक विशेष अभिकरण शुरू किया जाना चाहिए।

(छ) केंद्रीय रूपांकन संगठन से प्राप्त संशोधित रेखा-चित्र नवम्बर, 1981 के बाद से जारी किए गए थे।

निविदाकर्ता को कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए थे।

केनिथी बलेंसिंग रिजर्वायर के लिये निविदाएं

2888. श्री एस० एम० भट्टम : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 45 दिन की आवश्यकता के लिए 34 लाख टन पानी जमा रखने के लिए केनिथी बेलेंसिग रिजर्वायर के निर्माण का प्रस्ताव मूल रूप से विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के विस्तृत परियोजना-प्रतिवेदन में किया गया था;

(ख) प्रधान परामर्शदाताओं से प्राप्त अंतिम विशिष्ट विवरण के अनुसार से इसके निर्माण की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या इसके लिए खुली निवादायें मांगी गई थीं;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील, वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड और ए०पी०एस०एस० सी० आदि ने भी जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं, इसके लिये निविदायें दी थीं;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए किस कपनी को चुना गया और उक्त कार्य के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई; और

(च) अन्य अनेक कार्यों के सम्बन्ध में अपनाई जा रही सामान्य प्रक्रिया के अनुसार उक्त कार्य को भाग (घ) में उल्लिखित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां। यह जलाशय इस्पात कारखाने के प्रथम चरण (12 लाख टन वार्षिक क्षमता) के दौरान भी पानी की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए है।

(ख) 19.61 करोड़ रुपये।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) इस कार्य के लिए मैसंस गायत्री इंजीनियरिंग कम्पनी को चुना गया था। मात्रा-पत्र (बिल-आफ क्वान्टिटी) और प्रमुख परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किये गए प्रारंभिक रेखा-चित्रों के आधार पर 20.4.1981 को यह कार्य उन्हें सौंपा गया था जिसका मूल्य 8.68 करोड़ रुपए है। इस कार्य को पूरा करने का समय 15 महीने निर्धारित किया गया था।

(च) यह कार्य निम्नतम निविदाकर्त्ता को 8.68 करोड़ रुपए में सौंपा गया था जबकि मैसर्स आन्ध्र प्रदेश राज्य निर्माण निगम और मैसर्स राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निविदा में क्रमश: 10.55 करोड़ रुपए 15.71 करोड़ रुपए का मूल्य कोट किया गया था। सरकारी क्षेत्र के एक अन्य उपक्रम मैसर्स हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने भी निविदा दी थी, परन्तु उन्होंने उसमें कोई मूल्य नहीं दिया था।

"कनिथी बलेंसिंग रेजर्वायर" की अनुमानित लागत में वृद्धि

2889. श्री एस० एम० भट्टम : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनिथी बेलेंसिंग रेजर्वायर विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की 34 हजार मिलियन टन की जरूरतों को पूरा करने हेतु पानी के भण्डारण के लिए है;

(ख) यदि हां, तो इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण के पूरा होने से पहले ही इस काम को शुरू किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ठेकेदार को अनुमानित लागत में स्वतः ही वृद्धि की अनुमति दे दी गई थी और यदि हां, तो कितनी वृद्धि की अनुमति दी गयी थी और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त काम को कर रहे गैर-सरकारी ठेकेदार ने किसी स्तर पर लागत मूल्य में वृद्धि करने हेतु कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) और (ख) यह दोनों चरणों के लिए है ।

(ग) इस परियोजना के लिए निविदा में 8.68 करोड़ रुपये की लागत दी गयी थी। मिट्टी की विस्तृत जांच के पश्चात् आवश्यक पाये गये कार्य की बढ़ी हुई मात्रा के कारण इस लागत में वृद्धि करके 21.50 करोड़ रुपए कर दी गयी थी ।

(घ) ठेकेदार ने कार्य की बढ़ी हुई मात्रा के लिए इकाई की बढ़ी हुई दरें देने के लिए अनेक अवसरों पर अभ्यावेदन दिया है ।

(ङ) ठेकेदार ने निम्नलिखित मदों के लिए दरों में संशोधन करने के लिए कहा है :—

मद का विवरण	इकाई	मूल दर	मांगी गयी बढ़ी हुई दर
—बांध के तल में 24 गहराई तक भूमि की खुदाई का कार्य	घनमीटर	12 रुपए	16 रुपए
—बांध के तल में 2.5 मी० की गहराई तक भूमि से संबंधित कार्य	घनमीटर	14 रुपए	18 रुपए
—चैनल रॉक-टो आदि की खुदाई	घनमीटर	12 रुपए	16 रुपए
—डाइक-चैनल की भराई के लिए भूमि संबंधी कार्य	घनमीटर	2.50 रुपए	8 रुपए
—ग्रेड एम० 10 के प्लेन सीमेंट कंक्रीट की सप्लाई तथा इन्हें बिछाना	घनमीटर	300 रुपए	500 रुपये
—150 मि० मी० मोटाई और 450 मि० मी० मोटाई के रॉक-टो में पत्थर पिच करना	घनमीटर	65 रुपए	100 रुपए
—सैन्ड सिल्टर सप्लाई करना तथा बिछाना	घनमीटर	55 रुपए	100 रुपए

इनमें से कोई भी मांग अभी तक स्वीकार नहीं की गई है ।

नई दिल्ली स्थित भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कार्यालय द्वारा गैर-सरकारी पार्टियों को इस्पात का आवंटन

2890. **भोला नाथ सेन :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984-85 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के दिल्ली स्थित कार्यालय ने गैर-सरकारी पार्टियों को भारी मात्रा में इस्पात आवंटित किया है तथा इस प्रकार के आवंटन अनुदेश सीधे भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के नई दिल्ली स्थित कार्यालय द्वारा जारी किए गए;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आवंटन का ब्योरा क्या है तथा उसके कारण क्या हैं;

(ग) इस प्रकार का आवंटन करने से पहले इस्पात नियंत्रक और/अथवा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के केंद्रीय विपणन संस्थान से परामर्श न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) बाजार में आवंटन के समय सप्लाई किए गए सामान का अधिमूल्य कितना था ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं नटवर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय ने 59 प्राइवेट पार्टियों को इस्पात की निम्नलिखित मात्रा आवंटित की—

क्रम० सं० मदें	आवंटित मात्रा (टनों में)
1. जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरें (दोषपूर्ण माल शामिल है)	630
2. ठन्डी बेलित चादरें/क्वायल (दोषपूर्ण माल शामिल है)	4955
3. गर्म बेलित चादरें क्वायल	480
4. तार-छड़ें/टार स्टील	143
कुल :	6208

आवंटित की गयी यह मात्रा इस प्रकार के आवंटन की अवधि के दौरान "सेल" द्वारा की गई कुल बिक्री का 0.2 प्रतिशत बैठती है।

(ग) संयुक्त संयंत्र समिति के वितरण के मार्गदर्शी सिद्धांतों में कुछ मात्रा का आवंटन इस्पात के उत्पादकों के स्वनिर्णय पर किए जाने की व्यवस्था है। किया गया आवंटन इन सीमाओं के अन्तर्गत है।

(घ) इन आवंटनों के लिए सप्लाई विभिन्न शाखाओं से की गई थी और सप्लाई की गयी सामग्री विभिन्न मात्रा में थी और अनुरक्षण के विभिन्न चरणों में की गयी थी। अत: काल-क्रमिक आधार पर बाजार में अधिमूल्य की गणना करना संभव नहीं है।

काले धन के बारे में अनुमान

2891. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में काले धन के चलन के बारे में राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान के अनुमानों की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कभी भी काले भारत में धन का अनुमान नहीं लगाया है। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं

नीति संस्थान ने "भारत में अवैध अर्थव्यवस्था के पहलू" पर हाल ही की अपनी रिपोर्ट में वर्ष 1983-84 के सम्बन्ध में सकल घरेलू उत्पादों पर 18 से 21% तक की अर्थात् 31,584 करोड़ रुपये से 36,786 करोड़ रुपये तक की अवैध आय की उत्पत्ति होने का अनुमान लगाया है। तथापि, उन्होंने यह बात स्वीकार की है कि उनके निष्कर्ष बहुत-सी धारणाओं और अनुमानों पर आधारित हैं जिन्हें चुनौती दी जा सकती है।

फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग क्षेत्र प्राधिकरण में औद्योगिक शान्ति के लिए विशेष विनियम

2892. श्री भोला नाथ सेन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग क्षेत्र प्राधिकरण ने क्षेत्र में औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विशेष विनियमों के सम्बन्ध में बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो (एक) फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग क्षेत्र प्राधिकरण के क्या सुझाव हैं; (दो) राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और (तीन) इस क्षेत्र में शान्ति बनाए रखने के लिए फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) मामले पर फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन प्राधिकरण की बैठक में विचार किया गया था। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के परामर्श से अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों के लिए कारगर नीति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार से अनुकूल उत्तर प्राप्त हुआ है।

कोल इण्डिया लिमिटेड में सभापति के पद की समाप्ति

2893. श्री भोला नाथ सेन : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा कोल इण्डिया लिमिटेड के ढांचे को बदलने का विचार करने हेतु स्थापित सलाहाकार समिति ने सिफारिश की है कि नियंत्रक कम्पनी में सभापति का पद समाप्त किया जाये और इसकी सहायक कम्पनियों के प्रमुखों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाये;

(ख) यदि हां, तो कोल इण्डिया लिमिटेड के ढांचे के विकेन्द्रीकरण के बारे में इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) कोल इण्डिया लि० और इसकी सहायक कम्पनियों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई सलाहकार पैनल नहीं बनाया गया था। परन्तु सरकार ने कोल इण्डिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों के क्रियाकलाप की जाँच के लिए मुहम्मद फजल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी और उस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 1980 में दे दी थी। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की थी कि एक धारक कम्पनी के रूप में कोल इण्डिया लि० को समाप्त कर दिया जाए और कोल इण्डिया लि० की सहायक कम्पनियों को स्वतन्त्र कम्पनियाँ बना दिया जाए। सातवीं लोक सभा की सरकारी उपक्रम समिति ने भी अपनी सत्रहवीं रिपोर्ट में कोल इण्डिया लि० के क्रियाकलाप की समीक्षा की थी और यह सिफारिश की थी कि कोल

इण्डिया लि० को सहायक कम्पनियों के साथ बनाए रखा जाए। इस समय कोल इण्डिया लि० के वर्तमान स्वरूप अर्थात् धारक कम्पनी रूप में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

राष्ट्रीय ऋण परिषद्

2894. श्री वासुदेव आचार्य : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से राष्ट्रीय ऋण परिषद् हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह प्रस्तावित परिषद् ओवर ड्राफ्टों की समस्या को कम करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्यों के लिए जनता कपड़े का कोटा

2895. श्री वी० तुलसी राम : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को इस प्रकार उपलब्ध कराए जाने वाले जनता कपड़े की लागत क्या होगी और राज्यों द्वारा इसकी किस प्रकार अदायगी की जाएगी;

(ख) क्या इसकी पूर्ति राष्ट्रीय कपड़ा निगम और कपड़ा मिलों के माध्यम से होगी; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के लिए निर्धारित जनता कपड़े का कोटा घटिया किस्म का है और उस राज्य की जनता की माँग को पूरा करने के लिए कम भी है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जनता कपड़े पर 2 रु० प्रति वर्ग मीटर की दर से केंद्रीय सरकार की इमदाद प्रदान की जाती है। इसका भुगतान राज्य सरकारों को तिमाही आधार पर किया जाता है ताकि वे आगे उत्पादक अभिकरणों को उनके द्वारा उत्पादित तथा वितरण अभिकरणों को डिलीवर किए गए जनता कपड़े के आधार पर दे सकें। जनता कपड़े की लागत राज्य सरकारों को नहीं दी जाती।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा वस्त्र मिलें जनता कपड़ा योजना से सम्बन्धित नहीं हैं जो कि हथकरघा क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

(ग) जी नहीं। जनता कपड़ा उत्पादन के लिए कोटा या लक्ष्य का आबंटन सभी राज्यों को करघों की संख्या, विगत निष्पादन आदि के आधार पर किया जाता है। राज्यों के अन्दर जनता कपड़े की खपत की हकदारी का निर्धारण कुल जनसंख्या तथा गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों की संख्या के अनुसार यथानुपात रूप में किया जाता है।

आय कर की बकाया राशि की वसूली

2896. श्री के० मोहनदास : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय कर की बकाया राशि को वसूल करने के लिए कोई नया अभियान शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आयकर की बकाया को वसूल करने के लिए चालू वर्ष के दौरान जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) इन जोरदार प्रयासों के प्रभाव को इतनी जल्दी नहीं आंका जा सकता।

बोलानी ओर्ज लिमिटेड के लिए खरीदी गई मशीनरी का उपयोग

2897. श्री हरिहर सोरन : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने की रक्षित खान, बोलानी ओर्ज लिमिटेड के लिए गत तीन वर्षों में खरीदी गई मशीनरी का कुल मूल्य क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त खान के लिए खरीदी गई मशीनरी और उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा है और वे बेकार पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बोलानी ओर्ज लिमिटेड में रखी गई मशीनरी और उपकरणों का समुचित और शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान दुर्गापुर इस्पात कारखाने की गृहीत खान बोलानी और खान द्वारा खरीदी गई मशीनरी का कुल मूल्य निम्नलिखित है : —

वर्ष	कुल मूल्य (लाख रुपये)
1982-83	222.03
1983-84	130.11
1984-85	69.70

पिछले तीन वर्ष के दौरान खरीदी गई मशीनरी में निम्नलिखित मदें शामिल हैं :—

(क) चल भू-गतिमान (मोबाइल अर्थ मूविंग) और खनन मशीनरी;

(ख) उपर्युक्त (क) में वर्णित मशीनरी के लिए सर्विस सेन्टर हेतु उपकरण;

(ग) मशीन-शाला के लिए उपकरण।

(ख) सर्विस सेन्टर तथा मशीन शाला के लिए कुछेक मशीनों को छोड़कर अन्य सम्पूर्ण मशीनरी को समय-सूची के अनुसार चालू किया गया था तथा उसका इस्तेमाल किया गया था।

(ग) और (घ) सीमेंट की कमी और सम्भारकों तथा परामर्शदाताओं से नींव के लिए रेखाचित्र देरी से प्राप्त होने के कारण कुछेक मशीन लेथ, ग्रान्डिग मशीन, ड्रिल तथा एयर कम्प्रेशरों को चालू करने में विलम्ब हुआ है। अब ये सभी मशीनें चालू कर दी गई हैं और इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आयकर वसूली की राष्ट्रीय आय में प्रतिशतता

2898. श्री शान्ति धारीवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर वसूली से कितने प्रतिशत राष्ट्रीय आय कमाई जाती है;

(ख) क्या आयकर से प्राप्त होने वाली आय का अधिकांश हिस्सा सरकार इसकी वसूली पर खर्च कर देती है;

(ग) यदि हां, तो उसकी प्रतिशतता कितनी है;

(घ) क्या इस राजस्व का अधिकांश भाग आयकर अधिकारियों द्वारा व्यापारी लोगों पर तथा सम्बन्धित अन्य संदिग्ध मामलों के सम्बन्ध में छापा मारने में खर्च कर दिया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो उसकी प्रतिशतता कितनी है तथा उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें सरकार को छापे में बरामद किये गये धन को वापस करना पड़ता है;

(च) क्या सरकार ने इसकी कोई जांच की है अथवा इसके ऊपर कभी विचार किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक, जिस वर्ष की राष्ट्रीय आय के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं, उस वर्ष विशेष की राष्ट्रीय आय के साथ (चालू मूल्यों पर, उपादान लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद) सकल निगम कर सहित आयकर का प्रतिशत-अनुपात नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उपादान लागत पर (चालू मूल्यों पर) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के साथ आयकर (निगम कर सहित) का प्रतिशत-अनुपात
1980-81	2.65
1981-82	2.85
1982-83	2.83
1983-84	2.63

(ख) और (ग) 1984-85 के दौरान, विभाग ने आयकर (जिसमें निगम कर भी शामिल है) के 4497.64 करोड़ रुपये (अनन्तिम आंकड़े) वसूल किए। प्रत्यक्ष करों की वसूली पर 100.82 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। राजस्व वसूलियों के साथ खर्चों का अनुपात केवल 2.2% बैठता है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि इस राशि का अधिकांश भाग सरकार करों की वसूली पर खर्च कर रही है।

(घ) से (छ) भाग (ग) के दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ऋण मंजूर करने के मामले में बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को परेशान करना

2899. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के भरसक प्रयासों के बावजूद देश में बैंकों द्वारा ऋण मंजूर करने के मामले में आर्थिक रूप से पिछड़े तथा कमजोर वर्गों के लोगों को परेशान किया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को परेशान करने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये है; और

(ग) यदि कोई कदम उठाये हैं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिये ये मार्गनिर्देश जारी किए हैं कि समाज के कमजोर वर्गों को बैंकों से ऋण लेने में किसी प्रकार की अनावश्यक कठिनाई न हो। इन मार्गनिर्देशों में यह बात अनिवार्य

रूप से बता दी गई है कि मार्जिन और जमानत के मापदण्डों में ढील दी गई है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को यह लक्ष्य दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि समाज के कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों का हिस्सा कुल बकाया अग्रिमों के 10% से कम न हो। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे गरीबी दूर करने के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए बैंकों से ऋण आवेदनों को निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर निपटाने के लिए कहा गया है।

इन मार्गनिर्देशों के कार्यान्वियन तथा समाज के कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है।

राज्यों द्वारा जनता कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य

2900. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों द्वारा 1984 में जनता कपड़े के उत्पादन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या राज्यों ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो असफलता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भविष्य में इस प्रकार की असफलता से बचने के लिये आवश्यक सावधानियां बरती गई हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) 1984-85 के लिए जनता कपड़े के उत्पादन के लिए विभिन्न राज्यों को सौंपे गए लक्ष्यों और उनकी उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। लक्ष्य वित्तीय वर्ष के लिए सौंपे जाते हैं कलेंडर वर्ष के लिए नहीं। कुछ राज्यों ने अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किये हैं।

(ग) लक्ष्यों तक पहुंचने में असफलता का मुख्य कारण था यार्न के मोटे काउंटों की कीमतों में तीव्र वृद्धि।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों को जारी किए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों में, राज्यों के जनता कपड़े का उत्पादन करने वाले अभिकरणों से प्रत्येक वर्ष के लिए उत्पादन कार्यक्रम बनाने, नियमित रूप से उत्पादन को मानीटर करने तथा जनता कपड़े के उत्पादन और यार्न की सप्लाई के उनके प्रबन्धों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए कहा गया है।

विवरण

1984-85 के दौरान भाग लेने वाले राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाए गए जनता कपड़े का राज्यवार लक्ष्य तथा उत्पादन

(आंकड़े मिलियन वर्ग मीटरों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	लक्ष्य 1984-85	1984-85 के दौरान उत्पादन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	30.00	28.25
2.	कर्नाटक	12.00	10.94
3.	केरल	3.00	1.90

(...जारी)

1	2		4
4.	पांडिचेरी	0.10	0.20
5.	तमिलनाडु	41.00	42.48
6.	मध्य प्रदेश	15.00	27.16
7.	उत्तर प्रदेश	90.00	85.85
8.	बिहार	40.00	45.50
9.	उड़ीसा	30.00	28.00
10.	प० बंगाल	33.00	30.85
11.	गुजरात	6.40	5.30
12.	महाराष्ट्र	54.00	42.34
13.	त्रिपुरा	1.82	1.50
14.	आसाम	2.00	4.50
15.	राजस्थान	1.68	2.00
	कुल	360.00	356.77

आयात नीति को और अधिक उदार बनाने की विश्व बेंक की सलाह

2901. श्री चितामणि पाणिग्रही : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों के दौरान आयात में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या विश्व बेंक ने सरकार को हमारी आयात नीति को और अधिक उदार बनाने की सलाह दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या हमारे आयात को और अधिक उदार बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1980-81 में आयातों में 37.3% की वृद्धि हुई। 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में वृद्धि दर क्रमश: 8.4, 5.5, 9.8 और 7.9 रही है।

(ख) से (घ) बहुपक्षीय संस्थाएं जिनमें विश्व बेंक शामिल है, जिसका कि भारत एक सदस्य है, समय-समय पर नीति सम्बन्धी सुझाव देते हैं हमारे देश की आयात नीति हमारे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। नई आयात-निर्यात नीति जोकि 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी, अप्रैल 1985 में घोषित की गई है।

आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी कोयला खानों को छोड़ने का प्रस्ताव

2902. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का आंध्र प्रदेश में स्थित सिंगरेनी कोयला खानों को छोड़ने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अपरम्परागत वस्तुओं का निर्यात

2903. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या वाणिय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परम्परागत वस्तुओं के साथ-साथ भारत से बहुत सी अपरम्परागत वस्तुओं का भी निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों में निर्यात की गई अपरम्परागत वस्तुओं का ब्योरा क्या है तथा कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई है; और

(ग) क्या सरकार अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात का विस्तार करने तथा उनके निर्यात को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) जी हां।

(ख) चुनिन्दा गैर-परंपरागत मदों के संबंध में निर्यात आंकड़े, जिनके लिए अनन्तिम आंकड़े (अप्रैल-दिसम्बर, 84) के पहले नौ महीनों के लिए उपलब्ध हैं, इस प्रकार हैं :—

चुनिन्दा गैर-परम्परागत मदों के निर्यात

(मूल्य करोड़ रु० में)

क्रम सं०	मद/उत्पाद समूह	अप्रैल-दिसम्बर 1983-84 (अ)	अप्रैल-दिसम्बर 1984-85 (अ)
1.	मछली और मछली से बनी चीजों	243.71	238.01
2.	सब्जियां तथा फल (काजू की गिरियों को छोड़कर)	103.67	105.14
3.	चमड़ा तथा चमड़े से विनिर्मित वस्तुएं (फुटवियर को छोड़कर)	235.31	344.44
4.	फुटवियर	13.70	20.78
5.	सिले सिलाये परिधान	365.96	497.73
6.	पूर्ण रूप से या मुख्यत: रुई की तैयार वस्तुएं	59.71	60.32
7.	मानव निर्मित फाइबर से बने फैब्रिक्स	22.16	16.79
8.	सिल्क फैब्रिक्स	28.03	35.16
9.	रसायन तथा संबद्ध उत्पाद	190.91	275.82
10.	धातु विनिर्मित वस्तुएं (लोहा तथा इस्पात को छोड़कर)	144.20	145.85
11.	मशीनरी और परिवहन उपस्कर	367.97	398.53
12.	लोहा तथा इस्पात (विनिर्मित वस्तुओं सहित)	35.60	46.16
13.	रत्न तथा आभूषण	938.56	887.75
14.	कलात्मक वस्तुएं तथा हस्तशिल्प की कलात्मक वस्तुएं	88.63	101.62
15.	कच्चा तेल तथा पैट्रोलियम उत्पाद	1081.93	1362.99

नोट (अ) : वस्तु-वार आंकड़े अनन्तिम हैं और उनमें संशोधन हो सकता है।

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता।

(ग) भारत के निर्यातों को बढ़ाने के लिए आयात और निर्यात नीति को बराबर विकसित किया जा रहा है। इनमें शामिल है—उत्पादन बढ़ाने तथा इसका विविधीकरण करने, अपने निर्यातों को और प्रतियोगी बनाने, अपने उत्पादों के लिए नए बाजारों का पता लगाने और अधिक मूल्य प्राप्ति के लिए वस्तुओं को संसाधित करने के उपाय इस प्रयोजन के लिए सरकार के पास उपलब्ध नीति संबंधी विभिन्न साधनों का उपयोग किया जा रहा है और जहां कहीं आवश्यक होता है उनमें समायोजन किया जाता है। हाल में, अप्रैल, 85 से मार्च, 1988 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए अप्रैल, 1985 में घोषित आयात-निर्यात नीति को निर्यातों को प्रमुख रूप से बल देने और साथ ही कार्य कुशल आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई है।

चाय के निर्यात में गिरावट

2904. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय के निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी चाय का निर्यात किया गया और यदि उस अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा की कोई हानि हुई तो वह क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई चाय की मात्रा और मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (मि० कि० ग्रा०)	मूल्य (करोड़ रु०)
1982	189.9	355.55
1983	208.5	516.82
1984	214.7	744.92

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियां

2905. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कुछ कम्पनियाँ विदेशी मुद्रा नियम और विनियमों का उल्लंघन करती पाई गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो 1984-85 के दौरान इस प्रकार के मामलों का क्या ब्योरा है; और

(ग) सरकार ने प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) उन कम्पनियों के खिलाफ मामलों की अलग से कोई सूची नहीं रखी जाती है जिनके बारे में यह पाया जाता है कि उन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है। माँगी गई सूचना को एकत्र करने में लगने वाला समय और श्रम अपेक्षाकृत बहुत अधिक होगा। यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट मामले/मामलों का उल्लेख करें जिसके/जिनके बारे में सूचना अपेक्षित है तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

आदिवासी और अशिक्षित किसानों को बैंकों से ऋण सुविधा

2906. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार का कोई तंत्र है जिससे कि आदिवासी और अन्य अशिक्षित किसानों आदि को बैंकों से ऋण उपलब्ध हो सके;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा गठित तन्त्र का क्या ब्योरा है; और

(ग) किन-किन स्थानों पर कितने आदिवासी गरीब किसान ऋणों से लाभान्वित हुए ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नाम ये अनुदेश जारी किए हैं कि उनके कुल बकाया अग्रिमों का कम से कम 10% हिस्सा कमजोर वर्गों को दें। प्रत्येक जिले में स्थापित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियो और विभिन्न जिला स्तरीय आदिवासी विकास एजेंसियाँ भी कमजोर वर्गों को बैंक ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश के सभी खण्डों में कार्यान्वित किए जा रहे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी आयोजना की अवधि के दौरान गरीबी की रेखा के नीचे के कुल 164 लाख लोगों को सहायता की गई थी जिनमें से 38 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित थे।

बिजली घरों को कोयले की सप्लाई

2907. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने देश में बिजली घरों को कोयले की सप्लाई की स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए 27 अप्रैल, 1985 को एक बैठक बुलाई थी;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में कोराड़ी और नासिक बिजली घरों के पास मई, 1985 के अंत में 2-3 दिनों से अधिक कोयले का भंडार नहीं था; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त बैठक में क्या निर्णय लिया गया तथा महाराष्ट्र में संबंधित बिजली घरों को कोयले की सप्लाई की दर क्या होगी ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे): (क) जी, हाँ।

(ख) दिनांक 31 मई, 1985 को महाराष्ट्र के कोराड़ी और नासिक बिजली घरों में क्रमशः 5 दिन और 3 दिन का स्टाक था।

(ग) बैठक में यह निर्णय किया गया था कि सभी सम्बन्धित एजेंसियाँ समेकित रूप से काम करेंगी ताकि ताप बिजली घरों की कुल जरूरतें पूरी की जा सकें। इन बिजली घरों को इनके संयुजन की तुलना में वास्तव में दिया गया कोयला निम्नलिखित है :—

(आंकड़े "000 टनों में)

महीना	नासिक			कोराडी		
	सयुजन	सप्लाई	संयुजन को सप्लाई का प्रतिशत	संयुजन	सप्लाई	संयुजन को सप्लाई का प्रतिशत
मई, 85	320.00	303.1	94.7%	230.0	214.9	93.4%
जून, 85	320.00	282.4	88.3%	230.0	231.0	100.4%

"स्थायी संयुजन समिति" द्वारा नियत जुलाई से सितम्बर, 1985 की तिमाही के लिए इन बिजली घरों को कोयले की सप्लाई के लिए नियत मासिक-संयुजन नीचे दिया गया है। इस समिति के विद्युत विभाग और कोयला विभाग, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण आदि के प्रतिनिधि हैं :—

नासिक	कोराडी
320	280

महाराष्ट्र में छोटे/लम्बे रेशे के कपास की कीमतों में कमी

2908. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में लम्बे रेशे और छोटे रेशे के कपास की कीमतों में गिरावट आई है और यदि तुरन्त कदम नहीं उठाए जाते हैं तो उत्पादनों को भारी नुकसान पहुंचेगा तथा सरकार द्वारा प्रायोजित खरीद योजना को भी भारी हानि होगी;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए/किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान राज्य सरकार के अभिकरणों के माध्यम से कपास की खरीद के लिए, कितनी केंद्रीय सहायता दी गई;

(घ) क्या महाराष्ट्र में कपास की कुल उपज सरकारी अभिकरणों द्वारा ली जाती है और यदि नहीं, तो क्या बिचौलियों द्वारा की जाती है; और

(ङ) महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में कपास उत्पादनों के हितों की रक्षा किस प्रकार की जाती है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) महाराष्ट्र कपास (अधिप्राप्ति, संसाधन तथा विपणन) अधिनियम, 1971 के अधीन महाराष्ट्र में एक रुई एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना है। इस अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अनुसार किसानों को आरम्भ में उनके उत्पादन के लिए गारंटी शुदा कीमतें अदा की जाती हैं ये रुई समन्वय समिति की सिफारिशों पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। रुई के अन्त में रुई की अन्तिम कीमतें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती हैं। गारंटी शुदा कीमतों तथा अन्तिम कीमतों के बीच अन्तर की अदायगी किसानों को दी जाती है और यदि अन्तिम कीमतें गारंटीशुदा कीमतों से कम हों तो उपजकर्ताओं से कोई वसूलियां नहीं की जाती हैं। इसे देखते हुए, किसान सदैव लाभकारी कीमतों पर अपने उत्पादन के उठान के लिए आश्वस्त रहते हैं। केंद्रीय सरकार इन योजना के प्रचालन के लिए कोई वित्तीय अनुदान नहीं देती है। महाराष्ट्र राज्य रुई उपजकर्ता सहकारी विपणन परिसंघ, जोकि इस योजना के प्रचालन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकारी अभिकरण है। ब्याज की रियायती दरों पर बैंकों में ऋण सुविधाएं प्राप्त करता है। चालू रुई औसत के दौरान भारत सरकार ने महाराष्ट्र से निर्यातों के लिए लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली रुई की 95000 गांठों की मात्रा की अनुमति दी है।

(ङ) जबकि महाराष्ट्र में रुई उपजकर्ताओं के हितों का, रुई एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना के प्रचालन द्वारा ध्यान रखा जाता है, भारतीय रुई निगम को देश में अन्य रुई उपजकर्ता राज्यों में किसानों के लिए केंद्रीय मूल्य समर्थन अभिकरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

[हिन्दी]

बैंकों से सहायता प्राप्त कर रहे रुग्ण औद्योगिक एकक

2909. **श्री कृष्ण प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बैंकों से सहायता प्राप्त कर रहे रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है;

(ख) बैंकों ने उन्हें कितनी धनराशि दी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सहायता पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जून, 1984 के अन्त में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले रुग्ण एककों की संख्या 83,597 थी और इनके नाम 3273.91 करोड़ रुपए के बैंक ऋण बकाया थे।

(ग) बैंकों को इस प्रकार के निदेश जारी करने का सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जनता से सावधिक जमा राशियां लेना

2910. श्री ई० अय्यापु रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार के पर्यवेक्षणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जनता से सावधि राशियां मांगने तथा जमा करने का प्राधिकार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की सावधि जमा राशियों पर क्या ब्याज दर निर्धारित की गई है;

(ग) क्या राज्यों के अधीनस्थ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी जनता से सावधि जमा राशियां मांगने का अधिकार प्रदान किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो राज्यों के अधीनस्थ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जनता से ऐसी सावधि जमा राशियां प्राप्त करने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को जनता से जमा राशि स्वीकार करने की अनुमति दी गई है।

(ख) केंद्रीय सरकारी उपक्रमों में एक वर्ष, दो वर्ष तथा तीन वर्ष के लिये जमा राशि पर ब्याज की वर्तमान लागू दरें क्रमशः 11.5%, 12.5% तथा 14% है। इस राशि के जमाकर्ताओं के कुछ वर्गों को आधा प्रतिशत ब्याज अधिक दिया जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कम्पनियों द्वारा जनता से जमा राशि की स्वीकृति कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा समय-समय पर यथासंशोधित कम्पनी (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 1975 के उपबन्धों के अनुसार शामिल की जाती है। ये उपबन्ध सरकारी कम्पनियों, चाहे वे केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के अधीन हो, पर समान रूप से लागू होते हैं।

भारतीय वस्त्रों के लिये विदेशी बाजार

2911. श्री ई० अय्यापु रेड्डी : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यातोन्मुख वस्त्रों के उत्पादन की मात्रा बढ़ाने तथा किस्म में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) विशेष किस्म के वे भारतीय वस्त्र कौन से हैं जिनके लिए अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में बहुत मांग है;

(ग) क्या भारतीय वस्त्रों के लिए बाजार का अध्ययन करने तथा वस्त्र उपभोक्ता माल के अद्यतन रुख के बारे में पता लगाने के लिए विदेशों में विशेषज्ञों के एक दल को भेजने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या पेरिस तथा संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय उत्सव के दौरान कोई वस्त्र इम्पोरियम खोले गये; यदि हां, तो क्या व्यापार सम्बन्धी सौदे हुए?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(i) वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सुलभ ऋण योजना उपलब्ध है।

(ii) स्वदेशी तौर पर विनिर्मित न की जा रही अत्याधुनिक वस्त्र मशीनों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत करने की अनुमति है।

(iii) निर्यात बाध्यता के साथ विधिवत् सम्बद्ध रूप में रियायती दरों पर विस्तृत चौड़ाई वाले शटल रहित करघों तथा रोटर रिपनिंग मशीनों का आयात करने की अनुमति है।

(iv) 1 जनवरी, 1984 से नकद मुआवजा सहायता की दरों में वस्त्र मदों की अनेक श्रेणियों के लिए ऊर्ध्वमुखी संशोधन किया गया है। 4 जुलाई, 1984 से नकद मुआवजा सहायता के लिए सिलाई/कशीदाकारी धागों को भी पात्र बनाया गया। इस नीति को 1985 के लिए भी प्रयोज्य बनाया गया है।

(v) सरकार संवर्धनात्मक गतिविधियों जैसे कि बाजार अध्ययनों क्रेता-विक्रेता बैठकों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने का प्रायोजन तथा वित्तपोषण करती रही है ताकि उत्पादों तथा क्षेत्रों की दृष्टि से हमारे निर्यातों में वृद्धि व विविधीकरण हो सके।

(vi) भारत से वस्त्रों के निर्यात के संवर्धन के उद्देश्य से आयात-निर्यात नीति को और अधिक उदार बनाया गया है।

(vii) हमारे निर्यातों को आगे बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई वस्त्र नीति की घोषणा की गई है।

(ख) अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया को निर्यात किये जाने वाली सूती वस्त्रों की मुख्य किस्मों में सूती फैब्रिक्स में प्रेस सामग्री चादर का कपड़ा वायल तथा मलमल, साड़ियां धोतियां तथा कैनवास आदि और सूती तैयार माल में तौलिए, बैड लिनन, स्कार्फ और सूत शामिल हैं।

(ग) जी हाँ।

(घ) वस्त्र उद्योग ने पैरिस और संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय उत्सव में कोई इम्पोरियम स्थापित नहीं किया है।

[हिन्दी]

कलाकारों आदि द्वारा कर की चोरी करने के बारे में शिकायतें

2912. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्म उद्योग के फिल्म कलाकारों, निर्माताओं और वितरकों द्वारा कर की चोरी करने के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या फिल्म उद्योग में कर की चोरी रोकने के लिए आय-कर विभाग में एक पृथक् कक्ष स्थापित किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार को फिल्म उद्योग में होने वाले कर-अपवंचन की जानकारी है। फिल्मी सितारों और फिल्म उद्योग से संबंधित अन्य व्यक्तियों की उचित जाँच और कर निर्धारणों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर और हैदराबाद में फिल्म परिमण्डलों की स्थापना की गई है। जब भी कभी कर-अपवंचन के बारे में कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है, संगत अधिनियमों के अंतर्गत उचित कारंवाई की जाती है।

उत्तर प्रदेश में निर्यात आधारित उद्योगों की स्थापना

2913. श्री हरीश रावत : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में निर्यात आधारित बड़ी और मध्यम श्रेणी के कितने उद्योगों का स्थापित किया गया है और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) इन सभी उद्योगों के कुल उत्पादन का रुपयों में मूल्य क्या है और उनके उत्पादों के निर्यात द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ग) क्या इस राज्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे और अधिक उद्योगों को स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) 31-3-1985 को अनुमोदित 100% निर्यात अभिमुख एककों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार निम्नलिखित 5 एककों ने, जिन्हें उ० प्रदेश में स्थापित किए जाने के लिये लाइसेंस दिये गये थे, उत्पादन तथा निर्यात आरम्भ कर दिया है :

नाम	क्षमता	स्थान	निर्यात (लाख रु० में)
(1) मै० सचदेवा टैक्सटाइल्स प्रा०लि०,	सिले सिलाए परिधान तैयार वस्तुएं तथा निट-वियर 1350 लाख रु० प्रति वर्ष	नोएडा गाजियाबाद	141.34
(2) मै० साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेंट्स क०लि०	2 सीटर होवरक्राफ्ट 1000 नग प्रतिवर्ष	गाजियाबाद	0.44
(3) मै० यू०पी० एक्सपोर्ट इण्डस्ट्रीज	सूती जुराबें तथा एलाइड निटवियर 150,000 दर्जन जोड़े प्रतिवर्ष	नोएडा गाजियाबाद	3.32
(4) मै० ओलम्पिया एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०,	चमड़े का सामान 95 लाख रु० प्रति वर्ष	कानपुर	7.17
(5) मै० आर०के० एक्सपोर्ट्स	डिनिम जीन्स 600,000 नग प्रतिवर्ष निडल कोर्ड जीन्स 350,000 नग प्रति वर्ष डिनिम जकेट 50,000 नग प्रतिवर्ष	नोएडा गाजियाबाद	73.85

(ग) तथा (घ) शतप्रतिशत निर्यात अभिकरण एककों की योजना के अन्तर्गत एककों की स्थापना के लिए जब भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं उन पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

कंपनियों द्वारा ग्रामीण विकास

2914. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय और निवेश को कुछ सीमा तक कम करने के लिए विभिन्न कम्पनियों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए योजना के अन्तर्गत आरम्भ किये गये निर्माण कार्यों के बारे में राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का कार्य-निष्पादन स्तर क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के कार्यक्रमों का राज्य-वार मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विभिन्न कम्पनियों द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में शुरू किये गये निर्माण कार्यों के राज्य-वार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं जिसमें एकत्र करके यथासम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जायगा।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली को इन प्रोत्साहनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

ऊन से बनी वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने की योजना

2915. श्री हरीश रावत : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार ऊन से बनी वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु इस वर्ष के दौरान कोई विशेष योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत गलीचा उद्योग को भी विशेष प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में भदोई और चमोली के गलीचा बुनकरों के लाभ के लिये कोई विशेष योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 5 वर्षीय आई० टी० सी०/एस० आई० डी० ए० कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊनी निटवियर के लिए एक विस्तृत निर्यात विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत निटवियर के उत्पादकता आधार को सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण; डिजाइन, विपणन तथा बुनाई संबंधी विशेषज्ञों के भारत के दौरे और व्यापार सूचना प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था है।

(ख) से (घ) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा भदोही तथा मिर्जापुर क्षेत्र में उनके शिल्प में सुधार के लिए गलीचा बुनाई तथा संबद्ध संसाधनों के लिये उच्चशिक्षण की एक पृथक् योजना तैयार की गई है। भदोही-मिर्जापुर क्षेत्र में पचपन उच्चप्रशिक्षण केन्द्रों के खोलने और भदोही में गलीचा प्रौद्योगिकी के लिये एक संस्थान की स्थापना हेतु भी कार्यवाही की गई है।

[अनुवाद]

तैयार चमड़े के निर्यात के लिये दी गई रियायतों का दुरुपयोग

2916. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तैयार-चमड़े के निर्यात के लिये कुछ रियायतें देती हैं;

(ख) यदि हां, तो इन रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसा कोई जांच तन्त्र है कि कुछ तैयार चमड़े का किसी रसायन उपचार के बाद तैयार चमड़े के रूप में निर्यात नहीं किया जाता केवल रियायत का फायदा उठा लिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के पकड़े गए मामलों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केवल ऐसे चमड़े के तैयार चमड़े के रूप में निर्यात की अनुमति है, जो कि निर्यात के लिए तैयार चमड़े की पहचान के लिए भारतीय मानक मार्गदर्शन आई० एस० 8170-1981 (तृतीय संशोधन) के अनुरूप हो। इसको सुनिश्चित करने का दायित्व कस्टम प्राधिकारियों का है। जहां कहीं विवाद होता है वहां कस्टम प्राधिकारी माल को तकनीकी राय के लिए केन्द्रीय चमड़ा अनुसन्धान संस्थान, मद्रास में भेज देते हैं। यदि यह राय होती है कि माल आई० एस० आई० मापदण्डों के अनुसार तैयार चमड़ा है, तो उसे तैयार चमड़े के रूप में निर्यात की अनुमति दे दी जाती है, अन्यथा उसे अर्ध-संसाधित चमड़े के रूप में माना जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुआ घाटा लाभ

2917. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1985 को समाप्त हुए गत दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुये घाटे/लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि इन उपक्रमों को घाटा हो रहा है, तो उसके क्या कारण हैं और इन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्हें लगातार घाटा हो रहा है तथा इस अवधि के दौरान उन्हें कितनी धनराशि का घाटा हुआ है;

(ग) यदि कोई उपक्रम लगातार लाभ कमा रहे हैं तो उनके नाम क्या हैं और सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में से इस अवधि के दौरान प्रत्येक उपक्रम द्वारा कितना लाभ कमाया गया; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में अग्रेतर सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ताकि कोई घाटा न हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1983-84 और 1984-85 (अनन्तिम) के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने समग्र आधार पर जो निवल लाभ कमाया है,

उसका ब्योरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	1983-84	1984-85 (अनन्तिम)
लाभ कमाने वाले उद्यमों द्वारा अर्जित निवल लाभ	1780.04	2261·27
हानि उठाने वाले उद्यमों द्वारा उठाई गई निवल हानि	(—) 1534.37	(—) 1305·15
समग्र निवल लाभ	245·67	956·12

1984-85 के आंकड़े तात्कालिक अनुमानों पर आधारित हैं और इसीलिये अनन्तिम हैं।

(ख) और (ग) 1983-84 को समाप्त गत दस वर्ष के दौरान लगातार लाभ कमाने वाले तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान निरन्तर घाटा उठाने वाले सरकारी उद्यमों के नामों का ब्योरा दो विवरणों के रूप में संलग्न है। इन उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ तथा उठाई गई हानि की राशि का विवरण हर साल लोक सभा पटल पर रखे गए सम्बन्धित वर्षों के लोक उद्यम सर्वेक्षण में उपलब्ध है।

एक उद्यम से दूसरे उद्यम में हानि के कारण भिन्न-भिन्न हैं। किन्तु, मोटे तौर पर हानि के कारण हैं—काम में आने वाली सामग्री के मूल्यों में वृद्धि, बिजली की अनुपलब्धता अथवा अपर्याप्त उपलब्धता, अलाभकारी मूल्य, पुरातन प्रौद्योगिकी, फालतू जन-शक्ति आदि।

(घ) सरकारी उद्यमों के कार्यचालन को बेहतर बनाने के लिये किये गये सदुपायों में अन्य बातों के साथ-साथ कार्य-निष्पादन का नियमित रूप से परिवीक्षण करना, निजी उपयोगार्थ तथा आपाती विद्युत उत्पादन की व्यवस्था करना, सन्तोलक सुविधाओं में पूंजी लगाना, प्रौद्योगिकी को समुन्नत बनाना, कार्मिकों को प्रशिक्षण तथा पुनर्प्रशिक्षण दिलाना और विभिन्न लागत नियंत्रण सदुपाय अपनाना शामिल है।

विवरण-एक

1983-84 को समाप्त दस वर्ष से लगातार लाभ कमाने वाले उद्यम

क्र०सं०	उद्यम का नाम
1.	इण्डियन रेअर अर्थस लि०
2.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०
3.	इण्डियन ऑयल ब्लेंडिंग लि०
4.	भारतीय तेल निगम लि०
5.	आई०बी०पी० कम्पनी लि०
6.	ल्यूब्रिजोल इण्डिया लि०
7.	मद्रास रिफाइनरीज लि०
8.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
9.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०
10.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०
11.	बामेर लारी एण्ड कम्पनी लि०

क्र०सं०	उद्यम का नाम
12.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०
13.	एच०एम०टी० लि०
14.	हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०
15.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०
16.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०
17.	भारत अर्थ मूवर्स लि०
18.	हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लि०
19.	भारतीय काजू निगम लि०
20.	केन्द्रीय भाण्डागार निगम
21.	भारतीय खाद्य निगम
22.	रद्दी धातु व्यापार निगम लि०
23.	माइका ट्रेडिंग कारपो० ऑफ इण्डिया लि०
24.	भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०
25.	परियोजना एवं उपस्कर निगम लि०
26.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०
27.	भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण लि०
28.	इन्जीनियर्स इंडिया लि०
29.	मेटालर्जिकल एण्ड इंजी० कंसल्टेंट्स (इं०) लि०
30.	जल एवं बिजली परामर्शदायी सेवायें (इं०) लि०
31.	भारत पर्यटन विकास निगम लि०
32.	ग्राम विद्युतीकरण निगम लि०
33.	इण्डियन डेरी कारपो०
34.	भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लि०

विवरण-दो

1983-84 को समाप्त दस वर्ष से लगातार घाटा उठाने वाले उद्यम

क्र०सं०	उद्यम का नाम
1.	भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि०
2.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि०
3.	भारतीय उर्वरक निगम लि०
4.	बीको लारी लि०
5.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०
6.	स्कूटर्स इण्डिया लि०
7.	भारत आपथैल्मिक ग्लास लि०
8.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०
9.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो० आफ इं० लि०
10.	दिल्ली परिवहन निगम

दक्षिण के अतिरिक्त अन्य राज्यों में काफी की खेती

2918. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काफी उत्पादक क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और उनका वर्षवार उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार दक्षिण के वर्तमान खेती वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी काफी की खेती कराने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) काफी बोर्ड द्वारा किये गये प्राम्भिक सर्वेक्षण में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र के राज्यों में पर्वतीय जिलों की भूमि और जलवायु काफी की खेती के लिए उपयोगी पाई गई। इन राज्यों में आवश्यक अनुसंधान/विस्तृत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए काफी बोर्ड ने प्रदर्शन फार्म स्थापित किये हैं/कर रहा है काफी के अन्तर्गत नये क्षेत्रों को लाने के लिए बोर्ड वित्तीय सहायता भी देता है।

विवरण

(मात्रा : मे० टन में)

वर्ष	राज्य	अरेबिका (प्लांटेशन चेरी)	रोबस्टा	कुल
1983-84	कर्नाटक	55,700	23,635	79,335
	तमिलनाडु	13,305	2,210	15,515
	केरल	1,110	8,445	9,555
	आंध्र प्रदेश	525	5	530
	अदर इंडिया	60	5	65
	आल इंडिया	70,700	34,300	105,000
*1984-85	कर्नाटक	66,905	61,085	127,990
	तमिलनाडु	10,510	3,975	14,485
	केरल	1,965	44,915	46,880
	आंध्र प्रदेश	460	15	475
	अदर इण्डिया	160	10	170
	आल इंडिया	80,000	110,000	190,000

*अनुमानित

बोकारो इस्पात संयंत्र में धमन भट्टियों को बदलना

2919. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात संयंत्रों की एम धमन भट्टी की औसत कार्यावधि कितनी होती है;

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र में वर्तमान धमन भट्टियां कब लगाई गई थीं;

(ग) यदि इन धमन भट्टियों की कार्यवधि समाप्त हो गई है, तो पुरानी धमन भट्टियों के स्थान पर नई धमन भट्टियां लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या देश में इन भट्टियों का निर्माण नहीं किया जाता है;

(ङ)यदि हां, तो कितनी भट्टियों की आवश्यकता है और इन धमन भट्टियों का आयात करने के लिये कब कार्यवाही शुरू की गई थी;

(च) क्या आपात स्थिति के लिये कुछ भट्टियों का सुरक्षित भंडार रखा जाता है और उनकी संख्या क्या है; और

(छ) पुरानी भट्टियों का प्रयोग करने से कितनी हानि होने की संभावना है ?

इस्पात, विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) इस्पात कारखाने में धमन भट्टी की औसतन मियाद उस भट्टी के रख-रखाव, परिचालन पद्धति, प्रौद्योगिकी तथा फालतू पुर्जों आदि की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(ख) बोकारो इस्पात कारखाने में पांच धमन भट्टियों को चालू करने की तारीखें निम्नलिखित हैं :—

धमन भट्टी नं० 1	—	3-10-72
धमन भट्टी नं० 2	—	12-4-76
धमन भट्टी नं० 3	—	26-2-78
धमन भट्टी नं० 4	—	27-5-81
धमन भट्टी नं० 5	—	9-9-85

(ग) बोकारो इस्पात कारखाने में किसी भी धमन भट्टी की मियाद समाप्त नहीं हुई है। जब कभी किसी धमन भट्टी की मियाद समाप्त हो जाएगी तब धमन भट्टी का पुर्नर्निर्माण किया जायेगा।

(घ) और (ङ) हमारा देश धमन भट्टियों की पुन: मरम्मत करने तथा उनका निर्माण करने में सामर्थ्य है, भले ही संघटकों अथवा उष्मसहों के लिये विदेशी-मुद्रा के रूप में थोड़ी राशि की आवश्यकता होगी क्योंकि ये मदें देश में आसनी से उपलब्ध नहीं हैं।

(च) और (छ) आपात स्थिति के लिये कोई धमन भट्टी सुरक्षित भंडार में नहीं रखी जाती है, अत: इसके कारण कोई हानि नहीं हुई है।

नई कपड़ा नीति के अन्तर्गत विद्युत चालित करघा उद्योग में संकट

2920. श्री पी० आर० कुमार मंगलम : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा नीति में विद्युत चालित करघा को किस आधार पर मिलों के बराबर रखा गया है विशेषकर उस समय जबकि एक करघा वाले अधिकांश विद्युत चलित करघे छोटे बुनकरों के हैं और वे किसी भी प्रकार मिलों की श्रेणी में नहीं आते हैं; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं कि नई कपड़ा नीति और विद्युत चालित करघा उद्योग पर लगाये गये अन्य प्रतिबन्धों के परिणाम स्वरूप हथकरघा उद्योग की तरह विद्युत चालित करघा उद्योग को भी संकट का सामना न करना पड़े ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) बुनाई क्षेत्र में, संयुक्त मिलों और विद्युत चालित करघों की अपनी अपनी खूबियां एवं कमजोरियां होती हैं। विगत हाल में असंगठित क्षेत्र में विद्युत चालित करघों की गैर नियोजित वृद्धि हुई है। वस्त्र उद्योग को फिर से स्वस्थ करने के उद्देश्य से ऐसा विनिश्चय किया गया है कि नीति के प्रयोजन के लिए मिल क्षेत्र में विद्युत चालित करघों को और असंगठित क्षेत्र में विद्युत चालित करघों को यथासंभव समतुल्य माना जाए। ऐसी सम्भावना नहीं है कि असंगठित क्षेत्र में विद्युत-चालित करघों को नई वस्त्र नीति के फलस्वरूप संकट का सामना करना पड़ेगा।

हथकरघा बुनकरों को तथा राज सहायता

2921. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें हथकरघा बुनकरों विशेषकर खादी बुनकरों, को कुल कितनी राज सहायता दे रही है;

(ख) यह राज सहायता किस स्तर पर दी जा रही है;

(ग) क्या यह राज सहायता इस उद्देश्य से दी जाती है कि वह बुनकरों तक पहुंचे; और

(घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हथकरघा बुनकरों, विशेषकर खादी बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि राज सहायता बुनकर तक पहुंचे ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और(ख) हथकरघा क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा हथकरघों के आधुनिकीकरण के लिए बराबर आधार पर दी जाती है जिसमें से एक तिहाई उत्पादन के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा, 20% की दर पर विशेष रिवेट हथकरघा फैब्रिक्स की खुदरा बिक्री राज्य सरकारों द्वारा बराबर बराबर वहन किया जाता है। इसके अलावा, निर्धारित कीमतों पर जनता कपड़े की बिक्री के लिए दो रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर उत्पादन भी दिया जाता है, जनता कपड़े पर समस्त उपदान भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। 1984-85 के दौरान रिवेट तथा जनता उपदान की मात्रा क्रमश: 14.45 करोड़ रु० तथा 58.28 करोड़ रु० थी। आधुनिकीकरण पर केंद्रीय सरकार द्वारा अदा की गई उपदान की राशि 29.70 लाख रु० थी। खादी क्षेत्र के लिए खादी की खुदरा बिक्रियों पर रिवेट केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाती है और 1984-85 के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत कुल सहायता 21.23 करोड़ रु० थी।

(ग) तथा (घ) हथकरघा तथा खादी दोनों क्षेत्रों में विशेष रिवेट एक विपणन सहायता है क्योंकि इससे स्टाकों को निपटाने में और अधिक मांग उत्पन्न करने में मदद मिलती है। इस प्रकार यह अधिक रोजगार तथा अपेक्षाकृत अधिक आय प्रदान करता है। जनता उपदान आधार-

भूत रूप में उपभोक्ता अभियुक्त है क्योंकि जो उत्पाद जनसंख्या के अपेक्षाकृत अधिक निर्धन वर्गों के लिए होते हैं उन्हें उपभोक्ताओं को लागत कीमतों से कम कीमतों पर बेचा जाता है। तथापि, इस योजना की वजह से बुनकरों को अधिक सतत रोजगार मिलता है। आधुनिकीकरण उपदान से बुनकरों को सीधे फायदा पहुंचता है और अपनी उत्पादकता तथा साथ ही आय को सुधारने के लिए अपने करघों के आधुनिकीकरण में उनकी मदद करता है।

सहकारी विपणन परिसंघ का कार्य क्षेत्र

2922. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उन्हें मालूम है कि हथकरघा की वस्तुओं और कपड़ों के लिये सहकारी विपणन समितियां हैं, जैसे तमिलनाडु की कोआपटैक्स, जो सहकारी संस्थाओं/समितियों से भिन्न संगठनों से कपड़े खरीद और बेच रही है जबकि हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के पास करोड़ों रुपये का माल जमा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है कि सहकारी विपणन समितियां अपना कार्यक्षेत्र केवल सहकारी समितियों के उत्पादों और निजी हथकरघा बुनकरों तक ही सीमित रखें ताकि इन सहकारी समितियों और बुनकरों को नुकसान न उठाना पड़े ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तमिलनाडु राज्य सरकार ने पुष्टि कर ली है कि कुआपटैक्स केवल प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों से हथकरघा कपड़ा खरीदता है और गैर-सहकारी समितियों से कोई खरीददारी नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमरीकी वित्तीय विशेषज्ञों के साथ दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौते को अन्तिम रूप देना

2923. **श्री बी० बी० देसाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या "दोहरे कराधान" से बचने के लिए भारत के साथ समझौते को अन्तिम रूप देने के लिये वित्तीय विशेषज्ञों के उच्चस्तरीय अमरीकी दल ने जुलाई, 1985 के महीने में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई थी;

(ग) सरकार द्वारा उच्चस्तरीय अमरीकी दल के सुझावों को किस हद तक स्वीकार किया गया है; और

(घ) उन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच दोहरे कराधान के निवारणार्थ करार पर बातचीत करने के लिए यू० एस० ट्रेजरी के डिप्टी इंटरनेशनल टैक्स काउंसेल की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय कर प्रतिनिधि मंडल ने 22 से 26 जुलाई, 1985 तक नई दिल्ली का दौरा किया था।

(ख) अमरीका के कर-प्रतिनिधि मंडल ने भारत में अपने प्रतिपक्ष के साथ दोनों देशों द्वारा तैयार किए गए करार के प्रस्तावित मसौदे पर विचार-विमर्श किया।

(ग) दोनों ओर के प्रतिनिधिमंडलों ने अपने-अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। चर्चित विभिन्न मामलों पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंक अधिकारियों की प्रस्तावित हड़ताल

2924. श्रीमती किशोरी सिंह
श्री जी० एम० बनातवाला } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक अधिकारियों ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ हुई समझौते में कथित भारी परिवर्तन के मामले पर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो बैंक अधिकारियों की मुख्य मांगे क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) बैंक में हाल की वेतन वृद्धियों से बैंकों की लाभप्रदता पर प्रभाव का क्या ब्यौरा है; और

(घ) बैंक अधिकारियों और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बीच हुये समझौते में सरकार ने क्या परिवर्तन किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय बैंक संघ ने मार्च, 1985 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के वेतन में संशोधन के सम्बन्ध में कुछ प्रस्तावों की सरकार के विचारार्थ सिफारिश की थी। इन सिफारिशों में अधिकारियों के कुल वेतन बिल में 100 करोड़ रुपये की वृद्धि की बात कही गयी थी जो 16.7% की बढ़ोत्तरी की द्योतक है। यह वृद्धि एवार्ड स्टाफ के लिए अनुमोदित वृद्धि से अधिक है। सरकार ने इन सिफारिशों की जाँच करने के बाद, ऐसा वेतन संशोधन स्वीकार कर लिया जिससे अधिकारियों के वेतन बिल में लगभग 13.5% की ओर परिणामत: प्रति वर्ष 80 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है।

भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि आल इंडिया कंफेडरेशन आफ बैंक आफिसर्स आरगेनाइजेशनस ने भारतीय बैंक संघ को हड़ताल का नोटिस दिया है जिसमें देश भर में 13 अगस्त 1985 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का इरादा बताया गया है। इस संगठन की मुख्य मांगों में 1 जुलाई, 1984 के बजाय, जैसाकि मान लिया गया है, 1 जुलाई, 1983 की पिछली तारीख से वेतन संशोधन लागू किये जाने और उन अधिकारियों से मकान किराये के मूल वेतन का 10% वसूल न करने की बात शामिल है जिनके लिए बैंक द्वारा मकान की व्यवस्था की गयी है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद बैंकों के लाभों में से 1 जुलाई, 1983 से 30 जून, 1984 तक की अवधि के लिए बकाया राशि के रूप में 80 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिए बैंकों की क्षमता को देखते हुए, सरकार ने वेतन संशोधन 1 जुलाई, 1984 से लागू करने का निर्णय किया है। जहां तक वेतन के 10% की माफी का सवाल है सरकार का यह सुविचारित मत है कि सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्य कर्मचारियों की भाँति बैंक अधिकारियों को भी जिन्हें बैंक द्वारा मकान दिया गया है, अपने वेतन का 10 मकान किराये के रूप में देना चाहिए।

विश्व बैंक की सहायता से इंजीनियरी की वस्तुओं के निर्यात संवर्धन हेतु योजनाएं

2925. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उनकी सहायता से इंजीनियरिंग की वस्तुओं के निर्यात संवर्धन हेतु किसी योजना से अवगत कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या उत्पादकता को बढ़ाने के लिये धन देना इस योजना का भाग है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) विश्व बैंक ने एक औद्योगिक निर्यात विकास परियोजना का मूल्यांकन किया है जिसका प्रयोजन विनिर्मित उत्पादों की, विशेष रूप से इंजीनियरी के उप-क्षेत्र में, प्रतिस्पर्द्धात्मकता और निर्यात बढ़ाने के बैंक के अपने कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भारत सरकार की सहायता करना है। अन्य बातों के साथ-साथ इस परियोजना में इंजीनियरी उद्यमों में उत्पादकता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का ठीक उपयोग करने के सम्बन्ध में उपाय करने की परिकल्पना की गई है।

इस परियोजना के लिए 25 करोड़ डालर के एक संभावित ऋण के लिए बैंक के साथ बातचीत अभी जारी है।

पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग समस्यायें

2926. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पटसन उद्योग की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करने के लिए 21 मई, 1985 को कलकत्ता में सम्बद्ध हितों की एक बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बध में सरकार ने कौन-कौन से मुख्य निर्णय लिये;

(ग) 21 मई, 1985 के पश्चात् कितनी बन्द पड़ी/तालाबन्द पटसन मिलों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है; और

(घ) पटसन की खेती करने वालों और पटसन मिल श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) 5.8.85 की स्थिति के अनुसार, 21 मई, 1985 के बाद सात बन्द पड़ी/तालाबन्द जूट मिलें पुनः खोली गई/तालाबन्दी समाप्त की गई हैं।

(घ) उपजकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार ने जूट मौसम 1985-86 (जुलाई-जून) के लिए कच्चे जूट और मेस्टा की न्यूनतम सांविधिक कीमत पहले ही घोषित कर दी है। भारतीय जूट निगम पर आवश्यक सीमा तक कीमत समर्थन संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निगम ने स्वयं खरीद कार्य करने के यथावश्यक शीघ्र आरम्भ करने के लिए पुरुषों खरीद केंद्रों मशीनरी और धन से सुसज्जित कर दिया है।

मिल कामगारों के हित में बन्द पड़ी/तालाबन्द जूट मिल शीघ्र पुनः आरम्भ करने को सुकर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 21.5.85 को हुई बैठक में किए गए निर्णयों को कार्यान्वयन करने लिए कार्यवाही कर दी है और वह इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से बराबर सम्पर्क बनाए हुए है।

विवरण

पूर्ति तथा वस्त्र मन्त्री ने जूट उद्योग की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 21 मई, 1985 को कलकत्ता में एक बैठक ली जिसमें जूट मिल प्रबन्ध, केंद्रीय सरकार के संबन्धित मन्त्रालयों के प्रतिनिधि और पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री और श्रम मन्त्री उपस्थित थे। उक्त बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति के लिए गए :—

(1) सट्टे की प्रवृत्तियां समाप्त करने के लिए कच्चे जूट की अधिकतम सांविधिक कीमत निर्धारित करना;

(2) मिलों द्वारा अधिकतम स्टाक जमा करने की सीमा कम करना;

(3) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जूट मिलों के लिए कार्य-पूंजी की आवश्यकता सम्बन्धी प्रश्न उठाना;

(4) जूट माल हेतु मांग बढ़ाने के उद्देश्य से जूट मिलों के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की मार्फत बीटिवल थेलियों हेतु आर्डरों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्रालयों और विभागों से पता करते रहना;

(5) मिलों और व्यापारियों से जूट स्टाकों की जमाखोरी समाप्त करने हेतु अभियान को तेज करना;

(6) पश्चिम बंगाल सरकार से जूट मिलों में कार्य पाली 21 से कम कर 18 करने पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया;

(7) पश्चिम बंगाल सरकार से बन्द पड़ी मिलों में औद्योगिक विवाद शीघ्र निपटाए जाने सम्बन्धी समझौता कार्यवाही तुरन्त करने के लिए भी अनुरोध किया गया।

सिक्कों के आयात का आदेश

2927. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों के टकसालों की विभिन्न मूल्यों के सिक्कों की कितनी मात्रा का आदेश दिया गया है;

(ख) क्या आयात किये गये सिक्कों का अंकित मूल्य न्यूनाधिक ढलाई की लागत जितना ही होगा और ढलाई के लिये वास्तव में कितना मूल्य वसूल किया जाएगा; और

(ग) भारतीय सरकार की टकसालों का उत्पादन सिक्कों की मांग को कब पूरा कर पायेगा ताकि आयात की आवश्यकता न रहे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सूचना नीचे दी गई है:

मूल्य वर्ग	संख्या करोड़ अददों में	रुपयों में अंकित मूल्य	टकसाल/फर्म और देश का नाम
एक रुपया	50	50 करोड़	मैसर्स बिरमिंघम मिंट प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यू० के०
तदैव	तदैव	तदैव	मैसर्स रायल मिंट, यू०के
50 पैसे	75	37.5 करोड़	मैसर्स हुंडाई कारपोरेशन, दक्षिण कोरिया
25 पैसे	25	6.25 करोड़	मैसर्स रायल कैनेडियन मिंट, कनाडा
जोड़:	200	143.75 करोड़	

(ख) आयात किए जा रहे 200 करोड़ अदद सिक्कों का अंकित मूल्य 143.75 करोड़ रुपए के बराबर है और आयात की कुल लागत लगभग 64.69 करोड़ रुपए है।

(ग) 1988-89 तक नोएडा स्थित नई टकसाल के चालू हो जाने पर, यह आशा की जाती है कि सरकार अपनी टकसालों से सिक्कों की मांग को पूर्णरूप से पूरा कर सकेगी।

न्यू बैंक आफ इंडिया की कनाट सर्कस स्थित शाखा को हुआ घाटा

2928. **श्री काली प्रसाद पांडेय**: क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 जुलाई, 1985 के नवभारत टाइम्स में "कुछ अधिकारियों की वजह से बैंक के लाखों रुपये डूब गये" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि न्यू बैंक आफ इंडिया की "ए" ब्लाक, कनाट सर्कस स्थित शाखा के अधिकारियों की वजह से बैंक को लाखों रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले से सम्बन्धित तथ्य क्या हैं; और

(ग) उक्त बैंक के सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार का आशय बैंक के एक ग्राहक से है। बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 13 (1) तथा बैंकरों में प्रचलित रीति-रिवाजों तथा प्रथाओं के अनुसार बैंकों के ग्राहकों से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

(ग) बैंक ने सूचित किया है कि यह यूनिट 1974 में ही रुग्ण हो गया था और उसे हानि हुई थी। अत: बैंक द्वारा किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया।

[हिन्दी]

मोटे अनाजों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध हटाना

2929. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्रालय द्वारा गठित भारतीय निर्यात संगठन तथा अन्य बड़े व्यापारिक संगठन मोटे अनाजों (सेला तथा अन्य मोटे किस्म का चावल) के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करने के लिये सरकार पर दबाव डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का मूल्यांकन किया है कि इस प्रतिबन्ध को समाप्त करने से देश में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी और यदि हां, तो क्या इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये निर्यात की अनुमति दी जाएगी; और

(ग) व्यापारियों और उक्त संगठनों द्वारा इस सम्बन्ध में सरकार पर दबाव के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकार को गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमती देने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं। गैर-बासमती चावल के निर्यात को अनुमति न देने की नीति बिना परिवर्तन के जारी है।

[अनुवाद]

भारत से अमरीका को निर्यात

2930. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से अमरीका को निर्यात बढ़ाने की कोई गुंजाइश है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) :(क) और (ख) विश्व में संयुक्त राज्य अमरीका ही एक ऐसा सबसे बड़ा आयातक देश है जिसने 1984 के दौरान 341 बिलियन अमरीकी डालर के विश्वव्यापी आयात किए हैं। तथापि, उस बाजार में भारत का भाग अत्यन्त कम है और इसमें भारत का भाग 1984 के दौरान लगभग 7% रहा है। इस प्रकार, उस बाजार को निर्यात बढ़ा । के लिए गुंजाइश है और विशेष रूप से सिलेसिलाए परिधानों, संसाधित हीरों तथा सम्बद्ध आभूषणों, चमड़ा/चमड़ा उत्पादों, कुछ इंजीनियरी माल आदि के क्षेत्रों में।

तथापि, कतिपय क्षेत्रों, विशेषरूप से वस्त्र तथा इंजीनियरी के लिए भविष्य में अमरीकी सरकार की नीति पर निर्भर करेगा क्योंकि उस देश में इन क्षेत्रों में संरक्षणवाद के विचार तीव्र हो रहे हैं।

अभ्रक का निर्यात

2931. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान कुल कितने टन अभ्रक का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने अभ्रक के निर्यात में आए गतिरोध को दूर करने के प्रयत्न किए हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के दौरान किता टन अभ्रक के निर्यात किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) अभ्रक के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1984-85 के दौरान, भारतीय अभ्रक व्यापार निगम (मिटको) ने, जो कि साधित अभ्रक के निर्यात के लिए सरणीकरण अभिकरण है, 25.70 करोड़ रु० मूल्य के लगभग 18410 मे० टन साधित अभ्रक का निर्यात किया।

(ख) से (घ) विश्व में प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण साधित अभ्रक का निर्यात अभ्रक के मूल्य-वर्धित रूप को धीरे-धीरे बढ़ावा दे रहा है। 1985-86 के दौरान मिटको को 26 करोड़ रु० मूल्य के लगभग 15000 मे० टन साधित अभ्रक के निर्यात की आशा है। अभ्रक के निर्यात बढ़ाने के लिए हाल में उठाए गए कदम हैं: ब्रिज-माइका ब्लोकों पर निर्यात शुल्क समाप्त करना और निर्यातों के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों के बनाने वाले अभ्रक एककों को बढ़ावा देना। मिटको ने इस नीति के अनुसरण में सिलवर्ड-माइका, माइका और माइका कैपेसिरट बना के एकक स्थापित किए हैं। मिटको द्वारा अन्य मूल्य-वर्धित अभ्रक परियोजना आयोजित की गई है।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से खाद्य तेलों का आयात

2932. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तेलों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम के माध्यम से वर्ष-वार आयात किए गए तेल की मात्रा और मूल्य क्या है;

(ग) राज्य व्यापार निगम के पास खाद्य तेलों का इस समय कुल कितना भंडार है;

(घ) क्या यह सच है कि उनके वास्तविक भंडार में तथा कागजों में उल्लिखित भंडार में भारी अन्तर है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, तथा इसके कारण क्या हैं; और इसके लिए दोषी कौन है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये गये खाद्य तेल का विवरण निम्नोक्त प्रकार है:—

वित्तीय वर्ष	मात्रा लाख (एम टी)	मूल्य (करोड़ रु०)
1982-83	9.80	418.00
1983-84	14.09	846.00
1984-85	15.55	1286.00

(अनन्तिम)

(ग) 21.7.85 को खाद्य तेलों का वास्तविक स्टाक लगभग 2.49 लाख एम टन है।

(घ) और (ङ) वित्तीय वर्ष 1983-84 के खाता स्टाक तथा वास्तविक स्टाक के आंकड़ों का मिलान कर लिया गया है। 1983-84 के दौरान कुल 914 लाख रु० मूल्य की 15,950 एम० टी० की कमी थी। 1984-85 के सम्बन्ध में, आंकड़ों का मिलान कार्य चल रहा है। ये कमियां मुख्य रूप से आन्तरिक परिवहन, भण्डारण, रिफाइन करके तथा संसाधित करने तथा डिब्बा बन्दी के दौरान होती हैं। भण्डारण, रिफाइन करने तथा डिब्बा बन्दी आदि के राज्य व्यापार निगम के प्रबन्धों में वे भण्डारण सीमाएं निर्धारित की जाती हैं जो उनकी लापरवाही के कारण कमियों का विधिवत दावा किया जाता है तथा उनका हिसाब रखा जाता है। आन्तरिक परिवहन के दौरान खाद्य तेलों को बीमे के लिए विधिवत कवर किया जाता है तथा कमियों का दावा बीमा करने वालों से किया जाता है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू किया जाना

2933. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों पर पेंशन योजना लागू है; और

(ख) क्या सरकार का विचार स्टेट बैंक आफ मैसूर आदि जैसे स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अधीनस्थ बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों पर पेंशन योजना लागू करने का है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) इस समय भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों में से केवल एक बैंक अर्थात् स्टेट बैंक आफ हैदराबाद में पेंशन योजना है, भारतीय स्टेट बैंक के अन्य अनुषंगी बैंकों में पेंशन योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बंगलोर सिटी में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

2934. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर सिटी में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) क्या बंगलौर सिटी में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं प्रत्येक एक अथवा दो किलोमीटर की दूरी पर है;

(ग) जय नगर सर्किल माल्लेश्वरम सर्किल और केम्पेगौडा रोड में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं हैं; और

(घ) क्या यह सच नहीं है कि कर्नाटक में ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं नहीं खोली गयी हैं ?

वित्त मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बंगलौर शहर में सरकारी क्षेत्र के 24 बैंकों की 390 शाखाए कार्य रत हैं ।

(ख) बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिहायशी व वाणिज्यिक इलाकों के लिए निर्धारित दूरी की शर्तों का पालन किए जाने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस बात की पुष्टि करना सम्भव नहीं कि बंगलौर शहर में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं एक एक दूर किल्पेसीटरीया दो किलोमींटर की दूरी पर कार्य कर रही हैं ।

(ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

इलाके का नाम	राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्यरत शाखाओं की संख्या
के० जी० रोड	14
मल्लेश्वरम	18
जयानगर	18

(घ) जी नहीं । फरवरी, 1985 के अन्त में कर्नाटक में ग्रामीण केंद्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 1137 शाखाएं थीं । इसके अतिरिक्त राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 902 शाखाएं खोलीं ।

सहकारी बैंकों को भुगतान करने के लिये नाबार्ड से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वसूल किया गया ब्याज

2935. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सहकारी बैंकों को आगे भुगतान करने के लिए दी गई धन राशि पर भारतीय रिजर्व बैंक "नाबार्ड" से किस दर से ब्याज लेता है;

(ख) नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों से उन को दी गयी उसी धनराशि पर किस दर से ब्याज लिया जाता है; और

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और "नाबार्ड" द्वारा वसूल की गई ब्याज की दर में कोई अन्तर है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विभिन्न अनुमोदित प्रयोजनों के लिए राज्य सहकारी बैंकों सहित अपने ग्राहकों को पुनर्वित्त, अल्पावधिक ऋणों और अग्रिमों की जो सुविधाएं देता है उसके संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को मंजूर किए गए ऋण के ब्याज की दर पहली जुलाई 1985 से 5·75% है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक राज्य सहकारी बैंकों को विभिन्न ब्याज दरों पर अल्पावधिक ऋण और अग्रिम देता है। ब्याज की ये दरें ऋण के प्रयोजन पर निर्भर करती हैं। अलबत्ता, अल्पावधिक ऋणों की अधिकांश रकम 7% वार्षिक ब्याज पर दी जाती है।

(ग) इस समय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को 1.25 प्रतिशत वार्षिक का मार्जिन उपलब्ध है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सामान्य ऋण पर जो मार्जिन उपलब्ध कराया जाता है उसका निर्धारण पुनर्विचार, प्रतिशत, सहकारी बैंकों का निरीक्षण, संस्थागत विकास, प्रशिक्षण सुविधाएं, सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रह और प्रकाशन, विशेष अध्ययन आदि जैसे विभिन्न कार्यों की लागत को हिसाब में लिए जाने के बाद किया जाता है।

कोयला खानों में नियमित और नैमित्तिक श्रमिक

2936. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) 31 मार्च, 1985 को भारत में कोयला खानों में कार्यरत नियमित और नैमित्तिक श्रमिकों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) उन्हें 1984-85 दौरान कुल कितनी मजदूरी दी गई;

(ग) उक्त वर्ष में उत्पादन का लक्ष्य कितना था और क्षमता का कुल कितना उपयोग हुआ; और

(घ) 31 मार्च, 1985 को कोकिंग कोल का प्रति क्विंटल मूल्य कितना था ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० के संबंध में संगत सूचना नीचे दी गई है : —

	कोल इंडिया लि०	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०
1. दिनांक 31-3-1985 को नियमित कामगारों की संख्या	6,27,635	75,656
2. दिनांक 31-3-1985 को आकस्मिक/बदली कामगारों की संख्या	28,366	9,935
3. वर्ष 1984-85 में दी गई कुल मजदूरी (आंकड़े करोड़ रुपयों में-लगभग)	1187	159
4. उत्पादन लक्ष्य (लाख टनों में)	1310·87	170
5. वर्ष 1984-85 में क्षमता का उपयोग	89%	77·53%

(घ) दिनांक 31.3.1985 को कोककर कोयले की कीमत, ग्रेड के अनुसार, रु० 17·50 से लेकर रु० 46·00 प्रति क्विंटल तक अलग-अलग थी।

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों का बन्द होना

2937. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पश्चिम बंगाल में 15 जुलाई 1985 तक कितनी पटसन मिलें बन्द हो गई और उससे कितने मजदूर प्रभावित हुये हैं;

(ख) इन यूनिटों को पुनः खोलने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं;

(ग) वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 के दौरान बम्बई और अहमदाबाद की बीमार कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता के रूप में कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) उन वर्षों में समान कारणों से पश्चिम बंगाल की बीमार पटसन मिलों के सम्बन्ध में कितनी राशि खर्च की गई ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह): (क) 15 जुलाई, 1985 को पश्चिमी बंगाल में बन्द पड़ी पटसन मिलों की संख्या 17 थी जिनसे लगभग 60,500 कामगार प्रभावित हुए। (इसमें 3 स्थायी तौर पर बन्द पटसन मिलें, जिनमें 6,900 कामगार अन्तर्ग्रस्त हैं, शामिल नहीं हैं)।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) रुग्ण वस्त्र तथा पटसन मिलों को वित्तीय सहायता प्राथमिक तौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अलग-अलग मामले के आधार पर दी जाती है।

विवरण

इस संबंध में यह बताया जाता है कि पटसन मिलों के प्रबन्धकों द्वारा हाल की तालाबन्दी मिलों के बन्द होने के लिए नोटिस में दिया गया सामान्य कारण औद्योगिक विवाद है औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार उचित प्राधिकरण है। ऐसा पता चला है कि बहुत सी मिलों के मामले में द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय समझौता कार्यवाईयां पहले ही अन्तिम अवस्था में है। 15 जुलाई, 1985 के बाद से 6-8-85 तक प० बंगाल में 5 पटसन मिलें पुनः खुल गई हैं। तालाबन्दी समाप्त कर दी गई है।

21-5-85 को कलकत्ता में पूर्ति तथा वस्त्र मंत्री ने पटसन उद्योग में संकट के सम्बन्ध में एक बैठक ली थी, जिसमें केन्द्रीय श्रमिक यूनियनों पटसन मिलों के प्रबन्ध, केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि और पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री तथा श्रम मंत्री उपस्थित थे। बन्द पड़ी पटसन मिलों को पुनः खोलने को सुकर बनाने के लिए इस बैठक मे महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। पूर्ति और वस्त्र मंत्री ने जून 1985 के आरम्भ में कुछ बन्द पड़ी पटसन मिलों को जल्दी खोलने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए भारतीय पटसन मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को दिल्ली भी बुलाया था। केन्द्र सरकार ने 21-5-85 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की है और इस मामले में पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ बराबर सम्पर्क बनाए हुए है। बाकी बन्द पड़ी मिलों को पुनः खोलने की प्रक्रिया को तेज करने के लिये कई प्रयास किये जा रहे हैं और इस उद्देश्य के लिये सचिव (वस्त्र) ने 8 अगस्त, 1985 को कलकत्ता से पश्चिमी बंगाल में बन्द पड़ी पटसन मिलों के प्रतिनिधियों के साथ भी एक बैठक की है।

7 अगस्त, 1985 तक पश्चिमी बंगाल में 6 पटसन मिलें पुनः खुल गई हैं।

रबड़ उत्पादकों को बीमा योजना के अन्तर्गत लाया जाना

2938. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ उत्पादकों को बीमा योजना के अन्तर्गत लाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं, तथापि केरल राज्य में स्थित रबड़ बागानों के बीमे की योजना पहले से ही चालू है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कच्चे लोहे की कमी

2939. श्री अमर सिंह राठवा : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि देश में कच्चे लोहे की कमी है और अनेक लघु एककों, को, विशेषत: गुजरात में, अपना काम चलाने के लिये बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) कच्चे लोहे की कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) लघु एककों को बंद होने से बचाने के लिये उनको पर्याप्त मात्रा में कच्चा लोहा उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) से (ग) लघु क्षेत्र की इकाइयों की कच्चे लोहे की आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्यत: संबंधित राज्यों/संघ शासित राज्यों द्वारा की जाती है। ये राज्य आवश्यकताओं की पूर्ति लोहे तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता द्वारा इन राज्यों को आवंटित सप्लाई में से करते हैं। वर्ष 1985-86 की प्रथम तिमाही के दौरान दक्षिण में परिवहन सम्बन्धी समस्याओं तथा गुजरात में अशांत परिस्थितियों के कारण 1.4 लाख टन के स्थान पर 1.2 लाख टन कच्चे लोहे की सप्लाई की जा सकी।

जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है इस राज्य में अशांत परिस्थितियों के कारण 41,500 टन के आवंटन के स्थान पर अप्रैल-जून, 1985 के दौरान 21,100 टन कच्चे लोहे की सप्लाई की जा सकी। परन्तु जुलाई, 1985 के दौरान गुजरात को 11200 टन कच्चे लोहे का प्रेषण किया गया और अगस्त, 1985 में और 13,000 टन कच्चे लोहे का प्रेषण करने की सम्भावना है।

माध्यम अभिकरण, भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० की मार्फत कच्चे लोहे का आयात करके देशीय उपलब्धि को पूरा किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश द्वारा विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का कम उपयोग किया जाना

2940. श्री कमल नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार को राज्य में चालू परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा मंजूर ऋण का कम उपयोग किए जाने से सम्बन्धित मामले की जांच करने को कहा गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। तथापि हम मध्य प्रदेश सरकार को समय-समय पर अलग-अलग परियोजनाओं में उधार/ऋण के उपयोग में होने वाली चूकों के बारे में लिखते रहे हैं।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वह अन्तिम तारीख से पहले ही समस्त उधार/ऋण का उपयोग करने के लिए कदम उठा रही है। कुछ मामलों में, जहां ऋण की अवधि को बढ़ाना आवश्यक समझा गया है, हम विश्व बैंक से ऋण समाप्ति की अंतिम तारीख बढ़ाने के लिए अनुरोध करते रहे हैं ताकि उधार/ऋण का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके।

बैंक कर्मचारियों को अण्डमान विशेष भत्ता दिया जाना

2942. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काम करने वाले बैंक कर्मचारियों से, उन्हें अंडमान विशेष भत्ता, प्रतिपूर्ति भत्ता और विशेष क्षेत्र भत्ता, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान में काम करने वाले स्थानान्तरणीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में दिया जाता है, के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाई की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नियुक्त अधिकारियों और कर्मकारों को विशेष भत्ता दिये जाने के बारे में सरकार को, भारतीय बैंक संघ से, अधिकारियों के मामले में सरकार द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाने और कर्मकारों की यूनियनों के साथ हुए समझौतों में सरकार की हिदायतों के अनुसार संशोधन किए जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। सरकार मामले पर विचार कर रही है।

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में कार्यकारी निदेशकों के पदों का पुनर्गठन

2943. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्रों के सभी बैंकों में कार्यकारी निदेशकों के पदों के पुनर्गठन के बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है;

(ख)यदि हां, तो कौन से तथ्य हैं जिनके कारण पुनर्गठन की यह कार्यवाही की जा रही है;

(ग) चेयरमैन तथा कार्यकारी निदेशक के बीच नीति संबंधी मामलों पर मतभेदों तथा विवादों को न होने देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बैंक के कार्यनिष्पादन पर कुप्रभाव न पड़े; और

(घ) कब तक सभी नियुक्तियां होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 और 1980 में यह व्यवस्था की गयी है कि सरकार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में दो पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त कर सकती है जिनमें से एक प्रबन्ध निदेशक होगा। दूसरे पूर्णकालिक निदेशक, को जिसे कार्यपालक निदेशक का पदनाम दिया गया है, नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त नहीं की गयी है। अत: इस पद की बहाली का सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक, बैंक के दो पूर्णकालिक निदेशक होते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सबसे बड़ा कार्यपालक होता है और उसके बाद दूसरा स्थान कार्यपालक निदेशक का आता है और इनसे सभी पहलुओं से बैंक के कार्य मिलकर कारगर ढंग से चलाने की उम्मीद की जाती है। यद्यपि दोनों निदेशकों के विचारों और दृष्टिकोण में मतभेद होना स्वाभाविक है फिर भी अगर ऐसा अनुभव हो कि ऐसे मतभेदों से बैंक के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ऐसी स्थिति में सरकार आवश्यकतानुसार उपयुक्त कारंवाई करेगी।

(घ) कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति किए जाने का समय अलग-अलग बैंकों की आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के लेखों को अन्तिम रूप देना

2944. श्री जी० एस० बसवराजू : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के विलय के फैसले से पहले इसके लेखों को 31 दिसम्बर, 1984 तथा फिर 30 जून, 1985 को अद्यतन कर उचित रूप से मिलाया तथा अन्तिम रूप नहीं दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में तथ्य क्या है; और

(ग) इसके किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विलय के फैसले के कार्यान्वयन से पहले इसके लेखों को उचित रूप में पूरा करने तथा लेखा परीक्षा करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० के अनुरोध पर सरकार ने बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 53 के अन्तर्गत दिनांक 31 जुलाई, 1985 तक उक्त अधिनियम की धारा 31 के उपबन्धों से छूट दे दी है जिससे बैंक उक्त तारीख तक अपने लेखाओं को अंतिम रूप दे सकेगा।

(ग) रिजर्व बैंक ने वर्ष, 1984 के लिये कानूनी लेखा-परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में बैंक के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० के अधिस्थगन की तारीख से तुरन्त एक दिन पहले की तारीख तक की स्थिति के अनुसार जिस दिन तक अधिस्थगन लागू हैं, तुलन-पत्रों की लेखा-परीक्षा करने के लिये लेखा परीक्षक भी नामित किए हैं।

कुछ खनन क्षेत्रों को गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा खनन कार्य के लिये अनारक्षित करने का प्रस्ताव

2945. श्री विजय कुमार यादव
श्री वाई० एस० महाजन } : क्या इस्पात खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ खनन क्षेत्रों को गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा खनन कार्य के लिए अनारक्षित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) नीति में इस परिवर्तन से सरकार को क्या वित्तीय तथा अन्य लाभ होने की संभावना है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) खनिज सलाहकार परिषद ने सरकारी सेक्टर के उपक्रमों के लिए आरक्षित खनिजधारी क्षेत्रों की सूची बनाने तथा उन क्षेत्रों की निकट भविष्य में जरूरत के बारे में सरकारी सेक्टर के उपक्रमों से बातचीत करने की सिफारिश की है। इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए खान विभाग में एक समिति बनायी गई है।

(ग) नीति में परिवर्तन से सरकार को होने वाले वित्तीय लाभों का आकलन इस समय करना संभव नहीं है, क्योंकि अभी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

कोकिंग कोल में राख की मात्रा में वृद्धि

2946. **श्री विजय कुमार यादव : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः वर्षों के दौरान इस्पात संयंत्रों को दिए गए कोकिंग कोल में राख की औसत मात्रा लगभग 19 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इससे इस्पात संयंत्रों का उत्पादन किस सीमा तक प्रभावित हुआ है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) पिछले छः वर्षों के दौरान, इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किए गए कोककर कोयले के राख के अंश में कुछ वाशरियों के संबंध में वृद्धि हुई है और कुछ अन्य के संबंध में कमी आई है। इसका विवरण नीचे दिया गया है। वर्ष 1984-85 में वर्ष 1983-84 की तुलना में स्पष्ट सुधार हुआ है—

कोल इंडिया लि० की वाशरियों में धुले कोयले में राख का अंश
(इस्पात संयंत्रों में विश्लेषण के अनुसार)

वाशरी	79-80	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85
दुग्दा-i	22.1	23.4	22.2	22.1	22.9	22.1
दुग्दा-ii	22.4	23.1	22.3	22.7	23.0	22.2
भोजूडीह	19.1	19.7	20.5	21.0	21.8	21.1
पाथरडीह	22.1	22.2	22.7	22.1	22.6	22.5
सुदामडीह	शून्य	18.8	19.8	20.7	21.4	21.5
मुनीडीह	—	—	—	—	17.8	18.6
बरोरा	—	—	—	—	19.9	20.3
कारगली	18.1	18.2	18.0	18.0	18.1	18.1
कथारा	19.6	19.3	18.8	19.3	18.6	19.1
स्वांग	20.0	20.4	18.9	18.6	18.2	19-2
गिडी	20.6	21.6	19.6	19.3	19.3	19.7

कोककर कोयले में राख के अंश में वृद्धि से ब्लास्ट भट्टी की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है परन्तु इस प्रभाव की सही-सही सीमा इस्पात संयंत्रों में अलग-अलग रहती है। फिर भी, आमतौर पर यह कहा जाता है कि राख के अंश में 1% वृद्धि से गर्म धातु के उत्पादन पर 3% प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इस्पात संयंत्रों को दिए जाने वाले कोयले की किस्म में सुधार के लिए कोल इंडिया लि० ने सुधार की निम्नलिखित कार्रवाई की है—

1. फीड कोयले से बाहरी सामग्री को निकालना और किस्म-नियंत्रण सख्त करना।
2. कच्चे कोयले की सप्लाई के उन दोषपूर्ण स्रोतों को हटा देना जिन्हें निर्दिष्ट कर दिया गया है।

3. विद्यमान वाशरियों का बेहतर प्रबन्ध जिससे कार्य-निष्पादन स्तर इष्टतम सीमा तक पहुंचे ।
4. विद्यमान वाशरियों का आधुनिकीकरण और जहां आवश्यक हो वहां इस काम को उच्च अग्रता देना ।
5. यह सुनिश्चत करना कि सातवीं योजना में जो नई वाशरियां शुरू की गई है और जिनके शुरू किए जाने का प्रस्ताव था, उनका काम इस प्रकार हो कि वह अपने डिजाइन स्तर का कार्य-निष्पादन दे सकें ।
6. कोयले के परिष्करण में नई प्रौद्योगिकी लागू करना ।

भारतीय स्टेट बैंक का दक्षिण अफ्रीका के कुछ बैंकों के प्राधिकृत एजेंट के रूप में काम करना

2947. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक दक्षिण अफ्रीका के शीर्षस्थ बैंक बरकलेडर का प्राधिकृत एजेंट हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में कार्य करने वाले चार्टर्ड बैंक का दक्षिण अफ्रीका के चोटी के दूसरे बैंक स्टैंडर्ड के साथ विलय हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त क्रियाकलाप भारत की दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद शासन का आर्थिक बहिष्कार करने की नीति के साथ किस प्रकार मेल खाते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बार्कलेस बैंक लि० यूनाइटेड किंगडम में निगमित एक प्रमुख ब्रिटिश बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य कई भारतीय बैंकों का बार्क्लेस बैंक लि० के साथ तदनुरूप संबंध है।

(ख) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1853 की रायल चार्टर द्वारा स्थापित चार्टर्ड बैंक की पूंजी स्टैंडर्ड एण्ड चार्टर्ड बैंकिंग ग्रुप लि० नामक धारक कम्पनी द्वारा 1970 में अपने स्वामित्व में ले ली गई थी। 1975 में बैंक का यूनाइटेड किंगडम का कारबार स्टैंडर्ड एण्ड चार्टर्ड बैंक पी० एल० सी० को अन्तरित कर दिया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अनुसरण में, "'स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अधिनियम, 1984" नामक शीर्षक से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पी० एल० सी० के बैंकिंग कारबार का फिर से कुछ गठन हुआ है। भारत में बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुरोध पर और यूनाइटेड किंगडम में उसके सालिसिटरों द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने पर कि बैंक अपने मौजूदा चार्टर को बनाए रखेगा और कि उसे कोई नया चार्टर जारी नहीं किया जाता है और ये कि यह केवल चार्टर्ड बैंक से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में नाम परिवर्तन का ही सवाल है, इसलिए रिजर्व बैंक 1-1-1985 को बैंक के नाम में द चार्टर्ड बैंक से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में परिवर्तन को अधिसूचित कर दिया।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सरकारी क्षेत्र के चाय उपक्रमों को एक ही नियंत्रण के अधीन लाना

2948. श्री अजीत कुमार साहा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी चाय उपक्रमों को एक ही नियंत्रण के अधीन लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अब तक यदि कोई प्रगति हुई है तो क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न हीं नहीं उठते।

हथकरघा के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का पता लगाने के लिये प्रयास

2949. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का पता लगाने और देशीय बाजार का अधिक वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करने के लिये कोई विशेष प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हथकरघा माल के निर्यातों को तेजी से बढ़ाने के लिए उठाये गये मुख्य कदम निम्नलिखित हैं—

(i) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् विशेष मेलों तथा प्रदर्शनियों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेती है और बाजार अध्ययनों का संचालन भी करती है।

(ii) विदेशों से कलर तथा डिजाइन संबंधी प्राप्त जानकारी हथकरघा माल की विपणन क्षमता में सुधार के लिए विनिर्माताओं/निर्यातकों के बीच प्रसारित की जाती है।

(iii) हथकरघा उत्पादों के लिए नकद मुआवजा सहायता उपलब्ध है।

(iv) आर० ई० पी० लाइसेंसों के अन्तर्गत अनिवार्य अन्तर्निवेशों के आयात की अनुमति है।

घरेलू बाजारों का लाभ उठाने के लिए उठाये गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं—

(i) दूरदर्शन, आकाशवाणी और अन्य जन माध्यमों के जरिये प्रचार।

(ii) हथकरघा तथा उसके प्रौद्योगिकीय सुधारों के बारे में जानकारी देने वाला तकनीकी पुस्तिकाओं, ब्रोशरों, डायरियों, कैलेंडरों आदि का मुद्रण।

(iii) प्रमुख शहरों और पर्यटक केन्द्रों में होर्डिंग्स का लगाया जाना।

राउरकेला में सहायक एककों की समस्याएं

2950. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों के राउरकेला इस्पात संयंत्र में और उसके इर्द-गिर्द स्थापित सहायक एककों के प्रति असहयोग पूर्ण रवैये की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों द्वारा सहायक लघु उद्योगों से सहयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) राउरकेला में स्थापित सहायक एककों की समस्याओं की जांच करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कु० नटवर सिंह) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि राउरकेला इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाने में तथा इसके इर्द-गिर्द स्थापित सहायक

उद्योगों को सहयोग नहीं दे रहा है। वास्तव में पिछले पांच वर्षों के दौरान राउरकेला में तथा इसके इर्द-गिर्द स्थापित सहायक/लघु क्षेत्र के उद्योगों को दिये गये आर्डरों के मूल्य में वृद्धि हुई है, जैसाकि अगले पृष्ठ पर तालिका में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है—

वर्ष	दिये गये आर्डरों का मूल्य (करोड़ रुपये)
1980-81	7.60
1981-82	10.37
1982-83	11.63
1983-84	11.25
1984-85	12..3 (अस्थायी)

इस तथ्य के बावजूद कि माल-सूची पर नियंत्रण रखने के परिणामस्वरूप वर्ष 1981-82 से राउरकेला इस्पात कारखाने में आर्डर देने की समग्र स्थिति में काफी कमी हुई है, अनुषंगी/लघु क्षेत्र की इकाइयों को दिये गये—आर्डर में वृद्धि हुई है।

(ग) राउकेला इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ने राउरकेला में स्थापित सहायक-लघु क्षेत्र के उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं—

(i) इन इकाइयों के सामने आ रहीं समस्याओं के बारे में कारखाने के प्रबन्ध निदेशक संयंत्र स्तर पर परामर्शी समिति की बैठकों में विचार-विमर्श करते हैं। इन बैठकों में उद्योग संगठनों, राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा कारखाने के सम्बन्धित अधिकारी भी भाग लेते हैं।

(ii) स्थानीय इकाइयों को जारी की जाने वाली पेशकशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने के सामग्री प्रबन्धन विभाग के अधिकारियों तथा राउरकेला के अपर निदेशक (उद्योग) के बीच साप्ताहिक बैठकें करने की भी पद्धति लागू की गई है।

(iii) महा प्रबन्धक (सामग्री प्रबन्धन) की अध्यक्षता में भी एक उप-समिति का गठन किया गया है, जिसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं। इन बैठकों में लघु क्षेत्र/सहायक उद्योगों के सामने आ रही समस्याओं की समीक्षा की जाती है।

हाल में 29-5-1985 को हुई संयंत्र स्तर की परामर्शी समिति की बैठक में राउरकेला के इर्द-गिर्द स्थापित सहायक/लघु क्षेत्र के उद्योगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मूल्य-वृद्धि, निर्धारित हानिपूर्ति की धारा को समाप्त करने तथा रेट-कांट्रैक्ट प्रणाली को लागू करने जैसे प्रोत्साहनों की घोषणा की गयी है।

गैर-प्रमुख क्षेत्र कोयले का आबंटन

2951. प्रो० राम कृष्ण मोरे : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोयला व्यापारी संघ ने सरकार से गैर-प्रमुख क्षेत्र को अधिक कोयला आबंटित करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) उपभोक्ताओं की जरूरत का कोयला रेल और सड़क दोनों से दिया जाता है। उन उपभोक्ताओं की कुल जरूरतें रेल द्वारा पूरी नहीं होती हैं जो "रेल द्वारा प्रेषण" के अग्रता क्रम में नीचे हैं क्योंकि इस क्रम में उच्चतर अग्रता वाले अत्यंत महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर कोयला पहुंचाना आवश्यक होता है। इसलिए कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता का शेष कोयला सड़क से ले जाने की अनुमति दी जाती है। छोटे उपभोक्ताओं को उच्चतर अग्रता देकर स्टाकयार्डों से कोयला पहुंचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

सरकारी उद्यम चयन बोर्ड और सरकारी उद्यम ब्यूरो के कार्यकरण को सुधारना

2952. प्रो० राम कृष्ण मोरे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी उद्यम चयन बोर्ड और सरकारी उद्यम ब्यूरो के कार्यकरण को सुधारने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने हाल ही में सरकारी उद्यम कार्यालय के दायित्व एवं कार्यों को पुनः निर्धारित किया है। सरकार द्वारा अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों की भांति सरकारी उद्यम कार्यालय तथा सरकारी उद्यम चयन मण्डल के कार्य-निष्पादन की निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा उसकी कारगरता एवं कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिये समय-समय पर समुचित कार्रवाई की जाती है।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा तांबे और निकल की कीमत में वृद्धि

2953. प्रो० राम कृष्ण मोरे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने हाल ही में तांबे और निकल की कीमतें बढ़ाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने भारतीय रुपये की अपेक्षा पौंड स्टर्लिंग की वृद्धि के कारण मई, 1985 और जून, 1985 में ताम्बे तथा निकल की कीमतों में वृद्धि की। तथापि, अधिकांश श्रेणियों में जुलाई, 1985 और अगस्त, 1985 में कीमतें गिर गई हैं।

केरल के इलायची उत्पादकों को सहायता

2954. श्री पी० ए० एन्टनी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इलायची की नकद फसल के उन उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है जिनकी फसलें हाल ही की बाढ़ों और भू-स्खलनों के कारण नष्ट हो गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) केरल सरकार से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने वाली ज्ञापन प्राप्त होने पर एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने मौके पर अध्ययन करने के लिए बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों (इलायची सहित) का दौरा किया। दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और कृषि मंत्रालय में इसकी जांच की जा रही है। इस समय, सिफारिश की गई स्वीकृति के ब्यौरे बताना संभव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को ऋण

2955. श्री पी० ए० एंटनी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को ऋण देने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, सहकारी समितियां बैंकिंग क्षेत्र के लिए निर्धारित राशि के अन्दर-अन्दर, आवास वित्त लेने की पात्र हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवास वित्त पर जारी किये गये वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से आवास निर्माण गतिविधियों के लिए पिछले वर्ष की किसी एक खास तारीख को कुल अग्रिमों की राशि के 0.5 प्रतिशत हिस्से तक ऋण देने की अपेक्षा की जाती है। इस समय एक वर्ष के लिए, आवास-वित्त के वास्ते 150 करोड़ रुपए की रकम रखी गयी है। जिसमें से बैंकों को 65 करोड़ रुपये की राशि प्रत्यक्ष वित्त के रूप में पात्र ऋणकर्त्ताओं को निर्दिष्ट दरों पर देनी होती है। कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां आवास वित्त के अन्तर्गत पात्र ऋणकर्त्ताओं की श्रेणी में आती हैं।

केरल में पड़ा 5 करोड़ रुपये मूल्य का अनबिका हथकरघा कपड़ा

2956. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघे का 5 करोड़ रुपए मूल्य का कपड़ा केरल में अनबिका पड़ा है;

(ख) क्या इससे राज्य में हथकरघा क्षेत्र में संकट की स्थिति पैदा हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) केरल राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, केरल हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां, केरल हथकरघा बुनकर एपेक्स प्राइमरी समिति तथा केरल राज्य हथकरघा विकास निगम के पास 20 करोड़ रु० मूल्य के लगभग हथकरघा कपड़े का भंडार है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विशिष्ट रियायत अवधि के दौरान इस भंडार को अधिप्राप्ति तथा बिक्री के लिए रखा जाता है।

(ग) राज्य सराकर ने हथकरघा वस्त्र के संचित भंडार को समाप्त करने के कई कदम उठाए हैं पिछले 3 वर्षों के दौरान दिनों की संख्या में वृद्धि करके प्रति वर्ष 101 दिनों की विशेष रियायत दी है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के लिए उधार बिक्री की अनुमति दी हैं। उन्होंने केरल के भीतरी भागों, प्रदर्शनियों, जिले में स्थापित बिक्री स्टालों/केन्द्रों/तालुक मुख्य कार्यालयों तथा राज्य के सभी अन्य भागों में हथकरघा कपड़े की बिक्री को बढ़ावा दिया है। राज्य सरकार ने राज्य में कुछ और हथकरघा खुदरा दुकानें खोले हैं।

ओवरड्राफ्ट के बारे में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक

2957. श्री पी० नामग्याल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उन राज्यों के मुख्यमन्त्रियों की एक बैठक बुलाने का निर्णय किया था जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखे हैं;

(ख) क्या बैठक बुलाई गई थी और यदि हां तो उस बैठक का क्या परिणाम रहा; और

(ग) क्या प्रत्येक राज्य द्वारा 1984-85 के दौरान और जून, 1985 के अन्त तक लिए गए ओवरड्राफ्टों के ब्यौरे की एक सूची सभा पटल पर रखी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) · (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ओवरड्राफ्टों वाले कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वित्त मंत्री ने विचार-विमर्श किया था। इस विचार-विमर्श के पश्चात, केन्द्र ने 28-1-1985 की स्थिति के अनुसार राज्यों के 90 प्रतिशत ओवरड्राफ्टों को 1986-87 से शुरू होने वाले 4 वर्षों में, वापस अदा किये जाने वालें मध्योवधि ऋण में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। शेष 10 प्रतिशत को 1 अक्तूबर, 1985 तक राज्यों द्वारा अपने ही प्रयासों से समाप्त किया जाना है।

(ग) 31-3-85 तथा 26-6 85 की स्थिति से अनुमार राज्यों के ओवरड्राफ्टों को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्यों के ओवरड्राफ्टों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(करोड़ रुपये में)

राज्य	ओवरड्राफ्ट	
	31-3·1985 को (समायोजित)	26-6-1985 को
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	172.21	94.62
2. असम	150 10	33.44
3. बिहार	46.68	——
4. गुजरात	10.49	16.20
5. हरियाणा	91.16	36.47
6. हिमाचल प्रदेश	24.16	——
7. जम्मू एवं कश्मीर	*	*
8. कर्नाटक	214.57	148.15
9. केरल	174.50	199.01
10. मध्य प्रदेश	130.00	——
11. महाराष्ट्र	——	——
12. मणिपुर	26.05	——
13. मेघालय	——	——
14. नागालैंड	37.73	2.36

1	2	3
15. उड़ीसा	50.13	16.91
16. पंजाब	78.19	82.79
17. राजस्थान	——	——
18. सिक्किम	*	*
19. तमिलनाडु	19.62	——
20. त्रिपुरा	——	——
21. उत्तर प्रदेश	372.40	163.70
22. पश्चिम बंगाल	140.72	138.56
जोड़ :	173९.71	932.21

*भारतीय रिजर्व बैंक में खाता नहीं है ।

देश में कच्चे पटसन का उत्पादन कम होने के कारण

2958. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कच्चे पटसन का उत्पादन गिर रहा है, जिसके फलस्वरूप सरकार को इसका विदेशों से आयात करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या पटसन के उत्पादन में कमी होने का कारण यह है कि मिल मालिकों द्वारा पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य न देकर उनका शोषण किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो शोषण करने वाले मिल मालिकों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि कार्यवाही की गई तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) देश में कच्चे पटसन के उत्पादन में वर्ष प्रति वर्ष व्यापक उतार-चढ़ाव रहे हैं। 1981-82 से 1984-85 तक के सीजनों में पटसन की लगातार चार कम फसलों के परिणामस्वरूप सरकार को घरेलू पूर्तियों में कमी को पूरा करने के लिए 1984-85 सीजन के दौरान विदेश से कच्चे पटसन की लगभग 1.60 लाख गाठों की एक छोटी मात्रा के आयात की व्यवस्था करनी पड़ी। यह मात्रा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत नेपाल से कच्चे पटसन की एक छोटी मात्रा के सामान्य आयात और शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों द्वारा किये गये आयातों के अतिरिक्त है। चालू पटसन सीजन 1985-86 के दौरान लगभग 85 लाख गाठों की एक भरपूर पटसन फसल होने की संभावना है।

(ख) कच्चे पटसन की कीमतें 1983-84 तथा 1984-85 सीजनों के दौरान सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम सांविधिक कीमतों से काफी ऊपर रही थीं। हाल के वर्षों में देश में कच्चे पटसन के उत्पादन में उतार चढ़ाव के लिए काफी हद तक प्रतिकूल मौसम सम्बन्धी परिस्थितियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

(ग) तथा (घ) सरकार पटसन उपजकर्त्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए प्रत्येक सीजन में न्यूनतम समर्थन कीमतों की घोषणा करती है और भारतीय पटसन निगम को पूरे देश में न्यूनतम समर्थन कीमतें बनाये रखने का कार्य सौंपा गया है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा कार्य निष्पादन

2959. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र का उत्पादन स्तर असन्तोषजनक है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी उत्पादन दर तथा उत्पदन क्षमता क्या है तथा यह कब से है तथा क्या पंचवर्षीय सातवीं योजना के दौरान संयंत्र के 1.8 से बढ़ाकर 2.5 मिलियन टन विस्तार

करने के लिए पश्चिम जर्मनी से अधिक वित्तीय सहायता मिलने से लक्ष्यों के अनुसार स्थिति आशाजनक प्रतीत होती थी; और

(ग) यदि हां, तो इसकी वर्तमान प्रगति तथा कार्य निष्पादन के बारे में ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) से (ग) पिछले कुछ वर्षों के दौरान राउरकेला इस्पात कारखाने सामने आ रही बिजली की सप्लाई से संबंधित समस्याओं, वर्तमान कच्चे माल (कोककर कोयला है) और उपस्करों की स्थिति को देखते हुए राउरकेला इस्पात कारखाने में विक्रेय इस्पात का उत्पादन सन्तोषजनक है। पिछले तीन वर्षों में विक्रेय इस्पात का उत्पादन निम्नलिखित रहा : —

(हजार टन)

वर्ष	वार्षिक निर्धारित क्षमता	कार्यक्रम के अनुसार	वास्तविक उत्पादन	पूर्ति का प्रतिशत कार्यक्रम के अनुसार	क्षमता
1982-83	1225	1001	992	99.1	81
1983-84	1225	838	863	103	70
1984-85	1225	940	1013	108	83

चालू वर्ष (अप्रैल-जुलाई 1985) के दौरान उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली की सप्लाई पर लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण विक्रेय इस्पात के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बिजली की कमी के कारण इस अवधि के दौरान विक्रेय इस्पात के उत्पादन में 1,50,300 टन की कमी हुई है।

सातवीं योजना के दौरान राउरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि कारखाने का नवीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने का एक प्रस्ताव है जो सरकार के विचाराधीन है। सातवीं योजना में इस्पात क्षेत्र के लिए आवंटन को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् सरकारी स्वीकृतियां होने के बाद ही इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में धन की व्यवस्था करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

मुद्रा घोटाले की जांच

2960. श्री एम० रघुमा रेड्डी }
श्री धर्म सिंह मलिक } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मई, 1985 के "ब्लिटज" समाचारपत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 19 मार्च, 1985 को प्रकाश में आये सनसनी खेज मुद्रा घोटाले की जांच, जिसमें 46 लाख रुपये तस्करी से ले जाने के आरोप में तीन व्यक्ति अर्थात् महगेश जयकृष्ण, उसकी पत्नी पाद और चन्द्रकांत सी-अमीन शामिल थे, को रफा-दफा कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने, प्रश्न में उल्लिखित समाचार को देखा है। तथापि, समाचार में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि इस मामले में छानबीन को रफा-दफा कर दिया गया है। दिनांक 19 मार्च, 1985 को बरामद की

गई 46·63 लाख रु० की विदेशी मुद्रा पहले ही अभिगृहीत की जा चुकी है। विदेशी मुद्रा को तस्करी के सिलसिले में सर्व श्री मुरुगेश जयकृष्ण, आशुतोष प्रफुल्ल चन्द्र नानावटी और चन्द्रकांत शिवाभाई अमीन को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत उन्हें नजरबन्द कर लिया गया था। उक्त मामले में आगे जांच जारी है और कानून के तहत यथापेक्षित समुचित कार्रवाई सभी अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध की जाएगी।

रुग्ण कपड़ा मिलों का वित्त पोषण

2961. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई और अहमदाबाद (गुजरात) की कुछ रुग्ण मिलों का वित्तपोषण करने और उनका प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये सहमत हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल की रुग्ण कपड़ा मिलों की सहायता करने के लिए उसी तरह के प्रयास न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रसेखर सिंह) : (क) हाल ही में बम्बई अथवा अहमदाबाद में किसी भी रुग्ण कपड़ा मिल को अधिग्रहीत करने का कोई निर्णय भारत सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। अधिकारियों का एक दल सभी राज्यों में बन्द मिलों की समस्याओं की जांच कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम का आधुनिकीकरण

2962. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम का 302 करोड़ रुपये की लागत का कोई आधुनिकीकरण कार्यक्रम है; जैसाकि दिनांक 13 जुलाई, 1985 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या इस योजना में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें सक्षम हो जायेंगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम का इस योजना को किस प्रकार वित्त प्रदान करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रसेखर सिंह) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने आधुनिकीकरण के लिए 302 करोड़ रु० की आवश्यकता का अनुमान लगाया था और तदनुसार योजना प्रावधान का सुझाव दिया।

(ख) और (ग) सीमित संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए चुनिंदा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को अपनाना होगा। अभी तक मिलवार योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं।

(घ) सातवीं योजना के दौरान एन० टी० सी० के श्रमिक योजनाओं के यौक्तिकीकरण और आधुनिकीकरण के लिये योजना आयोग ने अब तक 117 करोड़ रु० का परिव्यय बताया है।

मैसर्स मोदी स्टोन्स एण्ड सिगरेट यूनिट्स के विरुद्ध उत्पाद और सीमा शुल्क के सम्बन्ध में अधिनिर्णयन मामले

2963. श्री राम भगत पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदी ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज की मैसर्स मोदी स्टोन्स एंड सिगरेट यूनिट्स के विरुद्ध उत्पाद और सीमा शुल्क के कुछ मामले अधिनिर्णयन के लिये लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सम्भवतया प्रश्न का सम्बन्ध मोदी स्टोन टायरों के निर्माता मैसर्स बाम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड और मोदी उद्योग समूह की एक सिगरेट कम्पनी मैसर्स गाडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड, बम्बई से है, मैसर्स बाम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड के सम्बन्ध में अपराध का कोई भी मामला न्यायनिर्णयन के लिए बकाया नहीं पड़ा है। मैसर्स गाडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड के विरुद्ध अपराध के चार मामले न्यायनिर्णय के लिए बकाया हैं। इनमें से तीन मामले तो उत्पादन शुल्क माल के न्यून-मूल्यांकन के हैं और एक मामला शुल्क का भुगतान किए बिना उत्पादन शुल्कय माल को निकासी किए जाने के बारे में हैं।

[हिन्दी]

नई दिल्ली में करोल बाग स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा ऋणों का दिया जाना

2964. श्री बनवारी लाल बेरवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में करोल बाग स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में उन पार्टियों को ऋण दिया गया है, जो पात्रता की अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं करती है;

(ख) उन व्यक्तियों/फर्मों की संख्या कितनी है, जिन्हें इस बैंक ने 1984 में जमा राशि से अधिक रकम निकालने की सुविधा दी थी तथा उन व्यक्तियों/फर्मों की संख्या कितनी है, जो जमा राशि से 40 लाख रुपये अधिक राशि निकालने की सुविधा के हकदार हैं तथा जिन्हें बैंक अधिकारियों ने जमा राशि से $1\frac{1}{2}$ करोड़ से 2 करोड़ रुपये तक अधिक राशि निकालने दी;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है तथा उन पार्टियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने ऋण लौटाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(घ) इन रकमों को वसूल करने के लिए बैंक/मन्त्रालय का कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) बैंक के अनुसार केवल 40 लाख रुपए की ओवर ड्राफ्ट की सुविधा पात्र किसी व्यक्ति/फर्म को 1.50 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए तक रकम निकालने की सुविधा नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

[अनुवाद]

बम्बई में राजस्व आसूचना अधिकारियों द्वारा एक जहाज से 2 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का पकड़ा जाना

2965. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना अधिकारियों ने 12 जुलाई 1985 को सिंगापुर से बम्बई आए एक जहाज से लगभग 2 करोड़ रुपएं के मूल्य की निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी थीं, जिसमें मुख्यत: कपड़ा वी० सी० आर० और कलाई घड़ियां थीं;

(ख) यदि हां, तो पकड़ी गई वस्तुओं का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किन्हीं व्यक्तियों को पकड़ा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो पकड़े गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय, जोनल यूनिट, बम्बई, के अधिकारियों ने दिनांक 12/13 जुलाई, 1985 को "यमुना पायनियर" जलयान द्वारा सिंगापुर से आए चार आधानों की जांच की थी जिसकी मालसूची में यह उल्लेख था कि उनमें एक्रिलेमाइड के 1200 ड्रम हैं। उन्होंने 2 लाख रुपए के मूल्य के चार आधानों के साथ निम्नलिखित माल को भी पकड़ा :—

(मूल्य: लाख रुपयों में)

माल	मात्रा	(बाजार मूल्य)
1. टैक्सटाइल	227188.5 गज	73.05
2. बी० सी० आर०	701 नंग	91.65
3. घड़ियां	37,300 नग	27.76
4. एक्रिलेमाइड (100 ड्रमों में)	5000 किलोग्राम	3.50
5. विविध माल		0.20
	जोड़ :	196.16

(ग) जी, नहीं। अभी तक कोई व्यक्ति नजरबन्द नहीं किया गया।

(घ) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा गैर—सरकारी खानों से लोह अयस्क की खरीद

2966- **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि इण्डियन एंड स्टील कम्पनी लि०, के प्रबन्धक चिरिया और मनोहरपुर स्थित अपनी रक्षित खानों से लोहे अयस्क खरीदने के बजाय बड़बिल, उड़ीसा की गैर सरकारी खानों से लौह अयस्क खरीद रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रबन्धकों ने इस तरह की अनियमिततापूर्ण प्रक्रिया अपनाने से पहले मंत्रालय अथवा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, की स्वीकृति ली थी ; और

(ग) क्या ऐसा बड़बिल के खान मालिकों को संतुष्ट करने के लिए किया गया है, जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा अपर्याप्त मूल्य दिये जाने की शिकायत कर रहे हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कं० नटवर सिंह) : (क) और (ख) इण्डियन आयनर एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (इस्को) गुआ और चिरिया/मनोहरपुर स्थित अपनी गृहीत खानों से लौह अयस्क का इष्टतम इस्तेमाल कर रही है। इन गृहीत खानों से लौह अयस्क, "इस्को" में इस्तेमाल में लाये गये कुल लौह अयस्क का 70 प्रतिशत बैठता है।

गुआ तथा चिरिया/मनोहरपुर का लौह अयस्क अन्तर्निहित रूप से नरम तथा प्राकृतिक रूप से चूर्णशील है जिसमें लोहे की मात्रा कम है और अल्यूमिना/सिलिका का अनुपात प्रतिकू-

लात्मक है। चूंकि "इस्को" में सिन्टर संयंत्र की सुविधा नहीं है इसलिए प्रौद्योगिकीय दृष्टि से अल्यूमिना/सिलिका की बेहतर मात्रा के ठोस अयस्क का मिश्रण करना जरूरी है। अल्यूमिना/सिलिका के कम अनुपात वाला ठोस अयस्क गुआ/चिरिया/मनोहरपुर में उपलब्ध नहीं है इसलिए "इस्को" एम० एम० टी० सी० और ओ० एम० डी० सी० से लौह अयस्क खरीदती है। ये दोनों सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां हैं।

(ख) धमन भट्टी के मधुरण (स्वीटनिंग) करने के लिए "इस्को" द्वारा गृहीत स्रोतों को छोड़कर अन्य स्रोतों से लौह अयस्क की खरीद स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा सामग्री प्राप्त करने के बारे में स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार है।

विद्युत क्षेत्र के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना

2967. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री सनत कुमार मंडल } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बांड जारी करने की सरकारी योजना असफल सिद्ध हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या थे ;

(ग) क्या अब ये उपक्रम पूंजी बाजार के माध्यम से कम लागत पर अतिरिक्त संसाधन जुटा रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार का इन बोर्डों पर आकर्षक दरों पर ब्याज दिये जाने सम्बन्धी निदेश अन्ततोगत्वा इन उपक्रमों पर एक भारी बोझ साबित होगा ;

(ङ) क्या ये उपक्रम भी यह महसूस करते हैं कि बांड जारी करना अतिरिक्त संसाधन जुटाने का बुद्धिमानी पूर्ण तरीका सिद्ध नहीं होगा ; और

(च) क्या विभिन्न दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुये सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इन उद्यमों को पूंजी बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को कर सम्बन्धी लाभों सहित उचित ब्याज दर पर बांड जारी करने की अनुमति देने के बारे में अभी कोई मार्गनिर्देश नहीं बनाये गये हैं। इस सम्बन्ध में मार्गनिदेशों को अन्तिमरूप देते समय सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

स्व-रोजगार योजना के कार्यान्वयन के बारे में शिकायतें

2968. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि स्व-रोजागर योजना के अन्तर्गत कुछ रोजगारशुदा व्यक्ति भी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले धन का लाभ उठा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋण की वसूली न हो पाने के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों का करोड़ों रुपया डूब जाने की सम्भावना है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ङ) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) ऐसी योजना में जिसे सारे देश में बड़े पैमाने पर कार्यान्वित किया जा रहा हो, हमेशा ही देरी/ऋण मंजूर न किये जाने, ऋणों का दोषपूर्ण वितरण और अपात्र व्यक्तियों द्वारा ऋण लिए जाने से सम्बन्धित शिकायतें हो सकती हैं। अलबत्ता, जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए उनकी जांच की जाती है।

(ग) से (ङ) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना वर्ष 1983-84 में ही शुरू की गई थी। अत: वापसी अदयगी के लिए देय राशि निश्चित रूप से कम ही होगी। ऐसा निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं कि योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋण की एक बड़ी रकम के बट्टे खाते डाले जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

उर्वरकों की सप्लाई के लिए पाकिस्तान के साथ वार्ता

2969. **श्री ओ० जी० स्वैल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से गेहूं के बदले पाकिस्तान से उर्वरकों की सप्लाई के एक सौदे के बारे में बातचीत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सौदा हो गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) पाकिस्तान से 200,000 में टन यूरिया की खरीद और उसके समतुल्य गेहूं की मात्रा की सप्लाई की संभावना का पता लगाया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) पाकिस्तान पक्ष ने संकेत दिया कि उनकी गेहूं की जरूरतें पहले ही अन्य साधनों द्वारा पूरी कर ली गयी हैं तथा उनकी कोई अतिरिक्त जरूरत नहीं है।

दुर्घटना बीमा योजना

2970. **श्री बनवारी लाल पुरोहित**
श्री विलास मुत्तेमवार } क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कामगारों स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को मद्दे नजर रखते हुये इस योजना को लागू करने का है ; और

(ग) उपरोक्त योजना कब लागू की जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। इस योजना को शुरू-शुरू में देश के 100 जिलों में प्रारम्भ किया जाएगा जिनका चयन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सलाह से किया जाएगा।

(ख) देश के औद्योगिक कर्मचारी सामान्यत: कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 अथवा कर्मचारी राज्य बीम अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत लाभानुभोगी हैं और इन अधिनियमों के अनु-

और उन्हें काम के समय होने वाली दुर्घटना के सभी मामलों में मुआवजा/लाभ प्रदान किया जाता है। ऐसे कर्मचारियों के लिए अलग से कोई दुर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा स्कीम को प्रथम चरण में 15-8-85 से प्रारम्भ किया जा रहा है और इसे देश के 78 जिलों में लागू किया जाएगा जिनका चयन राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों की सलाह से किया जाएगा।

12.00 मध्याह्न

भारत छोड़ो अन्दोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, आज नौ अगस्त का दिन हमें उस ऐसी ऐतिहासिक दिन की याद दिलाता है जब बम्बई में भारत छोड़ो संकल्प द्वारा आजादी के लिए एक महत्वपूर्ण और मेरे विचार में अन्तिम लड़ाई शुरू हुई।

प्रो० मधु दंडवते (राजपुर) : यह एक खास स्थान पर शुरू हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं। हमें महाराष्ट्र के लोगों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए।

हम उन सभी शहीदों, जिन्होंने उस समय आजादी के आंदोलन में देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, को याद करते हैं और अपनी हार्दिक श्रदांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे असंख्य लोग भी हुए हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है परन्तु इन लोगों के बारे में जनसाधारण को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी उनके आत्म बलिदान ने देश में स्वतंत्र लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया।

मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण सभा इस बात से सहमत होगी। हमने सभा में आज सुबह सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक भी है। हमें सरकार से अपुरोध करना चाहिए कि उसे उन सभी शहीदों और स्वतंत्रता सैनानियों के लिए, जिन्होंने हम सभी को स्वतंत्रता दिलाई है, एक सुन्दर स्मारक बनाना चाहिए।

मैं भी समझता हूं कि यह एक शुभ दिन है और हमें इस शुभ अवसर पर एक बार फिर से इस बात की शपथ लेनी चाहिए कि हमें उन आदर्शों को नहीं भुलाना चाहिए जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और दु:ख सहे और हम उन लोकतांत्रिक अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को बनाये रख का भी प्रयास करेंगे जो इस देश में हम सबको स्वतन्त्रता द्वारा मिले हैं।

अब हम उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, खड़े होकर खड़े होकर थोड़ी देर का मौन रखेंगे।

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहे

अध्यक्ष महोदय : हां, श्रीमान तिवारी जी ?

प्रो० के०के० तिवारी (बक्सर) : मैंने एक सूचना दी है आपने समाचारपत्रों में अत्यन्त बेचैन कर देने वाला समाचार पढ़ा होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप। किस सम्बन्ध में प्रस्ताव दिया है ?

प्रो० के० के० तिवारी : आप। समाचार पत्रों में अत्यन्त बेचैन कर देने वाला यह समाचार पढ़ा होगा कि कुछ आंतकवादी कमांडों जो किसी खास मकसद से प्रेरित है और जिनको पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया गया है, दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय में तथ्यों को जानना चाहूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : उनका उद्देश्य हिंसा फैलाना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। मैं इस संबंध में गृह मंत्री जी से पूछूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : कृपया गृह मंत्री जी से पूछिये......।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है कि मैं इस बारे में पूछूंगा। मैं। इस सम्बन्ध में पहले ही अच्छी तरह विचार कर रहा है......तथ्य मिलने पर मैं गृह मंत्री जी से बात करूंगा।

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : कल केंद्रीय कक्ष में, जो कि सम्पूर्ण सभा की सम्पत्ति है, श्री शफी ने......**(व्यवधान)** पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये।

प्रो० के० के० तिवारी : क्षमा याचना करना ही काफी नहीं है। वह एक काफी वयो वृद्ध व्यक्ति हैं। वह संविधान सभा के सदस्दय थे।

एक माननीय सदस्य : यह संसद की अवमानना करना है।

प्रो० के० के० तिवारी : हमें इसकी भर्त्सना करनी चाहिए।......**(व्यवधान)**।

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये। आप बैठिये। मुझे भी कष्ट है, आपको भी कष्टहै। पुराने वाले जो संसद सदस्य थे उनको भी तकलीफ हुई है, जो वर्तमान में संसद् सस्दय हैं उनको भी कष्ट है। यह अच्छा नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। वे अपर हाऊस के मेम्बर हैं। मुत्तू साहब से भतग जी ने बात की थी। आदमी पछतावा तभी करता है जब वह कोई गल्ती करता है, कोई बुरा काम करता है। इसके पश्चात् और कोई सजा नहीं हुआ करती है। आप बड़े आदमी हैं, आपको उदार होना चाहिए और कोई माफी मांगे तो उसको माफी दिलानी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप तो बापू के पुजारी हैं। वे तो यह कहा करते थे कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा मुंह कर दीजिए। कोई बात नहीं, इतना बहुत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आपको क्या हो गया है ? आप बैठिये।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी रंगा (गुंटूर) : क्या उन्होंने क्षमा याचना की है ?

अध्यक्ष महोदय : यही मैं कहना चहाता हूं। राज्य सभा में श्री मट्टू स्वयं क्षमायाचना और खेद प्रकट करेंगे और यहां उनकी तरफ से और उनके दल की तरफ से श्री काबूली सभा में क्षमायाचना करेंगे।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : अध्यक्ष जी...

अध्यक्ष महोदय : मुत्तेमवार जी आप क्या कर रहे हैं ? बात खत्म हो गई है। किसी बात का अन्त हुआ करता है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्री नगर) : स्पीकर साहब, कल जो सेंट्रल हाल में वारदात हुई और जिसके बारे में आपने भी कहा है। मैं आपको बता दिया था कि हमें इसका अफसोस है और श्री भगत साहब, जी मिनिस्टर आफ पार्लियामेंट अफेयर्स हैं उनके साथ भी हमारी बात हुई थी। मैं समझता हूं कि कल जो सेंट्रल हाल में बकाया हुआ वह बहुत पेनफुल है और बहुत अफसोसनाक है। हमारी नेशनल कांफ्रेंस इस मामले में इत्तिफाक नहीं कर सकती जो हमारे मेम्बर गुलाम रसूल मुत्तु की तरफ से वहां हुआ। यह ठीक नहीं है।

सेंट्रल हाल का जो बकार है, और पार्लियामेंट का जो बकार है उसको हमको हर कीमत पर बराबर रखना चाहिए। इस मामले में हमारे मेम्बर की तरह से जो ज्यादती हुई हैं उसका हमें बड़ा पछतावा है। जहां तक मुत्तु साहब का ताल्लुक है वे मेम्बर आफ पार्लियामेंट हैं और चौधरी मोहम्मद शफी दोनों हमारी रियासत से तालुक रखते हैं। चौधरी साहब तो पुरा फ्रीडम फाइटर हैं। उनके लिए हमारे दिल में बहुत ही एहतिराम है। शेख साहब के साथ कन्धे-से-कन्धा मिला कर उन्होंने फ्रीडम मूमेंट में काम किया। बदकिस्मती से उनके साथ कुछ ऐसी बात होगई जिसके लिए मैं समझता हूं कि उनको अब जजबात में नहीं बहना चाहिए। यह एक गलत बात हुई है। (व्यवधान) उनको जजबात में नही बहना चाहिए। सेंट्रल हाल और पार्लियामेंट पर सब की निगाह पड़ती है। प्रेस वाले हमको छोड़ते नहीं हैं और उनके माध्यम से पूरा अवास हमको देख रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बात को खत्म कर दीजिए। मैं मुत्तु साहब की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इस बात पर अफसोस आहिर करता हूं और दु:ख का इजहार करता हूं। इस मामले को अब यहीं खत्म कर दिया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब क्या हो गया।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) : اسپیکر صاحب کل جو سینٹرل ہال میں واردات ہوئی اور جس کے بارے میں آپ نے بھی کہا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہمیں اس کا افسوس ہے اور شری بھگت صاحب جو منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل جو سینٹرل ہال میں واقعہ ہوا وہ بہت پین فل ہے اور بہت افسوس ناک ہے۔ ہماری پارٹی نیشنل کانفرنس اس معاملے میں اتفاق نہیں کر سکتی۔ جو ہمارے ممبر غلام رسول متو کی طرف سے وہاں ہوا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔

سینٹرل ہال کا جو وقار ہے اور پارلیمنٹ کا جو وقار ہے اس کو ہم کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہیئے۔ اس معاملے میں ہمارے ممبر کی طرف سے جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ہمیں بڑا پچھتاوا ہے۔ جہاں تک متو صاحب کا تعلق ہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور چودھری محمد شفیع دونوں ہماری ریاست سے تعلق رکھتے ہیں۔ چودھری صاحب تو پرانے فریڈم فائٹر ہیں۔ ان کے لئے ہمارے دل میں بہت ہی احترام ہے۔ شیخ صاحب کے ساتھ انہوں نے کندھا سے کندھا ملا کر فریڈم موومینٹ میں کام کیا۔

بدقسمتی سے کچھ ایسی بات ہو گئی جس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب جذبات میں نہیں بہنا چاہیئے۔ یہ ایک غلط بات ہوئی ہے۔ (انٹرپشن) ان کو جذبات میں نہیں بہنا چاہیئے۔ سینٹرل ہال اور پارلیمنٹ پر سب کی نگاہ پڑتی ہے۔ پریس والے ہم کو چھوڑتے نہیں ہیں اور ان کے مادھیم سے پورا عوام ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیجئے۔ میں متو صاحب کی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے اس بات پر افسوس ظاہر کرتا ہوں اور دکھ کا اظہار کرتا ہوں۔ اس معاملے کو اب یہیں ختم کر دیا جائے۔ (انٹرپشن)

ادھیکش مہودے : اب کیا ہو گیا۔

12.07 म०प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1985 भारतीय साधारण बीमा निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा आदि के प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 30 जुलाई, 1985 को अधिसूचना संख्या का० आ० 559 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(2) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 30 जुलाई, 1985 को अधिसूचना संख्या का० आ० 560 (अ) में प्रकाशित हुई थीं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 1278/85]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, बम्बई, के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1279/85]

(4) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा, के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1280/85]

(दो) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़, के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1281/85].

(तीन) कालाहाड़ी आंचलिक ग्रामीण बेंक, भवानीपाटन, के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1282/85]

(चार) रत्नगिरि सिंधुदुर्ग ग्रामीण बेंक, रत्नगिरी, के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1283/85]

(पांच) अलोका ग्रामीण बेंक, अकोला, के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1284/85]

(छह) फैजाबाद क्षेत्रीय ग्राणीण बेंक, फैजाबाद, के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1285/85]

(सात) मिजोरम ग्रामीण बेंक, मिजोरम, के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1286/85]

(आठ) मारवाड़ ग्रामीण बेंक, पाली, के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1287/85]

(नौ) हिमाचल ग्रामीण, बेंक, मंडी, के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1288/85]

(दस) तुंगभद्रा ग्रामीण बेंक, बेल्लारी, के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1289/85]

(ग्यारह) सुरेन्द्रनगर भावनगर, ग्रामीण बेंक सुरेन्द्रनगर, के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1290/85]

(बारह) लखीमी गांवलिया बेंक, गोलाघाट के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1291/85]

(तेरह) बोलनगीर आचलिक ग्राम्य बेंक, बोलनगीर, के 31 दिसम्बर 1983 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1292/85]

निर्यात निरीक्षण अभिकरण संशोधन नियम, 1985 तथा कॉफी बोर्ड के वर्ष 1981-82 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण), अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण अभिकरण (भर्ती) संशोधन नियम 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र में 23 फरवरी, 1985 को अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 723 में प्रकाशिकत हुए थे।

[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०** 1293/85]

(2) काफी बोर्ड के वर्ष 1981-82 के लेखाओं पर लेखापरीक्षक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पूंजी निधि)।

(3) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1294/85]

12.08 **म०प०**

राज्य सभा से सन्देश

दण्ड विधि संशोधन (संशोधन) विधेयक, 1985

[**अनुवाद**]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है।

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोकसभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 8 अगस्त 1985 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 5 अगस्त, 1985 को पारित दण्ड विधि संशोधन (संशोधन) विधेयक 1985 से बिना किसी संशोधन के, सहमत हुई है।"

12.09 **म०प०**

प्राक्कलन समिति

8 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

चिंतामणी पाणि गृही (भुवनेश्वर) : मैं प्राक्लकन समिति वाणिज्य मन्त्रालय-तम्बाकू बोर्ड सम्बन्धी 8 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। और समिति की तत्संबंधी बैठकों का कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

[**अनुवाद**]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : गत कई दिनों से मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में चर्चा कराने का अनुरोध कर रहा हूं······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय में पहले ही कह चुका हूं। मैं इस सम्बन्ध में पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा तो होना ही था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। श्री श्रीहरि राव।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : क्या आप हमें स्पष्ट करेंगे कि इसमें आपको क्या आपत्ति है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी आपत्ति केवल समय की है। मैंने इस पर विचार करूंगा। मैं उनके अनुरोध पर विचार कर रहा हूं और मैं इसे देखूंगा......

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ूंगा, फिर देखेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या कारण है जो आप नहीं कर रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसमें सब दिया हुआ है, करना होगा, तो देखेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सभा के सामने आयेगा......

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी बात की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जरूर होगा, टाइम से आएगा।

[अनुवाद]

हर चीज अपना समय लेगी। यह अवश्य आयेगा।

[हिंदी]

मैं भी रोक नहीं सकता।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? क्या आप मुझे धमका रहे हैं ? यह मेरा विनिर्णय है...

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी धौंस में नहीं आऊंगा...

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीहरि राव...

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको कोई आश्वासन नहीं दे सकता···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों के अनुसार यह करूंगा···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कारण बताने की लिए बाध्य नहीं हूं। अब आप अपनी जगह बैठ जाइये। मैं कारण नहीं बताऊंगा और न ही आप मुझसे वजह पूछ सकते हैं। आप बैठ जाइए···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड न किया जाय···

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी बात की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब मौका आएगा, तब करेंगे।

[अनुवाद]

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किसी को भी निकाला नहीं जा रहा है···।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कौन कर रहा है, बैठिए आप।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी के सामने नहीं झुक रहा हूं ··।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा···।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा अपना तरीका है। मैं खुद निर्णय लेता हूं···।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा और किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी···।

(**व्यवधान**)**

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : क्या फायदा है, बैठिए। श्रीहरिराव जी, बोलिए।

[**अनुवाद**]

मैं किसी के लिए भी अनुमति नहीं दूंगा···।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : जब समय आएगा तब मैं बहस की अनुमति दे दूंगा···।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति निकाला नहीं जाएगा। बैठ जाइए···।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने निर्णय देख लिया, है मैंने उसके बारे में चर्चा की, और मैं जानता हूं कि कुछ नहीं होगा···।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सही समय आने पर बहस की इजाजत दूंगा।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : इजाजत नहीं है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे काम करने देंगे या नहीं ? क्या आप चाहते हैं कि सभा स्थगित कर दी जाए ?

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय: यह तभी होगा जब समय आएगा।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं वादा नहीं करता, मैं समयानुसार और नियमानुसार ही होने दूंगा।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। समयानुसार ही बहस हो पाएगी।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें इजाजत नहीं दी।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। मैं इसे नियमनुसार ही करूंगा।

(**व्यवधान**)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जब यह मेरे पास आएगा तभी मैं देखूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए नियमानुसार ही इजाजत दी जाएगी।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने किसी को भी इजाजत नहीं दी है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी मर्जी है। काम चलाना है तो बैठ जाइए।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी की धमकी से नहीं डरूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इजाजत नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दें। मैं उन्हें राय देने से नहीं रोकता। वे अपने विचार व्यक्त करने के लिए आजाद हैं। उनका स्वागत है।

(व्यवधान)**

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : आप एक घण्टा कर लीजिए या पांच घण्टे कर लीजिए।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे नियमनुसार ही होने दूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मैंने उन्हें इजाजत नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा जो मैं कहता हूं वही अन्तिम है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता बैठ जाइए। मैं आपको नहीं बता सकता। जब समय आएगा तभी मैं निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) कार्यमन्त्रणा समिति की आगामी बैठक में कृपया इस विषय पर विचार करें।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर फिर विचार करें। ऐसी कोई जटिल अवस्था नहीं है। मैंने आपसे कभी भी इस पर विचार करा से मना नहीं किया है। मैं इसका हमेशा स्वागत करता हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा विचार करता हूं और मैं और उसे ही मानता हूं। जिसे मैं उचित समझता हूं।

(व्यवधान)**

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है, नहीं करते तो नहीं करते।

[अनुवाद]

ठीक है यदि आप ऐसा समझते हैं। वह मेरा काम है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हां, श्रीराव।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आनरेबल मेम्बर को बोलने दीजिए और आप लोग बैठ जाइए।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसी की भी इजाजत नहीं दी गई है। मैंने किसी को इजाजत नहीं दी है. अब श्री राव।

12.20 म०प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

देश की जनसंख्या में चिंताजनक रूप से वृद्धि होने के समाचार

[अनुवाद]

श्रीहरि राव (राजामुंद्री) : मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री का अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वे उनके बारे में वक्तव्य दें :—

"देश की जनसंख्या में चिंताजनक रूप से वृद्धि होने के समाचार तथा वृद्धि रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय।"

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से कमी लाने की बात को अच्छी तरह से समझती है। वृद्धि दर में कमी लाना देश के सामाजार्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बात है और इसे ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को समग्र विकास योजना के कार्यों के साथ मिला दिया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में, जिसे संसद ने अनुमोदित किया था, सन 2000 ई० तक जो दीर्घकालीन जनांकिकीय लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं उनका उल्लेख किया गया है। ये लक्ष्य हैं — जन्मदर को प्रति हजार 21, मृत्युदर को 9 और शिशु मृत्युदर को 60 से नीचे तक लाना। इन

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम 60 प्रतिशत पात्र दम्पतियों को गर्भ धारण के प्रति सुरक्षित किया जाए। लोगों में छोटे परिवार के आदर्श को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए शिशु मृत्यु दर में कमी लाना महत्वपूर्ण बात है। लोग परिवार नियोजन अपनाने के लिए राजी हों, इसके लिए उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उनके जो बच्चे हैं वे जीवित रहेंगे। इसलिए जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम को परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है।

आजादी के बाद से भारत की जनसंख्या दुगुनी से भी अधिक हो गई है। 1981 के जन-गणना आंकड़ों के अनुसार देश की 6850 लाख जनसंख्या से भी कुछ महत्वपूर्ण बातों का पता चला। उदाहरण के लिए दशकीय वृद्धि दर में निरंतर वृद्धि हुई है। यह 1941-51 में 13.31 प्रतिशत से बढ़कर 1961-71 में 24.8 प्रतिशत और उसके बाद 1971-81 में 25 प्रतिशत के आस-पास थी। वैसे परिवार कल्याण कार्यक्रम को सत्तरहवें दशक के अंतिम वर्षों में काफी धक्का पहुंचा। दम्पति सुरक्षा दर जो मार्च, 1977 में 23.6 प्रतिशत थी वह मार्च, 1980 में घटकर 22.2 प्रतिशत रह गयी। छठी योजना के दौरान इस कर्यक्रम को फिर से ठीक ढंग से चलाने के लिए जोरदार प्रयास किए गए। इन प्रयासों को पूर्ण राजनैतिक वचनबद्धता व समर्थन प्रदान किया गया। उपाध्यक्ष महोदय आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि छठी योजना के दौरान किए गये कार्य के परिणामस्वरूप मार्च, 1985 में दम्पति सुरक्षा दर 32 प्रतिशत के आसपास पहुंच जाने का अनुमान है। यद्यपि हम इसे एक अच्छी उपलब्धि समझते हैं किंतु हम इतने से ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहते। आगे का कार्य और भी चुनौतीपूर्ण है। सातवीं योजना में हमारा उद्देश्य दम्पति सुरक्षा दर 42 प्रतिशत प्राप्त करना है और हमें आशा है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

जनसख्या नियंत्रण मुख्यत: कुछेक प्रमुख बातों पर निर्भर करता है जैसे महिलाओं की विवाह की आयु बढ़ाना, पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के जन्म के बीच उचित अन्तर रखना और परिवार के आकार को दो अथवा कम बच्चों तक रखना। विभिन्न सामाजार्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों से भारत में लड़कियों का विवाह छोटी आयु में कर दिया जाता है और लड़के की आम आकांक्षा की वजह से परिवार का वांछित आकार तीन बच्चों से अधिक हो जाता है। आधुनिकीकरण एवं विकास के बढ़ने के साथ-साथ लोग अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएंगे और कम बच्चों वाले परिवार के आकार को अपनायेंगे। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होगी। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के विश्वास, दृष्टिकोण और आदतों में तेजी से परिवर्तन लाना है जिससे कि जन्म दर में तेजी लाई जा सके।

ऐसा हम गर्भ-निरोधकों की मांग को बढ़ाकर तथा सहज सेवाएं और सामग्री प्रदान करके करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम की सफलता अन्तत: समाज की अधिक से अधिक सहभागिता तथा अच्छी किस्म की सेवाएं उपलब्ध करने पर निर्भर करेगी। सरकार प्रमुख समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाकर तथा समुचित कार्यनीतियां अपनाकर इस कार्यक्रम का लगातार मूल्यांकन कर रही है। हमने हाल ही में कुछ नये कदम उठाए हैं जिनका उल्लेख मैं संक्षिप्त रूप से इस प्रकार करना चाहूंगी : हमने समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों, जिनमें लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, व्यवसायिक, गैर-सरकारी संगठन तथा संगठित क्षेत्र की संथाएं भी शामिल हैं, का अधिक से अधिक सहयोग लेने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। व्यावसायिक एजेन्सियों की सह-

भागीदारी के जरिये लोगों में परिवार नियोजन के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए हम अपनी कार्य नीति फिर से तैयार कर रहे हैं जब प्रचार के साधानों में हाल ही में की गई प्रौद्योगिकी प्रगति को छोटे परिवार के सन्देश का प्रभावकारी ढ़ंग से प्रसार करने में पूर्ण रूप से उपयोग में लाया जाएगा। मौजूदा आधार भूत ढांचे से अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के प्रबन्ध में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाए शुरू किए गए हैं। इस कार्यक्रम के निष्पादन की मानिटरिंग करने और इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने की पद्धति को सरल और कारगर बनाया जा रहा है। इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में इस कार्यक्रम के निष्पादन में बहुत महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले नसबंदी के काम में लगभग 50 प्रतिशत अधिक काम हुआ। आई० यू० डी० कार्यक्रम का निष्पादन 70 प्रतिशत से भी अधिक हुआ। हमें आशा है कि कार्य की इसी गति को बनाए रखा जाएगा और चालू वर्ष के लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा।

12.26 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यद्यपि सरकार इस संबंध में अपनी पूरी- पूरी कोशिश कर रही है, तथापि यह महसूस किया गया है कि मानव आचरण के इस नाजुक कार्य में सरकारी प्रयासों से सीमित परिणाम ही प्राप्त किए जा सकते हैं। परिवार नियोजन को जन आन्दोलन बनाना होगा। माननीय संसद सदस्य इनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इन कार्यक्रम को कैसे एक जन आन्दोलन बनाया जा सकता है, इस संबंध में मैंने सभी माननीय सदस्यों को उनकी सहायता और सहयोग प्राप्त करने तथा सुझाव देने के लिए लिखा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि इस अत्यधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों का योगदान सर्वोपरि महत्व रखता है।

***श्री श्रीहरि राव :** उपाध्यक्ष महोदय, पूरे संसार में और खासतौर से विकासशील देशों में आबादी की तीव्र गति से वृद्धि से खतरा बढ़ रहा है। जहां गरीबी होगी वहां आबादी भी बढ़ेगी। गरीबी के होने से आबादी निरन्तर बढ़ती है। जैसे-जैसे आबादी बढ़ती है वैसे-वैसे गरीबी बढ़ती है। यह एक दुस्चक्र है। गरीबी के साथ अज्ञानता के जुड़ जाने से आबादी में अन्धाधुन्ध बढ़ोतरी होती है। अनेक देश भरसक प्रयास करने के बावजूद आबादी में वृद्धि होने के कारण गरीब ही बने रहते हैं। प्रगति की राह में आबादी की वृद्धि मुख्य अड़चन है। इस शती की समाप्ति तक विकसित और विकासशील देशों के बीच यह अन्तर और भी बढ़ जाएगा। आबादी की वृद्धि से सभी प्रकार का आर्थिक विकास रुक जाता है। भारत में काफी आर्थिक विकास हुआ है। लेकिन आबादी की वृद्धि के कारण वह निष्प्रभावी हो गया है। यह स्पष्ट है कि हम कितना भी आर्थिक विकास कर लें जब तक आबादी पर नियन्त्रण नहीं किया जाएगा तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यह आशा की जाती है कि दस वर्षों में देश की आबादी जो इस समय 68 करोड़ बन्द कर 90 करोड़ हो जाएगी, सन् 2150 तक भारत संसार का सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा जिसकी आबादी 1.7 बिलियन होगी। अगले 15 वर्षों में प्रजनन क्षमता वाले दम्पतियों की संख्या बढ़ कर 170 मिलियन हो जाएगी जो कि इस समय 123 मिलियन है। इन परिस्थितियों में यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार उन्हीं पुरानी नीतियों पर चल रही है जो इससे पहले भी असफल रही

*तेलुगु में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

है। आधारभूत नीति में कोई अंतर नहीं आया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के संगठनात्मक ढांचे और प्रबन्धन में कोई अंतर नहीं आया है। इससे सरकार के विचारों का दिवालियापन ही स्पष्ट होता है। अतः मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार एक बार फिर राष्ट्रीय नीति की पुनरीक्षा करेगी ? क्या नीति में आधारभूत परिवर्तन किया जाएगा ? महोदय यह आधारभूत परिवर्तन इसीलिए जरूरी है कि हम अपना उद्देश्य पहले पूरा नहीं कर पाए। हालांकि पात्र दम्पतियों में से 32 प्रतिशत तक ने परिवार नियोजन के तरीके इस्तेमाल किए हैं किंतु अभी भी यह चार प्रतिशत कम हैं। चूंकि हमारा लक्ष्य इसे इस शती के अंत तक 60% तक बढ़ाना है इसीलिए वर्तमान नीति से लक्ष्य पूरा करना तो क्या इसके पास भी नहीं पहुंचा जा सकेगा। यही कारण है कि महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए नीति में कोई आधार भूत परिवर्तन किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मन्त्री के वक्तव्य के आधार पर आप जो भी स्पष्टीकरण चाहें, प्राप्त कर सकते हैं।

श्री श्रीहरि राव : महोदय, हमारे लोगों के बीच कुछ गलत धारणाएं बनी हुई हैं कि केवल हिंदुओं को ही परिवार कल्याण के तरीके अपनाने के लिए विवश किया जाता है जबकि अन्य धर्मों के लोगों को नहीं किया जाता। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि एक दिन भारत पाकिस्तान बन जाएगा। हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी और उनके अनुसार दूसरे धर्मों के लोगों की संख्या बढ़ेगी।

सरकार को इस गलत धारणा को दूर करने का प्रयास करना चाहिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार धर्म तथा समुदाय की ओर ध्यान दिये बिना और अधिक प्रोत्साहन देकर सभी लोगों को परिवार नियोजन के लिये प्रोत्सहित करने का प्रयास कर रही है ? सरकार को वही नीति अपनानी चाहिए जो सभी को स्वीकार्य हो। क्या सरकार ऐसी ही नीति का पालन कर रही है। महोदय पश्चिमी देशों ने जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिये नये तरीके निकाले हैं। ये तरीके हमारे लिये काफी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं यदि हम इन्हें अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बना लें और इनका इस्तेमाल करें। मैं यह नहीं चाहता कि सरकार इनका अंधानुकरण करे। मैं चाहता हूं कि सरकार हमारी परिस्थितियों के अनुसार उनमें आवश्यक परिवर्तन करके लागू करे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

महोदय, इस समय सारा कार्यक्रम अफसरशाही चला रही है। कार्यक्रम बनाने में या इसे क्रियान्वित करने में विशेषज्ञों की कोई राय नहीं ली जा रही। इस अफसरशाही के पास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये जरूरी अंतर-विषयक योग्यता नहीं है। इसलिए क्या, कम से कम अब सरकार परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को चलाने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगी ? क्या इसके बाद विशेषज्ञों को ही यह कार्य सौंपा जा रहा है ?

महोदय, परिवार कल्याण तथा महिला शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मां बच्चे का पालन-पोषण करती है। विगत में महिला के अनपढ़ होने के कारण ही यह कार्यक्रम असफल रहा। इसलिये सरकार ने महिलाओं तथा विशेषकर अनपढ़ महिलाओं को शिक्षित करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

सरकार द्वारा अब दिये जा रहे प्रोत्साहनों में काफी असमानता है। जबकि सरकारी कर्म-

चारियों को परिवार नियोजन के लिये अतिरिक्त वेतनवृद्धि मिलती है जिसका लाभ उन्हें पूरे सेवा-काल के दौरान मिलता है अन्य लोग जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं उन्हें इसके लिये बहुत थोड़ी राशि मिलती है जिससे चिकित्सा व्यय भी पूरा नहीं होता। क्या सरकार अब उन लोगों को जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली राशि के बराबर धन-राशि देने के लिये, इस धनराशि को बढ़ाएगी ? इसका लाभ सभी को समान रूप से मिलना चाहिए चाहे वे सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर ऐसे कार्यक्रम दिखाये जाने चाहिये जो लोगों को परिवार नियोजन के लिये प्रेरित कर सकें। क्या सरकार इस परिप्रेक्ष्य में अपने प्रसारणों को फिर से तैयार करेगी ?

महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नसबंदी के बाद बहुत कम चिकित्सा सहायता दी जाती है। आप्रेशन कराने वाले लोगों की देखभाल के लिये हमारे पास पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आप्रेशन के कुछ मास बाद कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिनके लिये तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ती है। इसलिये इसकी नियमित जांच बहुत जरूरी है। जब मैं अपने गांव का मुन्सिफ था तो मुझे नसबंदी के लिये 400 लोगों को लाने का काम सौंपा गया था जो कि मैंने किया। महोदय, आप्रेशन के बाद इन लोगों की देखभाल के लिये तथा नसबंदी के कारण उनको हुई तकलीफों का इलाज करने के लिये कोई डाक्टर नहीं था। अंत में मुझे स्थानीय 'लायन्ज क्लब' की सहायता से उनका इलाज करवाना पड़ा। इसलिये मेरा यह कहना है कि आप्रेशन के बाद भी सरकार को यह देखना चाहिये कि जिन लोगों ने आप्रेशन करवाया है उनको कम-से-कम छः मास तक लगातार चिकित्सा-सहायता मिले। क्या सरकार का इस दिशा में कोई कदम उठाने का विचार है ?

महोदय, हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी राष्ट्र को 21 वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि सभी क्षेत्रों में कम्प्यूटरों का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन, महोदय, यह इलैक्ट्रानिक क्रांति केवल औद्योगिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिये भी किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या निकट भविष्य में सरकार का परिवार कल्याण कार्यक्रमों का संगणीकरण करने का कोई विचार है ?

महोदय, हमारे देश के विकास के लिये जनसंख्या में हो रही वृद्धि को रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिये सरकार को भरपूर प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदया मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कोई सजेशन नहीं दिए हैं, एक आम तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है। उन्होंने यह बात पूछी है कि जनसंख्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उनको अच्छी तरह से मालूम है, यह खुली हकीकत है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज इस देश की अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वह बढ़ती हुई जनसंख्या की है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना बहुत ही आवश्यक है। यह सिर्फ हैल्थ मिनिस्ट्री का ही काम नहीं है, इसमें हमारी कोशिश के बावजूद जब तक

पीपुल पार्टिसिपेशन नहीं होगा अगर हर हिन्दुस्तान का रहने वाला अपनी जिम्मेदारी न समझे कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या को मुझे रोकना है, मैं समझती हूं कि हमारे जितने प्रोग्राम हैं, हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे।

आपने एक बात कही कि सरकार की मशीनरी कितना काम कर रही है ? आपको याद होगा कि हमारी लेट प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि यह आवाम का प्रोग्राम है और आवाम के लिए है, इसलिए इस सारी चीज को लेकर हम चाहते हैं कि हमारी सरकारी मशीनरी बावस्ता है, लेकिन उसमें आपकी मदद की जरूरत होगी। मैंने इस सम्बन्ध में आप सबको पत्र लिखे, ब्लाक प्रमुख और एम.एल.ए. आदि सब को पत्र लिखे कि वह अपनी कांस्टीच्यूएंसी में जाकर यह काम करें। आपको मालूम है कि जब यह हमारा प्रोग्राम शुरू किया गया था तो 75-76 में इसमें एकदम से एक भारी रुकावट आई। 76 और 77 में जो 125 मिलियन एक्सप्टर्स थे फैमीली प्लानिंग के वह 77-78 में घट कर 4.7 मिलियन हो गए। इसलिए सन् 80 में फिर हमने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया और यह खुशी की बात है कि एक पोलिटिकल कमिटमेंट हमारा शुरू से था और आज भी है, और आज मैं यह कह सकता हूं कि जो उस तरफ हमारे साथी बैठे हैं उन्होंने भी अब इसको अहमियत देना शुरू किया। उन्होंने भी यह सोचना शुरू किया और यह सोचना होगा कि हां, यह प्रोग्राम जो है इसमें आप मदद दें। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमें मदद इस मामले में दें कि अपनी कांस्टीच्यूएंसी में जाकर इसका प्रचार करें आज हमारे सामने जो बढ़ती हुई जनसंख्या की बात है, वह सिर्फ बच्चे पैदा होते हैं यही नहीं है बल्कि इन्फेंट मार्टेलिटी रेट भी हमारे यहां बहुत हाई है। लेकिन हमारे समाज की जो परेशानियां हैं उनको भी देखें। अभी आपने दूसरे देशों की बात कही, यूरोपीय देशों में तो इसकी परेशानी नहीं है, लेकिन चाइना की बात कल भी इस सदन में बहुत कही गई। चाइना में जिस तरह से काम होता है वह हम अपने मुल्क में नहीं कर सकते। अपने मुल्क के हालात को देखते हुए और यह देखते हुए कि यह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमने यह तय किया है और आप सबने यह तय किया है कि इसको वालंटरिली करना है। नेशनल हैल्थ पालिसी जो इस सदन ने अप्रूव की उसमें यह है कि वालंटरिली यह काम करेंगे एजूकेशन से, मोटिवेशन से ताकि यह जिन्दगी का एक हिस्सा बने। आज मै आंकड़ों से आपके सामने साबित कर सकती हूं कि काम हो रहा है। जितनी तेजी से हम चाहते हैं वह भले ही न हो, लेकिन आप देखें कि हमारी दिक्कतें कितनी हैं ?

आज समाज में हमारे यहां जो अर्ली मैरिजेज हैं, कम उम्र के बच्चों की शादियां हैं उनसे कितनी जनसंख्या बढ़ती है और कितना नुकसान महिलाओं की सेहत पर पहुंचता है ? आज हमारे लिए यह जरूरी है कि हम यह प्रोपेगेट करें कि कम उम्र के बच्चों की शादी न हो। हमारा यह कानून बना है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती। लेकिन आज भी आप गांवों में जाकर देखिए, 10-11-12 और 15 साल के बच्चों की शादी हो जाती है। यह एक बहुत बड़ी बाधा हमारे यहां है।

आज हमारे लिए यह जरूरी नहीं है कि स्टेरिलाइजेशन पर ही जोर दें। जैसा आपने कहा स्पेसिंग मेथड के लिए भी हम प्रोपोगेट कर सकते हैं कि स्पेसिंग हम करें। इसीलिए हमने मेडीकल काउन्सिल आफ इण्डिया से यह कहा है कि यह जो हमारा मेडीकल कोर्स है उसमें एक एक्सट्रा कोर्स उनके लिए रहे ताकि जो लड़के मेडीकल कालेज से निकलते हैं और डाक्टर बनते हैं वह इन

तमाम चीजों को जानें, उसमें रुचि लें और इन तमाम कामों को करें। उनसे यह उसमें डलवाया है।

सबको मालूम है कि जब यह देश आजाद हुआ था तो ब्यर्थ रेट और डेथ रेट में बहुत कम फासला था। लेकिन आजादी के बाद जब हमने चिकित्सा सुविधायें बढ़ाने की बात की और बढ़ाते रहे तो इसका नतीजा यह हुआ कि जो 47 और 48 पर-थाउजेंड डेथ-रेट था वह कम होकर अब 81 में 11.9 आता है। यह तो एक दम से घटा क्योंकि आपको चिकित्सा की सुविधायें दी गयीं, लोगों को एजूकेट किया गया, अच्छे पानी का बन्दोबस्त किया गया और यह हम चाहते हैं कि 2001 तक यह 9 पर पहुंच जाय। यह तो बहुत जल्दी घट कर नीचे आ गया लेकिन जो ग्रोथ रेट था, बीमारी को तो रोक सकते हैं सुविधायें देकर, हैजा, प्लेग वह सब खत्म हो गया, लेकिन जहाँ तक पोपुलेशन ग्रोथ का मामला है जब तक इसमें अवाम का पार्टिसिपेशन न हो, वार-फुटिंग पर काम न करें, हम इतनी जल्दी इसको नीचे नहीं ला सकते।

जहां तक आपने कहा कि इसमें कहीं कहीं गलतफहमियां हो जाती हैं मजहब के नाम पर, मैं समझती हूं कि जो भी पढ़ा-लिखा आदमी है, जो समझता है कि छोटे परिवार हमारे लिए और मुल्क के लिए बेहतर हैं वहां कोई भी बन्धन नहीं आता। यह हमारा जम्हूरियत-पसन्द देश है इसलिए यहां इस किस्म की गलतफहमी बहुत फैलाई जाती है, सियासी फायदे के लिए भी यह गलतफहमी फैलाई जाती है और इसका नतीजा आपने 77-78 में देखा है। तो मैं समझती हूं और मुझे तो यह भरोसा है कि अब ऐटमास्फेयर मुल्क में बन रहा है और जिस तरह से आप सबकी इसमें हमारी मदद होगी, उससे हमें इसमें कामयाबी मिलेगी और कामयाबी हासिल करनी ही पड़ेगी। यह बिलकुल हमारा एक मकसद है कि यह सबसे बड़ी समस्या है, इस पर हम कामयाबी पाएं। इसके लिए पोलिटिकल एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां सारे पोलिटिकल बन्धन खत्म करके नेशनल इन्टरेस्ट और नेशनल इश्यू के रूप में इसको देखें ताकि इस सबसे बड़ी समस्या को हम खत्म कर सकें।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : मन्त्री महोदया ने जनसंख्या में वृद्धि को कम करने के लिए किए जा रहे कुछ उपायों के बारे में बताया है। हमारे देश में, 1901 से 1947 तक, इन सभी 47 वर्षों में, जनसंख्या में केवल 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक यह जनसंख्या दुगनी हो गई। इसके मुख्य कारण चिकित्सा सुविधाओं के व्यापक विस्तार से मृत्यु दर कम होना तथा सरकार द्वारा किए गए गरीबी दूर करने के उपायों, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि और अनाज, दालों तथा इन सभी चीजों के उत्पादन में वृद्धि होना है। इस समय यह विचार किया जा रहा है कि वर्ष 2000 तक हमारी जनसंख्या लगभग 100 करोड़ हो जाएगी और जैसाकि मन्त्री महोदया ने ठीक ही कहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

दुर्भाग्य से, जनसंख्या में हो रही वृद्धि को न रोक पाने के कारण योजनाबद्ध विकास तथा लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार के सभी प्रयास बेकार हो गए हैं। पिछले 15 वर्षों में हमारी प्रति व्यक्ति आय में भी कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। 1970-71 के प्रति व्यक्ति आय 632 रुपये थी और अब 712 रु. है। वास्तव में देखा जाये तो इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है इस प्रकार हमारे देश में विकास दर 2.25 प्रतिशत है जबकि बहुत से यूरोपीय देशों में यह दर शून्य है, विशेषकर पश्चिम जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और कुछ अन्य देशों में यह प्रतिशतता नकारात्मक है।

उन उपायों, जिनका माननीया मंत्री महोदया ने अपने भाषण में उल्लेख किया है, के अलावा, उन्होंने सरकार द्वारा किए गए बहुत से उपायों के बारे में भी साफ-साफ बताया है। मैं इन सब उपायों का उल्लेख नहीं करूंगा। परन्तु मैं कुछ और सुझाव देना चाहूंगा और उनके सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि वे उन पर अच्छी तरह से विचार करें तथा उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करें। निस्संदेह, जो कदम हम उठा रहे हैं उनके अलावा हमें लोगों को तत्काल जरूरत के बारे में भी बताने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि 1977-78 के दौरान हमने अपने वायदे के अनुसार काम नहीं किया, यह केवल वायदा तोड़ना ही नहीं था बल्कि आपातकाल के दौरान लोगों को यह दुःखद अनुभव हुआ था जब इस कार्यक्रम को लागू करने वाले लोगों के जरूरत से ज्यादा उत्साह अभियान के कारण इसका लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा था। यहां तक कि जिन लोगों में प्रजनन शक्ति नहीं थी उनका भी आप्रेशन कर दिया गया और अविवाहित लोगों का भी आप्रेशन कर दिया गया था। मैं इस ब्यौरे में नहीं जाऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा बहुत अधिक सावधानी बरते जाने पर हुआ।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : यह कहना पर्याप्त होगा कि स्वैच्छिक तरीकों तथा प्रयासों से यह देश आशातीत प्रगति कर सकता है। निस्संदेह इसके लिए हमें और अधिक प्रयास करने होंगे और ये प्रयास छात्र जीवन से ही करने होंगे। छात्र को यह बताना होगा कि जनसंख्या पर नियन्त्रण रखना राष्ट्रहित तथा उनके अपने हित में है क्योंकि वे देश के भावी नागरिक हैं इसलिए उन्हें विकास के लिए सरकार द्वारा सभी सुविधाएं तथा सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे जनसंख्या पर नियन्त्रण रख सकें। बचपन से ही उन्हें मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार किया जाना चाहिए। उनके पाठ्यक्रम में परिवार नियोजन को भी शामिल किया जाना चाहिए। सभी धर्मों के लोगों को इस बारे में जानकारी देने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिएं। कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि आप अधिक बच्चे पैदा कीजिये। कुछ लोग किन्हीं कारणों से अधिक बच्चे पैदा करने की बात का समर्थन करते होंगे। सरकार को इस बारे में बहुत अधिक प्रचार करना चाहिए कि चाहे वे किसी भी धर्म के हों उन्हें परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। चीन में अन्य उपायों के अलावा वे अल्प समुदायों के लोगों को परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए बड़े कड़े उपाय कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी सरकार को भी ये उपाय शुरू करने चाहिएं।

महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने चाहिये। सरकार का यह कहना है कि उसने समान अधिकार दिए हैं जबकि व्यवहारिक रूप से इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा। दुर्भाग्यवश, हिन्दू धर्म में लोगों की यह धारणा है कि बुढ़ापे में माता-पिता का पुत्र ही सहायता करेगा। सरकार यह देखे कि लोगों के दिलों से यह धारणा हटाई जाये और यदि लड़की है तो वह भी परिवार की सहायता निश्चित रूप से करेगी माता-पिता के मन में हमें इस प्रकार का विश्वास पैदा करना चाहिए।

इसी प्रकार ग्राम पंचायतों को टी. वी. सैट खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए और इसके लिए सरकार द्वारा 50 प्रतिशत राज सहायता दी जानी चाहिये। रेडियो और साहित्य की तुलना में लोगों को विशेषकर परिवार नियोजन की जानकारी देने में टी. वी. का अपेक्षाकृत अधिक असर होगा। सरकार को टी. वी. को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने

चाहिए और विशेषकर ऐसे कार्यक्रमों द्वारा लोगों को बताया जाना चाहिए कि परिवार नियोजन अपनाने वाले व्यक्ति को इससे क्या लाभ होगा। नसबन्दी के लिये आपने राशि को 70 रु. से बढ़ाकर 100 रु. तक किया है, इसमें बढ़ोत्तरी बहुत कम। यह राशि काफी बढ़ाई जानी चाहिये ताकि जिन लोगों के एक या दो बच्चे है वे स्वेच्छा से आप्रेशन करवाने के लिये आगे आएं। जब आप सरकारी कर्मचारियों को इतने प्रोत्साहन दे रहे हैं तो आम लोगों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन को भी बढ़ाया जाये।

माननीय मन्त्री जी ने उस स्कीम के बारे में बताया है कि दो बच्चों के बाद गर्भ-निरोधक उपाय अपनाने वाले व्यक्तियों को हरे कार्ड जारी किये जाएं। यह बहुत अच्छा उपाय है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एक बच्चे के बाद निरोधक उपायों का इस्तेमाल करने वालों को नीले कार्ड जारी करे।

केवल दो बच्चों से ही हमारे देश की जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। परन्तु इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। यदि कोई परिवार परिवार नियोजन को अपनाना चाहता है तो अवश्य ही सरकार को ऐसे लोगों को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए विशेष रूप से मंत्री जी द्वारा बताए गए मामलों में ऐसे लोगों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।

मेरा यह भी अनुरोध है कि कमजोर वर्गों के लोगों को चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार आवासीय योजनाओं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रमों इत्यादि में उन लोगों को वरीयता दी जानी चाहिए जिन्होंने परिवार नियोजन आपरेशन करवाया है तथा जिन्होंने परिवार नियोजन आपरेशन सम्बन्धी सरकार की राय को मान लिया है। इसके अतिरिक्त 2000 ईस्वी के अन्त तक जन्म दर 20, मृत्यु दर 9 तथा शिशु मत्यु दर 60 तक नहीं पहुंच सकती जब तक कि चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए और अधिक धन-राशि आवंटित नहीं की जाती। महोदय, विकास के मामले में अन्य देशों से तुलना में हम बहुत पीछे हैं। अन्य सभी देश हम से बहुत आगे हैं। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि चिकित्सा और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए सरकार और अधिक धनराशि आवंटित करे ताकि इन कार्य-क्रमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा सके ताकि आर्थिक विकास का स्तर प्राप्त हो तथा हमारा जीवन-स्तर तथा हमारी प्रति व्यक्ति आय उन देशों के बराबर पहुंच सके जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त की है। मैं अपने देश की तुलना संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य किसी पश्चिमी देश से नहीं कर रहा हूं। मैं एक बार फिर माननीय मंत्री महोदय जी से इन सुझावों के क्रियान्वित किए जाने पर विचार करने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : अभी जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिए, मैं उन को बताऊं कि यह स्कूल और कालेजों के सिलेबस में भी शामिल करने की बात की गई है क्योंकि उनको भी इस बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो इन्सेटिव मनी या कम्पेंसेशन मनी देते हैं 100 रुपए, उसे बढ़ा कर 120 रुपए किया गया है। ग्रीन कार्ड इसलिए शुरू किए गए हैं ताकि हाउसिंग में या लैंड लेने में या और जो चीजें हैं, उनमें से उसको प्रिफेंस मिले। इसी तरह लाटरी सिस्टम भी बहुत से प्रदेशों ने शुरू किए हैं।

यह जो फैमीली प्लानिंग का काम है, यह ज्यादातर इस बात पर मुनहसिर करता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कितनी दिलचस्पी लेती हैं। हम तो उन्हें गाइडलाइन्स देते हैं और उन्हें बताते हैं

लेकिन जो स्टेट ज्यादा दिलचस्पी लेकर काम करती है, उसको उतना ही बढ़ावा मिलता है। इस मुल्क में बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत ऐसी स्टेट्स हैं, जिन के यहां ज्यादा काम नहीं हो रहा है। उन के लिए अलग अलग स्कीमें बनी हैं। जो स्टेट्स अच्छा काम नहीं कर रही हैं, उनको किस तरह से ऊपर लाया जाए और जो कर रही है, उनको कैसे एन्करेज किया जाए, यह हम देखते हैं। यह मानी हुई बात है जैसा कि आप ने कहा कि फीमेल एजूकेशन की भी हमारे यहां बहुत बड़ी कमी है। जिन स्टेट्स में महिलाओं की एजूकेशन ज्यादा है और उनकी शिक्षा का इन्तजाम सही है, वे स्टेट्स इस काम में भी आगे हैं, जैसे केरल है। वहां पर फीमेल एजूकेशन का परसेन्टेज काफी है और चाहे इन्फेन्ट मार्टेलिटी हो, नेशनल लेविल का जो फीगर है, उससे कहीं कम वहां पर है। फैमीली प्लानिंग में भी वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि फीमेल एजूकेशन स्टेट्स में बढ़े और एजूकेशन में 'हैल्थ एजूकेशन' और 'पापूलेशन एजूकेशन' की बात भी जरूर आनी चाहिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो नेशनल हैल्थ पालिसी हमारी है, उसमें हमने फैमीली 'प्लानिंग के काम के साथ साथ मदर एन्ड चाइल्ड हैल्थ केअर को भी अहमियत दी है क्योंकि किसी भी कपल को परशुयेड नहीं किया जा सकता, वे कंविन्स नहीं हो सकते जब तक उन के जो बच्चे जिन्दा हैं, उनकी पूरी देखरेख का इन्तजाम न हो। इन्फेन्ट मार्टेलिटी रेट हमारे यहां सब से हाई है लेकिन फिर भी रफ्ता-2, ग्रेजुअल हम इसको कम कर रहे हैं। 1921 की जो फीगर थी, वह 110 एक हजार पर थी जोकि अब कम हो गई है। बहुत से माननीय मेम्बर कहते हैं कि हमारे जो फीगर्स हैं, वे सही नहीं हैं लेकिन मैं समझती हूं कि जो हमारे दस साल के फीगर्स हैं, उनको आप उठाकर देखें, तो उनसे इतना तो मालूम होता है और जितनी भी स्टडीज कराई जाती हैं, उन से पता चलता है कि लोगों को यह मालूम है कि फैमीली प्लानिंग क्या चीज है और उसको करना चाहिए गांवों में भी और शहरों में भी।

1.00 म० प०

हमारी कोशिश यह है कि हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जिसके जरिये से हम ज्यादा से ज्यादा फेसिलिटीज पहुंचा सकें। आज हम हेल्थ सेन्टर्स, प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं वे इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा फेसिलिटीज पहुंचा सकें। हरेक गांव में हैल्थ गाईड हैं। हरेक गांव में हमने ट्रेडीशनल बर्थ अटेंडेंट को ट्रेनिंग देकर वहां रखा है ताकि वहां अच्छे ढंग से डिलीवरी हो जाए।

इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजूकेट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज पहुंचा सकें। यह कोशिश की जाती है कि जो फैमिली प्लेनिंग का काम चल रहा है वह अवाम के जरिये से हो। आपने कहा कि पंचायत, को-आप्रेटिव्ज, जिला परिषदें जैसी इंस्टीच्युशंस को भी इन्वाल्व करना चाहिए। हम तमाम लोगों को इन्वाल्व कर रहे हैं। इसके लिए चीफ मिनिस्टर्स को भी लिखा गया है, मिनिस्टर्स को भी लिखा गया है। वोलेन्ट्री आरगेनाइजेशंस की भी मीटिंग बुलाई गई है। उनको भी ज्यादा से ज्यादा इन्वाल्व किया गया है। जहां मैं जाती हूं वहां हर स्टेट में मैं वोलेन्ट्री आरगेनाइजेशंस की मीटिंग करती हूं। जो हमारे मेम्बर पालियामेंट हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगी कि वे भी अपनी-अपनी कांस्टीच्युएंसी में जाकर बात करें। आपकी बात को लोग समझेंगे। इससे नान-आफिशियल एजेन्सीज का ज्यादा से ज्यादा इन्वोल्वमेंट हो सकेगा। हमारी कोशिश यह है कि

आपकी मदद भी हमें मिले। अगर आपकी मदद हमें मिली तो मुझे लगता है कि कुछ काम हो जायेगा।

1.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर 6 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

2.06 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि इस मामले पर तेलुगु देशम पार्टी के चार सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। चार सदस्यों में से, दो सदस्य-एक अंग्रेजी में और एक तेलुगु में— पहले ही बोल चुके हैं। क्योंकि हम तीन भाषाएं जानते हैं, मेरा हिन्दी भाषा में बोलने का विचार है ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहतरमा मोहसिना किदवई जी ने काफी बातें हमारे सामने रखी हैं। एपीचेज के जो उन्होंने अच्छे जबाव दिए उनसे काफी जानकारी हमें मिली है। दो तीन सवाल रह गए हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिर्फ मंत्री महोदय की राय जानना चाहूंगा। एक तो यह कि आपने जितनी फैमिली वैलफेयर की स्कीम्स बताई है, वे सब वालेन्टरी स्कीम्स हैं। इन स्कीम्स को चलाने के लिए पैसा लगता है तो पैसा दीजिए। चाइना के बारे में आप जानती हैं कि वहां तो फोर्स इस्तेमाल किया गया। सोशियो-इकोनामिका कंडीशन्स वहां अलग हैं। वहां पैसे की इतनी जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि चाइना ने पिछले दस सालों में हमसे दस गुना पैसा उस पर खर्च किया है। पैसे की जरूरत न होते हुए भी उनका फैमिली प्लानिंग का बजट एग्रीकलचर बजट से ज्यादा होता है। मुझे पता चला है कि पिछली पंचवर्षीय योजना में 1400 करोड़ रुपया खर्च किया गया। मेरे ख्याल से 1438 करोड़ खर्च हुआ है जो कि सही है। सातवीं योजना में 4800 करोड़ का सुझाव आपके पास गया है। मुझे मालूम हुआ है कि उसको कम करके 3256 करोड़ कर दिया गया है। बड़े अफसोस की बात है। कम करने के लिए क्या फैमिली वैलफेयर ही मिला था। पैसा तो कहीं से ला सकते हैं। पैसा जब तक खर्च न हो तब तक यह कामयाब नहीं होगा क्योंकि जितना भी स्कीम्स पिछले तीस सालों में चलाई गई है उन सबका असर अरबन मिडल क्लास पर हुआ है। आपने बताया कि कपल प्रोटेक्शन रेट बढ़ गया है, वह सारा शहर का है और मिडल क्लास लोगों का है। देहात में जहां ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर कौनसी स्कीम आपकी कामयाब हुई। टर्मिनल मैथड या स्टरलाइजेशन प्रोग्राम आपके वहां पर कामयाब हुए हैं। जो कुछ प्रचार आपने किया या जो लिटरेचर वगैरह दिया गया, उसका कुछ भी असर गांव में नहीं होता है। वैसे असर होगा, सिर्फ टर्मिनल मैथड्स को आपको देखना होगा। सातवीं पंच वर्षीय योजना में आपने टर्मिनल मैथड्स के लिए 3 करोड़ लोगों को टच करने का टारगेट रखा है मगर वह भी

डाउटफुल है। क्या आप इतने लोगों को टच कर पायेंगे। क्यों कि आपने जिस समय 3 करोड़ लोगों की संख्या निर्धारित की थी, उस वक्त आपके दिमाग में यह था कि प्लानिंग कमीशन आपको 4 करोड़ रुपए देगा, 4 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी मिलने पर ही आप इस टार्गेट को एचीव कर पाते। जब वह मंजूरी आपको सिर्फ लगभग 3 हजार करोड़ रुपए की ही मिली है तो आप उस संख्या को टच नहीं कर पायेंगे। आपकी ऐसी स्कीम्स जो देहात के लिए मौजूं हैं, उन स्कीमों को आप पुश-अप नहीं कर पायेंगे, ऐसा मुझे डर है। इसके बारे में आप अपने उत्तर में प्रकाश डालें।

दूसरी बात यह है कि कपिल प्रोटैक्श की स्कीम के बारे में जैसा आपने अभी बताया, उसमें आपका अभी रिजल्ट 32 परसेंट है और सातवीं पंच वर्षीय योजना में आप उसे 42 परसेंट करने वाले हैं— बाई दी एंड आफ दी सेंचुरी यू वान्ट टू एचीव ए टारगेट— मैं फिर से अंग्रेजी में बोलने लग गया—क्या इस सदी के आखिर तक आप सिर्फ 60 फीसदी लोगों तक पहुंच पायेंगे, उन लोगों को क्या आप प्रोटैक्शन दे सकेंगे क्योंकि प्रोटैक्शन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, वैसे यह बहुत अच्छा शब्द है, और मैं इसे बहुत लाइक भी करता हूं, क्यों कि आप कपिल को प्रोटैक्शन सिर्फ अनएम्पलायमैंट से नहीं कर रहे हैं, यू आर प्रोटैक्टिंग दैम फ्राम फर्टिलिटी। यह भी बहुत अच्छा शब्द है क्यों कि आजकल फर्टिलिटी भी एक बीमारी हो गई है। उससे बचने के लिए ही यू आर यूजिंग ए वैरी गुड वर्ड। वर्डस को क्वायन करने में लगता है आपका फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट बहुत माहिर है, उस्ताद है। मेरी अर्ज यह है कि आपने जो 32 परसेंट की संख्या बताई है, वह जरा एक्जैजिरेशन है। उसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यदि आप 32 परसेंट कपिल को प्रोटैक्ट करने में सफल हो गये तो यह आपकी महान उपलब्धि होगी। मगर सचमुच में क्या ऐसा हुआ है।

यहां अभी हमारे दोस्तों ने बताया कि हमारी ग्रोथ रेट दो से कम हो गई है, मैं इस को भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। बल्कि कुछ दोस्तों ने तो ढाई की भी बात की, वह तो बिल्कुल ही गलत है, मगर आप दो तक ग्रोथ रेट को करना चाहते हैं और वह इस सदी के आखिर तक करना चाहते हैं। यदि आप इस सदी के आखिर तक ग्रोथ रेट 2 पर ले आते हैं तो यह भी आपकी बहुत बड़ी सफलता होगी। मुझे डर है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त न कर पायें क्यों कि जिस तरह से आप प्लान लाते हैं, हर चीज के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, बड़ी-बड़ी रिवर वैली प्रोजैक्टस पर आपका काफी पैसा खर्च होता है, मगर फैमिली प्लानिंग के ऊपर आपका उतना पैसा खर्च नहीं हो रहा है। वैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अभी नया नहीं चला है, यह तो 1950 से चला आ रहा है। 1950 में आप प्रति परिवार तीन बच्चों का लक्ष्य लेकर चले थे, वही आपका प्रोपागैंडा होता था कि प्रत्येक परिवार में 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए मगर समय के अन्तराल के साथ आपका वह लक्ष्य भी चेंज हो गया और अब आपने लक्ष्य बनाया है कि प्रत्येक परिवार में दो बच्चे होने चाहिए, उससे अधिक नहीं। मगर अब तो दो बच्चे प्रति परिवार के लक्ष्य का भी सवाल नहीं रहा, कई कन्ट्रीज में तो, जैसे चाइना है, वहां प्रति परिवार एक बच्चे का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए एक बच्चा प्रति परिवार का हमारे फैमिली प्लानिंग डिपार्टमैंट की तरफ से प्रोपागैंडा तो होना ही चाहिए, यह ध्येय तो होना ही चाहिए, मगर इसका मतलब नहीं है कि हर एक परिवार एक ही बच्चा पैदा करे। फिर भी एट एन ऐवरेज प्रति परिवार एक बच्चे का लक्ष्य हमारा हो। इसको कौन मानेगा, जब तक आप देहातों में नहीं जायेंगे आम लोगों, हरिजनों, आदिवासियों, बैकवर्ड कम्यूनिटी लोगों तक नहीं पहुंचेंगे या छोटे गरीब लोगों को

नहीं समझायेंगे। क्यों कि उनके लिए तो औलाद ही दौलत होती है, यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आप यहां मर्द औलाद और औरत औलाद की बात करते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं मैं उसको नहीं मानता हूं। देहातों में तो ऐसी मान्यता है कि चाहे लड़का हो या लड़की, तीन साल बाद वह कमाई करने लग जाता है। वहां तो कमाई का सवाल सबसे बड़ा होता है। औलाद पैदा करना उनके लिए एक जरिया माणी है। जब तक यह चीज रहेगी, यह जहनियत रहेगी, मैं यह भी नहीं कहता कि न हो, रहनी चाहिए क्यों कि वहां का सोश्यो-इकानामिक कण्डीशन ही इस तरह का है जो उनको ऐसा सोचने पर मजबूर करता है वह तो रहेगी, मगर जब तक आप उनको कुछ इन्सैन्टिव नहीं देंगे, इन्ड्यूसमैंट नहीं देंगे, पैसा खर्च नहीं करेंगे, इस कार्यक्रम के लिए ज्यादा पैसा नहीं रखेंगे, हर एक स्टैरिलाइजेशन के बदले कम से कम 500-500 या 1000-1000 रुपए नहीं देंगे, तब तक आपको इस कार्यक्रम में कामयाबी हासिल होने वाली नहीं है। आपका यह काम सक्सेस होने वाला नहीं है क्योंकि 1956-57 में हम लोगों ने एक सौ रुपया दिया, किसी स्टेट ने डेढ़ सौ और किसी स्टेट ने दो सौ रुपया दिया। यह जरूरी है क्योंकि उनका मोटिव इकनॉमिक है, बच्चों को ज्यादा पैदा करने का जो मोटिव है वह इकनॉमिक है और इस इकनॉमिक मोटिव को हमें समझना चाहिए और उनको कोई चीज प्रोवाइड करना चाहिए। हम लोगों ने आंध्रप्रदेश में लैंड रेवेन्यू माफ कर दिया, सारे किसानों का लेंड रेवेन्यू मुफ्त में माफ कर दिया, इस पर मुझे अफसोस है। अगर हम करते कि जो भी फैमिली प्लानिंग पर अमल करेगा, जो भी आपरेशन करवा लेगा, उसका लैण्ड रेवेन्यू माफ करेंगे, लेकिन हम उस चीज को उस समय मिस कर गए। पूरी स्टेट्स में अब एक ट्रेण्ड चल पड़ा है, किसी न किसी रूप में आप लैंड रेवेन्यू माफ करने वाले हैं, इसलिए उनको कह दिया जाए कि जो भी फैमिली प्लानिंग में आपरेशन कराएगा, उसकी सारी मालगुजारी माफ होगी, तो इतने लोग आएंगे कि कई लोगों को हमें वापिस करना पड़ेगा कि भाई सोने के लिए, आपरेशन करने के लिए जगह नहीं है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि इस बार इस काम के लिए जितना पैसा दिया है, जितनी अलाटमेंट है, उसको तो आप कम से कम बरकरार रखें, उसको तो आप कम न करें।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस सदी के अंत तक हमारी आबादी एक हजार मिलियन तक बढ़ जाएगी, यानी सन् 2000 तक हमारे देश की आबादी एक सौ करोड़ हो जाएगी और फिर हमें खाने के लिए खाना नहीं रहेगा, रहने के लिए मकान नहीं रहेंगे और फिर बर्बादी होगी और ऐसी बर्बादी होगी जैसी आजकल इथोपिया में हो रही है। इथोपिया में अभी लोग फाकाकशी कर रहे हैं और मर रहे हैं, अकाल पड़ रहा है वहां की आबादी बढ़ रही है क्योंकि वे अपनी आबादी को उन दिनों में बढ़ने से नहीं रोक सके। इसलिए अब क्या हो रहा है, नेचर खुद आबादी को घटा रही है। इथोपिया के बाद अब कहीं हिन्दुस्तान में ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने चाहिएं। वैसे हमने इस क्षेत्र में काफी कोशिश की है, बहुत कुछ काम किया। इसलिए अकाल और इथोपिया जैसी स्थिति यहां आने से पहले ही हमें समझ लेना चाहिए। हम सब लोगों को समझना चाहिए। इस बारे में आप बहुत कुछ कर रही हैं। आप हमें, चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठियां लिख रही हैं, लेकिन हम तो समझे हुए हैं, हमें चिट्ठी लिखने का इतना फायदा नहीं होगा। आप तो उन्हें समझाइये, अगर वे न समझें, तो मैं कहूंगा।—

"अगर न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिन्दुस्तान वालो,
तेरी दास्तां भी न होगी, दास्तां-बयाने।"

श्रीमती मोहसिना किदवई : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की आभारी हूं कि उन्होंने

हमारे कुछ कामों को सराहा है और हमें कुछ सजेशन दिए हैं। पहली बात तो मैं उनको यह कहना चाहती हूं कि हम जो काम कर रहे हैं उसका असर सिर्फ शहरी आबादी पर हो रहा है। उनका यह कहना ठीक नहीं है। मैं उनको 1983-84 के कुछ आंकड़े बता दूं, इस 1983-84 में हमने एस्कवेशन प्रोग्राम में जो काम किया है, उसमें 70 परसेंट गांव के लोग हैं, जिन्होंने इसको माना है और 72 परसेंट दूसरे मैटर्स जैसे आई. यू. डी. है, तो ऐसा नहीं है, जैसा आप समझ रहे हैं। अब गांवों में भी लोग समझते हैं कि छोटे परिवार रखने के क्या-क्या फायदे हैं। पैसे का जहां तक सवाल है, हमारी जो इकनॉमिक कंडीशन्स हैं, उनको देखते हुए जितना पैसा हो सकता है, उतना हम खर्च कर रहे हैं। हमारी अपनी कोशिश पूरी थी कि इसको बढ़ाएं, लेकिन हम प्लान में नहीं बढ़ा पाए। तीसरी बात माननीय सदस्य ने कही कि हम आपको चिट्ठियां लिखते हैं, चिट्ठियां हम इसलिए लिखते हैं कि आप आवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं। और आपको चिट्ठी लिखने में हमारा फायदा यह है कि आपके जरिये आपकी कांस्टीटुएन्सी में हमें फायदा मिलने वाला है। इसलिये अगर आप सबका इन्वाल्वमैंट हो, यह खुशी की बात है कि उस मंजिल पर हम पहुंचे हैं जहां सियासी मामले, आपस के मतभेद भी इस इश्यू के सामने कुछ नहीं हैं और एक ही प्लेटफार्म से हम लोग सब साथ-साथ इकट्ठे मिलकर यह बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक एजुकेशन की बात है, हमारे समाज की परेशानियां, इकनामिकली कंडीशन बैकवर्डनैस वगैरह सारी चीजें मिलकर जो हमारे समाजी बंधन हैं, वह सब मिलकर भी इस प्रोग्राम में बाधा डालते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज फीमेल एजुकेशन की आती है क्योंकि हमारे यहां अभी भी इसका परसेंटेज हाई नहीं हुआ है। जहां यह है भी, वहां भी नालेज न होने से यह सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिये इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम इन चीजों को प्रोपेगेट करें, क्योंकि हमारे समाज के कुछ बंधन ऐसे हैं, कुछ हम लोगों की सोसाइटी ऐसी है कि फैमिली प्लानिंग के काम को हम संजीदगी के साथ नहीं लेते, हमेशा मजाक में और लाइटली लेते हैं। जैसा आपने कहा कि लोग मानते भी हैं कि यह हमारी बड़ी परेशानी है।

इससे पहले एक भाई कह रहे थे कि पर-कैपिटा पर अगर नजर डालें तो एग्रीकल्चर वगैरह में हर शोबे पर तरक्की हुई है। मैं यह गिनना नहीं चाहती, लेकिन जब प्रोपेगंडे की बात आती है तो हम भीड़ में खो जाते हैं। इसलिये जरूरत है, जैसा मैंने पहले कहा कि ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर को हम देहात में ही ज्यादा बढ़ाते हैं।

प्री-इंडीपेंडेंस में एक डिस्ट्रिक्ट में एक हस्पताल होता था, लेकिन अब चूंकि सुविधाएं, सहूलियतें हुई हैं इसलिये हम डिस्पेंसरियां नीचे तक पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचा भी रहे हैं। मुझे इसमें शक नहीं है कि हम नहीं कर पायेंगे, हम जरूर कर पायेंगे। अगर कमिटमेंट है, पोलिटिकल विल है तो जरूर यह काम होगा। लेकिन आज जरूरत यह है सब का सहयोग मिले, हम सब मिलकर इस काम को करने की कोशिश करें।

आज 5,000 के ऊपर एक सेंटर है। यह ठीक है कि वहां सारी सुविधाएं नहीं होतीं, लेकिन मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जो भी हमारा इंफास्ट्रक्चर है, जितने हमारे हास्पिटल हैं या प्राइमरी हैल्थ सेंटर हैं, वहां कुछ मिलता ही नहीं। इसलिये हम देहात की तरफ जा रहे हैं ताकि वहां के लोगों को सुविधा मिले और इसके साथ-साथ मदर-चाइल्ड हैल्थ प्रोग्राम भी अच्छे ढंग से चले।

हमारी बहुत सी ऐसी स्कीम हैं, जैसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को हमने लिया है।

इसमें सारे मुल्क में अभी 30 डिस्ट्रिक्ट हमने सिलेक्ट किये हैं। 1990 तक हमारा मकसद है, हमारी उम्मीद है कि हम इसे पूरा कर लेंगे कि जो एक्सपैक्टेंट मदर्स हैं वह जीरो से लेकर 2 साल के बच्चों को इम्यूनाइज करा लें और बीमारियों से बचा सकें। ताकि हमारे यहां इन्फेंट मोरटैलिटी रेट कम हो सके। यह दोनों चीजें साथ-साथ चलने की बात है।

आई सी डी एस प्रोग्राम चल रहा है, इन्टैग्रेटेड चाइल्ड डैवलपमैंट कार्यक्रम हमने लिया है। इन्हें रफ्ता-रफ्ता हम चाहते हैं कि ये काम और बढ़े और इनके जरिये हम नीचे तक पहुंचें।

एक बात आपने कही कि "वन चाइल्ड नार्म"। इसे हम डिस्करेज नहीं करते, लेकिन जो हमारी प्रजेन्ट पालिसी है वह "दो चाइल्ड नार्म" की है। अभी हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम एक बच्चे पर इक्तिफा करें। दूसरे जिन मुल्कों का नाम आपने लिया, चीन का नाम लिया, उन्होंने बहुत से अच्छे काम किये हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि हमारे यहां जम्हूरियत है, इसमें हम बहुत से वह काम नहीं कर सकते जो दूसरे मुल्कों ने किये हैं। हम अभी यह कहते हैं कि एक बच्चे के लिये हम उन लोगों को डिस्करेज नहीं करते। उनको भी सुविधा देते हैं ताकि वह आपरेशन करा लें, जिनके पास एक बच्चा है और विलिंगली चाहते हैं कि एक ही बच्चा हो। बहुत-सी ऐसी फैमिली हैं कि एक बच्चे के बाद नहीं चाहतीं कि उनके दूसरा बच्चा आये लेकिन हम ऐसी पालिसी एक्सैप्ट नहीं कर सकते।

जहां तक आपने देहात का बताया, देहात में हम उतना ही काम कर रहे हैं और देहात के लोग भी विलिंगली चाहते हैं लेकिन उनको समझाने की बात है, एजूकेट करने की बात है। अब यह बात उनकी समझ में आ रही है कि यह जो केसप्ट है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे, उतने ज्यादा कमा सकेंगे, तो उतनी ही ज्यादा वह परेशानी उठाते हैं। अब रफ्ता-रफ्ता यह चीज आ रही है लेकिन इसको तेजी से आना चाहिये, उसके लिये हम पूरे कदम उठा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि यह काम हम पूरा करेंगे।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। विकासशील देशों में भारत एक ऐसा बड़ा देश है, जिसकी भौतिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषमता बहुत तेजी से बढ़ रही है। साथ ही साथ जब से हमें आजादी मिली है, इस विषमता के साथ-साथ हमारी जनसंख्या भी उसी रफ्तार में बढ़ती गई है। आज जो यह जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उससे देश की क्या हालत होगी, यह सोचने का विषय है। किसी भी देश के लिये ज्यादा जनसंख्या बढ़ना नुक्सानदेह होता है।

महोदय, आजादी से पहले हमारी 38 करोड़ की आबादी थी, आज वह जनसंख्या 68 करोड़ 51 लाख पर पहुंची है, यानि कि यह दुर्भाग्य से बहुत ज्यादा बढ़ी है। यह सही है कि मृत्यु-दर में हमने सफलता पाई है, लेकिन जन्म दर पर काबू नहीं पा सके हैं। जन्म दर पर अभी 2.25 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ती है जो बीसवीं सदी के अन्त तक 95 करोड़ 57 लाख हो जाएगी।

जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा कि हमने 1400 करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन मैं उनको कहूंगा जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी है, उसके हिसाब से यह रुपया बहुत कम है। आपने गांव के अन्दर पांच हजार की संख्या पर पंचायतों के लेबल पर स्वास्थ्य सेंटर तो खोल दिये हैं। लेकिन प्रचार केन्द्र और स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर आप इस जनसंख्या वृद्धि को रोक नहीं सकते। आपको उनके रहने और शिक्षा का भी पूरा प्रबन्ध करना होगा। उन गरीबों के रहने के लिये घर

नहीं है, स्त्री, पुरुष और उनके बच्चे एक ही झोंपड़ी में रहते हैं। उनके पास मनोरंजन के लिये न कोई रेडियो और टेलिविजन ही है। आपको इसके लिये ऐसे साधन जुटाने होंगे जिससे कि वह अपना मनोरंजन भी कर सकें और परिवार नियोजन के कार्यक्रम भी सुन सकें। वह गरीब लोग तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जब उनका पांच वर्ष का लड़का हो जायेगा तो किसी के यहां जानवर चरा लेगा तो उसके बदले में उसको खाने तथा मजदूरी को कुछ न कुछ तो मिल ही जायेगा। इस चीज को आपको खास तौर पर देखना होगा।

अब आप शिक्षा की बात को लें। गांवों में गरीबों और हरिजनों को शिक्षा के लिये जो अनुदान दिया जाता है, उसको यदि आप ईमानदारी से देखें तो आपको पता लगेगा कि वह अनुदान तो उनके माता-पिता खाते हैं। क्योंकि टाइम पर आप नहीं देते हैं। 84-85 का जो गरीब हरिजनों को अनुदान मिला है वह अभी तक उनको नहीं बंटा। नतीजा यह होगा कि उसकी पढ़ाई बन्द हो जायगी और फिर वह गरीब का गरीब ही रहेगा, कहीं किसी की चरवाही या हलवाही करेगा या और कोई इस तरह का काम करेगा। तो इन सारी चीजों को मिलाकर आपको चलना पड़ेगा।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि पैसा इस पर बहुत कम खर्च हुआ है। अगर आप यह कर दीजिए कि मालगुजारी माफ की जाती है और आप इस परिवार नियोजन के लिए आगे आइए तो जरूर लोग आएंगे। वरना आज तो परिवार नियोजन की यह हालत है कि प्राकृतिक तौर पर जिन्होंने परिवार नियोजन करा लिया है वही लोग इस में आ जाते हैं। कुछ वर्ष पहले यह सौ और पचास रुपया का जो जिक्र चल रहा था, उसमें हम ने देखा कि वही लोग फिर इसमें आ जाते हैं। इस तरह से इसमें एजेंट बहाल हो गए हैं और इस तरह से इसमें भ्रष्टाचार चलता है जिसमें वह लोग पैसे कमाते हैं। तो इस भ्रष्टाचार को भी बन्द नहीं करेंगे तो आप इस कार्यक्रम को सफल नहीं कर पाएंगे। एक तो इसमें वैसे ही तमाम दिक्कतें हैं, दूसरे जो पैसा आप लगाते हैं वह भी नाजायज तौर से चला जाता है, सही रूप में वह पैसा भी इस काम में खर्च नहीं होता है।

आपने जो उपकेन्द्र खोले हैं उनका भी मलाहिजा कीजिए। आप यह कह देते हैं कि यह राज्य सरकारों का काम है हम केवल गाइडलाइन्स देते हैं, लेकिन फिर यहां इस पर इतना रोना क्यों? आज उपकेन्द्रों में क्या स्थिति है। वहां जिनको आपने इस काम के लिए रखा है वह रहते नहीं हैं। डाक्टर जो वहां भेजे जाते हैं वह छः छः महीने तक वहां नहीं जाते हैं। इस लिए इसमें भी आप को सुधार करना पड़ेगा। अगर देश इससे बरबाद होने वाला है तो इस तरह से आप इस काम को करेंगे तो क्या कामयाबी आपको मिलेगी? अभी हम मास्को गए थे तो वहां पर उनकी 26 वीं प्रोग्रेस को दिखाया जा रहा था। उसमें सरकार ने महिलाओं से अनुरोध किया था कि चार बच्चे तुम पैदा करो, नहीं करोगी तो कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो आपके रास्ते में जो गड़बड़ है उसको आप पहले ठीक कीजिए।

पूंजीवादी रास्ते से हट कर समाजवादी रास्ते से चलना होगा तभी आप जन-संख्या की वृद्धि को रोक सकते हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवई : माननीय सदस्य ने कई सुझाव दिए हैं। जो जवाब मैंने दिए हैं उनमें वे सब बातें आ गईं। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगी कि जो उन के और सुझाव हैं उनको वह लिखकर हमें दें, हम उस पर गौर करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : महोदय, हाल ही में चालू सत्र में मुझे स्पष्ट रूप से याद है जब कांग्रेस के सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को 193 नियम के अधीन चर्चा में परिवर्तित करने की मांग की, ताकि उन्हें भी चर्चा में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। परन्तु यही एक विषय है जिसमें इन्हें भाग लेने में कोई रुचि नहीं है। मेरा विचार है इससे ही उनकी रुचि स्पष्ट हो जाती है; जो सत्तारूढ़ दल ने इस विषय की ओर दिखाई है। पहले माननीय मंत्री महोदय इसे देख लें। विरोधी दल पूर्ण सहयोग दे रहा है। विरोधी दल के सदस्यों द्वारा दिये गये भाषण में सरकार द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रम को पूर्ण सहयोग देने की बात कही गई है।

जब सरकार कुछ लक्ष्यों और कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्नशील, गम्भीर तथा इच्छुक है, क्या सरकार इस सम्बन्ध में कानून बनाने के लिए भी सोचती है और क्या सरकार परिवार के आकार की उपयुक्त सीमा निश्चित करने के लिए भी सोचती है? यदि आवश्यक हो तो सरकार अन्य राजनैतिक दलों से भी विचार कर सकती है। इस मामले पर राष्ट्रीय स्तर पर मतैक्य किया जाना चाहिए। एक नई नीति निर्धारित करनी पड़ेगी अत: उस दृष्टि से क्यों न सोचें? जब तक सरकार एक निश्चित दिशा नहीं सोचती और कुछ आमूल परिवर्तन नहीं लाती, यह कहना बहुत कठिन है कि सरकार को वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी। निश्चय ही, यह सच है कि आजकल लोग बहुत ही सचेत हो रहे हैं और धीरे-धीरे परिवार नियोजन के तरीकों को अपना रहे हैं।

मैं एक-दो बात कहना चाहूंगा। विकासशील तथा विकसित देशों की जनसंख्या वृद्धि की दर में बहुत भिन्नता है। विकासशील देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है जबकि विकसित देशों में जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ती है। विकसित देशों की जनसंख्या 2000 ईसवीं तक 1.2 बिलियन से बढ़कर 1.4 बिलियन होने का अनुमान है।

अब हम अर्धविकसित देशों की स्थिति पर एक नजर डालें। विकासशील देशों में इसी अवधि के दौरान जनसंख्या 2.6 बिलियन से बढ़कर 8.4 बिलियन होने का अनुमान है। इससे पता चलता है कि गरीबी और तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि एक साथ हो रही है। गरीबी एक अभिशाप है। गरीब वर्गों के परिवारों में अधिक संख्या में सदस्य होते हैं जबकि धनाढ्य वर्गों के परिवारों में कम संख्या में सदस्य होते हैं। सामाजिक-आर्थिक विकास के सामान्य स्तर में वृद्धि से जनन क्षमता कम होती है। गरीबी से जनसंख्या बढ़ती है तथा जनसंख्या की वृद्धि से भी गरीबी बढ़ती है। यह एक कुचक्र है और आपको इसे तोड़ना है। इसलिए, इस पर दो ओर से आक्रमण किया जाना चाहिए। आपको सामान्यत: लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना होगा तथा लोगों को प्रेरित भी करना होगा। इन दोनों कार्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ाना चाहिये।

योजना और परिवार नियोजन मूल रूप से एक ही नीति के अभिन्न अंग हैं। यह एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। योजना की प्रगति तथा उन्नति तथा परिवार नियोजन की प्रगति तथा उन्नति एक-दूसरे से जुड़ी है। इसी प्रकार, परिवार नियोजन कार्यक्रम योजना और विकास की सफलता से सम्बन्धित है। जब तक जनसंख्या वृद्धि की दर कम नहीं होती तब तक विकास बिल्कुल भी सम्भव नहीं है। वस्तुत: परिवार नियोजन आर्थिक योजना का एक अभिन्न अंग है जैसा कि मंत्री महोदय द्वारा दिये गये पहले वक्तव्य में बताया गया था।

1981-82 वर्ष में योजना आयोग द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया गया था। उस समय जनगणना महानिदेशक ने बताया था कि अब 230 लाख जनसंख्या को ध्यान में रखना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि की दर प्रति हजार 33 नहीं थी अपितु प्रति हजार 36 थी। उस समय यह बताया गया था। अतः योजना आयोग को सम्पूर्ण छठी पंचवर्षीय योजना पुनर्विचार करना पड़ा तथा उसको फिर से तैयार करना पड़ा। अतः, जनसंख्या की वृद्धि राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है। यदि आप जनसंख्या वृद्धि की ओर ध्यान नहीं देते तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।

1901 से 1951 के बीच के 50 वर्षों के दौरान-जनसंख्या 52 प्रतिशत बढ़ी और 24 करोड़ से 36 करोड़ हो गई। 1951 से 1981 के बीच के 30 वर्षों में जनसंख्या में 90 प्रतिशत वृद्धि हुई अर्थात् जनसंख्या 36 करोड़ से 68 करोड़ 50 लाख हो गई। क्या भारत की भूमि इतनी अधिक बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण-पोषण कर सकती है? लगातार परिवारों की बढ़ती जनसंख्या से भूमि के टुकड़े होते जा रहे हैं और प्रत्येक वर्ष भूमिहीन कृषक लोगों की संख्या बढ़ रही है और इसके परिणामस्वरूप गरीबी बढ़ती जा रही है और परिवारों की संख्या बढ़ रही है।

अब हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। वर्ष 1950 में लंदन दूसरा बड़ा शहर था। परन्तु इस शताब्दी के अन्त में उसका स्थान पहले 25 बड़े शहरों में भी नहीं रहेगा, क्योंकि विकासशील देशों की बढ़ती हुई जनसंख्या से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। इससे गम्भीर आर्थिक समस्याएं भी पैदा हो रही हैं।

मैं मानता हूं कि इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए। इस तरह के मामलों में पक्षपात का रवैया नहीं होना चाहिए। हम माननीय मन्त्री जी की इस बात से सहमत हैं कि हमें दलगत विचारों से ऊपर उठ कर कन्धे से कन्धा मिलाकर इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान करना चाहिए, जिसके बिना देश की प्रगति सही दिशा में नहीं हो सकेगी। माननीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में एक घोषणा की जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार परिवार नियोजन के लिये प्रोत्साहन देगी तथा परिवार नियोजन के उपायों को स्वीकार करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करेगी। किन्तु स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी कोई चर्चा नहीं की यह भी प्रकाशित हुआ था कि ये उपाय अपनाने वाले देश भरके सभी परिवारों को 5 वर्षों तक के लिए 50 रु० प्रति मास दिए जायेंगे। गरीबी हटाने के कार्यक्रम के साथ-साथ यह कार्यक्रम भी होना चाहिये तथा दोनों परस्पर जुड़े होने चाहिये। आपको लोगों को प्रोत्साहन देने का उपाय करना चाहिये और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने का उत्तरदायित्व लेना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस कार्यक्रम को लोग स्वेच्छा से अपनायें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तकरीबन जो सवाल माननीय सदस्य ने उठाए हैं, उन सबके जवाबात इससे पहले बोलने वाले सदस्यों के सवालों के जवाबात में दे दिए हैं। जहां तक लैजिसलेशन का सवाल है, अभी कोई भी ऐसी प्रपोजल अंडर कंसीडरेशन नहीं है कि ऐसा कोई लैजिसलेशन लाया जाए। मैं कई दफे कह चुकी हूं कि हमारे देश के हालात को देखते हुए, हम चाहते है कि यह वालन्ट्री बेसेज पर हो और प्योरली अपनी इच्छा के मुताबिक काम करें। जहां तक पचास रुपए महीना देने की बात आपने कही है, वह भी अभी अण्डर कंसीडरेशन है। यह मामला अभी तय नहीं किया गया है। लेकिन यह जरूरी है, हम सोच रहे हैं कि

किसी तरह से इंसेंटिव देकर या एजूकेट करके, जिस तरह से भी हो, इस काम को किया जाए। इंसेंटिव देना एक अलग बात है। मैं ऐसा सोचती हूं कि इन्सैन्टिव-कम बच्चों में इन्सैन्टिव अपने आप ही आ जाते हैं। किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर लोगों की समझ में आना चाहिए कि छोटी फैमिली रखना खुद हमारे हक में भी उतना ही जरूरी है, जितना कि सरकार के लिये। सरकार भी उन्हीं की है, मुल्क भी उन्हीं का है, और मुल्क के हक में यह चीज जरूरी है। यह लोगों के समझने और सोचने का तरीका है कि यह सरकारी काम है, इससे सरकार को फायदा होने वाला है, लेकिन अब लोग यह समझने लगे हैं कि इससे हमारा भी फायदा होने वाला है। मैं आप सब साहेबान का शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने यह मसला उठाकर हम सब लोगों को ध्यान आकर्षित किया। मैं समझती हूं कि इस मसले पर सभी को गम्भीरता से सोचना चाहिये और गौर करना होगा और आप सब को इस काम को करने में मदद करनी होगी। यह ठीक है कि यह मसला हैल्थ मिनिस्ट्री के नीचे हैं, लेकिन सबको देशहित में काम करना चाहिए।······ (व्यवधान)······खासतौर से नौजवानों के लिये···(व्यवधान)···हमारे जो नौजवान हैं, उनको भी जोरों के साथ इस प्रोपेगेंडा को करना होगा। इन्टरनेशनल यूथ ईअर जो मनाया जा रहा है, मैं समझती हूं कि उसमें इस इशू को लेकर चलना होगा कि हमें फैमिली प्लानिंग करनी है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : इस मसले में नौजवान बहुत होशियार है, बुजुर्ग लोग गलती करता है।···(व्यवधान)···

श्रीमती मोहसिना किदवई : बुजुर्गों ने जो गलतियां करनी थी, वे कर चुके हैं।········· (व्यवधान)···

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि क्या आप 32 परसेंट कपल-प्रोटैक्शन-रेट पर सन्देह है। मैं समझती हूं कि अगर यह गलत होता तो आबादी आज और ज्यादा बढ़ी हुई होती। अगर हमारे सामने 32-33 परसेंट न होता और 45 परसेंट के करीब होता। ये जो आंकड़े हैं, दो-चार परसेन्ट इधर-उधर की बात सोचकर, यह सोचना कि हम ग्रेज्युअली बढ़ रहे हैं, यह शो करता है कि अब लोगों में अवेयरनैस आ गई है।

तकरीबन मैंने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। मैं फिर से मेम्बरान का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया।

2.45 म०प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 12 अगस्त, 1985 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा—

(1) आज की कार्यसूची से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना—

(क) तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985

(ख) आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) संशोधन विधेयक, 1985

(ग) आवश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1985

(घ) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में पांडिचेरी विश्वविद्यालय विधेयक, 1985

(ङ) राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1985

(3) मंगलवार, 13 अगस्त, 1985 को अपराह्न 3.00 बजे, नियम 193 के अधीन देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर तथाकथित अत्याचार के सम्बन्ध में चर्चा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई निवेदन नहीं।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या हम ये जान सकते हैं कि सत्र के बढ़ने की कोई संभावना है? आपके समस्त सहयोग के बावजूद हमने अब तक बहुत कम प्रगति की है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं मैं सदस्यों से सभा के कार्य के सम्बन्ध में अपनी बातें कहने के लिये कह रहा हूं। अब श्री वी० एस० राव अपनी बात कहें।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर (विजयवाड़ा) : श्रीमान्, निम्नलिखित बातों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए—

(1) अमरावती एक्सप्रेस जो गुन्टाकल और हास्पेट होती हुई गुन्टूर तथा हुबली के बीच चलती है, आंध्र प्रदेश के गुन्टूर, कुर्नूल, अनन्तपुर, जिलों के लोगों के लिये एक बहुत महत्वपूर्ण गाड़ी है। इस गाड़ी में क्षमता के 130% के बराबर लोग यात्रा करते हैं।

यद्यपि इसे अमरावती एक्सप्रेस कहते हैं; लेकिन वास्तव में यह एक फास्ट पैसेंजर गाड़ी है। वाष्प इंजन होने के कारण और 675 कि० मी० की दूरी में बहुत अधिक स्टेशन होने के कारण यह गुन्टूर से हुबली तक 24 घंटे लेती है जो काफी ऊबाऊ है।

पहले एक गाड़ी थी जो गुन्टूर से सीधे बंगलौर जाती थी, इसे बन्द कर दिया गया था। बाद में अमरावती एक्सप्रेस में कुछ डिब्बे जोड़ दिए जाते थे और जो गुन्टकल में बंगलौर जाने वाली गाड़ियों से जोड़ दिए जाते थे। अब यह सुविधा बन्द कर दी गई है जिससे व्यापार के विचार से तथा पर्यटन के लिये बंगलौर जाने वाले लोगों को बहुत असुविधा हो गई।

अतः मैं सरकार से इस मामले पर विचार करने तथा तुरन्त निम्नलिखित उपाय करने के लिये अनुरोध करता हूं—

(एक) गुन्टूर से हुबली तक 225 अमरावती एक्सप्रेस को डीजल इन्जन से चलाया जाये।

(दो) इस गाड़ी में कुछ डिब्बे गुन्टूर से जोड़े जायें जिन्हें गुन्टकल में हटाकर बंगलौर जाने वाली गाड़ियों से जोड़ दिया जाये।

(2) दक्षिण मध्य रेलवे में रायनपडु स्थित वैगन मरम्मत वर्कशाप की स्थापना की गई है, जिसमें प्रतिदिन 100 वैगनों की मरम्मत की जा सकती है। किन्तु इस समय प्रतिदिन सिर्फ 35 वैगनों की मरम्मत की जाती है। आवश्यकता को पूरा करने के लिए वैगनों की संख्या बहुत कम है। चालू वर्ष के बजट में वैगन प्राप्त करने के लिए आवंटित राशि बहुत कम है। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि मशीनरी तथा उपस्कर का पूर्ण उपयोग करने के लिये तथा रेलवे को

मरम्मत किये गये वैगन उपलब्ध कराने के लिये 100 वैगनों की प्रतिदिन मरम्मत करने का कार्य आरम्भ करने के लिये कुछ अतिरिक्त कर्मचारी देकर तुरन्त उपाय करे।

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किए जाएं—

आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में इन्द्रावती तथा गोदवरी नदी के संगम स्थल पर स्थित इच्छमपल्ली परियोजना का सर्वेक्षण करके योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करना तथा तदुपरांत उसका कार्य शुरू करके उसे चालू करने का कार्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों से युक्त एक अन्तर-राज्यीय नियन्त्रण बोर्ड के द्वारा किया जाना है जैसाकि गोदावरी जल विवाद अधिकरण का निर्णय है।

इस सम्बन्ध में जिन मुख्य बातों की ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए, वे इस प्रकार हैं—

(एक) परियोजना के लिये नियन्त्रण बोर्ड बनाने के लिये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक बुलाना।

(दो) तीनों राज्यों के द्वारा निमग्न क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना।

इस परियोजना से प्रारम्भिक तथा दूसरी अवस्थाओं में क्रमशः 182 तथा 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।

आंध्र प्रदेश के लिये यह एक अति महत्वपूर्ण परियोजना है। यह बाढ़ नियन्त्रण का भी काम करेगी। आंध्र प्रदेश में सिंचाई करने के लिये जलाशय से 85 टी० एम० सी० जल उपलब्ध होगा। परियोजना के महत्त्व को देखते हुए यह निवेदन किया जाता है कि केन्द्रीय मन्त्री जल्दी ही उपरोक्त राज्यों के तीन मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलायें ताकि इसे स्वीकृति दी जा सके।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (आल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न दो विषयों का समावेश चाहता हूं—

(1) दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से कानून और व्यवस्था की स्थिति में लगातार गिरावट आती जा रही है। इस सदन के एक सम्मानित सदस्य की हत्या इसकी पराकाष्ठा है।

अतः इस स्थिति पर सदन को चर्चा करनी चाहिये।

(2) एक बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिल पाया है। प्रवेश के लिये वे छात्र जब अन्य उत्तरप्रदेश व हरियाणा कालेजों की तरफ भाग रहे हैं तो उनके अभिभावकों में इसके प्रति गहरा असंतोष व्याप्त है।

अतः इस विषय पर भी सदन को चर्चा करनी आवश्यक है।

धन्यवाद।

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को सम्मिलित करने का कष्ट करें—

ज्ञात हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय प्रशासन ने पिछले वर्ष बिहार के छात्रों का नामांकन उनके प्राप्त अंकों से सात प्रतिशत कम करके तथा इस वर्ष 12% कम करके उनके नामों की संस्तुति की है। फलस्वरूप बहुत से मेधावी छात्र इस संस्था में नामांकन से वंचित रह गये। अंक कम करने का कारण बिहार के शिक्षण संस्थाओं में अधिक नकल होना बताया गया है। यह

आरोप छात्रों के दाखिले में लगाने का स्पष्ट मतलब बिहार की शिक्षण संस्थाओं का ही नहीं बल्कि बिहार सरकार का अपमान है ।

अतः माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि इस सम्बन्ध में जांच कराएं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बिहार प्रदेश के छात्रों के प्रवेश हेतु उदारतापूर्वक नीति अपना कर तत्काल ठोस कार्यवाही करें ।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं अगले सप्ताह में होने वाले सरकारी कार्यों की सूचि में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने की सूचना देने की अनुमति चाहता हूं :—

कि उड़ीसा के लिए प्रस्तावित इस्पात संयंत्र, जिसका एक बार पहले ही पारादीप पत्तन स्थल पर उद्घाटन हो चुका है, को डेटरी पर स्थानान्तरित कर दिया गया था तथा यह निर्णय लिया गया था कि इसकी क्षमता 15 लाख टन होगी। अब इसकी क्षमता घटाकर दो लाख टन कर दी गई है तथा यह भी संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है इस विषय पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए ।

श्री सोमनाथ रथ (आसका) : महोदय मैं निम्नलिखित मामलों को 12 अगस्त 1985 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में सरकारी कार्यों की सूची में सम्मिलित करने का सुझाव देता हूं :—

उड़िसा सरकार के लिए खनिजों की रायल्टी राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। खान और खनिज, (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, के प्रावधानों के अनुसार चार वर्षों की अवधि में किसी भी खनीज पर लगने वाली रायल्टी की दर को एक से ज्यादा बार नहीं बढ़ाया जा सकता । यह देखा गया है कि रायल्टी की दरों का उड़ीसा सरकार के बारबार अनुरोध करने तथा केंद्रीय इस्पात तथा खनिज मन्त्री के आश्वासन देने पर भी चार वर्ष की अवधि के बीत जाने पर पुनरीक्षण नहीं किया जाता ।

इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि पिछले चार वर्षों में कोयला, इस्पात तथा सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि हुई है दूसरी तरफ लोहा, इस्पात तथा सीमेंट का उत्पादन करने के लिए प्रयोग में लाये गये खनिजों तथा अयस्कों की रायल्टी की दरें वही है जो चार वर्षों से भी पहले थी। लौह अयस्क की रायल्टी का पुनरीक्षण 1982 में होना चाहिए था। मैंगनीज अयस्क की दरों का संशोधन 1983 में होना चाहिए था। अन्य खनिजों की भी रायल्टी में 1985 से संशोधन होना चाहिए। यह देखा गया है कि भारत सरकार ने एक बार भी रायल्टी का संशोधन समय से नहीं किया। इस संदर्भ में मैं दृढ़ता से इस बात की मांग करूंगा कि रायल्टी का संशोधन किया जाये तथा नियत तिथि से उसे लागू किया जाये ।

इस मामले पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं निम्नलिखित विषय के अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करवाना चाहता हूं :—

27 अप्रैल, 1985 को केंद्र सरकार ने लक्ष्मी कामर्शियल बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत ऋणस्थगन आदेश जारी किए कथित आदेश

लक्ष्मी कार्मशियल बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मिला के लिए दिए गये थे यह घोषणा दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों से सर्वत्र प्रसारित की गई थी। बाद में भारतीय रिजर्व बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधियों के बीच समावेशन की प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने के लिए काफी विस्तार से चर्चा हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबन्धक को लक्ष्मी कर्मशियल बैंक के निदेशक मण्डल के लिए भी नाम निर्देशित किया है। और अब अचानक यह निर्णय ले लिया गया है कि इसे केनरा बैंक में मिला दिया जाये। इससे लक्ष्मी कर्मशियल बैंक के कर्मचारियों तथा ग्राहकों में निराशा तथा अप्रसन्नता फैल गई है तथा इससे पंजाब नेशनल बैंक की साख पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। अचानक लिया गया यह निर्णय असंगत तथा सामान्य नियमों से हट कर है। उत्तर में लक्ष्मी कर्मशियल बैंक सांस्कृतिक तथा व्यापारिक तौर पर पंजाब शनल बैंक से मेल खाता है। पंजाब नेशनल बैंक के पुराने कर्मचारियों ने लक्ष्मी कर्मशियल बैंक में भी कार्य किया है। सरकार को चाहिए कि वे बैंकिंग उद्योग को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय की पुनरीक्षा करें तथा पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में लिए गए अपने पहले निर्णय पर ही लौट आये इसलिए इस मामले पर अगले सप्ताह चर्चा की जानी चाहिए।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : मैं निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करने का सुझाव देता हूं।

भारतीय चिकित्सा परिषद का गठन 15.21934 को हुआ था। इस निकाय को डा० बी० सी० राम, डा० जगराम मेहता तथा डा० ए० लक्ष्मण स्वामि मुदालियर- जैसे महापुरुषों ा पोषित किया। अब भारतीय चिकित्सा परिषद के 106 मेडिकल कालेज हैं और भारतीय चिकित्सा परिषद का अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा दे वा े विश्वविद्यालयों से भी पत्राचार करना होता है। पहले बाहरी लोगों तथा निकायों की यह प्रवृति थी कि वे भारतीय चिकित्सा परिषद को यह निर्देश देते थे कि उन्हें अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश के लिए क्या करना चाहिए। भारतीय चिकित्सा परिषद् को अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षायें लेने के लिए भी कहा गया था। यह एक कठिन कार्य है और भारतीय चिकित्सा परिषद इसके लिए सक्षम निकाय नहीं है प्रत्येक राज्य से यह अनुरोध किया गया है कि वे प्रत्येक कालेज के परीक्षा में सफल 60 प्रतिशत छात्रों को ले लें तथा अन्य 30 प्रतिशत अन्य राज्यों से भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा भरे जायेंगे। इससे राष्ट्रीय एकता को मदद देने के बजाय बहुत गंभीर परिणाम साम आयेंगे। विद्यार्थी को स्थानीय भाषा से परिचित होना चाहिए क्योंकि उसे मरीज की जांच करनी होती है तथा उससे बात करनी होती है। राज्यों के सामने आ वाली दूसरी समस्या है डाक्टरों की कमी, क्योंकि अन्य राज्यों से आने वाले ज्यादातर विद्यार्थी अपने राज्यों को लोट आयेंगे। तब तक प्रत्येक राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डाक्टर नहीं होंगे। अत: इन मामलों में, निर्णय लेने से पूर्व, संबंधित राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए।

किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त व्यवस्था नहीं की जाती। चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा संबंधी राहत राज्यों के विषय हैं। उनकी तुलना देश के भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों से नहीं की जा सकती। जॉन होपकिन्स यूनिवर्सिटी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रवेश-परीक्षा विद्यार्थी के सामान्य ज्ञान योग्यता आदि जानने का अचूक तरीका नहीं है। जॉन होपकिस यूनिवर्सिटी के निदेशक मण्डल का यह विचार है। कि विद्यार्थी का स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी स्तर का कार्य निष्पादन तथा प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के समय उसके कार्य-निष्पादन और उसके अध्यापकों से प्राप्त रिपोर्टों पर विचार किया जाना चाहिए।

मेरा कहना है कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जिसमें अध्ययन सम्बन्धी एक बयर बोर्ड हो चिकित्सा शिक्षा में समग्र क्रांति ला सकता है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय मेरा यह सुझाव है कि 12 अगस्त 1985 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य में निम्नलिखित मामले शामिल किये जायें।

यह खेद का विषय है कि उड़ीसा, को, जिसका पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, विमान सेवाएं अच्छी नहीं हैं। इसकी राजधानी भुवनेश्वर को दिल्ली से इण्डियन एयरलाइन्स की सीधी उड़ान के द्वारा केवल 1980 में जोड़ा गया और यह उड़ान भी प्रतिदिन नहीं होती। अब तक सप्ताह में पांच दिन उड़ान होती थी और इसे प्रतिदिन चलाने की बजाये पिछली 23 जुलाई से इसका प्रचालन अचानक घटा कर चार दिन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसके समय बदल दिये गये हैं। एक उड़ान जो पहले बनारस के रास्ते दिल्ली से भुवनेश्वर तक सुबह सात बजकर पांच मिनट पर (प्रातः 7.05) जाती थी अब यह उड़ान इसी विमान की प्रातः सेवा पूरी हो जाने के पश्चात दोपहर 12.30 पर की जाती है। दिल्ली में इसकी वापिसी में विलंब होने से स्वाभाविक है कि बाद में भुवनेश्वर जाने वाली उड़ान में विलंब हो। पिछले अनुभव से पता चलता है कि ऐसे विलंब नियमित रूप धारण करते जा रहे हैं। इसलिये समय में इस परिवर्तन के कारण उड़ीसा के यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है, जिनको देश की राजधानी में आने के वास्ते केवल वही एक उड़ान उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, वायुदूत सेवा जो फिलहाल रूरकेला और भुवनेश्वर के बीच चल रही है, एक विशाल क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिये पश्चिमी उड़ीसा के प्रवेश द्वार झारसुगुडा से भी होकर आसानी से जा सकती है।

अतः यह आवश्यक है कि दिल्ली से भुवनेश्वर की सीधी उड़ान प्रतिदिन चलाई जाये और इसका समय सुविधाजनक किया जाये और झारसुगुडा के होकर वायुदूत सेवा शुरू की जाएं।

3.00 म०प०

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, कृपया अगले सप्ताह लोकसभा की कार्यसूची में निम्नलिखित मेद शामिल करें :—

आवश्यक सेवा अधिनियम की व्याप्ति समाप्त होने पर उसकी व्याप्ति बढ़ाने का समाचार है। वामपन्थी लोकतांत्रिक शक्तियों ने हमेशा इस विधान का विरोध किया है, जिसका हड़तालों को तोड़ने और मजदूर वर्गों के संघर्षों को समाप्त करने के लिये दुरुपयोग किया गया है। क्योंकि पंजाब और असम समस्याओं का समाधान होने ही वाला है इसलिए लोकतांत्रिक जनता को राहत सी मिल रही है। इस समय आवश्यक सेवा अधिनियम का समय आगे बढ़ाने से देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के हितों को नुकसान पहुंचेगा। बल्कि आवश्यक सेवा अधिनियम को समाप्त कर देना चाहिए और देश को आवश्यक सेवा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आदि कानूनों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय सदस्यों द्वारा बताये गये मुद्दों को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा जायेगा।

———

3.02म०प०

तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि अधिनियम 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमती दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने के लिये अनुमती दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

3.03 म०प०

बालक नियोजन (संशोधन) विधेयक

(—जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब श्री टी० अंजैया द्वारा 7 अगस्त 1985 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगा, अर्थात्

"कि बालक नियोजन अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री ए० चार्ल्स।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत बालक नियोजन अधिनियम 1938 के संशोधन का समर्थन करता हूं। महोदय यह धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिये अधिनियम में निर्धारित सजा को बढ़ाने के सीमित उद्देश्य की पूर्ति करता है। वर्तमान अधिनियम में एक माह की सजा देने या जुर्माना करने की व्यवस्था है। प्रस्तावित संशोधन में थोड़ासा दंड बढ़ाने की बात कही गई है। विशेष रूप से दूसरी बार अपराध करने पर दंड देने का निश्चित प्रावधान है अर्थात उतनी अवधि का कारावास जो छः माह से कम न हो लेकिन जो दो वर्ष तक बढ़ सकती है। इस सीमा तक मैं संशोधन का स्वागत करता हूं और मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

लेकिन हमारे सामने वास्तविक समस्या क्या है? महोदय भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान या किसी खतरनाक रोजगार के काम में नहीं लगाया जायेगा। महोदय ऐसे कानूनों की संख्या काफी है जिसमें किसी खतरनाक रोजगार में कार्यरत बालकों पर लगी रोक का उल्लंघन करने के लिये दण्ड देने का प्रावधान है। इन कानून के बावजूद सही छवि क्या है? ऐसे रोजगारों में इस विषय पर सभी प्रकार के प्रतिबंधों और नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए नियोजित बालकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अनुमान है कि 1977 में विभिन्न प्रकार के कार्यों में कार्यरत

बच्चों की संख्या 1 करोड़ के लगभग थी। वर्तमान अनुमान के अनुसार यह संख्या 1 करोड़ 70 लाख है। यह बहुत चिंता का विषय है कि पूरे विश्व में खतरनाक कार्यों में कार्यरत बालकों की संख्या के एकतिहाई भारत में काम कर रहे हैं। जैसी कि अब स्थिति है इस शताब्दी के अंत तक यह संख्या 2 करोड़ 50 लाख पार कर जायेगी। किसी भी सभ्य देश को इस विषय पर चिंता प्रकट करनी चाहिये।

महोदय न तो कानून में कमी होने के कारण नहीं रोजगार में लगे हुए बालकों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना न होने के कारण, न ही उन स्थानों या उद्यानों की जानकारी न होने के कारण जहां ऐसे बालक कार्यरत हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को काम पर लगाने के इस घृणित अपराध करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने में कोई रुकावट आ रही। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस अपराध को कम करने में आने वाली रुकावट है राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी या इन दण्डनीय व्यवस्थाओं को लागू करने के नियमों की कमी।

जो ब्यौरे इकट्ठे किये गये हैं उनसे पता चलता है कि कश्मीर के कालीन उद्योग में लगभग एक लाख बालक काम कर रहे हैं। बनारस रेशम उद्योग में लगभग 50,000 बालक काम करते हैं। मेघालय की स्थानीय खानों और मद्रास में शिवाकाशी के माचिस उद्योग में हजारों बालक काम करते हैं। केरल और अन्य कई स्थानों के चाय और काफी के बागानों में हजारों बालक काम करते हैं। इन बच्चों के बारे में सोचिये जिन्होंने 5 वर्ष की आयु पार की है और जो बेकसूर हैं और जिन्हें परिवार की देख रेख, स्नेह और सहायता की आवश्यकता है, गैर-स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में काम करने के लिये भेज दिया जाता है और वे यह भी नहीं जानते कि उनके सामने कैसा जीवन है। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है यह देख कर दुःख होता है उन बच्चों को 2 या 3 या 4 वर्षों में गंभीर बीमारियां लग जाती हैं और उनका जीवन 20 वर्ष में समाप्त हो जाता है। हमारे जैसे विकासशील देश के लिये यह बहुत दुर्भाग्य की बात है।

कानून कहां हैं? विधान कहां हैं? इस देश के बालकों को प्रदान की जाने वाली संविधानिक सुरक्षा कहां है? क्या किसी ने यह जानने लिये गंभीर प्रयत्न किये हैं कि इस विषय पर बनाये गये कानूनों को कभी क्रियान्वित भी किया गया है? सरकार ने 1979 में इस विषय की जांच करने के लिये श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। यह जानना वास्तव में रुकावट है कि 12 मार्च को इस सभा में प्रश्न संख्या 1393 के उत्तर में यह कहा गया था कि बालकों की रोजगार में प्रवेश करने की कम से कम आयु से संबंधित सिफारिश के अतिरिक्त अन्य समस्त सिफारिशों को सरकार ने स्वीकर कर लिया है और उन्हें क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों को भेज दिया गया है। उसी वर्ष अन्य प्रश्नों का उत्तर यह बहुत अनोखी बात नोट करने की है—उसी रूप में, विराम चिन्ह में बिना कोई परिवर्तन किये बगैर दिया गया है। उनमें से एक है प्रश्न संख्या 6253। इसलिये उत्तर देने का यह घिसा-पिटा तरीका है और मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि जब भारत सरकार एक नियम बनाती है और जब एक प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की जाती है और उसकी सिफारिशें राज्यों और मन्त्रालयों को भेजी जाती हैं तो क्या भारत सरकार का उत्तरदायित्व वहीं समाप्त हो जाता है? इन बालकों का क्या होगा? उन सिफारिशों का क्या होगा? इसके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। मैं जानना चाहत हूं कि जब ऐसा कानून

बनाया जाता है तो कोई ऐसा तंत्र है जो यह सुनिश्चित करे कि यह बढ़ा हुआ दण्ड दिया जा सके। सरकार द्वारा प्रयास किया गया है कि स्वैच्छिक एजेंसियों को इसमें शामिल किया जाये। मैं नहीं समझता इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति होगी। मेरा सुझाव है कि निश्चित नियम बनाये जायें और पंचायत, नगर-पालिका और नगर-निगम जैसे जिम्मेदार निकायों को यह अधिकार दिया जाये कि वे अपने सम्बन्धित क्षेत्रों के उद्योगों की जांच करें और यह पता लगायें कि किसी उद्योग में 14 वर्ष से कम आयु के बालक काम तो नहीं कर रहे हैं। वे इस उद्योग से इस सम्बन्ध में कम से कम तीन सप्ताह में एक बार एक विवरण भी मांग सकते हैं। यदि उनके ध्यान में इन नियमों का कोई अतिक्रमण आता है तो उन्हें न्यायालय में याचिका दायर कर का अधिकार दिया जाये। उन्हें यह देखने का उत्तरदायित्व दिया जाये कि कानूनों के प्रावधानों को लागू किया जाता है या नहीं।

जनवरी में प्रश्न संख्या 138 के उत्तर में यह जानकर मुझे अफसोस है कि दिया गया उत्तर सांविधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है। उत्तर में मंत्री महोदय कहते हैं :—

> "देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में बालश्रम को पूरी तरह से दूर करना हालांकि संभव नहीं है फिर भी सरकार का प्रयत्न रहा है कि यह सुनिश्चत किया जाये कि परिस्थितियों वश कार्य करने पर मजबूर बालकों का शोषण न किया जाये और वे स्वास्थ्य स्थितियों में काम करें।"

महोदय यह उत्तर संविधान के उस अनुच्छेद के प्रतिकूल है जिसमें विशेष रूप से कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को खतरनाक व्यवसाय में नहीं लगाया जाये। अब यहाँ कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सम्भव नहीं है। मेरा अनुरोध है कि ऐसे विवरण इस सभा के सामने प्रस्तुत करने की अनुमति न दी जाये।

अन्त में महोदय, वे बालक जो फिलहाल इन खतरनाक व्यवसायों में कार्य कर रहे हैं, का कहीं और पुनर्वास किया जाये ताकि वे वास्तव में देश की सम्पत्ति बन सकें और देश को समृद्ध बना सकें।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, बालक नियोजन विधेयक जो माननीय मंत्री महोदय ने सदन में उपस्थित किया है, उनका मैं समर्थन करती हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं यह सुझाव भी देना चाहती हूं कि यह बिल पर्याप्त नहीं है। क्योंकि यह बिल केवल उन्हीं बच्चों के लिए है, जो बच्चे श्रमिक की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे भिक्षावृत्ति के लिए बाध्य किए जाते हैं और इतनी अमानवीयता से उन बच्चों से कार्य कराते हैं कि उनके शरीर के अंग तक काट देते हैं और उन्हें अंधा तक कर देते हैं जिससे वे दया के पात्र बन जाएं और उन्हें भीख मिलती रहे, जो इनको ऐसे कामों के लिए प्रेरित करते हैं, उनको भिक्षावृत्ति के माध्यम से पैसा मिलता रहे। इसी प्रकार से जो बच्चे बाल शरण गृहों में रहते हैं, चाहे वे सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं, चाहे वे गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं, उनमें भी बच्चों के साथ अच्छा व्यावहार नहीं होता है। हमारे यहां अभी ऐसे बच्चों की संख्या बहुत है, जो सड़क या फुटपाथ पर जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और वहीं मर जाते हैं।

उनकी पूरी जिन्दगी बीत जाती है । जिन बच्चों को बचपन का सुख मिलना चाहिए, उन्हें उनके बचपन का सुख नहीं मिल पाता है और हम उनका बचपन भी नहीं लौटा सकते हैं । बच्चे तो राष्ट्र की सम्पत्ति हैं, देश का भविष्य हैं ।

इस बिल का तो मैं समर्थन करती हूं लेकिन मंत्री महोदय से आग्रह करती हूं कि इसके साथ ही साथ बाल विकास से संबंधित एक बिल आना चाहिये । यह सामाजिक और आर्थिक समस्या है । कानून तो बनते ही हैं, बनाये जाते हैं, बनने भी चाहिये क्योंकि इंसान को अनुशासन में बांधना बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर सामाजिक समस्याओं का कानून के द्वारा निराकरण होता तो दहेज जैसी समस्या, या बाल-विवाह या मनुष्य और पुरुष में जो भेदभाव समझा जाता है, इन सब के लिये समय-समय पर अनेक कानून बनाये गये, लेकिन कानून एक तरफ होता है और उनका कार्यान्वयन दूसरी तरफ होता है । इसलिये समाज में जागृति की जरूरत है ।

मंत्री महोदय वित्तीय सहायता भी संस्थानों को दिया करते हैं । हमारा देश लोक-कल्याणकारी है । जो फाइनेन्शियल एसिस्टेंस मिनिस्ट्री आफ लेबर देती है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिये या एक्शन ओरिएन्टेड प्रोजेक्ट के लिये यह देनी चाहिये, इसमें हमारा विरोध नहीं है । आपने जो पैसा 1981-82 में दिया है 70,000 और 1984-85 में दिया है 3 लाख 48 हजार 938 और इस तरह से आपने टोटल प्रावीजन सातवें फाइव ईअर प्लान में 5 करोड़ का किया है, मेरा कहना यह है कि वित्तीय सहायता से ज्यादा जरूरी हैं कि आप कुछ ऐसे संस्थानों को सरकार द्वारा एडाप्ट करें। अभी महिलाओं के द्वारा कुछ संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन बहुत कारगर ढंग से नहीं चल रही हैं । आप एक एडवाइजरी कमेटी बनायें जो सभी जगह ऐसी संस्थाओं की स्टडी करे, सर्वेक्षण कर के देखे कि ऐसे बच्चों की कितनी संख्या है जो फुटपाथ पर रहते है, जिनसे गैर-कानूनी काम कराये जाते हैं, स्मगलिंग का काम कराया जाता है, अमानुषिक काम कराया जाता है । उन सब की संख्या होनी चाहिये ।

आप जानते ही हैं कि 1959 में बालकों की समस्या सारे विश्व की एक समस्या बन गई और 1959 में यूनाइटेड नेशन्ज का जो घोषणा-पत्र हुआ, उसमें बालकों के मूलाधिकार की चर्चा की गई । उसके बाद 1975 में हमारे देश में एक बहुत बड़ी कांफरेंस हुई और उस अन्तर्राष्ट्रीय कान्फरेंस में मजदूरों और बच्चों की समस्या पर चर्चा हुई और बड़े-बड़े विशेषज्ञों ने इस पर अपनी राय दी कि योजना में इसको शामिल करना चाहिये और इसके लिये एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिये और योजना के स्तर पर विचारविमर्श होना चाहिये ।

1978 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार सारे विश्व में 4 करोड़ 30 लाख बाल श्रमिक थे । इसमें से 90 प्रतिशत बच्चे विकासशील देशों में ही पाये गये है । मेरा कहना है कि हमारे जैसे देश में इस तरह के बच्चों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और 1979 में यह संख्या 5 करोड़ 20 लाख से भी ऊपर हो गई ।

1979 का वर्ष बाल वर्ष के रूप में मनाया गया और सारे विश्व में इसकी शोहरत हुई । यह बाल वर्ष भी खत्म हो गया, लेकिन यह समस्या समाप्त नहीं हुई । बल्कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, यह समस्या भी बढ़ती जा रही है । यह तो एक वर्ल्ड फिनोमिनन होता जा रहा है । हमारे देश में तो है ही, पश्चिमी देशों में भी बाल मजदूरो और वैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है । इटली, जर्मनी और फ्रांस जैसी जगहों में भी ऐसी समस्याएं है लेकिन वहां वालेन्टरी सुविधाएं कुछ बच्चे चाहते हैं जो कि सिनेमा देखने के लिये और घूमने के लिये छुट्टी के दिनों में घरों के

कुछ काम करते हैं और वहां से जो उन्हें पाकेट मनी मिलता है, उससे वह सिनेमा वगैरह देखने जाते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे काम स्वेच्छा से कोई नहीं करता है, हमारे यहां आर्थिक परेशानी है उसके कारण बच्चे यह काम करते हैं।

आप जानते हैं कि हमारे घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं अगर लड़की पैदा हो जाती है तो समझते हैं कि बोझा है लेकिन अगर लड़का पैदा हो तो कहते हैं कि यह हैल्पिग हैंड है, बुढ़ापे में काम देगा, उस बच्चे से वह काम करवाते हैं। लेकिन यह समस्या जो एक परम्परा बन गई है जिससे हमारा समाज अभिशप्त है, यह हमारे लिये अभिशाप है यह हमारे लिए अशिशाप है, वैसी परम्परा को हमें तोडना होगा। इसमें सरकार को और जो जन-प्रतिनिधि हैं,उन सब को मिलकर इसको देखना होगा। साथ ही साथ आप इसमें प्रतिबंध लगा दें कि बच्चे काम न करें और उनको हम नौकरी नहीं दे सकते, फिर भी हमें देखना होगा कि जो काम कर रहे हैं, उनको हम किस तरह से सुविधा दे सकें क्योंकि उनकी मानसिक विकृति होती जा रही है और हम बाल श्रमिकों को संरक्षण नहीं दे पाते।

1985 के सर्वेक्षण के अनुसार दो करोड़ श्रमिक बालक हमारे यहां हैं जिन की आयु 5 से 14 वर्ष तक की है। 1976 में यह संख्या एक करोड़ 10 लाख के करीब थी जो कि आज बढ़कर दो करोड़ से ऊपर हो गई है। इस प्रकार यह संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिये हमें इसके मूल कारणों में जाना होगा, अगर हम प्रतिबंध लगा देंगे तो उससे समस्या नहीं सुलझ सकती।

हमारा एक कल्याणकारी देश है, इसमें शिक्षा की व्यवस्था है, हमें इसको और भी अधिक कारगर बनाना होगा। माता- पिता जो गरीब हैं, वह बच्चों की पढ़ाई का बोझ नहीं ले सकते हैं, इसलिये उनकी शिक्षा के लिए स्कूल में उनके भोजन के प्रबन्ध के साथ-साथ उनके कपड़ों का भी प्रबंध करें ताकि उनको कपड़ा और भोजन मिले और वह अपनी पढ़ाई ठीक तरीके से कर सके। अगर ऐसा प्रबन्ध नही होगा तो फिर बच्चे स्कूल नहीं जायेंगे क्योंकि वह मां-बाप के लिए बोझ बन जाते हैं। हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि हमारे बच्चों का शोषण नहीं हो सकेगा और सब लोगों को ठीक जानकारी करायें, इसलिये मेरा सुझाव होगा कि सामाजिक न्याय के लिए आप निःशुल्क कानूनी सहायता शिविर लगायें, जिस में गांव के लोगों को सभी आवश्यक जानकारी करायें। वकालत के पेशे में जो हमारे विद्यार्थी हैं, वह वकीलों को ले जायें क्योंकि वहां जिला स्तर पर, हर गांव के स्तर पर आपके सरकारी पदाधिकारी और जन-प्रतिनिधि दोनों रहेंगे और वहीं पर यह फैसला हो जायेगा।

आज जो हमारी प्रथा चल रही है और अंग्रेजों ने जो हमें गुलाम बनाया था, उसी के तहत बहुत से कानून हैं, उनमें हम परिवर्तन ले आयेंगे, लेकिन उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा तो कानून वहीं पर बंद रह जायेगा, इसलिये कानून का सही मायने में ग्रामीण जनता जो देहातों में रहती है, उनको और उनके बच्चों को लाभ हो जिनसे कि गैर कानूनी काम लिया जाता है, भिक्षा-वृत्ति करायी जाती है। इन सारी बातों को देखते हुए आपको एक काम्प्रीहेंसिव कानून बनाना होगा जो कि बच्चों के बहुमुखी विकास के लिये हो।

[अनुवाद]

डा० टी० कल्पना देवी (वारंगल) : मैं बाल नियोजन (संशोधन) विधेयक का स्वागत करती हूं किंतु मेरा विचार है कि जब तक संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों के उपबंधों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता इसका कोई लाभ नहीं होगा।

इन कानूनों के अतिरिक्त सामाजिक जागरूकता और उत्पन्न करने और समस्या के समाधान के लिए बहु-आयामी प्रयास करने को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा बच्चों के व्यवसाय में आने की आयु निर्धारित करने के लिए बहुत से कानून जैसे कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम ,1952, बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 और विभिन्न राज्य अधिनियम और दुकान तथा स्थापना अधिनियम बनाए जाने के बावजूद भी बच्चे न केवल विभिन्न प्रतिष्ठानों जैसे होटलों आदि में काम पर लगाए जा रहे हैं बल्कि जोखिमपूर्ण कामों में भी लगाए जा रहे हैं। बहुत से बच्चों को बंधुआ मजदूर भी बनाया जा रहा है। 5 अप्रैल, 1985 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 5681 के उत्तर को देखकर मुझे आश्चर्य होता है जिसमें यह बताया गया है कि बंधुआ मजदूर बच्चों के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। यह मानना होगा कि बंधुआ मजदूरों की दशा सबसे अधिक शोचनीय है क्योंकि उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है काम के घंटे निश्चित नहीं है और कामगारों के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं।

यद्यपि इस अधिनियम में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम में नहीं लगाया जाना चाहिए और रात के समय बच्चों को खतरनाक काम में न लगाया जाए, परन्तु मैं देखती हूं कि नियोजकों द्वारा बच्चों की आयु को बड़ी चतुराई से छिपा लिया जाता है। वास्तव में मैं हैरान हूं कि स्वयं सरकार ने भी 14-3-85 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 215 के उत्तर में स्वीकार किया है कि माचिस और आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाले लगभग 4000 बच्चों की आयु के बारे में सरकार के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह बड़े खेद की बात है कि एक ओर हम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए इतने कानून बना रहे हैं और दूसरी ओर हम बच्चों की आयु की जांच किए बिना ही उन्हें काम पर लगा रहे हैं।

हमें इन कानूनों को विभिन्न सामाजिक संगठनों की सहायता से भी लागू करना चाहिए क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जब तक हम नियोजकों तथा अन्य लोगों में विभिन्न नियमों द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम आयु वाले बच्चों को रोजगारी देने की बुराइयों के प्रति जागरुकता न पैदा करें तब तक केवल कानून बनाना ही काफी नहीं है।

कार्य योजना व्यापक होनी चाहिए जिसमें विधान बनाना शिक्षा और आर्थिक विकास सहित कल्याण सम्बन्धी प्रबंध करना भी शामिल हों। यहां तक कि केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति ने भी सिफारिश की है कि विधान में कामगार बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षा तथा स्वास्थ्य की देखभाल आदि बातें शामिल हों। कार्य-कुशलता के विकास, प्रशिक्षण और कामगार बच्चों के लिए यातायात संबंधी आदि के लिए भी कानून बनाए जाने चाहिएं।

माता-पिता अपने बच्चों को काम पर क्यों भेजते हैं। पद दलित,कमजोर वर्ग और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग अपने बच्चों का पेट भरने और उन्हें शिक्षित करने की स्थिति में नहीं होते अतः मजबूर होकर उन्हें बच्चों को काम करने के लिए भेजना पड़ता है। सरकार बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं देनी परन्तु उनके लिए खाना कपड़ा और आश्रय का भी कोई प्रबन्ध नहीं करती। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इन बच्चों कि लिए वैकल्पिक प्रबन्ध किए जाने चाहिएं। केवल तभी हम कानून प्रभावशाली ढंग से लागू कर सकेंगे और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। मेरे विचार से सरकार स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य समाज कल्याण मंत्रालयों के सहयोग से इस अधिनियम को लागू कर सकेगी और केवल तभी हम इस काम अधिनियम को सफलता पूर्वक कार्यान्वित कर सकेंगे। धन्यवाद।

[हिंदी]

श्री योगेश प्रसाद योगेश (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी द्वारा उपस्थापित बाल नियोजन संशोधन अधिनियम का स्वागत करता हूं। भारत में मजदूरों की कार्यावधि के सम्बन्ध में और बाल मजदूरों के सम्बन्ध में श्रम मन्त्री जी ने बहुत सराहनीय कदम उठाए है।

अपने थोड़े काल की अवधि में उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत अच्छा वातावरण पैदा किया है। बाल मजदूरों के सम्बन्ध में जो संशोधन वे करना चाहते है और मजदूरी की शर्तें तय करना चाहते हैं वह अपने आप में एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। आज जब हम छोटे-छोटे बच्चों को होटलों में, हलवाई की दूकान पर या दूकानों पर काम करते हुए देखते हैं या खेत खलिहानों में काम करते हुए देखते हैं, किसी की गाय, भैंस, बकरी चराते हुए देखते हैं तो मन में एक अजीब सी टीस और दर्द पैदा होता है।

ऐसे तो बड़े-बड़े उद्योगों में ऐसा कानून है कि बच्चे वहां पर काम नहीं करते है लेकिन छोटे-छोटे घरेलू उद्योग-धन्धों में वे काम करते हैं जहां पर उनके ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं। जो बच्चे वहां पर काम करते हैं उनकी पिटाई होती है, गालियां सुननी पड़ती हैं और उनका मनोबल तोड़ा जाता है तथा उनका भविष्य अन्धकार में चला जाता है। ये वही बच्चे हैं जिनके बारे में वर्ड्सवर्थ ने कहा था :

"चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन।"

लांगफेलो ने कहा था :

"यी आर बैटर दैन ऑल द बैलेड्स
दैट एवर वर संग आर सैड
फॉर यी आर लिविंग पोइम्स।"

डा० महादेवी वर्मा ने कहा था—उनकी नजरों से उनकी हालत छिपी नहीं रह सकी, और उन्होंने कहा :

"शाही शान भिखारन की है, मनोकामना मतवाली।"

वे हमारी बड़ी महान नेता और कवयित्री हैं। उनकी नजर भी वहां तक गई।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण सोमवार को जारी रखिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू करेंगे।

3.31 म.प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अजय बिश्वास (पश्चिम त्रिपुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 7 अगस्त, 1985 को सभा में पेश किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 7 अगस्त, 1985 को सभा में पेश किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.32 म०प०

विधेयक

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 94 और 197 में संशोधन)

[अनुवाद]

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुछेद 48-ख का अन्तःस्थापन, आदि)

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० राममूर्ति : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 324 में संशोधन आदि)

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० राममूर्ति : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(चार किसान और कृषि-कर्मकार लाभ निधि विधेयक

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसानों और कृषि कर्मकारों के लाभार्थ एक निधि गठित करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किसानों और कृषि कर्मकारों के लाभार्थ एक निधि गठित करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० राममूर्ति : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(पांच) सरकारी कार्यालय (सार्वजनिक छुट्टियों और काम के घण्टों का नियतन) विधेयक

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी कार्यालयों के लिए सार्वजनिक छुट्टियों और काम के घण्टों का नियतन करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी कार्यालयों के लिए सार्वजनिक छुट्टियों और काम के घण्टों का नियतन करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० राममूर्ति : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(छः) संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये भाग 10-क का अंतःस्थापन)

श्री आनंद पाठक (दार्जिलिंग) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आनंद पाठक : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(सात) राज्य द्वारा निर्वाचनों का वित्तपोषण विधेयक

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचनों का केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषण किये जाने के लिए का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचनों का केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषण किये जाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

(आठ) बेरोजगारी भत्ता संदाय विधेयक

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"देश में बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

(नौ) परिवहन पार्सल सेवा कर्मकार कल्याण विधेयक

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि परिवहन पार्सल सेवा कर्मकारों के कल्याणार्थ उपायों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि परिवहन पार्सल सेवा कर्मकारों के कल्याणार्थ उपायों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अजय विश्वास : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.35 म०प०

दण्ड प्रक्रिया संशोधन विधेयक

(धारा 125 और 127 में संशोधन)

[...जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा अपना भाषण जारी रखें ।

[हिन्दी]

श्री मूल चंद डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, 23 अप्रैल, 1985 का दिन कानून के इतिहास में याद रखने वाला दिन होगा । हिन्दुस्तान की धरती पर एक नया कानून आया और जागरूक महिलाओं को जिससे होश आया । जो मुस्लिम औरतें जागरूक हैं, वे अपने अधिकारियों के लिए समझने लगी हैं । बेजुबान को जुबान आ गई, जिनकी आंखें नहीं थीं, उनकी आंखों में रोशनी आ गई, जिनके होठों को बोलने की शक्ति नहीं थी, उनको बोलने की शक्ति आ गई । कुछ लोग, कहना चाहिए जिनकी जुबान पर "अलाह" का नाम लिखा हुआ है, उन्होंने खुदा का सहारा

लिया और जो कानून पुराना हो चुका था, उसकी तरफ ध्यान दिलाया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, मुसलमानों में इन्सानियत कूट-कूट कर भरी हुई है, उनमें मोहब्बत है, प्यार है, रहम करने की आदत है—सारे गुण मुस्लिम कौम में हैं। एक जमाना था, जब हिन्दू कौम में सती प्रथा थी। सती प्रथा जब कुप्रथा बन चुकी थी, तब उस प्रथा का मुकाबला हुआ, धीरे-धीरे लोगों में जागरूकता आई और उस प्रथा का अन्त हुआ। "मुस्लिम मजहब नहीं सिखाता मुस्लिम औरतों को कैद रखना"—23 अप्रैल, 1985 को जो जजमेंट शाह बानू के केस में हुआ, उससे कानून में एक नया मोड़ आ गया। एक छोटी सी बात—एक आदमी ने शादी की और 43 साल की उम्र में, जबकि उसके आठ बच्चे और नौ बच्चों की वह दादी, तलाक दे दिया। वह वकील, मोहम्मद अहमद खां, कोर्ट में गए, पांच न्यायाधीशों ने, हिन्दुस्तान की सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया, जो कि मुस्लिम कानून के अन्दर हस्तक्षेप नहीं करता, जो मुस्लिम कानून में दखलनदाजी नहीं करता, वह केवल नैतिकता के आधार पर न्याय देना चाहता है, उसने न्याय दिया। जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा-125 के अन्दर दरख्वास्त हुई तो उन्होंने 20 रु० माहवार दिया। हाई कोर्ट ने 179 रु० माहवार कर दिया, लेकिन वकील होने के कारण वह नहीं माना। वह बहुत पुराना अच्छा वकील था, जिसकी 60 हजार रुपए साल की आमदनी थी, वह सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में उस जजमेंट से एक तूफान मच गया। मेहर क्या थी, कुछ नहीं, वह तो निकाह के समय में कभी भी दी जा सकती है, जिन्दगी को ठीक रखने के लिए उसने मांग की। उन्होंने बार-बार कहा—हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया में जो जागरूक महिलायें हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। आज हिन्दुस्तान में लोग काफी जागरूक हो चुके हैं और वे अपने अधिकारों को समझने लगे हैं और जो कानून है, उसके बारे में उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। कानून की बाबत नई-नई बातें आ रही हैं और एक नई बात केरल में पैदा हो गई। इसको सब जानते हैं और मेरे साथी बनातवाला साहब भी जानते होंगे कि जुड़े खां के कांड ने केरल में सी० पी० एम० को मुस्लिम लीग से अलग कर दिया। जुड़े खां के लिए यह हुकुम हुआ कि इसके कोड़े लगाए जाएं और वे कोड़े कैसे होने चाहिए। कम से कम पांच किलो वजन का कोड़ा होना चाहिए और पांच फीट लम्बी तार की टहनी से कोड़े लगाए जाएं।···(व्यवधान)···यह उबाल आना चाहिये थोड़ा-बहुत लेकिन यह उबाल बहुत जल्दी ठंडा होता है। उसका पति एक मिकेनिक था, जो आबू धाबी से आया था। कोर्ट में केस चला और कोड़े बन्द हो गये। एक नई जागृति आई। आज मुस्लिम ला कहता है कि यह हुआ क्यों? यह नैतिकता का तकाजा है और यह धर्म में हस्तक्षेप नहीं है। और असगर अली इन्जीनियर ने क्या कहा है, वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं :

[अनुवाद]

"असगर अली इन्जीनियर के विचारानुसार मुस्लिम स्वीय विधि पूरी से दैवी नहीं है। गरीब तलाक शुदाओं को भरण-पोषण के लिए लगातार धनराशि दिये जाने को उन्होंने कुरान में उद्धरण देकर न्यायोचित ठहराया है।"

[हिंदी]

इस तरह से असगर अली इन्जीनियर ने अपनी बात कह दी। मुस्लिम ला के अन्दर पाकिस्तान में भी इन्क्वायरी हुई और वहां भी एक कमीशन बैठा इसमें उन्होंने कहा कि अब उत्तर देना होगा। इस तरह से समय बदलता है, वक्त बदलता है और वक्त के साथ सब चीजें बदलती हैं।

युग बदलता है और युग के साथ विचार बदलते हैं।…(व्यवधान)…राजनीति की रोटी सेंकने का इनका अपना तरीका होता है। ये क्यों नहीं बदलते हैं। ये बड़े-बड़े लोग होते हैं और अपने तरीके से रास्ता ढूंढना चाहते हैं। इसके अन्दर ये अपनी रोटी सेंकते है। सवाल है उन औरतों का, जो बुर्के के अन्दर लिपटी हुई रहती हैं और अपने अधिकारों को नहीं समझती। नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस बात को समझा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट किया और उस जजमेंट में उन्होंने साफ कहा कि हमें एक कामन कोड बनाना चाहिए। उन्होंने यह नहीं कहा कि किसी को छोड़ो। उन्होंने सरकार को भी यह कहा है कि "इट हेज रिमेंड ए डेड लेटर"। हिन्दुस्तान में अंग्रेजों ने कुछ कानून बना रखे थे लेकिन आज मुस्लिम भाइयों में कुछ जागरूकता आई है और कई महिलाएं बुर्के से बाहर आ गई हैं और वे चुनोती देती हैं उन दकियानूसी ख्यालात को। आज पाकिस्तान में क्या किया। वहां जो औरतें काम करती हैं, उन औरतों को काम करने का मौका नहीं दिया और उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं है।

आप चाहते हैं कि हम पुराने ख्यालात में रहें। मैं नहीं चाहूंगा कि आप जैसा नौजवान व्यक्ति जो कि डिप्टी स्पीकर हो, वह यह बात कहे।

डिप्टी स्पीकर साहब मैं आपको उस ओर ले जाना चाहता हूं जहां से हमारा कानून बना है—ला आफ द लेण्ड बना है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसके दो-चार पैराग्राफ में कोट करना चाहता हूं—

[अनुवाद]

"यह बड़े दुःख की बात है कि कुछ हस्तक्षेप करने वालों ने, जिन्होंने अपीलकर्त्ता का समर्थन किया था, उन महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार को मात देने के लिए अनुचित उत्साह दिखाने का अतिवादी रवैया अपनाया है, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिखित निवेदन में यहां तक कहा गया है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपना भरण-पोषण कैसे करती है इसके बारे में पूछताछ करना भी असंगत है। बोर्ड ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया है कि स्वीय विधि में महिला की जरूरतें पूरी करने के लिए मेहर की व्यवस्था है और यदि महिला गरीब हो तो वह अपने रिश्तेदारों, से जिसमें भतीजे, चचेरे-ममेरे भाई आदि शामिल हैं, भरण-पोषण की उम्मीद करें। कानून के और जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण बिलकुल असंगत है।"

[हिन्दी]

क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि सारा दिमाग ठीक हो गया है। अगर कहीं दिमाग में कचरा रहा भी होगा तो वह भी बाहर आ गया है। इसमें आगे कहा गया है—

[अनुवाद]

"यह बड़े खेद की बात है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 निष्क्रिय ही रहा है। इसमें यह उपबन्ध है कि "राज्य भारत के समस्त भू-क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा।" देश के लिए एक आम सिविल संहिता तैयार करने सम्बन्धी सरकारी कार्यकलाप का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है।"

[हिन्दी]

यह मंत्री जी आपकी तरफ इशारा है। सरकार को चाहिए कि धारा 44 के अन्तर्गत कामन सिविल कोड लाने की कोशिश करे। यह मुस्लिम औरतों की आवाज है जो कि पर्दे से

बाहर आ गई हैं, जिन्होंने अपने आपको पहचाना है, वे समाज और गवनमेंट को कह रही है।

[अनुवाद]

"ऐसी धारणा दृढ़ होती जा रही है कि मुस्लिम स्वीय विधि में परिवर्तन के लिए मुस्लिम समुदाय को ही आगे आना चाहिए। एक आम सिविल संहिता लागू करने से राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी और विधि के प्रति अंतर्विरोधी विचारधाराओं वाली निष्ठा की भिन्नता समाप्त होगी।"

[हिंदी]

आप भारत सरकार के कानून मंत्री से कहें कि वे क्या कानून लाएं।

[अनुवाद]

"डा० ताहिर महमूद ने अपनी पुस्तक" मुस्लिम पर्सनल लॉ (1977 सं० पृष्ठ 200-202) में भारत के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता बनाने के लिए सशक्त तर्क दिए है। उनका कहना है कि—

"धर्म-निरपेक्षता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य को चाहिए कि धर्म पर आधारित स्वीय विधियां लागू करना बंद कर दे।"···मुसलमानों के लिए यह बेहतर होगा कि वे अपनी परम्परागत स्वीय विधि को धार्मिक और राजनैतिक दबाव द्वारा राज्य के विधायी क्षेत्राधिकार से "उन्मुक्त" कराने में अपनी शक्ति व्यर्थ करने के बजाय वे इस बात का पता लगाने का प्रयत्न करें कि सच्चा इस्लामी कानून पुरानी व्याख्याओं को छोड़कर किस प्रकार आम सिविल संहिता को सम्पन्न कर सकता है।"

[हिन्दी]

मुस्लिम भाई भी काफी जागरूक हो गये हैं। उनको भी मालूम हो गया है।

मुस्लिम भाइयों में भी बड़े-बड़े विद्वान् हैं और अलग-अलग विचारों के अलग-अलग लोग हैं। वे यह बात कहें···

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : आप बड़ी कद्र करते हैं उनकी।

श्री मूलचंद डागा : कद्र करने वाला ही कद्र कर सकता है। एक जोहरी ही हीरे की कद्र कर सकता है। मुझे यही सुनाना है। ये सारे जजमेंट्स हैं, इसमें एक-एक वर्ड जो लिखा है, उसको पूरा पढ़ लिया जाए। पाकिस्तान के अंदर जब इसकी रिपोर्ट मांगी गई तो पाकिस्तान में क्या बातें हुई ? वहां पर भी जब औरतों को बुलाया जाता है···।*(व्यवधान)*

पाकिस्तान के अंदर भी मुस्लिम परसनल ला के अन्दर दोनों को बुलाया जाता है शरियत कोर्ट में और पूछा जाता है। यह नहीं कि मनचाहे जब तलाक कर दिया और शादी के समय भी बुलाया जाता है।

(व्यवधान)

इसी प्रकार मलेशिया के अंदर भी, इन्होंने कानून में रद्दोबदल किया है। एक जमाना था जब बीबियों और···**·······**था। आज उनको मना कर दिया है। यह कानून था मुस्लिम परसनल ला के अंदर, उस कानून को बदल दिया गया है। वे जानते थे, कि यह पुराना कानून था, जहां बीबियां···**······थीं,·········**······थीं, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, क्यों कर दिया।

(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री ओवैसी (हैदराबाद) : बीवियां कहां···**···थीं, जो मुंह में आया बोलते जा रहे हैं। इस तरह से हमारे जजबात को मुस्तैल कर रहे हैं, इसको हम बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। बेकार की बातें किए जा रहे हैं। (व्यवधान) ये हमारे जजबात को मुस्तैल कर रहे हैं। (व्यवधान) क्या आप चाहते हैं कि इस पार्लियामेंट के जरिए हिन्दुस्तान के अन्दर हंगामा हो ?

श्री मूलचंद डागा : आप जीते और मैं इसमें हार गया, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं···।

[अनुवाद]

श्री पी० एन० सईद (लक्षद्वीप) : श्री डागा पत्नियों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि मुस्लिम कानून के अनुसार···**···यदि ऐसा ही है तो वह स्रोत के बारे में भी बताएं। वे ऐसे नहीं बोल सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, आप इस टिप्पणी को कार्यवाही में से निकाल दें कि मुस्लिम कानून के अनुसार पत्नियां···**···अन्यथा वे स्रोत या कानून के बारे में बताएं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा।

श्री मूल चन्द डागा : मैंने यहां जो कुछ भी पढ़ कर सुनाया है यह किताब में से ही पढ़ा है।

[हिन्दी]

आज भी सारे कानूनों में बहुत से देशों में···(व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : आप सोर्स बताइए।···(व्यवधान)

श्री ओवैसी (हैदराबाद) : आप मेरे मजहब के ताल्लुक क्यों बोलते हैं। यह गलत बात है। यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा।···(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पहले ही कह दिया था कि पर्सनल लॉ के अन्दर······(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है···(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवला : यह व्यवस्था का प्रश्न है या अनुरोध ? यदि यह अनुरोध है तो इसे रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसे व्यवस्था का प्रश्न ही होना चाहिए और उन्हें यह बताना होगा कि किस नियम के अंतर्गत उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तेजित न हों ? आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? किस विनिर्णय का उल्लंघन हुआ है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, सभी से अनुरोध किया जाये कि इस चर्चा में धार्मिक भावनाओं को शामिल न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपा कर, आप बैठ जाइए।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री मूल चंद डागा : कमीशन आफ मैरिजेस ऑन फैमिली लॉ की रिपोर्ट मैं आपको पढ़ कर बताना चाहता हूं। यह कमीशन पाकिस्तान में एस्टेबलिश किया गया।

[अनुवाद]

"अलामा इकबाल के शब्दों में निकट भविष्य में जिस प्रश्न का मुस्लिम देशों को सामना करना पड़ेगा वह है—क्या इस्लाम का कानून विकासोन्मुख होने की क्षमता रखता है ? यह ऐसा प्रश्न है जिसके लिये काफी बौद्धिक कसरत करनी होगी और निश्चय ही इसका उत्तर 'हां' में होगा।

[हिन्दी]

यह आपकी फाइन्डिग्स हैं। जो परिवर्तन कानून में हुआ है वह नैतिकता के आधार पर हुआ है। यह कानून का परिवर्तन जो है वह पर्सनल लॉ में नहीं है। उन्होंने लोगों के हकों की रक्षा करने के लिये नैतिकता के आधार पर किया है। जो कानून आपने पेश किया है इसको जनता की राय मांगने के लिये प्रचलित किया जाये। सारे हिन्दुस्तान की जनता उसको प्रचलित करने के बाद अपनी राय दे। उसके बाद सदन उस पर विचार करे। इसीलिये मैंने यह मोशन मूव किया कि :

[अनुवाद]

"कि इस विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित किया जाए।"

[हिन्दी]

मैं आपके चैप्टर को क्लोज नहीं करना चाहता था। सब लोगों की राय जान ली जाये। मैं फिर कह देना चाहता हूं कि मैंने आपके कानून के बारे में एक शब्द नहीं कहा है। पर्सनल लॉ रहेगा लेकिन जब मारेलिटी का सवाल आता है तो उनके अधिकारों की रक्षा की जायेगी। इसके लिये हमारा फर्ज बनता है इसलिये कामन कोर्ट की आवश्यकता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि कामन कोर्ट होना चाहिये।

श्रीमती आबिदा अहमद (बरेली) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमें इस बात पर नाज है कि हमारे मुल्क में हमारी सरकार सेक्युलर है जहां हरेक को मजहबी असूलों और आईन पर चलने की आजादी है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 125 का सेक्युलर होना बाइ ताहिरा और फसल बी के मुकदमों में तय हो चुका था।

बिला वजह सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाह बानो के मुकदमें में नान नुफका यानी मेंटीनेंस की बात मुस्लिम पर्सनल लॉ को बीच में डालकर क्यों लाई गई।

4.00 म०प०

सुप्रीम कोर्ट के हालिया जजमैंट में जिस तरह से शरियत को पेश किया गया है, उसका बहुत तकलीफदेह असर पड़ा है। जजमैंट में एक हवाला ऐसा दिया गया है जो औरतों से मुताल्लिक है लेकिन उसकी वजाहत नहीं की गई, यानी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो हवाला देने की क्या जरूरत थी। मैं इसे आपके सामने कोट करना चाहती हूं—

[अनुवाद]

और यह कहा जाता है कि इस्लाम की बुरी बात यह है कि वह महिलाओं का सम्मान नहीं करता है।

[हिन्दी]

यह इल्जाम सरासर गलत है। औरतों के हकूक जो शरियत में दिये गये हैं, वे इस तरह से हैं : उनको अपने वाल्दायन को जायदाद में से हिस्सा मिलता है। वे जो खुद कमायें वह तो उनकी अपनी मलकियत है ही, यानी वही उसकी मालिक है। उसे शौहर से मैंहर मिलती है जो शौहर की माली हैसियत के मुताबिक तय की जाती है। उसकी शादी, उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। इस मामले में मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहती हूं जो मैंने अपनी आंखों देखा और सुना है।

एक जगह कोई लड़की अपनी शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन उसके मां-बाप ने अपने पुराने खानदानी ताल्लुकात, जो लड़के वालों से थे, उसकी बिना पर शादी तय कर दी। वह बेचारी कहते-कहते चुप हो गई। उसकी एक न चली। जब शादी का दिन आया और बड़े धूम-धड़ाके के साथ बारात आई तो उस दिन, जैसा हमारे यहां एक तरीका होता है कि वकील और गवाह जाकर लड़की से इजाजत लेते हैं और पूछते हैं कि आया उसको इस लड़के से शादी करना मंजूर है या नहीं, उसके मुताबिक जब वे लोग लड़की से पूछने के लिए गए, तो उसने कह दिया—"जी नहीं।" उन्होंने उससे दोबारा फिर पूछा, शायद उनके कानों ने गलत सुन लिया हो कि तुम्हें इस लड़के से इतनी मैंहर पर शादी करना मंजूर है या नहीं, जैसा हमारे यहां रिवाज है, तो उस लड़की ने फिर मना कर दिया—जी नहीं। उन्होंने फिर तीसरी बार पूछा और तीसरी दफा भी उस लड़की ने कह दिया—जी नहीं। उसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने बाहर जाकर भरी महफिल में एलान कर दिया कि लड़की को यह शादी मंजूर नहीं है। सारी बारात वापस लौट गई। इस वाकयात से आप अन्दाज लगा सकते हैं कि हमारे यहां लड़की की अजमत कितनी ज्यादा है, इस्लाम में। लड़की की मर्जी के बगैर उसकी शादी कहीं नहीं हो सकती। यदि औरत खुद तलाक चाहे तो ले सकती है। तलाकशुदा औरत को इद्दत की मुद्दत तक शौहर से मेंटीमेंन्स मिलती है। कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई न देना चाहे तो न दे लेकिन उसे इद्दत से मुद्दत तक मेन्टीनेंस मिलती है। औरत का हिस्सा उसके शौहर की जायदाद में भी होता है।

एक जगह सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट में दिया गया है जो शरियत के बहुत कहीं मुख्तलिफ है—

[अनुवाद]

"निस्संदेह मुस्लिम पति को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह जब कभी चाहे अच्छे-बुरे या असंगत अथवा बिना किसी कारण के भी अपनी पत्नी को छोड़ दे।"

[हिन्दी]

इसके जवाब में मैं अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली का अंग्रेजी तरजुमा आपको पढ़ कर सुनाना चाहूंगी जो कुराने-करीम की आयत "सूरे निसा" से लिया गया है—

"इफ, यी फीयर ए ब्रीच
बिटवीन दैम ट्वेन;
अप्वाइंट (टू) आर्बिट्र्स;
वन फ्राम हिज फैमिली
एण्ड टू अदर्स फ्राम हर्ट्स;
इफ वे विश फार पीस

गाड विल काज देयर रिकन्सीलियेशन,
फार गाड हैथ फुल नॉलेज,
एण्ड इज एक्वेंटेड विद आल थिंग्ज।"

4.02 म०प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए]

इससे साफ जाहिर है कि तलाक की इजाजत उन हालात में ही है जब तमाम कोशिशें नाकामयाब हो जाएं, जो कि कुरान में दी गई हैं यानी अजदवाजी जिन्दगी यानी मैरिड-लाइफ को बरकारर रखने की तमाम कोशिशें नाकामयाब हो जाएं तभी तलाक हो सकता है। मैरिड लाइफ में औरत को बगैर किसी वजह के तलाक नहीं दिया जा सकता, कुरान शरीफ में यह फोर-बिडन है, इसकी सख्त मुखाल्फत है, ममनू है।

मैहर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजमैंट में, शाह बानो के केस में यह कहा गया है कि—

[अनुवाद]

"मुस्लिम स्वीय विधि के अनुसार मैहर ऐसी राशि नहीं है जो तलाक के समय देय हो।"

[हिन्दी]

और इसलिए सैक्शन 127 के तहत नहीं आता यानी जो फैसला पहले बाई ताहिरा के केस में दिया गया था, शाहबानो के केस में सुपीम कोर्ट ने उसे ओवररुल कर दिया। अब अगर सम पेयेबल ऑन डाइवोर्स से मुराद, जो सैक्शन 125 में दिया गया है, मैहर नहीं है तो और क्या है?

हमारे मिर्धा साहब, जिस जमाने में यहां मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होते थे तो उन्होंने इसके मुताल्लिक जो कुछ कहा था, वह मैं जरा आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहती हूं—

[अनुवाद]

"तलाकशुदा महिलाएं खण्ड 125 की परिधि में शामिल की गई हैं किंतु खंड 127 में इस संशोधन से एक पाबन्दी लगाई गई है, वह यह है कि स्वीय विधि के अन्तर्गत उसे देय राशि अदा किए जाते हैं। भरण-पोषण आदेश लागू नहीं रहेगा। यह रूढ़ीवादी व्याख्या या रूढ़ीवादी विचारों और समस्या के प्रति उदार रवैये के बीच यह एक स्वस्थ समझौता है। हम थोड़ा आगे बढ़े हैं किंतु हमने मुस्लिम महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया है।"

[हिन्दी]

सुप्रीमकोर्ट ने शाहबानो के केस के जजमेंट में जिस तरह से शरियत को पेश किया है और कुरान शरीफ का जगह-ब-जगह हवाला दिया है वह इसलिए दुरुस्त नहीं है क्योंकि बगैर मजहब से पूरी वाक्फियत हासिल किए हुए, फिकह हदीस इजमा से बगैर मालूमात हासिल किए हुए कुराने कदीम का हवाला नहीं दिया जा सकता। यही वजह है कि इस जजमेंट ने मुसलमानों के दिलों में हीजान सा बरपा कर दिया है और उनके मजहबी जजबात को दुख बिना पहुंचाया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह ऐसा कानून बनाए जिसकी बिना पर बार-बार पर्सनल ला को

न छेड़ा जाए और जो परेशानकुन फिजा शाहबानो के केस ने पैदा की है और जो उसके तास्सुरात जगह-ब-जगह पाए जा रहे हैं उन्हें खत्म करे। ताकि आइंदा कोई शिकायत न हो और शरीयत को गलत तरह से पेश न किया जाए। शरीयत इस्लाम का दिल है, इसे एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय मुस्लिम महिलाओं की दयनीय दशा पर बहुत गम्भीर वाद-विवाद चल रहा है। हमारे देश में उन पर अभी भी वे पुराने रीति-रिवाज लागू हैं जो कि किसी भी सभ्य समाज के लिए बड़े शर्म की बात है। मैं अपने माननीय मित्र श्री बनातवाला साहब का आभारी हूं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी को चर्चा का अवसर दिया।

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन तथा मुहम्मद अहमद खां बनाम शाह बानू बेगम के मामलों में दिये गए दो ऐतिहासिक निर्णयों की वजह से कुछ निहित स्वार्थों को हुई परेशानी से उन्हें बचाना। पहले मामले में उच्चतम न्यायालय की खण्ड पीठ ने यह निर्णय दिया था कि यदि तलाक के समय दी गई राशि उस महिला के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त न हो तो धारा 127 के खण्ड (3) का उप-खंड (ख) लागू नहीं होगा और पति को धारा 125 के अनुसार भरण-पोषण के लिए धनराशि अदा करनी ही पड़ेगी। मैं सम्बद्ध भाग को पढ़ कर सुनाता हूं :—

"अत: प्रस्ताव यह है कि कोई भी पति अपनी तलाकशुदा पत्नी के प्रति धारा 125 के अन्तर्गत निर्धारित दायित्वों से छुटकारे के लिए तब तक धारा 127(3) (ख) के अन्तर्गत दावा नहीं कर सकता जब तक कि इस बात का सबूत न पेश कर दे कि प्रथा या स्वीय विधि के अन्तर्गत ऐसी निर्धारित राशि, जो भरण-पोषण भत्ते के लिए न्यूनाधिक पर्याप्त हो, अदा कर दी है।"

यह बिलकुल स्पष्ट है कि यदि तलाक के समय पति पर्याप्त राशि अदा करता है तो पत्नी को धारा 125 के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त करने के लिए न्यायालय जाने का हक नहीं है। मैं श्री बनातवाला साहब का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था। किंतु उन्होंने ऐसा कोई संतोषजनक तर्क नहीं दिया कि यह निर्णय मुस्लिम समुदाय की स्वीय विधि में किस तरह हस्तक्षेप करता है। महोदय मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। इससे तो यही पता चलता है कि यदि अदा की गई राशि पर्याप्त हो तो ठीक है। किंतु यदि राशि पर्याप्त न हो तो महिलाओं को न्यायालय में जाने और धारा 125 के अन्तर्गत सुरक्षा प्राप्त करने का पूरा-पूरा अधिकार है। धारा 125 का उद्देश्य क्या है। इसे दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल क्यों किया गया? यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का कानून है और देश के सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी जाति अथवा समुदाय के हों। (व्यवधान) यह धारा 125 धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का कानून है (व्यवधान) इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि देश में स्वेच्छाचारी अथवा आश्रयहीन लोग हों। इसीलिए इस धारा को दण्ड प्रक्रिया संहिता में शामिल किया गया था और यह उच्चतम न्यायालय के खण्ड पीठ के विचारों के अनुरूप है। उच्चतम न्यायालय के पूर्ण पीठ द्वारा मोहम्मद अहमद खां बनाम शाह बानू बेगम के मुकद्दमे में अपना फैसला दिया था और यह फैसला अत्यन्त विवादपूर्ण बन गया है। इसमें विद्वान न्यायाधीशों ने क्या कहा है? फैसले में स्पष्ट

रूप से यह कहा गया है कि यदि किसी मामले में धारा 125 और धारा 127 को लेकर विवाद उठ खड़ा होता है, तो धारा 125 ही मान्य होगी।

श्री अजीज सेट : आप यह धारा पढ़ क्यों नहीं देते ?

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि······

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्हें यह मालूम नहीं है कि श्री बनातवाला इस धारा में संशोधन करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री सुरेश कुरूप : मुझे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सेट आपको भी समय दिया जाएगा।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, इस फैसले में भी उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि मुस्लिम स्वीय विधि और धारा 125 के बीच कोई विवाद नहीं है। मैं फैसले का पैरा 14 उद्धृत करता हूं जिसमें कहा गया है कि :

> "क्योंकि मुस्लिम स्वीय विधि, जो तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण देने के पति के दायित्व को इद्दत की अवधि तक सीमित करती है, में धारा 125 की परिस्थितियों का समावेश नहीं है और ऐसा मानना गलत होगा कि अपनी स्वीय विधि के अनुसार इद्दत की अवधि के बाद मुस्लिम पति तलाकशुदा पत्नी के भरण-पोषण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं क्योंकि तलाकशुदा पत्नी हो तो अपने भरण-पोषण में असमर्थ होती है। इसलिए अपील-कर्त्ता का यह तर्क कि मुस्लिम स्वीय विधि के अनुसार तलाकशुदा पत्नी के भरण-पोषण की उसकी जिम्मेदारी, इस बात के बावजूद कि पत्नी अपने भरण-पोषण में असमर्थ है, इद्दत तक ही है, नामंजूर किया जाता है।"

अतः यह स्पष्ट है कि मुस्लिम स्वीय विधि और धारा 125 में कोई विवाद नहीं है। यदि पत्नी अपने भरण-पोषण में असमर्थ होने पर ही यह कानून लागू होगा और पति पत्नी को भरण-पोषण के लिए पैसा देने को बाध्य होगा।

मेहर के बारे में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि विवाह के समय दी गई राशि तलाक के समय दी गई राशि नहीं है। विवाह के समय दी गई राशि तलाक के मुआवजे में दिये जाने वाला धन नहीं हो सकता। यह विचार इस मुकद्दमे में उच्चतम न्यायालय के पूर्ण पीठ द्वारा व्यक्त किया गया था। यह फैसला देश में सभी प्रतिक्रियावादी तत्वों के लिए सिर दर्द बन गया है।

महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यदि इस देश में बहुसंख्यक हिंदु समाज मनु स्मृति का अनुकरण करना शुरू कर दे तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा ? जब भी हिंदु समुदाय में सुधार करने के प्रयत्न किए गए प्रतिक्रियावादी तत्वों ने इसका विरोध किया। जब सती प्रथा समाप्त की गई तो भी बहुत हो-हल्ला हुआ। जब बाल-विवाह को रोकने के लिए विधेयक विधान सभा के समक्ष रखा गया तो भी···

सभापति महोदय : एक मिनट, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं सदन का मत प्राप्त करना चाहता हूं। 10-5-1985 को चर्चा के लिए दो घण्टे दिए गए हैं। इसे 1 घण्टा बढ़ा दिया गया है। अब निर्धारित समय पूरा हो चुका है। आप कितना समय चाहते हैं ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : यह एक गम्भीर मामला है। इस पर और चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय : क्या हम समय 1 घण्टा और बढ़ा दें ?

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : हम इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं।

सभापति महोदय : अतः, आज हम इस विधेयक पर चर्चा समाप्त करेंगे।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, जब बाल-विवाह को समाप्त करने के लिए तीसरे दशक के अंत में शारदा विधेयक लाया गया था, तो भी हिंदु समुदाय के प्रतिक्रियावादी तत्वों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। 1950 में हिंदु संहिता बनाई गई थी तब भी प्रतिक्रिया हुई थी। प्रत्येक आंदोलन का चाहे वह हिंदु समाज में बड़ा सुधार करने वाला हो अथवा छोटा प्रतिक्रियावादी तत्वों द्वारा उसका कड़ा विरोध किया गया है।

मेरे साथी बनातवाला साहब और इब्राहिम सुलेमान सेट साहब, हमारे राज्य में मुस्लिम समाज के निर्विवाद नेता हैं (व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री सुरेश कुरूप : उन्हें अपने समुदाय को सुधारने के काम में अगुवा होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश श्री बनातवाला इस पुराने रिवाज के पक्ष में सभी प्रकार के पुराने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे ऐसा कहते हुए खेद हो रहा है।

महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समुदाय के ही कई न्यायधीशों के ऐसे निर्णय हैं जिनमें भरण-पोषण के लिए अनुमति दी गई है। मैं जस्टिस खालिद का उस समय का निर्णय उद्धृत करना चाहता हूं जब वह केरल हाई कोर्ट में न्यायधीश थे। 9 वर्ष पूर्व 1976 में मोहम्मद बनाम सैनाबी के मुकद्दमे में उन्होंने भरण-पोषण की याचिका मंजूर की थी और मेहर की अदायगी पर उनकी राय यह थी :

> "मेहर की अदायगी से भरण-पोषण का दावा समाप्त नहीं हो जाता क्योंकि मेहर का दावा पत्नी को प्राप्त एक महत्वपूर्ण अधिकार हैं और यह दावा पति की सम्पति पर प्रभार है।"

मेहर के बारे में उनकी यह राय है। वह आगे कहते हैं :

> "जहां तक केरल के मुसलमानों का प्रश्न है ऐसी कोई प्रथा नहीं है, जिससे पत्नी द्वारा भरण-पोषण का दावा प्रथाओं के अनुसार देय धन की अदायगी से रद्द होता हो।"

यह निर्णय बहुत विद्वान् मुस्लिम न्यायधीश ने 1976 में भरण-पोषण की याचिका को स्वीकृति देते हुए दिया था। मुस्लिम कानून एक व्यक्ति को चार विवाह करने की अनुमति देता है। जहां तक मैं समझता हूं वह पांचवीं शादी भी कर सकता है और वह शादी मान्य होती है (व्यवधान) बहरहाल, वह चार विवाह कर सकता है। मैं बनातवाला साहब से पूछना चाहता हूं कि वह किसी महिला की दूसरी या तीसरी शादी के बारे में क्या कहना चाहते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : उसके लिए एक पति ही पर्याप्त सिरदर्दी है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : मुस्लिम स्वीय विधि के अन्तर्गत पुरुष पिता की सम्पत्ति में दो हिस्से पाने का अधिकारी है जबकि महिला केवल एक हिस्से की अधिकारी है। मुस्लिम स्वीय विधि में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रत्येक पुरुष गवाह के स्थान पर दो महिला गवाह होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे माननीय साथी की इस बारे में क्या राय है। मैं बनातवाला साहब से एक बड़ा सरल सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये सभी बातें तब उठीं जब मुस्लिम महिलायें न्यायालय में गईं और भरण-पोषण के लिए दावे किए। क्योंकि उन्होंने निचली अदालत से उच्चतम न्यायालय तक भरण-पोषण के अधिकार का दावा किया, न्यायालय ने भरण-पोषण की याचिका मंजूरी की और मुस्लिम स्वीय विधि की व्याख्या की। वे अपने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं से न्यायालयों में न जाने के लिए कह सकते थे और इस प्रकार मुस्लिम स्वीय विधि का पालन···

एक माननीय सदस्य : हर स्थान पर गलत किस्म के लोग होते हैं।

श्री सुरेश कुरुप : वह उनसे कह सकते थे "भले ही तुम्हें तलाक दे दिया गया हो और यदि तुम्हें मेहर के रूप में केवल 4 रुपये ही दिए गए हैं तो भी तुम उन्हें लेकर चली जाओ, तुम्हें न्यायालय में नहीं जाना चाहिए।" मैं बताना चाहता हूं कि स्वयं बनातवाला साहब के निर्वाचन क्षेत्र, पोन्नानी में, मंजेरी न्यायालय में भरण-पोषण याचिकाओं की अधिकतम संख्या तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं द्वारा दी गई याचिकाओं की है। यदि वह एक मिनट के लिए भी उस अभागी महिला के बारे में सोचते जिसने अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था और उसके पास जीवन-निर्वाह का कोई साधन नहीं था, तो वह ऐसे तर्क सामने न रखते और यह विधेयक न लाते। ऐसा उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है। (व्यवधान) उनके तर्क कुछ भी हों, ये अभागी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में न्यायालयों में जा रही हैं और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त करना चाहती हैं।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर कई सदस्य बोलना चाहते हैं। आप अपनी बात समाप्त करने का प्रयत्न कीजिए।

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। कृपया मुझे कुछ समय और दें। मैं केवल मुख्य बातें कह रहा हूं।

पिछले दिन यह विधेयक पेश करते समय श्री बनातवाला साहब ने इस महान सदन में यह कहने का साहस किया था कि इस देश में एक मुसलमान की अध्यक्षता में अलग शरीयत न्यायालय बनाए जाने चाहिए। इब्राहीम सुलेमान सेट साहब, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, ने कोचीन में कहा था और जिसके बारे में 25 जून के 'हिन्दु' में भी आया है, जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "इंडियन यूनियन मुस्लिम के अध्यक्ष श्री इब्राहीम सुलेमान सेट ने 14 जून को 'शरीयत संरक्षण दिवस' मनाने का जोरदार पक्ष लिया है और उन्होंने कहा है कि यदि सरकार मुस्लिम समुदाय को शरीयत का 'अपराधिक पक्ष' भी मानने की अनुमति दे दे तो वह इसका स्वागत करेंगे।"

उन्होंने सोमवार को एक सम्मेलन में कहा कि :

"अपराध सम्बन्धी शरीयत कानूनों का अनुपालन करने से अपराध कम करने में मदद मिलेगी।"

मैं जानना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ दल कांग्रेस आई के इस सम्बन्ध में क्या निर्णय है और केरल के उप मुख्यमन्त्री श्री आबुकेदार कुट्टी नाहा डा.केफ ने स्वयं शरीयत संरक्षण दिवस का जिक्र करते हुए कहा है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय चाहे कुछ भी हो, हम इसे नहीं मानेंगे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐसा कहा है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि······की राय क्या है?

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : सभी लोगों को ऐसी हिम्मत दिखानी चाहिए।

श्री सुरेश कुरुप : मुझे इस हिम्मत पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में सत्तारूढ़ दल का क्या निर्णय है। यूनियन मुस्लिम लीग···

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : डागा जी ने कुछ और कहा है आप कुछ और कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : दल स्वीय विधि में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : कांग्रेस (आई) सदस्यों का इसके बारे में क्या कहना है? यूनियन मुस्लिम लीग अलग शरीयत न्यायालय की मांग कर रही है जिसमें भारत में शरीयत के अपराधिक पक्ष के मुकद्दमों पर विचार किया जा सके और उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्णय हो हम उसे नहीं मानेंगे। वह ऐसा कह रहे हैं और केरल में उनकी और आपकी मिली-जुली सरकार है। इब्राहीम सुलेमान सेट साहब और बनातवाला साहब दोनों इस मिली-जुली सरकार के साथ हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, मैं केवल यही जानना चाहता हूं। महोदय, आप जानते हैं कि यह···अनुसरण में है।

(व्यवधान)

इब्राहीम सुलेमान सेट साहब का यह वक्तव्य कि जमायत, एक साम्प्रदायिक संगठन, ने त्रिवेंद्रम में यह निर्णय दिया कि बेचारी मुस्लिम महिला को 101 कोड़े लगाए जाने चाहिए और उसके बाल काट दिए जाने चाहिए। मैं फिर जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या राय है।

सभापति महोदय : वहां पर सरकार ने कार्यवाही की है।

श्री सुरेश कुरुप : कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सरकार की क्या राय है?

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। प्रेस सम्मेलन में मुझसे त्रिवेंद्रम बीमापल्ली···घटनाओं के बारे में मुझसे एक प्रश्न पूछा गया। मैंने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि भारत में इस्लाम अपराध कानून लागू नहीं है। अतएव कानून अपने हाथ में लेना उनके लिए गलत है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं चाहूंगा कि देश के मुसलमानों के लिए सरकार इस्लाम का अपराध कानून लागू करे। मैंने कहा, हां। यदि सरकार ऐसा निर्णय करे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं इसका स्वागत इसलिए करूंगा क्योंकि इससे अपराध कम होंगे।

सभापति महोदय : आपकी बारी आएगी कृपया आप तब बोलें।

श्री सुरेश कुरुप : यह आपकी नीति है और जमायत त्रिवेंद्रम में यह नीति अपना रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई व्यक्ति अथवा साम्प्रदायिक संगठन समानांतर न्यायालय, अपराध प्रक्रिया संहिता और दण्ड संहिता चला सकता है और क्या वे सजा दे सकते हैं। इस मामले में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और केरल सरकार ने क्या कदम उठाया है। जब यह सब हो रहा था तो कांग्रेस (आई) के सभी मंत्री मंत्रालय की जंजीरों में बन्धे हुए सुखपूर्वक बैठे थे। सत्तारूढ़ दल की इस संबंध में क्या राय है ? मुझे गर्व है कि हमारे दल ने इस विवाद में दृढ़ रवैया अपनाया है···(व्यवधान) श्री कुरियन मैं हार नहीं मान रहा हूं। मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरे दल ने इस स्थिति तथा विवाद में दृढ़ दृष्टिकोण अपनाया है। इसीलिए डेमोक्रेटिक फ्रंट में हमारे गठजोड़ वाले अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने हमारा फ्रंट छोड़कर इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग में जा मिली और केरल के मुख्य मंत्री, श्री करुणाकरन ने इसका हार्दिक स्वागत किया।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसीलिए आपको छोड़ दिया गया।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश कुरुप : ये लोग बार-बार मुझे टोक रहे हैं। इन सभी स्थितियों में इण्डियन मुस्लिम लीग की स्थिति के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं जो जानना चाहता हूं वह यह है कि इस देश में सत्तारूढ़ दल की क्या स्थिति है जो राष्ट्रीय अखंडता, एकता, धर्मनिरपेक्षता आदि का प्रचार करता है। उनकी क्या स्थिति है ?

अन्त में मैं फिर बनातवाला साहब को याद कराना चाहता हूं कि अन्य मुस्लिम देशों में क्या हो रहा है। मैं समझता हूं कि बनातवाला साहब को मिस्र में होने वाले सुधारों की और सिद्धांतवादियों की प्रतिक्रिया की जानकारी है। मैं जानना चाहता हूं कि उनका अपना पक्ष क्या है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है ? पाकिस्तान में शरीयत के क्रूर कार्यान्वियन के खिलाफ लड़ रहे लोकतांत्रिक तत्वों के बारे में इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग की क्या स्थिति है। मैं उनकी राय जानता हूं क्योंकि वे दोनों ही पाकिस्तान जाकर जिया-उल-हक से मिले और उन्हें बताया कि भारत मे भारत सरकार भी मदद से मुसलमानों को सताया जा रहा है। यही उन्होंने किया है···

श्री जी० एम० बनातवाला : इनकी बात बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ भारत के मुसलमानों के उत्पीड़न के बारे में ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बातचीत पाकिस्तान में भारत के राजदूत की उपस्थिति में हुई। वह शुरू से अन्त तक हमारे साथ रहे। यह मालूम होना चाहिए··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : शान्त रहिए, शान्त रहिए।

श्री सुरेश कुरुप : मुस्लिम देशों में एक सी शरीयत नहीं है। जिस शरीयत का अब वह पक्ष ले रहे हैं वह 1973 में अंग्रेजों द्वारा कार्यान्वित की गई शरीयत है। और मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : सभापति महोदय, जहां तक ऐसी चर्चा का संबंध है, आप बहुत उदारहृदय हैं।

आरम्भ में मैं यही कहूंगा कि यदि आप वास्तव में इस विधेयक के साथ न्याय करना चाहते हैं तो यह समूचे सदन का तीन आधारभूत सिद्धान्तों पर ध्यान आकर्षित करता है। वह है (एक) धर्म और समाज, (दो) धर्म और कानून और (तीन) धर्म और नैतिकता।

सभापति महोदय, आपको याद होगा कि 16 वीं और 17 वीं शताब्दी में कट्टर हिंदुओं तथा समस्त हिन्दू समाज का धारणा में बहुत अधिक विश्वास था कि हिन्दू पत्नी को पति के साथ ही जलाया जायेगा और ऐसी ही प्रथा भी थी। वे मनु उपनिषद काल से ही वेदों से उद्धरण आदि देते रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं राजा राम मोहन राय बंगाल में इस बुराई के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये आगे आये तथा एक नया सामाजिक सुधार किया जिसे हिंदुओं : स्वीकार किया था तथा कट्टर हिंदू भी इसके विरुद्ध नहीं बोल सके। यह बात इस विधेयक के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। मैं जो बताना चाहता हूं वह यह है कि पूरे विश्व में हमारा देश ही एक मात्र ऐसा उदाहरण है जहां सभी धर्मों की रक्षा उनकी जटिलताओं तथा प्रथाओं के साथ की जाती है तथा संविधान द्वारा उन्हें मौलिक संरक्षण दिया गया है। संभवत: विश्व में यहां तक कि लोक तंत्रात्मक देशों में यह एकमात्र देश है जहां ऐसा अद्वितीय उदाहरण विद्यमान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धन्य-वाद के योग्य है जिसने देश में इस प्रक्रिया को समेकित किया।

सभापति महोदय, कुछ कट्टर हिन्दू हैं, कुछ कट्टर सिख हैं, कुछ कट्टर मुस्लिम हैं—हाल ही में पंजाब घटना यह स्पष्ट कर दिया है हमें इतना बलिदान करना श्रीमती इन्दिरा गांधी को अपना जीवन तक देना पड़ा। आप समझते हैं कि उग्रवादियों : लोंगोवाल पर कुछ दबाव डालने का प्रयत्न किया, किंतु वह उस दबाव में आये नहीं।

श्रीमान, मेरा यह विश्वास उचित ही है कि श्री बनातवाला जी ने सभा में यह विधेयक इसलिए प्रस्तुत किया कि संसद से बाहर तनाव कम हो और लोकतांत्रिक तरीके अनुमोदन हो जाये जिससे ऐसा वातावरण ब गा कि बाहर बिना कोई झगड़ा हुए लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर ही समस्या का समाधान हो सके। यदि उनकी यह भावना है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। किंतु कुछ मुद्दों के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा।

सर्वप्रथम धर्म तथा समाज धर्म समाज का अनुकरण करता है तथा समाज धर्म का। मैं इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों के बारे में कुछ कह : के लिए पूर्ण रूपेण सक्षम नहीं है क्योंकि मैं यह दावा नही कर सकता कि मैं कुरान का विशेषण हूं किन्तु मैं समझता हूं कि अन्तत: प्रत्येक भग-वान अथवा पैगम्बर का संदेश यह है कि मानव के प्रति दया होनी चाहिए। जो इस संदेश का अन्त तक पालन करता है वहीं ईश्वर का सच्चा भक्त है। इस तरह की कई और व्याख्यायें हो सकती हैं जो बहुत भिन्न हो सकती हैं किन्तु ईश्वर के अन्तिम संदेश को कानून का रूप दिया जाना चाहिए। यह बात नहीं है कि सिर्फ मेरी व्यक्तिगत भावनाओं का ही महत्व है। मैं पूरी तरह मह-सूस करता हूं कि हमारे समाज में मुसलमान समुदाय की यह काफी दृढ़ भावना है कि कुछ मामलों में उनके व्यक्तिगत मामलों में देश के कानून से अथवा राजनैतिक ताकतों के किसी प्रयोजन से अतिक्रमण किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद कट्टर हिन्दुओं तथा कुछ आलोचकों ने गलत तरीकों से मुसलमान औरतों की छवि को इस हद तक बिगाड़ा है कि सामान्य मुसलमान अन्यथा जिनका इस से मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है, : भी अपने दिल में इस बात का बहुत बुरा माना है कि हमारी बेइज्जती हो रही है और हमारा धर्म खतरे में है। मैं यह बात नहीं है कि मैं इसे इसलिए जानता हूं कि मैं हिंदू और मुसलमानों से मिलता जुलता रहता हूं किन्तु यह भावना फैली हुई है और यदि आप ऐसा हो : देंगे तो ये बातें सभा के वश के बाहर हो जायेंगी।

इसलिए, मैं स्वयं यह महसूस करता हूं कि इस सभा में हम में से किसी को भी अथवा बाहर किसी को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे और अधिक उलझाव आये और जो सामान्य रूप से औरतों की भावनाओं को छुए और मुसलमान औरतों की छवि को प्रभावित करे।

श्रीमान्, मैं सदस्यों द्वारा किए गए योगदाने के बारे में बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं उनकी इस बात के बारे में नहीं कहना चाहता कि मुसलमान पति चार बार शादी करते हैं आदि आदि। उदाहरणार्थ, मैं एक हिन्दू हूं। हिन्दू पति अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता है ? वे कितनी रीति-रिवाजों का पालन करते हैं ? विवाह-विच्छेद के बाद वे क्या करते हैं ? विवाह विच्छेद के बाद भी 125 के अन्तर्गत नियम के अनुसार याचिका दायर करा तथा भरण पोषण का खर्च प्राप्त करने की व्यवस्था है। विधि मन्त्रालय से उपलब्ध सूचना के आधार पर क्या आप यह बता सकते हैं कि उन्होंने कितनी बार हिन्दू औरतों को उनका भरण पोषण का खर्च दिलाने संबंधी कानून के अन्तर्गत उन्हें संरक्षण दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 90 प्रतिशत निर्धन तलाकशुदा महिलायें न्यायालयों का सहारा नहीं ले सकतीं और वे बड़ी दयनीय स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करती है या वेश्यावृत्ति का सहारा लेती है। आप जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मीड़िया में महिलओं की स्थिति के बारे में क्या दिया गया है। यह हिन्दू महिलाओं अथवा मुस्लिम महिलाओं का प्रश्न नहीं है। प्रश्न मूल भूत रूप से यह है कि हमारे देश में समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। चाहे हिन्दू महिला हो अथवा मुस्लिम उसके विवाह विच्छेद के बाद उसकी स्थिति ऐसी होती है कि सिर्फ भगवान ही उसका ध्यान रखता है और कोई नहीं। न मैं बचा सकता हूं और न श्री बनातवाला। आप कानूनी संरक्षण की व्याख्या कर सकते हैं ; आप कुरान के प्रचलित वाक्यों तथा संविधान के मूलभूत सिद्धातों से कई तर्कों की व्याख्या कर सकते हैं। किंतु इस समाज की वास्तविकता यह है कि जो अमीर अथवा सम्पन्न लोग हैं उनसे अलग व्यवहार किया जाता है तथा अलग ढंग से कानूनी संरक्षण की व्याख्या की जाती है। और जो गरीब हैं उनके लिए कानून बहुत व्यय साध्य है, सभापति महोदय। यहां तक कि इस देश में कानूनी सहायता के रूप में कानूनी संरक्षण एक मजाक-सा बन गया है सभापति महोदय, मैं यह जानता हूं। यदि आप दहेज के कारण महिलाओं हिन्दू महिलाओं को मृत्यु का उदाहरण लें, यदि आप तलाकशुदा पत्नियों की दयनीय स्थिति का उदाहरण ये आप पायेंगे कि अधिकांश मामलों में इसका अन्त आत्म हत्या होता है क्योंकि उन्हें न्याय बिल्कुल नहीं मिल पाता। इस देश में कितने वकील ऐसे होंगे जो बिना फीस लिए उनकी याचिका को कोर्ट तक ले जायेंगे। हाई कोर्ट तक तो कुछ किया जा सकता है किन्तु लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वे कैसे पहुंच सकते हैं यह एक सामाजिक समस्या है।

इसलिए, जब मैं धर्म और समाज की बात करता हूं, यदि श्री बनातवाला मुस्लिम धर्म और सिद्धांतों का प्रचार करते हैं और मैं गीता और अन्य ग्रन्थों की बात करता हूं तो उससे मुझे सन्तोष प्राप्त होगा तथा उनका धर्म सम्बन्धी अहम् सन्तुष्ट होगा किन्तु उससे समाज को कोई सन्तोष नहीं होगा। अतः मूल बात है, देश में आर्थिक स्थिति तथा गरीबी। एक मुललमान औरत जिसे तीन महीनों की अवधि में होा वाले निर्णय के समय में प्रर्याप्त धन नहीं मिलता स्वाभाविक ही है कि दुःखी होगी और हमेशा दुःखी ही रहती है। यहां तक कि यदि श्री बनातवाला अप तर्कों को प्रस्तुत करें और मैं उनकी इस बात कि उसके माता पिता उसकी देखभाल करेंगे, सही मान कर चलता हूं तो भी हमारे देश में ऐसा करना आजकल बहुत कठिन है। श्री बनातवाला आप यदि शिक्षित मुसलमान लड़कों से बात करेंगे तो आप पायेंगे कि वे इस दृष्टि से

आधुनिक हो गये हैं कि वे धर्मनिरपेक्षता की समय धारणा में विश्वास रखते हैं। अत: उदाणार्थ, गरीब माता पिता इद्दत पूरा हो जाने के बाद अपनी बेटी किसी और व्यक्ति के साथ कर देते हैं यदि आप उनके माता पिता से उनके मरण पोषण के खर्च के लिए बात करें तो आप पायेंगे कि उनके गरीब 'बुनकर' माता पिता स्वयं इतनी दयनीय स्थिति में हैं कि वे अपने ही माता पिता पत्नी आदि का अपने घर में उनका मरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। बेचारी औरत क्या करेगी ? उसे ऐसा लगेगा कि मैं अपने माता पिता के लिए बोझ बन गई हूं—और वह निराश हो जायेगी तथा स्त्र‌य को कुछ एकाकी सा महसूस करेगी। इस मामले का समाधान कहां हो सकता है ? मैं आपके सिद्धांत के प्रति आपत्ति नहीं व्यक्त कर रहा, न मुझे आपके कानून के प्रति कोई आपत्ति है। मैं वास्तविकता के बारे में आपत्ति कर रहा हूं। आप धर्म तथा समाज की बात करते हैं। किन्तु पहले वास्तविक स्थिति के लिए उत्तर दें। वास्तविकता यह है कि उसे सरकार से संरक्षण मिलना चाहिए, और वास्तविकता यह है कि समाज के द्वारा भी उसे संरक्षण मिलना चाहिए, वास्तविकता यह है कि उसे संविधान का संरक्षण मिलना चाहिए और यदि यह वास्तविकता है—तो वह न्यायालय जाने के अतिरिक्त क्या कर सकती है। यह बहुत आवश्यक है। व्यक्ति को यह बात समझनी चाहिए। श्री बनातवाला के भाषण को सुनने के बाद में अपने चुनाव क्षेत्र में गया और मुसलमान युवकों से बात की। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय हमारे स्वीय कानून में हस्तक्षेप कर रहा है और महोदय यह सच है कि स्वीय कानून में हस्तक्षेप हो रहा है। इस वास्तविकता से इन्कार नहीं किया जा सकता चाहे उच्चतम न्यायालय ठीक है या गलत—कि इसमें हस्तक्षेप तो है ही। मैं इस पर विवाद नहीं करता 'स्यूरास' जिनको उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उद्धृत किया गया है वे 'तलाक तथा 'डायवोर्स'' के प्रावधान में दिए 'स्यूरास' नहीं है मैंने उसे पढ़ा है। यह सही व्याख्या नहीं है। वास्तविकता कुछ और ही है। मैं हावड़ा की चोराबस्ती नामक गन्दीबस्ती के कुछ परिवारों से मिला हूं। मैं कुछ निस्साहाय व्यक्तियों से मिला। मैंने उनकी दयनीय स्थति को सुना। उन्होंने बताया कि :

[हिंदी]

जरा देखिये तो सही अब्बाजान क्या कर सकते हैं, बरसात में उनकी रोटी तो नहीं बनती, हमें कैसे खिलाएंगे ?

[अनुवाद]

यह बताने वाला कोई भी मुल्ला नहीं है कि कुरान में क्या निदेश दिये गये हैं। उनको यह बताने वाला कोई भी हिन्दू नहीं है जो यह बातें गीता का उपदेश क्या है। उनका पथ प्रदर्शन करने वाला कोई भी विधिवेत्ता जो यह बताये संविधान में क्या कहा गया है। यह एक वास्तविकता है और हम यह देखते हैं कि महिलाऐं किस प्रकार कष्ट उठाती हैं।

संसद का कार्य यह देखना नहीं है कि मेरी या उसकी भावनाओं को कहां तक ठेस पहुंची है। संसद का कर्त्तव्य इस बात का निर्णय करना है कि महिलाओं को सरकार तथा संविधान के द्वारा इस दयनीय स्थति में कैसे सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। वास्तव में यही बात है। इसके पश्चात धर्म, कानून और नैतिकता का प्रश्न आता है। यह एक नैतिक उत्तरदायित्व का अच्छी तरह निर्णय करना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को मानता रहा हूं-शायद अनेक माननीय सदस्य इस बात से सहमत न हों—कि इस देश में उच्चतम न्यायालय और प्रशासन सर्वोपरि नहीं है अपितु संसद सर्वोपरि है। यदि उच्चतम न्यायालय भी अपने विवेक से कोई निर्णय देता है तो हम दुबारा से इस सारे मामले पर विचार कर सकते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

मैं पूरी तरह से महसूस करता हूं कि इससे मुस्लिम स्वीय विधि में अनधिकार हस्तक्षेप हुआ है। अब भी कोई याचिका दायर की गई थी तो उच्चतम न्यायालय स्वयं आसानी से इसकी उपेक्षा कर सकता था और कह सकता था कि यह मामला उच्चतम न्यायलय की सीमा में नहीं है और इसके लिए उन्हें शरीयत में जाना चाहिए। यदि उन्होंने कुरान की पूर्णरूप से उपेक्षा की होती तो कोई बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने कुरान का उदाहरण दिया है और वह भी एक असंगत रूप में। जो न्यायोचित नहीं है। यह अनुचित है। इस प्रकार के निर्णय ने मुस्लिम लोगों में काफी तनाव और उत्तेजना उत्पन्न कर दी है।

दंड प्रक्रिया संहिता में 1973 में संशोधन किया गया था। मैं उस प्रवर समिति का सदस्य था जिसे यह विधेयक भेजा गया था। श्री श्याम लाल भी उस समिति के सदस्य थे इस प्रश्न पर कई बार विचार-विमर्श किया गया था। श्री सैफुद्दीन चौधरी मुझे धारा 127 (ख) के अन्तर्गत सरकार की कमजोरियों के बारे में बता रहे थे। यहाँ ऐसा नहीं है। प्रवर समिति ने सामूहिक रूप से अपने विवेक से इस पर विचार किया था और इसे कानून का रूप दिया। महिलाओं की पूर्णतया संरक्षण न मिलने पर, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की विश्व की महिलाओं के प्रति सहानुभूति के कारण ही भरण-पोषण के लिए इस अतिरिक्त धारा को जोड़ा गया।

माननीय सदस्य श्रीमान कुरूप साम्यवादियों के विचार धारा के बारे में बता रहे थे। कुरूप महोदय को यह मालूम होना चाहिए कि मार्क्सवादी एक क्षण में ही सोच विचार सकती है जबकि कांग्रेस को विचार करने में समय लगता है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस का दायित्व राष्ट्रीय स्तर पर है न कि क्षेत्रीय स्तर पर। मार्क्सवादी पार्टी का राजनैतिक दायित्व सरकार को गिरा देना या एक भाग के रूप में सरकार में शामिल हो जाना है। लेकिन कांग्रेस सम्पूर्ण राष्ट्र, सम्पूर्ण समाज सभा के प्रति उत्तरदायी है। यह केरल में मात्र नम्बूदरी पाद का ही व्यक्तित्व वाद नहीं था जिसने सारा का सारा चुनाव जीत लिया था। लेकिन कांग्रेस पूरे देश के लिए उत्तरदायी है। उन्हें यह महसूस करना चाहिए। कांग्रेस जिस बारे में आज कुछ कहती है तो मार्क्सवादी पार्टी वही बात यदि परसों नहीं तो उसे कल अवश्य कहती है।

कांग्रेस किसी धार्मिक प्रथा अथवा स्वीय विधि विशेष तौर पर मुस्लिम स्वीय विधि में हस्तेक्षप नहीं रखना चाहती। वास्तव में यही हमारा उद्देश्य है।

दो प्रश्नों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा। मैं श्रीमान सुलेमान सेट की इस विशाल हृदयता का अर्थ नहीं समझ सका कि यदि सरकार तैयार हो जायें तो वे इस्लाम शरीयत आदि के उपबन्धों के अनुसार चलने को तैयार है।

मैं इसे नहीं मानता। आखिरकार हमारे भारत जैसे देश में, हमें किसी भी मामले में एक विशेष मुद्दे पर समझौता करना होगा और यदि हम वह समझौता नहीं कर सकते तो हम भारत को खो सकते हैं। वास्तव में यही मेरा प्रश्न है। इस बात को कभी न भूलिये कि यह भारत है। यह राजा बिरेन्द्र का नेपाल या सोमानी का ईरान नहीं है। यह भारत है और हमें धर्म निरपेक्षता की सच्ची भावना को बनाये रखना है।

अंत में मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जहां तक महिलाओं का संबंध है, सरकार को यथाशीघ्र उनके बारे में समाधान ढूढ़ना चाहिए। चाहे वे हिन्दू हो या मुस्लिम विवाह विच्छेद के बाद महिलाओं के संरक्षण का पूर्ण दायित्व सम्पूर्ण राष्ट्र का दायित्व होना चाहिए और इसमें केवल शर्त हो

कि यह मुस्लिम महिलाओं के लिए मुस्लिम स्वीय विधि के अनुरूप होना चाहिए । इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बात उनके कानून के अनुसार और संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत उन पर छोड़ दे जानी चाहिए ।

मैं चाहता हूं कि श्री बनातवाला विवाह विच्छेद के पश्चात भरण-पोषण सुनिश्चित करने के लिए और सुधार करने हेतु श्री राजा राम मोहन राय की भांति इस मशाल से मार्ग दर्शन करें। यदि महिलाओं का भरण-पोषण सुनिश्चित नहीं होता है और वे राज्य अथवा न्यायालय के पास संरक्षण के लिये जाते हैं तो उनको धर्म से अलग नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें धर्म-विरोधी नहीं माना जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट के हाल के इस फैसले को] लेकर पूरे देश में मुसलमानों के बीच में एक बेचैनी सी पैदा हो गई है । इस फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामले में हस्तक्षेप समझा गया और इसको लेकर देश के अनेक भागों में लोगों में उत्तेजना फैली तथा बेचैनी बढ़ी । हमारी सरकार की और खासकर हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी जब तक अपने शासनकाल में रही तब तक उन्होंने हमेशा इस बात का आश्वासन दिया कि किसी भी कम्युनिटी के पर्सनल लॉ में तब तक कोई तब्दीली नहीं की जायेगी, कोई भी मुदाखलत नहीं की जायेगी जब तक कि वह कम्युनिटी खुद किसी तरह के रिफार्म या बदलाव के लिए तैयार न हो जाए । कंसीसटेन्टली कांग्रेस की यह पालिसी रही है । जब भी इस प्रकार के कोई भी कानून इस सदन में आए चाहे वह मैरिज, डायवर्स या हिन्दू ला रहे हों या गोद लेने का कानून रहा हो सभी में इस आश्वासन को दोहराया गया और मुस्लिम पर्सनल लॉ और दूसरी कम्युनिटी के पर्सनल लॉ में कोई भी दखल देने की कोशिश नहीं की गई । इस देश में एक वर्ग ऐसा है जो दो हिस्सों में बंटा हुआ है । कुरुप साहब चले गए हैं । वह रिएक्शनरी, लेफ्टीस्ट और प्रोग्रेसिव भी हैं । दोनों तरह के लोग इस देश में हैं जो यह कहते हैं कि यहां एक यूनिफार्म सिविल कोड होना चाहिए । पता नहीं क्यों हमारे देश की जो टाप ज्युडिशियरी है, उस पर भी इसका असर पड़ता जा रहा है । कोर्ट्स ने ऐसे जजमेंट दिए जिनकी कोई जरूरत नहीं थी । मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । अभी दो साल हुए, आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि बनारस में एक मुसलमान की कब्र को खोदकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाये । उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । मुसलमान की कब्र कब, क्यों और कितने दिनों के अन्दर खोदी जाए, यह सब शरीयत में डिफाइन किया हुआ है । उस कब्र को बने हुए सौ साल से ऊपर हो चुके हैं । एक जिन्दा आदमी अगर किसी जमीन पर बारह या चौदह साल तक कब्जा कर ले तो वह उसकी हो जाती है लेकिन जिस जमीन पर या एक कब्र जो सौ साल से ज्यादा की हो चुकी है, उसको बिना वजह एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाये तो वह ठीक नहीं है । इस तरह अन-नैसेस्सरी एक बवाल खड़ा हो गया और उन्होंने शरीयत के कानून में अपना दखल दे दिया । यहां पर हमारे इब्राहीम सुलेमान सेट साहब नहीं हैं, वे भी उसमें पंच बने, गए भी थे बनारस और ऐसे मामले में स्टेट गवर्नमैंट का जाहिर है किसी की कब्र खोदने के हुक्म को सुनकर मुश्किल में पड़ जाना स्वाभाविक है। पता नहीं वह कौन सी स्टेट में है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : उसका फैसला हो गया और केस खत्म हो गया, अब वह कब्र नहीं खुदेगी।

श्री जैनुल बशर : आखिर में वही करना पड़ा। कब्जा मान लिया गया।

इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक रिट पिटीशन हियरिंग के लिये एक्सेप्ट की, जिसमें कहा गया था कि कुरान को बैन कर दिया जाये। यहां हमारे लॉ मिनिस्टर साहब और पश्चिमी बंगाल सरकार की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने भी हरकत की और कुरुप साहब की तरह नहीं सोचा, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब, भारद्वाज जी, यहां बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिश की। खैर, वह मामला भी खत्म हो गया। उसके बाद तीसरा बवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, यह नई मुसीबत सामने आ गई।

एक माननीय सदस्य : यही हकूमत कुरान की हिफाजत के लिए लड़ती है···(व्यवधान)···

श्री जैनुल बशर : सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह क्रीमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत दिया है···

लेकिन फैसले में उसने मुस्लिम परसनल लॉ का भी जिक्र किया है, उसमें कुरान शरीफ की आयतों को भी कोट किया है और दूसरे देशों का नमूना भी दिया है कि मुस्लिम परसनल लॉ में ये-ये तबदीलियां वहां पर की गई हैं जो अन-नैसेस्सरी हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और 1973 में जो इस कानून में तरमीम की गई थी उस समय भी तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा जी ने अपने भाषणों में बिल्कुल साफ तौर पर एक्सप्लेन कर दिया था कि किसी भी कम्यूनिटी के परसनल लॉ पर किसी भी प्रकार की मदाखलत नहीं की जाएगी।

सभापति महोदय, मुसलमानों में एक प्रथा है कि जब किसी लड़की की शादी तय होती है तो उसके साथ मेहर भी फिक्स होती है। लड़के और लड़की दोनों की मरजी से शादी तय होती है और उसके साथ-साथ मेहर तय की जाती है। वह बात अलग है कि कितनी तय की जाये, कितना अमाउन्ट हो, जितनी जिसकी हैसियत होती है, उसी के अनुसार उसे तय किया जाता है। अच्छी बात है अगर निकाह के पहले ही मेहर दे दी जाये या निकाह के तुरन्त बाद दे दिया जाये लेकिन अगर तलाक की नौबत आती है तो लड़की मेहर की हकदार बन जाती है। वैसे मेहर तो उसको देनी ही चाहिये। जब बहुत से लोग उसको नहीं दे पाते तो मुआफ करवाते हैं, कोई बेवा मरने लगती है या शोहर मरने लगती है तो मुआफ करवाते हैं लेकिन वह उसका कर्ज है और हर हसबेंड को देनी होती है, चाहे तलाक हो या न हो। जो रुपया दिया जाता है, उस पर औरत का हक होता है, उस रुपये पर शोहर का किसी तरह का हक नहीं होता, कोई दखल नहीं होता। हसबेंड को तो वह रुपया देना ही होगा और तलाक के बाद तो यह बहुत जरूरी हो जाता है। मेहर का सारा रुपया औरत को मिलता है। यदि उसको किसी कारण वश नहीं दिया गया है तो वह कोर्ट के जरिये, अदालतों के जरिए, कानून के जरिए उसको ले सकती है। जायदाद नीलाम करके भी मेहर दी जा सकती है। यदि एक बार मेहर का रुपया दिया जा चुका है और उसके बाद तलाक होता है तो हसबेंड की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वह औरत की मेन्टेनेंस के लिए, लड़की की मेन्टेनेंस के लिए रुपया दे। ऐसा इस्लाम में कानून बना हुआ है। उस कानून की नकल कई दूसरे धर्म के कानूनों में भी की गई है। हिन्दू एक्ट में भी उसको उतारा गया है और औरत को उसके बाप की प्रोपर्टी में से हिस्सा दिया जाता है। वह बात अलग है कि जैसा मुन्शी जी ने कहा, अगर

किसी के पास कुछ प्रोपर्टी ही नहीं है तो उसको क्या मिलेगा, यदि कोई गरीब आदमी है, जिसके पास कोई पैसा या प्रोपर्टी नहीं है तो उस बेचारी को क्या मिलेगा लेकिन जिसके पास है, उस में उसका पूरा हक बन जाता है और वह कानून के जरिए, अदालतों के जरिए अपना हक ले सकती है। शौहर के पैसे और जायदाद में भी उसका हक होता है। जितने भी आर्गेनाइजेशन्स बनी हुई हैं, जगह-जगह, उन सब में लड़की या औरत का हक बना हुआ है, उसका राइट है और वह अपने राइट को क्लेम कर सकती है। मुसलिम लॉ में औरतों को काफी बड़ा दर्जा दिया गया है और औरतों को हम नीचा नहीं समझते।

5.0 म०प०

औरत को हम बहुत ऊपर समझते हैं। कुरान यह कहता है कि जन्नत, जिसके हम ख्वाब देखते हैं, ड्रीम देखते हैं।

"हैवन लाईज अण्डर फीट आफ मदर"

मां के कदमों के नीचे जन्नत है। औरत को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन उसके खाने बने हुए हैं, कहां किस खाने में क्या है और कितनी अहमियत है, यह सब लिखा हुआ है।

[अनुवाद]

इसको केवल एक ही या अलग-अलग दृष्टिकोण से नहीं अपितु समग्र रूप में देखना पड़ेगा।

[हिन्दी]

इसको पूरी तरह से, यानी टोटेलिटी में देखना पड़ेगा। औरत को कोई कम नहीं समझा गया है, बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से जो मदाखलत की है, उससे बहुत से मुसलमानों में एक दहशत पैदा हो गई है और उनको यह लगने लगा है कि इस तरह से अदालतें तरह-तरह के फैसले देकर, जो हमारा पर्सनल लॉ है, उसे ही न बिगाड़ दें। क्योंकि अदालतें तो सिंगल व्यू को देखती है, टोटेलिटी को नहीं देखती हैं। एक सिंगल व्यू जो उसके सामने रखा जाता है, अदालत तो सिर्फ उसी को देखती है और उसी के आधार पर अपना फैसला देती है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अदालतों के द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ की इंटरप्रेटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह का मामला है, और उसको लाया जाना जरूरी है, तो उसको इस सॉवरन हाउस के माध्यम से लाना चाहिए। इस हाउस की किसी चीज में दखल देने की कोई मंशा नहीं है न कभी कांग्रेस पार्टी की ऐसी कोई मंशा रही है और न ही सरकार की कोई ऐसी मंशा रही है कि कि वह किसी भी कम्युनिटी के पर्सनल लॉ में कोई हस्तक्षेप करे। बल्कि सरकार हमेशा यकीन दिलाती रही है कि जितनी भी डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, जिनके पर्सनल लॉ स्टेटस में चलते हैं उनके किसी भी पर्सनल लॉ में किसी भी किस्म का कोई दखल सरकार नहीं देगी, जब तक कि कम्युनिटी के लोग खुद न कहें, खुद वे इसके लिए तैयार न हों, तब तक कोई भी दखल सरकार नहीं देगी। इस मामले में कांग्रेस की पालिसी बिलकुल साफ है, सरकार की पॉलिसी बिलकुल साफ है।

5.02 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

सभापति जी, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने जो कनफ्यूजन पैदा किया है इसको दूर करने के लिए बनातवाला साहब जो बिल लाए हैं, वह बिलकुल

ठीक है। अगर सरकार इसको मान लेती है, तो ठीक है और अगर सरकार अपने ढ़ंग से सोच-समझ कर कोई बिल लाना चाहे, तो ठीक है, फिर हम उसका स्वागत करेंगे और बनातवाला साहेब से कहेंगे कि वे अपने बिल को वापिस ले लें। सरकार खुद इस पर अपना बिल ले आए, तो बहुत ही अच्छा है और ऐसा बिल लाकर या इस बिल को स्वीकर करके सरकार को इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए। अगर सरकार इस प्रकार का कोई कार्य करेगी और इस कन्फ्यूजन को दूर कर देगी, तो भविष्य में अदालतें फिर किसी भी कम्युनिटी के पर्सनल लॉ में दखल देते समय झिझकेंगी कि पार्लियामेंट इस चीज को पसन्द नहीं करती है।

सभापति महोदय, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार की कस्टम्स हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार की रीति-रिवाज हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार के पहनावे हैं। इन सबसे यह देश बना है और सबको साथ लेकर चलने में ही हमारी मार्यादा और इज्जत है। महात्मा गांधी कहते थे कि यह देश एक ऐसी फुलवारी है जिस में रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं, और यही इस देश की शान है। इसी से देश की एकता और इज्जत दुनिया में बनी हुई है। अगर एक खेत में केवल गुलाब के फूल लगा दिए जाएं, तो वह उतनी शोभा नहीं देगा जितनी शोभा कि वह खेत देगा जिसमें गुलाब भी लगा हो, गेंदा भी लगा हो और चमेली भी लगी हो। इसलिए मेरा आप से अनुरोध है कि इस देश को एक फूल की फुलवारी मत बनने दीजिए इस देश को सभी फूलों की फुलवारी बनने दीजिए और देश की शोभा को बढ़ने दीजिए, देश की खूबसूरती को कायम रहने दीजिए। इस देश का बड़प्पन इस में है। इसी अपील के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : जब से मैं इस सभा में आई हूं, अधिकतर पुराने सदस्य इस बात को जानते हैं कि जब भी सभा में महिलाओं—चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम या इसाई—के बारे में, मैं उन सदस्यों में से हूं जिन्होंने सदैव उनके लिए आवाज उठाई है। मैं नहीं समझती कि आज इस परम्परा से हटने की कोई आवश्यता है। इस दृष्टिकोण से मैं श्री बनातवाला के विधेयक का विरोध करती हूं।

श्रीमती शाहबानो ने आरोप लगाया है कि उसके पति की एक वार्षिक आमदनी 60,000 रु० है और इस महिला को निचले न्यायालय के द्वारा 25 रु० प्रति माह का भरण-पोषण भत्ता दिया गया। समाज महिलाओं के प्रति कोई फर्ज अदा नहीं करता। मैं सभी मुस्लिम, हिन्दू और इसाई महिलाओं की तरफ से यह जानना चाहूंगी कि श्रीमान् बनातवाला और उन्हीं की भांति दूसरे लोग इस स्थिति में क्या कर रहे है? आप स्वीय विधि और अब उसमें हस्तक्षेप को देखिये।

इससे पहले कि मैं इस प्रश्न के गुण दोषों के आधार पर चर्चा करूं, मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को स्मरण करवाना चाहती हूं कि जब इस सभा में हिन्दू कोड बिल के माध्यम से हिन्दू विधि में संशोधन किया जा रहा था—लेकिन उस समय मैं सभा की सदस्य नहीं थी और इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि एक औरत के रूप में मैं उस समय की सरगरमी को भी जानती थी—इस विधेयक का भारी विरोध हुआ और जिस महिला ने इस विधेयक के विरोध का सामना किया था वह थी श्रीमती हाजरा बेगम। मैं इस महिला का आदर करती हूं और सारी

जिन्दगी उनके प्रति श्रद्धा रखूंगी। यह एक मुसलमान महिला थी जिन्होंने हिन्दू संहिता विधेयक में सुधार के लिए लड़ाई लड़ी और यदि आज भी वही हाजरा बेगम सिविल कोड को एक समाज के लिए भी लड़ाई लड़ें तो यह राष्ट्र की भावना के अनुकूल होगा। मुझे इस बात पर गर्व है कि उन्होंने न तो एक हिन्दू और न ही एक मुस्लिम महिला के रूप में लड़ाई लड़ी। यदि इस प्रश्न के बारे में श्रीमती गीता मुखर्जी एक या दो बातें कहती हैं तो मुझे आशा है कि इन बातों को धार्मिक भावना को उकसाये बिना, उसी भावना से लिया जायेगा।

अब एक प्रश्न यह उठा है कि क्या मुस्लिम स्वीय विधि में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए अथवा नहीं। मैं इस बात को पूरी तरह समझती हूं कि इस प्रश्न पर मुस्लिम समाज में भारी प्रतिक्रिया है। हमें इस बारे में किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए ? क्या हमें आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए ? मेरे साथी श्री प्रियरंजन दास मुंशी इस विषय में बोल चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न उठाये हैं इसके लिए मैं उनकी आभारी हूं। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि उनकी बात का निष्कर्ष क्या निकला ? एक प्रगतिशील बालक की भांति उन्होंने अनुच्छेद 44 का उदाहरण क्यों नहीं दिया और उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि राज्य सम्पूर्ण भारत में नागरिकों के लिए एक समाज है सिविल कोड बनाने के लिए प्रयास करेगा।

मैं जानना चाहती हूं कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य इस संविधान के प्रति वचनबद्ध हैं ? क्या वे वचनबद्ध हैं ? यदि वे संविधान के प्रति वचनबद्ध हैं तो क्या इसके अन्तर्गत उनका यह दायित्व नहीं बन जाता कि वे मुसलमान समुदाय से रचनात्मक ढंग से अपनी बात मनवाएं। बात यही है। मेरा विश्वास है कि वे संविधान के प्रति वचनबद्ध हैं। मेरा विश्वास है कि हम सब संविधान के प्रति वचनबद्ध हैं। हो सकता है यह अनिवार्य नहीं हो, अवश्य ही यह निदेश है।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि ये नीति निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत है, तो किसी ने कहा है कि देश में नीति निदेशक सिद्धांत मान्य नहीं है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : ये आदेशात्मक नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : चाहे वे अनिवार्य हों अथवा नहीं, चाहे वे लोग जो संविधान के प्रति वचनबद्ध हैं, देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह नीति निदेशक सिद्धांत है। मैं यह जानना चाहती हूं। यह विवादास्पद प्रश्न है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : धारा 25 के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह दिखावा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अब उस विषय पर वापिस आते हुए जिस पर चर्चा की जा रही है, मैं सोचती हूं कि ऐसा समझा जाता है कि इसकी व्याख्या करके उच्चतम न्यायालय के फैसले द्वारा मुस्लिम स्वीय संहिता में दखल किया गया है और उनके धार्मिक विश्वासों को आघात पहुंचाया है। मैं 'धार्मिक' शब्द पर जोर देती हूं।

यह प्रश्न उठता है कि देश में हमारा क्या अनुभव है ? अगर सभी शरियत कानून धर्म के अन्तिम वाक्य हैं, तो फिर विभिन्न देशों में शरियत कानूनों को अलग-अलग तरीके से क्यों परिभाषित किया जाता है और अलग-अलग कानून क्यों बनाए जा रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : नहीं, एक समान कानून नहीं हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : सीरिया में, इद्दत के मामले में···यह प्रचलित है, सीरिया में यह प्रथा है कि इद्दत के समय के बाद मुसलमान औरतों को भरण-पोषण के लिए खर्च दिया जाता है। क्या मैं जान सकती हूं।

अब हमारे माननीय मित्र और सहयोगी श्री इब्राहीम सुलेमान सेट ने कहा है कि भारत में मुस्लिम दंड संहिता प्रचलित नहीं है। यदि होता तो उन्हें प्रसन्नता होती। यह तथ्य कि कुछ शरियत कानूनों का भारत में लागू नहीं किया जा रहा है और इस पर कोई विवाद नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि ये ईश्वर द्वारा नहीं बनाए गए। ये व्यवहार से बने हैं। यदि सभी शरियत कानून दैवी हैं तो ऐसा क्यों है कि उनका कोई अंश लागू किया जाए और दूसरा अंश नहीं? क्या मैं यह मान लूं?

(व्यवधान)

जब औरतों का, परिवार का, प्रश्न आता है, केवल तभी यह धर्म का आखिरी शब्द बनता है। पुरुषों की प्रधानता अवश्य ही बनी रहनी चाहिए, चाहे वह हिन्दू हों अथवा मुसलमान, इस प्रकार समय के साथ-साथ स्वीय कानून बनाए गए हैं। परन्तु वे भी समय के साथ-साथ बदलते गए हैं। (व्यवधान) हां वे समय के साथ-साथ बदल गए कृपया स्मरण करें जैसा कि मेरे मित्र श्री कुरुप ने कहा है मनुस्मृति अब प्रामाणिक नहीं है, समय के साथ-साथ इसमें परिवर्तन होता गया है। अतः मुस्लिम स्वीय संहिता भी समय के साथ बदलती रही है, यह स्वाभाविक ही है।

ऐसे शोर-शराबा मचाया जा रहा है जैसे धर्म को खतरा हो, निराधार है। महोदय, नहीं। मेरा धर्म में विश्वा हो भी सकता है, मेरा धर्म में विश्वास नहीं भी हो सकता, परन्तु उन लोगों, जिनका धर्म में विश्वास है, हाथ जोड़ कर मैं कहता हूं "कृपया यह सोचने का प्रयास करें कि क्या ये अपरिवर्तीय धार्मिक धारणाएं हैं अथवा नहीं।"

यदि ऐसा है तो समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर उनमें परिवर्तन क्यों किया जाता है? इसलिए, मैं समझती हूं, कि पूरी सभा को इस प्रश्न को विश्वास अथवा अविश्वास की भावना और राजनैतिक दृष्टि अथवा एक विशेष समुदाय के वोट प्राप्त करने और न प्राप्त करने की दृष्टि से नहीं अपितु एक समान परिवार संहिता की दृष्टि से विचार करना चाहिए जिससे सभी समुदायों से सम्बन्धित महिलाओं को एक समान संरक्षण प्राप्त होगा, आखिर मतदाताओं की कुल संख्या में आधी महिलाएं हैं। हम उस तरीके से क्यों नहीं सोचते? इस प्रश्न पर धार्मिक भावनाओं को उकसाने के स्थान पर उस तरीके से सोचने में हमें क्या कठिनाई है? अतः मैं बनातवाला जी तथा सभा के अन्य सदस्यों चाहे वे सत्तारूढ़ दल के हों अथवा विरोधी दल से सम्बन्धित हों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि वे यह नहीं सोचें कि घोर विपत्ति आ गई है अथवा हमारे सिर पर पहाड़ टूट पड़ा है। क्या यह तथ्य नहीं है कि भारत में भी परिवार के सम्बन्ध में पहले ही कुछ कानून हैं जो सभी समुदायों चाहे वे हिन्दू हो या मुसलमान अथवा इसाई पर लागू होते है? विशेष विवाह अधिनियम 1972, गर्भ का चिकित्सीय कानूनी समापन अधिनियम, 1971 और बालक विवाह (अवरोध) अधिनियम, 1929 के संबंध में आप क्या कहेंगे? क्या ये सभी अधिनियम मुसलमानों, हिन्दुओं और इसाइयों के लिए मान्य नहीं हैं? क्या ये परिवार सम्बन्धी प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं? यहां मेरी शिकायत अलग है। अच्छे कानून बनाए जाते हैं परन्तु जब उनका क्रियान्वयन किया जाता है, तो यह कानून असफल

हो जाते हैं, यह एक भारी खतरा है। यही कारण है कि मैं कहती हूं कि इन कानूनों को अवश्य लागू किया जाना चाहिए और राजनैतिक लाभ उठाने के लिए कोई अधोगामी उपाय नहीं किए जाने चाहिए। श्री बनातवाला जी ने पूछा है कि हिन्दुओं में क्या हो रहा है; क्या वे लड़कियों को नहीं जला रहे हैं ? मेरा दिल बहुत दुखी होता है जब मैं उन हिन्दू महिलाओं की वकालत करता हूं जिन्हें जला दिया गया है। आज जब मैंने समाचार पत्र में देखा कि एक मुसलमान औरत रीता नरगिस को दहेज़ के कारण जला दिया गया, तो मेरे दिल को उसी प्रकार दुख हुआ। आपके दिल को उसी प्रकार दुख क्यों नहीं होता ? आप वास्तव में एक समान परिवार संहिता की बात क्यों नहीं सोचते ? ऐसा करने का प्रयास कीजिए इस प्रश्न पर बेकार विवाद में मत पड़िये। राजनैतिक भावनाओं को मत उकसाइए। आप सबसे मेरा यही अनुरोध है। हमने पहले ही कतिपय उपाय किए हैं। मेरे द्वारा पहले उल्लिखित इन्हीं कानूनों से यह स्पष्ट है। उस समय किसी ने यह शिकायत नहीं की थी कि यह कानून मुस्लिम स्वीय संहिता के विरोध में है। ये सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसलिए, अधोगामी उपाय करने अथवा किसी भी रूप में साम्प्रदायिक भावनाओं को उकसाने के स्थान पर, मेरा सभी समुदायों के नेताओं, व कोई भी हों, से अनुरोध है कि वे सम्पूर्ण प्रश्न पर मानवीय दृष्टिकोण से सोचने का प्रयास करें। यदि आप सबका धर्म में विश्वास है तो आपको एक समान नागरिक संहिता तैयार करने में सहायता मिलेगी जो वास्तव में सब धर्मों में एक धर्म अर्थात् 'मानव धर्म' होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का विरोध करती हूं। मेरा श्री बनातवाला जी सहित सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे साम्प्रदायिक भावनाओं को उकसाये बिना निदेशक सिद्धान्तों के अनुरूप सोचें।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, इस विधेयक अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से जो उत्तेजना का वातावरण उत्पन्न हुआ है, उससे वाद-विवाद में भाग लेने से मुझे डर लगता है। परन्तु यहां सम्माननीय मुस्लिम सदस्य भी हैं जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के फैसले का समर्थन किया है। मैं राज्य सभा के सदस्य श्री बहरुल इस्लाम, जो आसाम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति रह चुके हैं, द्वारा व्यक्त विचारों का उल्लेख करूंगा।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : श्री बहरुल इस्लाम ने संसद के मुस्लिम सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधान मंत्री से मिले और उनसे अनुरोध किया था कि इस फैसले को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : यदि श्री बहरुल इस्लाम प्रधान मंत्री से वैयक्तिक रूप से मिले हैं, तो मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यहां मेरा मतलब इस समाचार पत्र में दिए गए इस प्रकाशन से है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने गुप्त रूप से क्या बातचीत की है और क्या वह समाचार पत्र में व्यक्त विचार से असहमत हैं··· (व्यवधान)

[हिंदी]

श्री ओवेसी (हैदराबाद) : वे आपकी कांग्रेस के मुसलमान मेम्बरों को साथ लेकर गए थे, मिसेज नाजमा हेपतुल्ला, डिप्टी चेयरमैन, राज्य सभा को साथ लेकर गए थे, उसके बाद भी आपका ऐसा कहना कि ऐसा फैसला है तो आखिर कौन सी चीज सही है आपकी—यह या वह ?

[अनुवाद]

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, यदि मेरे इस बात के जिक्र करने पर भी कि अमुक व्यक्ति ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पक्ष में अपनी राय दी है, व्यवधान डाला जाता है तो हम इस सभा के सामने प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर ठंडे दिमाग से शांत मन से और भावावेग के बिना कैसे विचार कर सकते हैं ? सबसे पहले मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं इस सभा से कि किसी सदस्य की भावना को ठेस पहुंचाने या सभा से बाहर किसी समुदाय की धार्मिक भावना, आस्था या विश्वास की ठेस पहुंचाने की बात कदापि नहीं सोच सकता इसीलिए मेरा निवेदन यह है कि चाहे मेरी राय उनकी राय से मेल न भी खाती हो फिर भी वे मेरी बातें धैर्य से सुने। मैं सिर्फ यही कह रहा था कि मैंने बोलने का इसीलिए साहस किया कि मैंने यह देखा कि अधिकांशत: मत उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पक्ष में हैं। श्री बहरुल इस्लाम द्वारा लिखित एक लेख भी मेरे पास है। सम्भव है कि वह निजी रूप से प्रधानमन्त्री के पास गए हों। मुझे आश्चर्य है कि उन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने ऐसा किया किन्तु मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। किंतु उन्होंने जो राय दी है वह यह है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय सही है। उनका विचार है कि उससे मुस्लिम स्वीय विधि का किसी तरह से अतिक्रमण नहीं होता है। एक अन्य गणमान्य व्यक्ति जो कि न्यायाधीश भी हैं, की राय भी मेरे पास लिखित रूप में है। उन्होंने भी नहीं कहा है कि इससे मुस्लिम स्वीय विधि का किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है यदि मेरे मित्रों को यह ठेस पहुंची हो कि यह मुस्लिम स्वीय विधि का अतिक्रमण है तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वर्तमान संदर्भ में वे समग्र स्थिति पर विचार करें। मुस्लिम स्वीय विधि अल्लाह द्वारा पैगम्बर के समक्ष प्रस्तुत इल्हाम पर निर्भर है अत: कोई भी उसे चुनाती नहीं दे सकता। किंतु हम इस बात का पता लगाएं कि क्या पैगम्बर ने इस आशय के आदेश दिए थे कि इद्दत की तीन माह की अवधि के लिए ही तलाकशुदा महिला को भरण-पोषण के लिए धन राशि दी जाए या वह गर्भवती हो, तो उसे संतानोत्पति के समय तक भरण-पोषण के लिए धन राशि दी जाए। क्या वह पैगम्बर का आदेश हे, और यदि हां, तो क्या इतनी अधिक प्रगति करने के बावजूद भी वर्तमान स्थिति में हम इसे स्वीकार करेंगे ?

मेरे विचार से पूरा संसार महिलाओं के स्थान और दशा के प्रति चिंतित है। आप जानते ही हैं कि इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महिला दशक समाप्त हो रहा है। नैरोबी में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जहां सभी देशों की महिला-प्रतिनिधि यह पता लगाने गए थे कि महिलाओं का स्थान और दशा क्या है। मेरा विचार है कि महिला दशक के दौरान जब उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया तो इसे मुस्लिम महिलाओं के लिए राहत की सनद के रूप में माना जाएगा।

श्री बनातवाला ने हमारे सामने यह विधेयक पेश करते हुए बहुत जोरदार शब्दों में और भावुकता से यह कहा है कि यह स्वीय विधि का अतिक्रमण करता है। उन्होंने मुल्लाह और तैयब जी द्वारा प्रस्तुत मुस्लिम विधि के सिद्धांतों से उद्धरण भी पेश किए हैं। और श्री बनातवाला ने कहा कि उन्होंने भी यही आपत्ति की थी कि उच्चतम न्यायालय उनकी विधि की व्याख्या करने के लिए सक्षम नहीं है। मैंने यह समाचार-पत्रों में पढ़ा है। एक प्रेस-सम्मेलन में जिसमें श्री बनातवाला और सईद शाहाबुद्दीन ने भाग लिया था, उसमें यह कहा गया था कि यह मुस्लिम स्वीय

विधि का अतिक्रमण है और उच्चतम न्यायालय इसकी व्याख्या करने के लिए सक्षम नहीं है श्री इस्लाम ने इन दोनों मुद्दों का उत्तर दिया है पहली बात तो यह है कि उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकार क्षेत्र संविधान से प्राप्त किया है और दूसरी बात यह है कि यदि प्रिवी काउंसिल इस विधि की व्याख्या कर सकता था तो उच्चतम न्यायालय ऐसा क्या नहीं कर सकता ? उन्हें उच्चतम न्यायालय से ऐलर्जी क्यों हैं ? यह उच्चतम न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में है और वह विधि की व्याख्या करने में भी सक्षम है ।

अब आप यह कह सकते हैं कि उनका अपना कानून है और उनके द्वारा गलत व्याख्या की गई है अत: आप उसमें सुधार ला सकते हैं । दूसरी बात यह है कि यह कहा गया है कि सरकार इससे सहमत है । कोई इसरे सहमत हो भी सकता है और नहीं भी । माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी ने बहस करते समय बहुत जोरदार शब्दों में सरकार से आग्रह किया है कि वह अनुच्छेद 44 के अन्तर्गत निर्धारित निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप काम करें । महोदय, यह अल्प संख्यकों, को दिया गया आश्वासन है कि जब तक वे इस दिशा में कदम उठाने के लिए सरकार से नहीं कहेंगे तब तक सरकार स्वयं समान सिविल संहिता बनाने के लिए काम नहीं करेगी । और यहां तक कि जब हिंदू विधियों को एक हिंदू संहिता में संहिता बद्ध किया गया था तो तब भी यह मुद्दा उठाया गया था उस समय भी सरकार ने यही बात कही थी कि जब तक अल्पसंख्यक मांग नहीं करेंगे तब तक सरकार उनकी स्वीय विधि में हस्तक्षेप नहीं करेगी । इसीलिए अनुच्छेद 44 के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है और उस अनुच्छेद के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है क्योंकि हम पूरे मुस्लिम समुदाय को परेशान नहीं करना चाहते हैं । हम उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं । यह तो हम सोच भी नहीं सकते । किंतु निश्चय ही इस विशेष मामले में मेरी राय यह है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय उस अधिकार का विस्तार है जो तलाकशुदा महिलाओं को अपने भूतपूर्व पतियों से भरण-पोषण के लिए धनराशि दिला। के लिए दावा करने हेतु प्राप्त है । वह उसमें दी गयी अवधि तक ही सीमित था । उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दंड प्रक्रिया-संहिता के अध्याय 9 का समग्र प्रयोजन खानाबदोश और असहाय होने से रोकना है । सन् 1898 की दण्ड प्रक्रिया संहिता की एक धारा 488 है जिसे ब्रिटिश शासकों ने बनाया था और जिसमें तलाकशुदा महिलाओं को भरण-पोषण के लिए धनराशि दिए जाने के बारे में उपबन्ध किया गया था ताकि वे दर-दर न भटकें । उस समय कोई आपत्ति नहीं की गई थी । उस समय कोई गुहार नहीं की गई । इसके बाद निस्सन्देह 1973 में नया अध्याय शुरू किया गया । धारा 125 जोड़ी गई ।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने उच्चतम न्यायालय के फैसले और श्री बहरूल इस्माल की राय को भी पढ़ा है । मैं यह कहते हुये या उनकी राय को उद्धृत करते हुये सोचता हूं कि मूल पद्य में इद्दत की अवधि नहीं आती है क्योंकि इससे वे नाराज हो सकते हैं । लेकिन मैं यह कहूंगा कि इद्दत की इस तीन मास अवधि का अभिप्राय यह है कि पति की पत्नी का भरण-पोषण करने की जिम्मेदारी केवल तीन मास है । यह मेरे विचार से बहुत ही अनुचित है ।

(व्यवधान)

यह निश्चित करने के लिए यह अवधि अनिवार्य है कि क्या अमुक महिला गर्भवती है या नहीं । मैं यह बात जानता हूं । लेकिन यदि वह महिला गर्भवती नहीं है तो आप उसके जीवन निर्वाह के लिये धन देना बन्द कर सकते हैं । उसे अपने माता-पिता के पास वापस जाना होगा । चाहे वे उसका आर्थिक बोझ उठा सकें या न उठा सकें उसे उनके पास जाना ही पड़ेगा । इस

तरह से आप हमें यह बताते रहे हैं कि मुस्लिम स्वीय विधि में भरण-पोषण करने सम्बन्धी एक योजना की व्यवस्था है और महिलाएं स्वैच्छाचारिणी या निराश्रय नहीं हो सकतीं अथवा दर-दर नहीं भटक सकतीं।

लेकिन, महोदय, हमारी सामाजिक, और आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमारे यहां बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें न केवल मुस्लिम बल्कि हिन्दू और इसाई महिलाएं भी निराश्रय हैं। बहुत सी गरीब महिलाएं है जो अपना गुजारा कर रही हैं, वे असहाय हैं; वे स्वेच्छाचारी हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार ऐसी महिलाओं की देखभाल के लिये योजनाएं बनाये जिनका कोई सहारा नहीं है जो निराश्रय हैं, जो स्वेछाचारी हैं। लेकिन जब हम कानून बना रहे हैं तो हम ऐसा कुछ न करें जिससे वास्तव में स्वेच्छाचारिता अथवा निर्धनता में वृद्धि हो। हम इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि हम उनकी तब तक सहायता करने की व्यवस्था करें जब तक वे फिर से विवाह नहीं कर लेतीं या अच्छी आजीविका नहीं कमा लेतीं या उनका निधन नहीं हो जाता। उनके लिये यह योजना है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यही बात कही गयी है। श्री मिर्धा जी ने अपने भाषण में, इसी का हवाला दिया है।

श्री मिर्धा जी ने कहा है :—

"जैसाकि मैंने कहा है कि कुछ समुदायों की प्रथाओं या स्वीय विधि के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को कुछ धनराशि देनी होती है। जब उनको वह राशि दे दी जाती है तो उसे जीवन निर्वाह का खर्च देने के बारे में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश रद्द किया जा सकता है।"

महोदय प्रश्न यह नहीं है कि यह धनराशि उचित है या अनुचित, पर्याप्त है या अपर्याप्त। श्री मिर्धा जी ने जो कहा है उसका अर्थ यही है।

मैं श्री बनातवाला से, जिन्होंने यह विधेयक पेश किया है, पूछता हूं कि क्या यह विधेयक अपने आपमें पूर्ण है; क्या आप संतुष्ट हैं कि इस विधेयक पर उंगली नहीं उठेगी ; महोदय 'मेहर' के बारे में भी व्याख्याएं की गई हैं। महिला को 'मेहर' के रूप में दी जाने वाली धनराशी को भी कुछ अन्य राशियों से जोड़ा जाता है जो इस कानून के अन्तर्गत रीतिरिवाज के अनुसार देनी होती हैं। यह राशि कुछ और है। उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा है। यहां तक कि मुस्लिम कानून भी यह कहता है कि मेहर वह राशि है जो विवाह के समय आपसी सहमती से दी जानी होती है। यह राशि किश्तों में भी दी जा सकती है अथवा इसके भुगतान को आस्थगित भी किया जा सकता है। यह एक दूसरी बात है। परन्तु जब भी यह राशि मांगी जायेगी, यह दी जायेगी। इसका तलाक से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तलाकशुदा महिला को उसके निर्वाह के लिये नहीं दी जाती कुछ अन्य धनराशियां भी हैं जिनके दिये जाने के बारे में आपस में सहमति होती है। मैं चाहूंगा कि श्री बनातवाला जी सभा को उन राशियों के बारे में बताएं जो कि आमतौर पर तथा प्रथा के तौर पर महिला को दी जाती हैं। और यह मान लिया जाता है कि उसने अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन कर दिया होगा। (**व्यवधान**)

भुगतान दो प्रकार के होते हैं उनमें से एक आस्थगित भुगतान है। आस्थगित भुगतान मेहर हैं मेहर ऐसी राशी है जो विवाह के लिये दी जाती है। यह राशि महिला के प्रति सम्मान के

रूप में दी जाती है। आप इसको उस राशि से नहीं जोड़ सकते जिस राशि का कोई भी महिला प्रथागत कानून न के अंतर्गत हकदार होगी। इसलिये मैं श्री बनातवाला जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस विशेष पहलू के बारे में सभा को बताएं। इस बात को अब स्पष्ट कर दिया गया है। मैं नहीं समझता कि श्री बनातवाला जैसा व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की कानून की व्याख्या करने संबन्धी सक्षमता के बारे में शंका प्रकट करेगा।

दूसरा प्रश्न यह है कि मैंने हमेशा महसूस किया है कि निर्वाह राशि देने की अवधि भी इद्दत तक सीमित है, उच्चतम न्यायालय ने केवल महिला के उस अधिकार का विस्तार किया है जो कानून के अंतर्गत उसे प्राप्त है। उसने केवल अवधि को ही बढ़ाया है। यदि उसको दी गई धन-राशि से तलाक के समय उसका जीवन निर्वाह ठीक-तरह नहीं होता तो वह तब तक के लिये उचित धनराशि लेने की हकदार है जब तक वह दुबारा विवाह नहीं कर लेती अथवा उसका निधन नहीं हो जाता, और इसी दौरान यदि वह कोई कारबार शुरू कर देती है जिससे उसे कोई आय होने लगती है तो उसके पति की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि हमें इस बात पर पूर्णतः माननीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। श्री बनातवाला ने कहा कि मुस्लिम कानून मानवता और न्याय को ध्यान में रखकर बनाया गया है और यदि ऐसा है तो हमें भी मानवता के नाते यह सुनिश्चित करना होगा कि तलाकशुदा महिला अपना जीवन निर्वाह ठीक तरह से कर सके। हम केवल मुस्लिम विधि में उपबंधित निर्वाह-योजना से ही आश्वस्त नहीं हो सकते, हम इस बात से आश्वस्त नहीं हो सकते कि वह अपने माता-पिता का आश्रय लेती है, उसके बहुत से भाई-बहन हो सकते हैं और हो सकता है उसके माता-पिता उसका खर्चा चलाने में असमर्थ हों। यह प्रस्ताव संतोषजनक नहीं है और इस संसद को यह विश्वास दिलाना होगा कि ऐसा उपबंध होना चाहिये जिससे तलाकशुदा महिला अपना जीवन निर्वाह कर सकेगी और उसे निराश्रय या स्वेच्छा चारिणी की भांति दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर व्यापक रूप से चर्चा की जानी चाहिये और मैं आशा करता हूं कि श्री बनातवाला अपना विधेयक वापस ले लेंगे और सरकार को इस बारे में निर्णय लेने देंगे।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि हम इस विधेयक पर चर्चा करने का समय 6 बजे तक बढ़ा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : जी नहीं।

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : हम इसे आज समाप्त नहीं कर पायेंगे। हम इसे अगली बार भी जारी रखेंगे।

सभापति महोदय : यदि इसे अगली बार जारी रखना है तो कितने घंटों के लिए ?

संसदीयकार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय बढ़ाया जा सकता है और इस पर अगली बार चर्चा की जा सकती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कुमार राय (घोसी) : सभापति महोदय ! मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को हम आज ही पूरा कर लें। इस पर समय बढ़ा कर चर्चा को पूरा कर सकते हैं। सरकार का भी

अपना दृष्टिकोण इस पर आ जायेगा। इसलिए इसे आज ही हम खत्म कर लें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है, हमें इसे दो घंटे के लिए बढ़ा देते हैं। हम अगली बार इसे जारी रखेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं समझता हूं — सभा इस बात से सहमत है कि हम इसके लिए समय बढ़ायें तथा अगली बार इसे जारी रखें।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

***कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर)** : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने की अनुमति दी। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह विधेयक अत्यधिक भावप्रवण भी है। मैंने इस विधेयक पर राजनीति से ऊपर उठ कर बोलने की सोची थी। किन्तु, महोदय, मुझे यह देखकर बहुत दुःख हुआ कि कुछ दलों के नेताओं ने इस विधेयक पर बोलते समय अपने दल को सुस्थापित करने का प्रयत्न किया है बजाय इसके कि वे इस विधेयक को एक मजबूत आधार प्रदान करने अथवा महिलाओं की छवि सुधारने का प्रयास करते। मैंने यह आशा की थी कि विधेयक पर होने वाली चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्य राजनीति और अपने दलगत लाभादि से ऊपर उठेंगे। यदि हमें वास्तव में महिलाओं के प्रति थोड़ा भी स्नेह है, उनके प्रति कोई सहानुभूति है तो हमें अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। मुझे यह देखकर बहुत दुःख हुआ कि श्रीमती गीता मुखर्जी जैसी वरिष्ठ सदस्या ने भी अपने भाषण में महिलाओं का बचाव करने के स्थान पर अपने दल को ही स्थापित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने बार-बार यह कहने का प्रयत्न किया कि (व्यवधान)। कृपया व्यवधान मत डालिए। उन्होंने अपनी बात कहली हैं अब मैं जो कुछ कहना चाहती हूं कहने दीजिए···कृपया मुझे बोलने दीजिए, वे पहले ही चर्चा में भाग ले चुकी हैं···(व्यवधान) महोदय, मुझे उस समय बहुत बुरा लगा जब श्रीमती गीता मुखर्जी ने इस विधेयक पर अपने भाषण के दौरान बार-बार कांग्रेस बेंचों की तरफ इशारा करते हुए कहा था 'आप सामान्य नागरिक संहिता का समर्थन क्यों नहीं करते। आप प्रगतिशील क्यों नहीं बन रहे ? मैं यह कहूंगी कि यह आपका ही दल नहीं है जो भारत का प्रगतिशील दल कहलाये। (व्यवधान) श्रीमान्, मुझे सबसे अधिक तकलीफ तब हुई जब उन्होंने कांग्रेस बेंचों की तरफ इशारा किया और हमें और अधिक प्रगतिशील होने तथा और अधिक साहसी होने के लिए कहा। आप सब जानते हैं कि यह वही कांग्रेस दल है जो स्वतन्त्रता से पहले अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज्य करो' की नीति के विरुद्ध लड़ा था। यह वही कांग्रेस दल है जिनकी नेता श्रीमती गान्धी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपना जीवन ही बलिदान कर दिया। उन्होंने न केवल हिन्दुओं या सिखों या मुसलमानों या ईसाईयों को संरक्षण दिया अपितु उन्होंने सभी धर्मों का संरक्षण करने का प्रयत्न किया। अपनी मृत्यु से सिर्फ एक दिन पहले उन्पोंने उड़ीसा में एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि "मैं यह चिन्ता नहीं करती कि मैं जियूंगी या मरूंगी मैं अपनी अन्तिम सांस तक लोगों की सेवा करती रहूंगी। यदि मैं मरूंगी तो मेरे खून का कतरा-

*बंगला में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

कतरा देश को मजबूत बनाने तथा देश की एकता बनाए रखने के काम आयेगा।" उन्होंने यह देश की रक्षा करने के अभिप्राय से कहा। देश में हुए सभी सुधार, सभी प्रगतिशील कार्य कांग्रेस दल के नेतृत्व में हुए हैं। हम नहीं जानते कि इस विषय में कांग्रस दल क्या करेगा। किन्तु हम, जो श्री बनातवाला के इस विधेयक पर बोल रहे हैं, अपनी सिर्फ व्यक्तिगत राय व्यक्त कर रहे हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रत्येक धर्म की अपनी परम्परायें हैं अपने आदर्श हैं और अपना दर्शन है। जब हिन्दू सूर्य देवता के समक्ष नमस्कार करते हैं और झुकते हैं—तो वे संस्कृत में कहते हैं—

"ॐ नमो जवाकुसुम संकाश्यं,
कास्यपेयं महाद्युति।"

जब मुसलमान भाई 'कुरान' पढ़ते हैं तो वे कहते हैं—

"ला इलाही इल्लिल्लाह,
मुहम्मद रसूलुल्लाह।

ईसाई भाई कहते हैं—

"देअर इज नन बट वन"

सिख भाई कहते हैं—

"वाहे गुरुजी दा खालसा,
वाहे गुरुजी दी फतेह।"

हमारे संविधान की यही भावना है। श्रीमान्, इस्लाम की अपनी विचारधारा है। इस्लाम विचारधारा मानवता के लिए सामाजिक न्याय की प्रतीक है। किन्तु इसके बावजूद इस विधेयक पर चर्चा करते समय मुझे कुछ बातें कहनी होंगी।

श्रीमान् कुरान में लिखा है कि महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। एक समय में अरब देशों में मुसलमान अपनी लड़कियों को जन्म लेते ही मार डालते थे। किन्तु इस्लाम शांति का प्रतीक है। अतः कुरान में औरत के मान-सम्मान का उल्लेख है। कुरान में यह भी लिखा है कि—

[हिंदी]

"इन्सान के अगर बस में है तो सितारे भी औरत के लिए ला सकता है।"

[अनुवाद]

इससे पता चलता है कि इस्लाम में औरत के प्रति कितना आदर है।

[हिन्दी]

"मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है।
वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।"

[अनुवाद]

इस्लाम में औरत को इज्जत के लिए इतना कुछ लिखा गया है। श्रीमान् हम किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।

मैं मुसलमान भाईयों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। प्रत्येक धर्म की अपनी

विचारधारा तथा परम्पराएं होती हैं। (व्यवधान) श्रीमान ये मार्क्सवादी लोग हमेशा परेशान करते हैं और हमेशा अपनी ही आवज बुलन्द करने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें कुछ ऐसा कहना है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सके यह राजनीति नहीं है······मैं श्री बनातवाला साहब से निवेदन करना चाहती हूं कि वे अपना विधेयक हम सभी के तथा समुदाय के हित में वापिस ले लें और सरकार को स्वयं ऐसा कोई विधेयक पेश करने दें। मुसलमान भाई मुसलमान औरतों के बचाव के लिए और अधिक प्रभावशाली ढग से सामने आ सकते हैं। हम हिन्दु भाई-बहन आप के साथ हैं, किन्तु मुसलमान भाईयों को और अधिक प्रगतिशील एवं उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा, क्योंकि हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं जहां मध्यकालीन विचारधारा सार्थक नहीं होगी। हम 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहा रहे हैं ऐसी बातें अब नहीं रहनी चाहिए ? भेद- भाव के कारण क्यों किसी वर्ग को ठेस पहुंचे। आपको यह सुनिश्चित करने के कार्य में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए कि किसी को कोई कष्ट न हो।

आप विधेयक प्रस्तुत कीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। यदि इस प्रकार का विधेयक सरकार की ओर से आता है तो हम सब उसका स्वागत तथा समर्थन करेंगे ताकि किसी भी तरह से औरतों का अपमान नहीं किया जा सके तथा उन्हें पूर्ण संरक्षरण प्रदान किया जाए।

मैं अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि बहुत से सदस्य इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलना चाहते हैं। मैं केवल कुछ और बातों का उल्लेख करूंगी। मैं श्री बनातवाला तथा अन्य मुस्लिम भाईयों का ध्यान शाह बानू बेगम के मामले की ओर दिलाना चाहती हूं। महोदय, शाह बानू का विवाह 1932 में हुआ था। 1975 में उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था। 1978 में उसने न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उसे न्यायालय से तलाक मिल गया। यदि मैं यह मान लूं कि विवाह के समय उसकी आयु 20 वर्ष की थी, आज 46 वर्ष पश्चात् जब कि उसका तलाक हो चुका है, उसकी आयु 66 वर्ष के लगभग होगी। अब इतनी अधिक उम्र होने पर, यदि आप उसे भरण-पोषण के लिए खर्च प्रदान नहीं करते, यदि आपका मुस्लिस समाज स्थायी तौर पर उनके रहने की व्यवस्था नहीं करता, तो किस प्रकार एक निस्सहाय वृद्ध महिला जीवित रह सकती है ? आपको इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना होगा। हम मुस्लिम स्वीय विधि में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हम 'शरियत' का उल्लंघन नहीं करना चाहते। परन्तु इसके साथ ही 21वीं शताब्दी में किसी भी मुस्लिम महिला को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे समान न्याय अथवा अवसर नहीं प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार की बातें यहां नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं कि टर्की, मिस्र और पाकिस्तान इत्यादि देशों में केवल एक ही कानून लागू है। मैं गीता जी के भाषण का विरोध नहीं कर रही, मुझे उनका जोरदार भाषण बहुत अच्छा लगा और मैं उसका स्वागत करती हूं। परन्तु हमें बोलते समय यह अवश्य निश्चित करना चाहिए कि राजनीति धर्म को कलुषित न करे। हमें जिम्मेदारी पूर्वक बोलना चाहिए। धर्म और राजनीति की भाषाएं अलग-अलग हैं। मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बंगाल के एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र ''आनन्द बाजार पत्रिका'' में आज डेथ ऑफ रीता नरगिस (रीता नरगिस की मृत्यु) शीर्षक के अन्तर्गत एक समाचार प्रकाशित हुआ है। यह हम सब के लिए बहुत ही दुखद घटना है। उसकी मृत्यु (हत्या) का कारण दहेज बताया गया है।' परन्तु मैं जानती हूं कि इस्लाम की 'शरियत' के अनुसार, लड़कियों को दहेज नहीं देना पड़ता। लड़कियों से शादी करने के लिए लड़कों द्वारा

दहेज दिया जाता है परन्तु जब हम देखते हैं कि इसके बावजूद इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, अथवा ऐसी घटनाओं के दुबारा होने की संभावना है, तो हमें पहले से ही सुरक्षात्मक उपाय अवश्य करने चाहिए। रीता नरगिस की मृत्यु 19 जुलाई को हुई थी। परन्तु जब उसके पिता ने शव परीक्षण.के लिए अपील की तो उन्हें शव परीक्षा का मौका नहीं दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन पहले कलकत्ता के बाजार में, एक मुस्लिम महिला को जलाकर मार दिया गया। अत: हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण प्राप्त हो तथा समान न्याय और अवसर प्राप्त हो। संविधान में सभी धर्मों के लोगों को संरक्षण का आश्वासन दिया गया है। अलग-अलग धर्मों से सम्बन्धित होते हुए भी, हम सभी को राजनीति से ऊपर उठ कर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिल कर प्रयास करने चाहिए। मैं विशेष रूप से श्री बनातवाला से इस विधेयक को वापिस लेने का अनुरोध करूंगी तथा सरकार से इसी प्रकार का विधेयक लाने के लिए कहूंगी। उस विधेयक में महिलाओं को बोलने की स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक रहने तथा समान न्याय तथा अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। हम हिन्दु बहनें आपके साथ हैं तथा आपका समर्थन करेंगी। हिन्दु तथा मुसलमानों के बीच कोई विवाद नहीं है। पूरी तरह एकता से कार्य करके 21वीं शताब्दी में हमें अपने दृष्टिकोण को व्यापक करने का प्रयास करना चाहिए, यह आज की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में हमें आधुनिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मध्यकालीन युग में हमने देखा है कि मुसलमान महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली भूमिका अदा की। मेहरुन्निसा, नूरजहां, हमीदा बानो बेगम, जहांनारा, रोशनारा इत्यादि के बारे में सोचिए, जिन्होंने मध्ययुग में राजकीय मामलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत में भी बहुत सी प्रसिद्ध औरतें रही हैं। परन्तु आज बहुत सी मुसलमान औरतों को उचित शिक्षा नहीं मिल रही क्योंकि वे 'पर्दे' में रहती हैं। आधुनिक युग के साथ वह आगे क्यों नहीं आती ? यह देखने की आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ मैं माननीय सभापति महोदय को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का समय दिया तथा मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं अपने प्रिय सहयोगी श्री बनातवाला द्वारा पिछले महिने की 26 तारीख को प्रस्तुत किए गए दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं समझता हूं कि इस विधेयक का समर्थन करना मेरा कर्तव्य है क्योंकि यह पूर्ण रूप से मेरे धर्म, मेरे विश्वास से सम्बन्धित है तथा इसके साथ ही इस्लाम की शरियत तथा देश की एकता तथा साम्प्रदायिक सामंजस्य की गम्भीर समस्या से सम्बन्धित है। महोदय, यह बहुत दुख की बात है कि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायिक निकाय ने मुहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो, अपील संख्या 103/81, जो 24-4-85 को की गई थी, के मामले में बहुत से पहलुओं की गलत व्याख्या की है। इस फैसले द्वारा न केवल मुस्लिम स्वीय कानून का घोर उल्लंघन किया गया है अपितु इससे हमारे देश के धर्म-निरपेक्ष स्वरूप का भी उल्लंघन किया गया है। इस फैसले द्वारा इस देश के लोगों के मौलिक अधिकरों का हनन ही नहीं हुआ बल्कि फैसला इससे भी आगे बढ़ गया है। फैसले है धर्म ग्रन्थ कुरान की गलत व्याख्या की भी गलती की गई है।

इन सभी बातों से उच्चतम न्यायालय ने इस माननीय सभा के उद्देश्य को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। 1973 में इस माननीय सभा में इसी दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक पर विचार किया गया था और इस विधेयक द्वारा अनुच्छेद 25 (1) के साथ-धारा 127 (3) (ख) जोड़ी गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक में जोड़ी गई धारा 127 (3) (ख) पर उस समय विचार किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था ?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : क्या आपने उस समय इसका विरोध किया था ?

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मैंने उस समय विरोध किया था। 1973 में मेरे दिये गये भाषण से यह आप देख सकते हैं। मैंने संशोधन भी पेश किये हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : हम सभा से उठकर भी चले गये थे। हमने संशोधन पेश किये थे। यह कार्यवाही वृतांत में उपलब्ध है।

एक माननीय सदस्य : लेकिन वह सभा की आमराय थी और इसीलिये उन्होंने इसे पारित कर दिया था।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : ठीक है, लेकिन कैसे ? मैं विस्तार से जानना चाहता हूं कि विधेयक कैसे पारित किया गया। ऐसा लगता है कि सदस्य धारा 127 (3) (ख) की पृष्ठभूमि से बिल्कुल भी अवगत नहीं हैं। मैंने सभा में चर्चा के दौरान विधेयक के उपबन्धों का विरोध किया था। मैं तुरन्त प्रधान मंत्री जी के पास गया और उन्हें बताया कि यह मुस्लिम स्वीय विधि के प्रतिकूल है और यह मुस्लिम स्वीय विधि में स्पष्टतः हस्तक्षेप भी है प्रधान मंत्री को अभ्यावेदन दिये गये थे। उनसे शिष्ट मंडल मिले। और स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने, जो हमारी भावनाओं को समझ गई थीं, तत्कालीन गृह मंत्री श्री मिर्धा जी को, जिन्होंने इस धारा विशेष नामतः 127(3) (ख) को शामिल करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया था निर्देश दिया। इस धारा में यह प्रावधान था कि यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो तो—

में उद्धृत करता हूं :—

> "जिस महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया हो और उस महिला को उक्त आदेश के पहले या बाद की तिथि को दोनों पक्षों पर लागू किसी प्रचलित अथवा स्वीय विधि के अन्तर्गत वह सम्पूर्ण राशि मिल गई हो जो इस तरह के तलाक पर देय है, उक्त आदेश को रद्द..."

मुस्लिम स्वीय विधि को संरक्षण देने के लिए विशेषतौर पर इस धारा को शामिल किया गया था। श्रीमान् मिर्धा ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया था कि दंड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से हम मुस्लिम स्वीय विधि में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का इरादा नहीं रखते। श्रीमान् मिर्धा जो गृह मंत्री थे उनका यह स्पष्ट अभिप्रायः था। जब मैं इस प्रश्न पर आऊंगा तो बाद में इस बारे में बिस्तारपूर्वक चर्चा करूंगा।

मैं एक बात स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे संविधान के निर्माताओं ने बड़ी समझदारी से हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के अध्याय को सम्मिलित किया है और इस तरह से यह अनुच्छेद 25(1) बना है। अनुच्छेद 25 (1) में क्या कहा गया है ? इसमें यह कहा गया है कि :

"सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों को, अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।"

इस देश के मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को ये मौलिक अधिकार दिये गये हैं। लेकिन जो बात मैं यहां कहना चाहूंगा वह यह है कि इन मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है...

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

6.00 म. प.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं श्री जनार्दन पुजारी की ओर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अनिम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अधिसूचना संख्या 183—85—के० उ० शु० जो भारत के राजपत्र में 9 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 85/85 के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 16-क के अधीन आने वाले माल को उपलब्ध छूट संबंधी लाभों को रबड़) उत्पादों (ट्रैड रबड़ और कैमल बैक से भिन्न) तक सीमित किया जा सके।

(दो) अधिसूचना संख्या 184/85—के० उ० शु० जो भारत के राजपत्र में 9 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 16-क के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों, यथा ट्रैड रबड़ और कैमल बैक को, जिसकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या

अधिक कारखानों से, या किसी एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से, देशी उपभोग के लिये, किसी भी वित्तीय वर्ष में 7.5 लाख रुपए से अनधिक मूल्य तक किये जाने की दशा में उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, उस पर उद्ग्रहणीय उत्पादन शुल्क के उतने भाग से छूट दी गई है, जितना मूल्यानुसार 12% से अधिक है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 299/85]

6.10 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 12 अगस्त, 1985/21 श्रावण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : एस० नारायण एण्ड सन्स, पहाड़ी धीरज, दिल्ली-6